RNI No. MAHBIL /2009/31746

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ९, अंक २] गुरुवार ते बुधवार, जून ८-१४, २०२३/ज्येष्ठ १८-२४, शके १९४५ [पृष्ठे ४२४

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

पृष्ठे

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १, सन् २०१९.—महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम क्र. १, सन् २०१९। ०३

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २, सन् २०१९.—महाराष्ट्र विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम क्र. २, सन् २०१९। १९

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३, सन् २०१९.—महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े प्रवर्गों (इएसबीसी) के लिए (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए और पदों के लिए) आरक्षण (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम क्र. ३, सन् २०१९। १०३

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४, सन् २०१९.—महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अधिनियम क्र. ४, सन् २०१९। १०६

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५, सन् २०१९.—सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय मुंबई अधिनियम क्र. ५, सन् २०१९। १०७

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६, सन् २०१९.—डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय पूणे अधिनियम क्र. ६, सन् २०१९ । १२५

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७, सन् २०१९.—महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रवर्गों (इएसबीसी) के लिए (राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये सीटों का और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियाँ और पदों के लिए) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम क्र. ७, सन् २०१९। १४३

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, सन् २०१९.—महाराष्ट्र विनियोग अधिनियम क्र. ८, सन् २०१९। १४५

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९, सन् २०१९.—महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम क्र. ९, सन् २०१९। २२७

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०, सन् २०१९.—महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम क्र. १०, सन् २०१९। २५५

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११, सन् २०१९.—महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) और महाराष्ट्र पशु और मत्स्यउद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम क्र. ११, सन् २०१९। २५७

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२, सन् २०१९.—श्री बालाजी विश्वविद्यालय पूणे अधिनियम क्र. १२, सन् २०१९। २६३

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३, सन् २०१९.—रामदेव बाबा विश्वविद्यालय नागपुर अधिनियम क्र. १३, सन् २०१९। २८३

पृष्ठे

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४, सन् २०१९.—महाराष्ट्र कर विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम क्र. १४, सन् २०१९। ३०३

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५, सन् २०१९.—महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों का निपटान अधिनियम क्र. १५, सन् २०१९। ३०७

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, सन् २०१९.—महाराष्ट्र कर विधि (द्वितीय संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम क्र. १६, सन् २०१९। ३२०

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७, सन् २०१९.—महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) (संशोधन) अधिनियम क्र. १७ सन् २०१९। ३२३

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८, सन् २०१९.—मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम क्र. १८, सन् २०१९। ३२५

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९, सन् २०१९.—महाराष्ट्र कृषि भूमि (धृति की अधिकतम सीमा) (संशोधन) अधिनियम क्र. १९, सन् २०१९। ३२७

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०, सन् २०१९.—महाराष्ट्र भू-राजस्व में वृद्धि और विशेष निर्धारण (संशोधन) अधिनियम क्र. २०, सन् २०१९। ३२९

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, सन् २०१९.—महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) (जारी रहना) अधिनियम क्र. २१, सन् २०१९। ३३१

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२, सन् २०१९.—स्पाईसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम क्र. २२, सन् २०१९। ३३४

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, सन् २०१९.—महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम क्र. २३, सन् २०१९। ३३६

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, सन् २०१९.—मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम क्र. २४, सन् २०१९। ३५२

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५, सन् २०१९.—पंढरपुर मंदिर (संशोधन) अधिनियम क्र. २५, सन् २०१९। ३५४

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६, सन् २०१९.—एम.जी.एम. विश्वविद्यालय औरंगाबाद (संशोधन) अधिनियम क्र. २६, सन् २०१९। ३५५

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७, सन् २०१९.—महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (संशोधन) अधिनियम क्र. २७, सन् २०१९। ३७४

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८, सन् २०१९.—महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (फीस का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम क्र. २८, सन् २०१९। ३७६

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९, सन् २०१९.—महाराष्ट्र प्रसार माध्यमों के व्यक्तीयों और प्रसार माध्यम संस्था (हिंसा और संपत्ति की हानि या नुकसान की रोकथाम) अधिनियम, २०१७ महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २९, सन् २०१९ । ३८१

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३०, सन् २०१९.—महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम क्र. ३०, सन २०१९। ३८४

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१, सन् २०१९.—महाराष्ट्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम क्र. ३१, सन् २०१९। ४०६

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२, सन् २०१९.—महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम क्र. ३२, सन् २०१९ । ४१४

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३, सन् २०१९.—महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (राज्य विधानसभा के आम निर्वाचनों के कारण कतिपय जिला परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और कतिपय पंचायत समितियों के सभापति और उप सभापति) के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन (संशोधन) अधिनियम क्र. ३३, सन् २०१९। ४१६

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४, सन् २०१९.—महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम क्र. ३४, सन् २०१९। ४२०

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५, सन् २०१९.—महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अधिनियम क्र. ३५, सन् २०१९। ४२२

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६, सन् २०१९.—महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम क्र. ३६, सन् २०१९। ४२४

MAHARASHTRA ACT No. I OF 2019.

THE MAHARASHTRA (SUPPLEMENTARY)
APPROPRIATION ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ८ मार्च, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. I OF 2019.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2019.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ८ मार्च, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च २०१९ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता हैं, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१९ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये; इसलिए, भारत के गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१९ कहलाए । संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के लिये ४२ अरब, ८४ करोड़, ६५ लाख, ३६ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नही होंगी और जो कुल मिलाकर बयालीस अरब, चौरासी करोड, पैंसठ लाख, छत्तीस हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०१९ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष में होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१९ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी		
				विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-५	सामाजिक सेवाएँ ।	२२१६, आवास । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ । २२५१, सचिवालय सामाजिक सेवाएँ ।	. .	४,८२,२६,०२,०००	. . .	४,८२,२६,०२,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग	. .	४,८२,२६,०२,०००	. . .	४,८२,२६,०२,०००
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन ।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—गृह विभाग ।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-२	स्टाम्प तथा पंजीयन ।	२०३०, स्टाम्प तथा पंजीयन।	. .	५२,०७,०३,०००	. .	५२,०७,०३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
	राजस्व तथा वन विभाग—जारी			रुपये	रुपये	रुपये
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२१७, नगरविकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	. .	१०,८२,११,०००	. .	१०,८२,११,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध मे राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	. .	२०,१९,५०,७२,०००	. .	२०,१९,५०,७२,०००
सी-७	वन ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५५१, पहाड़ी क्षेत्र ।	. .	४,०००	. .	४,०००
		कुल-राजस्व तथा वन विभाग ।	. .	२०,८२,३९,९०,०००	. .	२०,८२,३९,९०,०००
	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग					
डी-३	कृषि सेवाएँ ।	२४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा ।	. . . . . .	३०,०००	. .	३०,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास ।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।	. .	३,०५,३०,८६,०००	. .	३,०५,३०,८६,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग ।	२४०५, मत्स्य उद्योग ।	. .	२८,७३,५१,०००	. .	२८,७३,५१,०००
डी-७	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२७०२, लघु सिंचाई । ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ ।	. . . .	५१,३४,०००	. .	५१,३४,०००
		कुल-कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	३,३४,५६,०१,०००	. .	३,३४,५६,०१,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग

इ-२	सामान्य शिक्षा ।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	५३,०००	. .	५३,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति, २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन	. . . .	८,४२,४८,०००	. .	८,४२,४८,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग।	. .	८,४३,०१,०००	. .	८,४३,०१,०००

नगरविकास विभाग

एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल ।	. .	५,०००	. .	५,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ ।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	. .	७,०००	. . .	७,०००

वित्त विभाग

जी-२	अन्य वित्तीय तथा विविध सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	. .	१,०००	. .	१,०००
जी-३	ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएँ।	२०४८, ऋण कमी करने या परिहार के लिए विनियोग। २०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	. .	. .	१,०००	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
जी-६	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ती के लाभ ।	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ती के लाभ ।	. .	. .	३१,३६,२८,०००	३१,३६,२८,०००
जी-७	ब्याज अदायगियाँ और ऋृण सेवाएँ ।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	. .	. .	. .	. .
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—वित्त विभाग।	. .	३,०००	३१,३६,२९,०००	३१,३६,३२,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-३	आवास ।	२२१६, आवास ।	. .	१,०००	. .	१,०००
एच-५	सड़क तथा पुल ।	३०५४, सड़क तथा पुल ।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	३,०००	. .	३,०००
		जलस्रोत विभाग				
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई । २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान ।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००

		विधि तथा न्याय विभाग				
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	. .	१५,०००	. .	१५,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २२३५, सामाजिक तथा सुरक्षा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	१७,०००	. .	१७,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	. .	४,०००	. .	४,०००
के-४	श्रम तथा नियोजन ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	२,९३,५२,०००	. .	२,९३,५२,,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।	. .	१०,७३,६५,९५,०००	. .	१०,७३,६५,९५,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	१०,७६,५९,५१,०००	. .	१०,७६,५९,५१,०००
		ग्रामविकास विभाग				
एल-१	ब्याज अदायगी।	२०४९, ब्याज अदायगी।	. .	. .	१,४२,८२,३५,०००	१,४२,८२,३५,०००
एल-२	जिला प्रशासन	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	२,०००	. .	२,०००
एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	४,०००	१,४२,८२,३५,०००	१,४२,८२,३९,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २८०१, विद्युत।	. .	१०,०००	. .	१०,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	१०,०००	. .	१०,०००
		आवास विभाग				
क्यू-३	आवास ।	२२१६, आवास । २२१७, नगरविकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. . . .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—आवास विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-२	आवास ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ । २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. . . .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-३	आवास ।	2251, [illegible] सामाजिक सेवाएँ । २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग	. .	२,०००	. .	२,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०६, वन तथा वन्यजीवन। २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय, ऊर्जा। २८५२, उद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५५, सड़क परिवहन।	. .	३७,०००	. .	३७,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग ।	. .	३७,०००	. .	३७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-२	सहकारिता।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ। ३४५६, सिविल आपूर्ति।	. .	१०,०००	. .	१०,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	१०,०००	. .	१०,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	२,०००	. .	२,०००
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राजस्व परिव्यय।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	२,०००	. .	२,०००
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	. .	. .	. .
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।	. .	४,०००	. .	४,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	. .	. .	. .
		२२३६, पोषण।	. .	६,७५,९०,०००	. .	६,७५,९०,०००
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।	. .	६,७५,९०,०००	. .	६,७५,९०,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-३	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	. .	. .	. .
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००

कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग

जेड-क-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	. .	. .	. .
		२२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	२,०००	. .	२,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।				
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन				
		कुल—कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००

महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय

जेड-ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमंडल।	२०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधानमंडल।	. .	२,०००	. .	२,०००
			. .			
		कुल—महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय।	. .	२,०००	. .	२,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड-घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	. .	१,०००	. .	१,०००
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	. .	. .	. .
जेड-घ-४	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	३४५२, पर्यटन।	. .	११,६८,९०,०००	. .	११,६८,९०,०००
		कुल—पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	११,६८,९१,०००	. .	११,६८,९१,०००

अनुसूची—जारी

(1)	(2)	(3)		(4)		
				पुढील वर्ष	पुढील वर्ष	पुढील वर्ष
		अल्पसंख्यंक विकास विभाग				
		२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०५३, जिला प्रशासन।	. .	. .	. .	. .
जेड-ङ-१	अल्पसंख्यक विकास।	२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००
		विमुक्त जाति, खानाबदोष जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग				
जेड-छ-२	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, गृहनिर्माण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।		२,०००	. .	२,०००
जेड़-छ-३	विमुक्त जाति, खानाबदोष जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग।	२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यंको का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१,०००	. .	१,०००
		कुल —विमुक्त जाति, खानाबदोष जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग।	. .	३,०००	. .	३,०००
		मृदा तथा जल संरक्षण विभाग				
जेड़-एच-३	सिंचाई, विद्युत और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २७०२, लघु सिंचाई।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	४०,०२,७०,४४,०००	१,७४,१८,६४,०००	४१,७६,८९,०८,०००

ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५००२, भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाईन) पर पूंजीगत परिव्यय ५०५५, सडक परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,०००	. .	३,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	३,०००	. .	३,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज।	. .	. . ४,०००	. .	. . ४,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	४,०००	. .	४,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग

ई-४	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२३,००,००,०००	. .	२३,००,००,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	. .	२३,००,००,०००	. .	२३,००,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		नगर विकास विभाग				
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५९,९९,९०,०००	. .	५९,९९,९०,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	. .	५९,९९,९०,०००	. .	५९,९९,९०,०००
		लोक निर्माण कार्य विभाग				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. .	१,०००
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	८,०००	१६,९२,६१,०००	१६,९२,६९,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	९,०००	१६,९२,६१,०००	१६,९२,७०,०००

जलस्त्रोत विभाग

आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पुंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५६,०००	. .	५६,०००
		कुल—जलस्त्रोत विभाग।	. .	५६,०००	. .	५६,०००

ग्रामविकास विभाग

एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१६, आवास के लिए कर्ज।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००

योजना विभाग

ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. .	१,०००
		कुल—योजना विभाग।	. .	१,०००	. .	१,०००

लोकस्वास्थ्य विभाग

आर-३	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	. .	७,८३,००,०००	. .	७,८३,००,०००
		कुल—लोकस्वास्थ विभाग।	. .	७,८३,००,०००	. .	७,८३,००,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल-चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	. .	२,०००	. .	२,०००
		कुल-ख-पूंजी लेखे पर व्यय।	. .	९०,८३,६७,०००	१६,९२,६१,०००	१,०७,७६,२८,०००
		कुलयोग ।	. .	४०,९३,५४,११,०००	१,९१,११,२५,०००	४२,८४,६५,३६,०००

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. II OF 2019.

THE MAHARASHTRA APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ७ मार्च, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. II OF 2019.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE WITHDRAWAL OF CERTAIN SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF A PART OF THE FINANCIAL YEAR 2019-2020.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ८ मार्च, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य की संचित निधि तथा उसमें से वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के एक भाग के सेवाओं के लिए कुछ रकमें निकालने का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य की संचित निधि तथा उसमें से वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के एक भाग के सेवाओं के लिए कुछ रकमें निकालने के लिये उपबंध करना इष्टकर है ; **इसलिए,** भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के लिये, १४ खरब, ७६ अरब, ३५ करोड़ ३२ लाख, ७३ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर चौदह खरब, छियात्तर अरब, पैंतीस करोड़, बत्तीस लाख, तिहत्तर हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०२० के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२० के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी विनियोजन		
				विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-१	राज्यपाल और मंत्री परिषद।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक। २०१३, मंत्री परिषद।	..	१५,३४,७६,०००	९,१८,३१,०००	२४,५३,०७,०००
ए-२	निर्वाचन।	.. २०१५, निर्वाचन।	..	१२,५६,८८,१०,०००	....	१२,५६,८८,१०,०००
ए-३	लोकसेवा आयोग।	.. २०५१, लोक सेवा आयोग ।	..	१३,२९,०००	२७,२१,४७,०००	२७,३४,७६,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	५,०४,२०,६१,०००	३५,०००	५,०४,२०,९६,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, आवास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २२५१, सचिवालय सामाजिक सेवाएँ।	..	१,२२,९५,७४,०००	....	१,२२,९५,७४,०००
ए-६	सूचना तथा प्रचार।	.. २२२०, सूचना तथा प्रचार।	..	१,१२,४५,५५,०००	४३,०००	१,१२,४५,९८,०००
ए-७	सिविल विमानन।	.. ३०५३, सिविल विमानन ।	..	७७,३०,७२,०००	....	७७,३०,७२,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग ।	..	२०,८९,२८,७७,०००	३६,४०,५६,०००	२१,२५,६९,३३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	५७,१६,९४,०९,०००	१,३३,५०,०००	५७,१८,२७,५९,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क। . .	२०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।	. .	६४,१९,६१,०००	५०,०००	६४,२०,११,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन।	. .	६,२७,९६,८४,०००	१६,६६,६७,०००	६,४४,६३,५१,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	. .	२२,१९,२५,०००	. . . .	२२,१९,२५,०००
बी-५	जेल। . .	२०५६, जेल।	. .	१,२८,७१,९०,०००	. . . .	१,२८,७१,९०,०००
बी-६	सामान्य सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	. .	१,७२,८०,०००	. . . .	१,७२,८०,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ ।	३००१, भारतीय रेल-नीति-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठण। ३०५१, पत्तन तथा दीप गृह।	. .	९९,९९,३३,०००	. . . .	९९,९९,३३,०००
बी-८	बाढ नियंत्रण तथा निकास।	२७११, बाढ नियंत्रण तथा निकास।	. .	३३,०००	. . . .	३३,०००
बी-९	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	३,०००	. . . .	३,०००
		कुल गृह विभाग।	. .	६६,६१,७४,१८,०००	१८,००,६७,०००	६६,७९,७४,८५,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	९,२१,९३,७८,०००	२,८५,०००	९,२१,९६,६३,०००
सी-२	स्टाम्प तथा पंजीयन। . .	२०३०, स्टाम्प तथा पंजीयन।	. .	९२,७५,०४,०००	२,०००	९२,७५,०६,०००
सी-३	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	४,०००	४,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोक निर्माण कार्य। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	२२,००,८८,०००	६,६८,०००	२२,०७,५६,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	. .	४६,०६,६६,०००	४,०००	४६,०६,७०,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	. .	८२,१३,५२,०९,०००	१,०००	८२,१३,५२,१०,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५५१, पहाडी क्षेत्र।	. .	९,०५,०३,१३,०००	१७,०००	९,०५,०३,३०,०००
सी-८	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	. . .	३,३३,३३,०००	३,३३,३३,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	१,०२,०१,३१,५८,०००	३,४३,१४,०००	१,०२,०४,७४,७२,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग

डी-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।		. . . .	१४,३२,६८,०००	१४,३२,६८,०००
डी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	३४,२०,०००	. . . .	३४,२०,०००
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	. .	२७,१७,२७,१२,०००	२,६७,०००	२७,१७,२९,७९,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	. .	४,१९,२८,०२,०००	१,१७,०००	४,१९,२९,१९,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास। . .	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	. .	१,५४,३४,१५,०००	१६,६७,०००	१,५४,५०,८२,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग। . .	२४०५, मत्स्य उद्योग।		४३,३३,१८,०००	५०,०००	४३,३३,६८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
डी-७	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२७०२, लघु सिंचाई। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	२४,४९,११,०००	....	२४,४९,११,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	..	३३,५९,०५,७८,०००	१४,५३,६९,०००	३३,७३,५९,४७,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग				
इ-१	व्याज अदाायगियाँ ..	२०४९, व्याज अदायगियाँ।	..	....	५,७७,९४,०१,०००	५,७७,९४,०१,०००
इ-२	सामान्य शिक्षा। ..	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	१,९५,१४,६७,१६,०००	५,००,०००	१,९५,१४,७२,१६,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	१,०१,४१,३७,०००	....	१,०१,४१,३७,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	..	१,९६,१६,०८,५३,०००	५,७७,९९,०१,०००	२,०१,९४,०७,५४,०००
		नगरविकास विभाग				
एफ-१	ब्याज अदायगियाँ। ..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	....	१,०००	१,०००
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल।	..	६७,५९,८८,३१,०००	१,०००	६७,५९,८८,३२,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	१३,१०,३५,०००	....	१३,१०,३५,०००
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थांओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		६८,५९,८१,७३,०००	....	६८,५९,८१,७३,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	..	१,३६,३२,८०,३९,०००	२,०००	१,३६,३२,८०,४१,०००

वित्त विभाग

जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण । २०४०, विक्रय कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	३,१३,५९,७०,०००	३३,०००	३,१३,६०,०३,०००
जी-२	अन्य वित्तीय तथा विविध सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	५,७१,८६,५४,०००	....	५,७१,८६,५४,०००
जी-३	ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएँ	२०४८, ऋण कम करने या परिहार के लिए विनियोग। २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	....	१,१४,५६,७६,४३,०००	१,१४,५६,७६,४३,,०००
जी-४	सचिवालय — सामान्य सेवाएँ। ..	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	..	१६,२९,३४,०००	....	१६,२९,३४,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन। ..	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	..	१,२२,८६,७८,०००	६६,०००	१,२२,८७,४४,०००
जी-६	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ।	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ।	..	९२,४८,६६,१३,०००	३०,१०,५१,०००	९२,७८,७६,६४,०००
जी-७	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। ..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	५०,६२,११,०००	....	५०,६२,११,०००
		२४०६, वन तथा वन्यजीवन।	..	...	...	...
		कुल—वित्त विभाग।	..	१,०३,२३,९०,६०,०००	१,१४,८६,८७,९३,०००	२,१८,१०,७८,५३,०००

लोकनिर्माण कार्य विभाग

एच-२	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	३८,३३,०००	....	३८,३३,०००
एच-३	आवास। ..	२२१६,आवास।	..	१,३३,९२,६५,०००	....	१,३३,९२,६५,०००
एच-४	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५३, सिविल विमानन। ३४५१, सचिवालय -आर्थिक सेवाएँ।	..	२५,७५,०६,०००	....	२५,७५,०६,०००

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	१९,६६,३७,७०,०००	५,००,०००	१९,६६,४२,७०,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।		९,७४,३६,०७,०००	१,५१,३५,०००	९,७५,८७,४२,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	. .	३१,००,७९,८१,०००	१,५६,३५,०००	३१,०२,३६,१६,०००
		जलस्रोत विभाग				
आय-१	ब्याज अदायगियाँ।	. . २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	....	२,२४,००,००,०००	२,२४,००,००,०००
आय-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. . २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	६६,६७,०००	....	६६,६७,०००
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान	. .	७,३६,९३,४२,०००	....	७,३६,९३,४२,०००
आय-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. . ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	१७,६६,८३,०००	....	१७,६६,८३,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	७,५५,२६,९२,०००	२,२४,००,००,०००	९,७९,२६,९२,०००

	विधि तथा न्याय विभाग					
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	..	८,६०,६१,१३,०००	३,००,१३,६१,०००	११,६०,७४,७४,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	५१,५३,५८,०००	३,००,०००	५१,५६,५८,०००
जे-३	स्थानिक निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन	३६०४, स्थानिक निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन	..	२,४६,६७,०००	....	२,४६,६७,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	..	९,१४,६१,३८,०००	३,००,१६,६१,०००	१२,१४,७७,९९,०००
	उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग					
के-१	पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	२०४५,पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	..	२२,४९,५७,०००	....	२२,४९,५७,०००
के -२	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	....	१,२०,४५,९९,०००	१,२०,४५,९९,०००
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	७५,२५,७१,०००	....	७५,२५,७१,०००
के-४	श्रम तथा नियोजन।	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	..	८५,३२,९९,०००	....	८५,३२,९९,०००
के-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	..	६,३६,०००	....	६,३६,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।	..	२४,६७,३२,०९,०००	....	२४,६७,३२,०९,०००
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	..	९,९७,२८,१०,०००	....	९,९७,२८,१०,०००
के-८	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	८,२१,७६,०००	....	८,२१,७६,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	..	३६,५५,९६,५८,०००	१,२०,४५,९९,०००	३७,७६,४२,५७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग				
एल-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	....	२८,५०,०९,०००	२८,५०,०९,०००
एल-२	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	..	२६,६७,३४,६८,०००	३३,०००	२६,६७,३५,०१,०००
एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । ३०५४, सडक तथा पुल।	..	२८,२३,२७,२०,०००	....	२८,२३,२७,२०,०००
एल-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	२२,६०,०८,०००	....	२२,६०,०८,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	२,०५,७७,०४,०००	२,५३,३५,१५,०००	४,५९,१२,१९,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	..	५७,१८,९९,००,०००	२,८१,८५,५७,०००	६०,००,८४,५७,०००
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
एम-१	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	३,३०,०००	....	३,३०,०००
एम-२	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	..	८,५४,६९,७७,०००	३१,०२,८३,०००	८,८५,७२,६०,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	३८,१०,६५,०००	....	३८,१०,६५,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	..	८,९२,८३,७२,०००	३१,०२,८३,०००	९,२३,८६,५५,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

एन-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . . .	२,१०,४५,०००	२,१०,४५,०००
एन-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २२१६, आवास। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	२,४८,१२,७३,०००	. . . .	२,४८,१२,७३,०००
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २८०१, विद्युत।	. .	२८,०६,२९,१३,०००	. . . .	२८,०६,२९,१३,०००
एन-६	जिला योजना	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक का कल्याण।	. .	८,९५,३५,४२,०००	. . . .	८,९५,३५,४२,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	३९,४९,७७,२८,०००	२,१०,४५,०००	३९,५१,८७,७३,०००

योजना विभाग

ओ-१	जिला प्रशासन। . .	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	१,१८,००,००,०००	. . . .	१,१८,००,००,०००
ओ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१,८०,०००	. . . .	१,८०,,०००
ओ-३	ग्राम नियोजन। . .	२५०५, ग्राम नियोजन।	. .	१५,८७,७५,१३,०००	१५,५५,५६,०००	१६,०३,३०,६९,०००
ओ-६	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान। . .	३४२५, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	. .	२३,४६,७५,०००	. . . .	२३,४६,७५,०००
ओ-७	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। . .	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	८१,००,००,०००	१,५०,००,०००	८२,५०,००,०००
ओ-८	पर्यटन। . .	३४५२, पर्यटन।	. .	४०,७७,०००	. . . .	४०,७७,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी। . .	३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	. .	२३,५८,९१,०००	. . . .	२३,५८,९१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१४	जिला योजना - मुंबई शहर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१६, आवास। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०५, मत्स्य उद्योग। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन ।	..	२७,७९,०७,०००	...	२७,७९,०७,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
	२२१६, आवास ।		
	२२१७, नगर विकास ।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
ओ-१६	जिला योजना - मुंबई उपनगर ।	..	९५,२१,६७,०००
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
	२२३६, पोषण ।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
	२८०१, विद्युत ।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।		
	३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।		
	३४३५, परिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
	३४५२, पर्यटन ।		
		...	
			९५,२१,६७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१८	जिला योजना - ठाणे	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	८३,३३,३५,०००	...	८३,३३,३५,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।				
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।				
	२२१७, नगर विकास ।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।				
	२२३६, पोषण ।				
	२४०३, पशुपालन ।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।				
ओ-२०	जिला योजना - रायगड ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	..	५१,६४,९१,०००	५१,६४,९१,०००
		२४२५, सहकारिता ।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८०१, विद्युत ।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।			
		३०५४, सड़क तथा पुल ।			
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२२	जिला योजना - रत्नागिरी।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	४५,८२,५०,०००	...	४५,८२,५०,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
	२२११, परिवार कल्याण ।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।		
	२२१७, नगर विकास ।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
	२२३६, पोषण ।		
	२४०३, पशुपालन ।		
ओ-२४ जिला योजना - सिंधुदुर्ग ।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।	..	६३,९१,७६,०००
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
	२४२५, सहकारिता ।		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
	२७०२, लघु सिंचाई ।		
	२८०१, विद्युत ।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
	३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।		
	३०५४, सड़क तथा पुल ।		
	३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
	३४५२, पर्यटन ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	...	६३,९१,७६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२६	जिला योजना - पुणे।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	१,३८,७१,२०,०००	...	१,३८,७१,२०,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।				
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।				
	२२११, परिवार कल्याण ।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।				
	२२१७, नगर विकास ।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
	२२३६, पोषण ।				
ओ-२८	जिला योजना - सतारा ।	..	७१,००,४५,०००	...	७१,००,४५,०००
	२४०३, पशुपालन ।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
	२४२५, सहकारिता ।				
	२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
	२७०२, लघु सिंचाई ।				
	२८०१, विद्युत ।				
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।				
	३०५४, सड़क तथा पुल ।				
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।				
	३४५२, पर्यटन ।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३०	जिला योजना—सांगली।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	६३,३०,१६,०००	...	६३,३०,१६,०००

ओ-३२	जिला योजना—सोलापुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	९२,७३,६२,०००	...	९२,७३,६२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३४	जिला योजना - कोल्हापुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	७०,२१,७१,०००	...	७०,२१,७१,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
	२२१७, नगर विकास ।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
	२२३६, पोषण ।			
	२४०३, पशुपालन ।			
ओ-३६	जिला योजना - नासिक ।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।	..	९६,२७,७५,०००
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
		२७०२, लघु सिंचाई ।		
		२८०१, विद्युत ।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
		३०५४, सड़क तथा पुल ।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
		३४५२, पर्यटन ।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		
			..	९६,२७,७५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३८	जिला योजना -धुलिया।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	३७,०३,७५,०००	...	३७,०३,७५,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।		
	२२१७, नगर विकास ।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
	२२३६, पोषण ।		
	२४०३, पशुपालन ।	..	८०,७८,००,०००
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
	२४२५, सहकारिता ।		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
	२७०२, लघु सिंचाई ।		
	२८०१, विद्युत ।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
	३०५४, सड़क तथा पुल ।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		
ओ-४०	जिला योजना -जलगाँव ।	..	८०,७८,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४२	जिला योजना -अहमदनगर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	९३,१५,५७,०००	. . .	९३,१५,५७,०००

ओ-४४ जिला योजना -नंदुरबार।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	२९,२१,४३,०००	...	२९,२१,४३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४६	जिला योजना -औरंगाबाद।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	६६,१४,००,०००	...	६६,१४,००,०००

ओ-४८	जिला योजना -जालना।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	५१,०३,२४,०००	...	५१,०३,२४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५०	जिला योजना -परभणी।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	४६,६१,८६,०००	...	४६,६१,८६,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।				
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।				
	२२११, परिवार कल्याण ।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।				
	२२१७, नगरविकास ।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
	२२३६, पोषण ।				
ओ-५२	जिला योजना -नांदेड़ ।	..	७३,२६,६६,०००	...	७३,२६,६६,०००
	२४०३, पशुपालन ।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
	२४२५, सहकारिता ।				
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
	२७०२, लघु सिंचाई ।				
	२८०१, विद्युत ।				
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।				
	३०५४, सड़क तथा पुल ।				
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।				
	३४५२, पर्यटन ।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५४	जिला योजना -बीड।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	६५,०४,१७,०००	...	६५,०४,१७,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
	२२११, परिवार कल्याण ।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।		
	२२१७, नगरविकास ।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
	२२३६, पोषण ।		
	२४०१, कृषि कर्म ।		
ओ-५६ जिला योजना -लातुर ।	२४०३, पशुपालन ।	..	५५,१०,९१,०००
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
	२४२५, सहकारिता ।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
	२७०२, लघु सिंचाई ।		
	२८०१, विद्युत ।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
	३०५४, सड़क तथा पुल ।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
	३४५२, पर्यटन ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		
		...	५५,१०,९१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५८	जिला योजना -उस्मानाबाद।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	६१,३४,५१,०००	...	६१,३४,५१,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।				
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।				
	२२१७, नगर विकास ।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
	२२३६, पोषण ।				
	२४०१, कृषि कर्म ।				
ओ-६०	जिला योजना -हिंगोली ।	..	२१,३९,३३,०००	...	२१,३९,३३,०००
	२४०३, पशुपालन ।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
	२४२५, सहकारिता ।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
	२७०२, लघु सिंचाई ।				
	२८०१, विद्युत ।				
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।				
	३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।				
	३०५४, सड़क तथा पुल ।				
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।				
	३४५२, पर्यटन ।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-६२	जिला योजना -नागपुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	१,११,१६,५२,०००	...	१,११,१६,५२,०००

ओ-६४ जिला योजना -वर्धा।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	४९,१७,२५,०००	...	४९,१७,२५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-६६	जिला योजना -भंडारा।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	४२,८३,३३,०००	...	४२,८३,३३,०००

ओ-६८	जिला योजना - चंद्रपूर ।	२२०२, सामान्य शिक्षा ।	..	७९,४६,६९,०००
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
		२२११, परिवार कल्याण ।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।		
		२२१७, नगरविकास ।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
		२२३६, पोषण ।		
		२४०३, पशुपालन ।	..	७९,४६,६९,०००
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
		२४२५, सहकारिता ।		
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
		२७०२, लघु सिंचाई ।		
		२८०१, विद्युत ।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
		३०५४, सड़क तथा पुल ।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
		३४५२, पर्यटन ।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७०	जिला योजना -गढ़चिरोली।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन ।	..	७७,०६,२०,०००	...	७७,०६,२०,०००

		२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
		२२११, परिवार कल्याण ।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
		२२१७, नगरविकास ।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२३६, पोषण ।			
ओ-७२	जिला योजना -गोंदिया ।	२४०३, पशुपालन ।	..	४६,६०,७९,०००	... ४६,६०,७९,०००
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		२४२५, सहकारिता ।			
		२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
		३०५४, सड़क तथा पुल ।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७४	जिला योजना -अमरावती।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	६३,१३,८८,०००	...	६३,१३,८८,०००

ओ-७६	जिला योजना -अकोला।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	२९,८७,३३,०००	. . .	२९,८७,३३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७८	जिला योजना -यवतमाल।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	६२,३३,६०,०००	...	६२,३३,६०,०००

ओ-८०	जिला योजना -बुलढाणा।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	४९,४०,४२,०००	...	४९,४०,४२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-८२	जिला योजना -वाशिम।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता।	..	४७,९५,२४,०००	...	४७,९५,२४,०००

२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम।

२७०२, लघु सिंचाई।

२८०१, विद्युत।

२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।

२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।

३०५४, सड़क तथा पुल।

३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।

३४५२, पर्यटन ।

३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

२२०२, सामान्य शिक्षा।

२२०३, तकनीकी शिक्षा।

२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।

२२०५, कला तथा संस्कृति।

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।

२२१७, नगरविकास।

२२२०, सूचना तथा प्रचार।

२२३०, श्रम तथा नियोजन।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-८४	जिला योजना -पालघर।	२२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	३१,७४,८५,०००	...	३१,७४,८५,०००
		कुल—जिल्हा योजना विभाग ।	..	४१,०५,११,०४,०००	१७,०५,५६,०००	४१,२२,१६,६०,०००

		संसदीय कार्य विभाग					
पी-१	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२०५२,	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	..	१,०८,९६,०००	....	१,०८,९६,०००
पी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२०,०००	....	२०,०००
			कुल—संसदीय कार्य विभाग।	..	१,०९,१६,०००	....	१,०९,१६,०००
		आवास विभाग					
क्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	..	....	२,००,००,०००	२,००,००,०००
क्यू-२	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	२०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	१,१२,८३,०००	....	१,१२,८३,०००
क्यू-३	आवास।	२२१६,	आवास।	..	२९,७७,८२,३०,०००	....	२९,७७,८२,३०,०००
		२२१७,	नगरविकास।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।				
क्यू-४	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ।	३४५१,	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ।	..	३,७६,४१,०००	....	३,७६,४१,०००
			कुल—आवास विभाग।	..	२९,८२,७१,५४,०००	२,००,००,०००	२९,८४,७१,५४,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग					
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	३४,७५,९१,६५,०००	१९,३३,०००	३४,७६,१०,९८,०००
		२२११,	परिवार कल्याण।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
आर-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	५,४३,८२,०००	....	५,४३,८२,०००
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।				
			कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	..	३४,८१,३५,४७,०००	१९,३३,०००	३४,८१,५४,८०,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग					
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	१२,१७,८०,७२,०००	...	१२,१७,८०,७२,०००
एस-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१३,३३,०००	...	१३,३३,०००
एस-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	५,४१,३३,०००	...	५,४१,३३,०००
			कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	..	१२,२३,३५,३८,०००	...	१२,२३,३५,३८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)		(३)			(४)		
						रुपये	रुपये	रुपये
	जनजाति विकास विभाग							
टी-१	ब्याज अदायगियाँ।	..	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	..	...	१६,०३,४१,०००	१६,०३,४१,०००
टी-२	सहकारिता।		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	..	३१,९०,२९,०००	...	३१,९०,२९,०००
टी-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१७,१६,०००	...	१७,१६,०००
टी-४	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	..	२२५१,	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	..	७,८०,५७,०००	...	७,८०,५७,०००
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।		२२०२,	सामान्य शिक्षा।	..	३१,१०,२४,५५,०००	....	३१,१०,२४,५५,०००
			२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।				
			२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
			२२१५,	जलआपूर्ति तथा स्वच्छता।				
			२२१७,	नगर विकास।				
			२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
			२२३०,	श्रम तथा नियोजन ।				
			२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
			२२३६,	पोषण ।				
			२४०१,	कृषि कर्म ।				
			२४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण।				
			२४०३,	पशुपालन ।				
			२४०६,	वन तथा वन्यजीवन ।				
			२४२५,	सहकारिता ।				
			२४३५,	अन्य कृषि कार्यक्रम।				

			२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५२, उद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३०५५, सड़क परिवहन।				
टी-९	जिला योजना।	. .	२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।	. .	६,१८,०६,८६,०००	. . . .	६,१८,०६,८६,०००
				कुल—जनजाति विकास विभाग।	. .	३७,६८,१९,४३,०००	१६,०३,४१,०००	३७,८४,२२,८४,०००
			पर्यावरण विभाग					
यू-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		२०,०००	. . .	२०,०००
यू-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	१,८८,२७,०००	. . .	१,८८,२७,०००
यू-४	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।		३४३५,	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।	. .	८०,१०,००,०००	. . .	८०,१०,००,०००
				कुल—पर्यावरण विभाग ।	. .	८१,९८,४७,०००	. . .	८१,९८,४७,०००
			सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग					
वी-१	ब्याज अदायगियाँ।	. .	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	९,०३,२६,०००	९,०३,२६,०००
वी-२	सहकारिता।	.	२०७०, २२३५, २४०६, २४२५, २४३५, २८५१, २८५२, ३४५१, ३४५६,	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण वन तथा वन्य जीवन। सहकारिता। अन्य कृषि कार्यक्रम। ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। उद्योग। सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। सिविल आपूर्ति।	. .	५,३४,६२,९१,०००	५३,०००	५,३४,६३,४४,०००
				कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	५,३४,६२,९१,०००	९,०३,७९,०००	५,४३,६६,७०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	...	१,३२,७८,७७,०००	१,३२,७८,७७,०००
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२,	सामान्य शिक्षा।	२६,७१,२३,६२,०००	६७,०००	२६,७१,२४,२९,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	२२०३,	तकनीकी शिक्षा।	५,९५,१२,८२,०००	५०,०००	५,९५,१३,३२,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।	२२०५,	कला तथा संस्कृति।	१,१२,५३,६७,०००	...	१,१२,५३,६७,०००
डब्ल्यू-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	६,९७,०००	...	६,९७,०००
डब्ल्यू-६	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	७,१४,६५,०००	...	७,१४,६५,०००
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राजस्व परिव्यय।	२२०६,	तकनीकी शिक्षा।	१,३८,००,०००	...	१,३८,००,०००
			कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	३३,८७,४९,७३,०००	१,३२,७९,९४,०००	३५,२०,२९,६७,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, २२३६, २४०६,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। पोषण। वन तथा वन्य जीवन।	९,९५,२६,३६,०००	...	९,९५,२६,३६,०००
एक्स-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	३,९०,२०,०००	...	३,९०,२०,०००
			कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।	९,९९,१६,५६,०००	...	९,९९,१६,५६,०००
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग				
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२१,१९,७३,६१,०००	१,४०,००,०००	२१,२१,१३,६१,०००
वाय-३		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	७३,००,०००	...	७३,००,०००
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
वाय-४	लघु सिंचाई।	२७०२,	लघु सिंचाई।	२३,८३,५२,०००	...	२३,८३,५२,०००
वाय-५	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१,	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	६,३७,००,०००	...	६,३७,००,०००
			कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	२१,५०,६७,१३,०००	१,४०,००,०००	२१,५२,०७,१३,०००

कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग

जेड-क-१	ब्याज अदायगियाँ	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	६६,६६,०००	६६,६६,०००
जेड-क-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३, तकनीकी शिक्षा। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	. .	७,७२,९३,४७,०००	३,६८,०००	७,७२,९७,१५,०००
		कुल— कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।	. .	७,७२,९३,४७,०००	७०,३४,०००	७,७३,६३,८१,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११,	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	. .	१,०३,२७,३२,०००	७३,९५,०००	१,०४,०१,२७,०००
जेड ग-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१३,५९,८०,०००	. . .	१३,५९,८०,०००
			कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	. .	१,१६,८७,१२,०००	७३,९५,०००	१,१७,६१,०७,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-१	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२५१, सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ ।	. .	३,१०,६०,०००	. . .	३,१०,६०,०००
जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५,	कला तथा संस्कृति ।	. .	४८,९७,५२,०००	. . .	४८,९७,५२,०००
जेड घ-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१,२०,०००	. . .	१,२०,०००
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन।					
जेड घ-४		३४५२,	पर्यटन।	. .	१,३६,११,६७,०००	. . .	१,३६,११,६७,०००
			कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	१,८८,२०,९९,०००	. . .	१,८८,२०,९९,०००

अल्पसंख्यक विकास विभाग

जेड ङ-१	अल्पसंख्यक विकास।	२०५२, सचिवालय–सामान्य सेवाएँ। २०५३, जिला प्रशासन । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	. .	१,४९,५३,५७,०००	. . .	१,४९,५३,५७,०००
			कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग।	. .	१,४९,५३,५७,०००	. . .	१,४९,५३,५७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		मराठी भाषा विभाग				
जेड च-१	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२०५२,	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। . .	६,४१,८३,०००	. . .	६,४१,८३,०००
जेड च-२	कला तथा संस्कृति ।	२२०५,	कला तथा संस्कृति । . .	१०,००,००,०००	. . .	१०,००,००,०००
जेड च-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	८०,०००	. . .	८०,०००
			कुल— मराठी भाषा विभाग। . .	१६,४२,६३,०००	. . .	१६,४२,६३,०००
		विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और विशेष पिछडा वर्ग कल्याण विभाग।				
जेड छ-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ। . .	. . .	७,७९,५७,०००	७,७९,५७,०००
जेड छ-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२५१,	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	३,८६,०२,०००	. . .	३,८६,०२,०००
		२४०६,	वन तथा वन्य जीव। . .			
जेड छ-३	विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और विशेष पिछडा वर्ग का कल्याण।	२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण।	८,८२,५६,२९,०००	. . .	८,८२,५६,२९,०००
		२२३५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .			
			कुल— विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडा। वर्ग और विशेष पिछडा वर्ग विभाग। . .	८,८६,४२,३१,०००	७,७९,५७,०००	८,९४,२१,८८,०००
		मृदा तथा जल संरक्षण विभाग				
जेड ज-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ। . .	. . .	१०,०२,०००	१०,०२,०००
जेड ज-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	५०,००,०००	. . .	५०,००,०००
जेड ज-३	सिंचाई, बिजली और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण।	१,४६,८६,५०,०००	. . .	१,४६,८६,५०,०००
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन			
		२७०२,	लघु सिंचाई। . .			
जेड ज-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१,	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। . .	२,४४,१५,०००	. . .	२,४४,१५,०००
			कुल— मृदा तथा जल संरक्षण विभाग। . .	१,४९,८०,६५,०००	१०,०२,०००	१,४९,९०,६७,०००
			कुल —— क-राजस्व लेखे पर व्यय।	१०,९८,६८,४२,०८,०००	१,३२,८६,२८,७३,०००	१२,३१,५४,७०,८१,०००

ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय

सामान्य प्रशासन विभाग

ए-९	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५०,००,०००	. . .	५०,००,०००
		४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
ए-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	७,०६,४०,०००	. . .	७,०६,४०,०००
			कुल—सामान्य प्रशासन विभाग।	. .	७,५६,४०,०००	. . .	७,५६,४०,०००

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५,	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।		५,१६,५५,८१,०००	. . .	५,१६,५५,८१,०००
		४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५००२,	भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाईन) पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५५,	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।				
बी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		३९,०९,३४,०००	. . .	३९,०९,३४,०००
बी-१२	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज।	६७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज।	. .	३५,०००	. . .	३५,०००
			कुल——गृह विभाग।	. .	५,५५,६५,५०,०००	. . .	५,५५,६५,५०,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-९	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,७२,०००	३३,३३,०००	३५,०५,०००
		६२४५,	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।				
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,५६,४१,६८,०००	. . .	३,५६,४१,६८,०००
		४४१५,	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०१,	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६४०१,	कृषि कर्म के लिए कर्ज।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
सी-११	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। . .	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। . .	. . .	१,०००	१,०००
सी-१२	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	५१,३८,७९,०००	. . .	५१,३८,७९,०००
			कुल— राजस्व तथा वन विभाग। . .	४,०७,८२,१९,०००	३३,३४,०००	४,०८,१५,५३,०००
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-८	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। . .	६८,०१,०००	. . .	६८,०१,०००
डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५, ६४०५,	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज। . .	४०,००,००,०००	. . .	४०,००,००,०००
डी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	६२१६, ७६१०,	आवास के लिए कर्ज। सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	७,०८,८४,०००	. . .	७,०८,८४,०००
			कुल— कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग। . .	४७,७६,८५,०००	. . .	४७,७६,८५,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा़ विभाग				
ई-४	शिक्षा, क्रीडा़, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत।	४२०२,	शिक्षा, क्रीडा़, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। . .	३,५०,२४,०००	. . .	३,५०,२४,०००
ई-५	सरकारी कर्मचारियों, आदि को कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों, आदि को कर्ज। . .	४,३९,९९,०००	. . .	४,३९,९९,०००
			कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा़ विभाग . .	७,९०,२३,०००	. . .	७,९०,२३,०००
		नगरविकास विभाग				
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, ५४७५,	नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । . .	१,२३,३३,६७,०००	. . .	१,२३,३३,६७,०००

एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज ।	६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज ।	. .	२,३४,५९,३३,०००	. . .	२,३४,५९,३३,०००
एफ-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	१,६०,०५,०००	. . .	१,६०,०५,०००
			कुल—नगर विकास विभाग	. .	३,५९,५३,०५,०००	. . .	३,५९,५३,०५,०००
			वित्त विभाग				
जी-८	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१४,७९,१९,०००	. . .	१४,७९,१९,०००
		६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	. .	. . .	. . .	. . .
जी-९	लोक ऋण तथा अन्तर राज्य समझौता।	६००४,	केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम।	. .	. . .	८६,५८,८६,००,०००	८६,५८,८६,००,०००
		७८१०,	अंतर राज्य समझोंता।	. .	. . .	. . .	. . .
जी-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	१६,८६,९६,०००	. . .	१६,८६,९६,०००
			कुल—वित्त विभाग।	. .	३१,६६,१५,०००	८६,५८,८६,००,०००	८६,९०,५२,१५,०००
			लोक निर्माण कार्य विभाग				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२०,३८,०९,२९,०००	. . .	२०,३८,०९,२९,०००
		४७११,	बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।				
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	६,०६,०४,०६,०००	८,०५,००,०००	६,१४,०९,०६,०००
		४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१७,	नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०५,	मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)			(४)		
					रुपये	रुपये	रुपये
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, ४२१०, ४२५०,	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२२,९८,६८,०००	...	२२,९८,६८,०००
एच-११	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	१४,९३,९०,०००	...	१४,९३,९०,०००
			कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	..	२६,८२,०५,९३,०००	८,०५,००,०००	२६,९०,१०,९३,०००
			जलस्रोत विभाग				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, ४७०१, ४७०२, ४७११, ४८०१,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	५०,२४,९३,२१,०००	१०,००,०००	५०,२५,०३,२१,०००
आय-६	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	..	...	५०,००,००,०००	५०,००,००,०००
आय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	२२,५९,७५,०००	...	२२,५९,७५,०००
			कुल—जलस्रोत विभाग।	..	५०,४७,५२,९६,०००	५०,१०,००,०००	५०,९७,६२,९६,०००

विधि तथा न्याय विभाग

जे-४	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,५०,००,०००	. . .	१,५०,००,०००
जे-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	९,००,००,०००	. . .	९,००,००,०००
			कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	१०,५०,००,०००	. . .	१०,५०,००,०००

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग

के-९	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५८, ४८५१, ६२५०,	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय। ग्राम तथा लघुउद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	. .	२,५०,१६,०००	. . .	२,५०,१६,०००
के-१०	उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४८७५,	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४,७९,३३,०००	. . .	४,७९,३३,०००
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	४८०१, ६८०१,	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय । विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।	. .	१,३६,६२,००,०००	. . .	१,३६,६२,००,०००
के-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		४,०२,०७,०००	. . .	४,०२,०७,०००
			कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग ।	. .	१,४७,९३,५६,०००	. . .	१,४७,९३,५६,०००

ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग

एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, ५०५४, ६२१६,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। सडक तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। आवास के लिए कर्ज।	. .	९,३६,६१,४६,०००	. . .	९,३६,६१,४६,०००
एल-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	४३,८७,०००	. . .	४३,८७,०००
			कुल—ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग।	. .	९,३७,०५,३३,०००	. . .	९,३७,०५,३३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभाग				
एम-४	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४०८,	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	२१,५४,९९,१५,०००	... २१,५४,९९,१५,०००
एम-५	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	१,९८,००,०००	... १,९८,००,०००
एम-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	१,८५,७९,०००	... १,८५,७९,०००
			कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभाग ।	..	२१,५८,८२,९४,०००	... २१,५८,८२,९४,०००
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,१०,१०,००,०००	... १,१०,१०,००,०००
		४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।			
		६२२५,	अनुसूचित जाती, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज।			
एन-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	६२१६,	आवास के लिए कर्ज।	..	१,००,७७,०००	... १,००,७७,०००
		७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।			
एन-७	जिला योजनाएँ।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२८,१५,९१,०००	... २८,१५,९१,०००
एन-८	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज।	६२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,८१,९७,०००	... १,८१,९७,०००
			कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग ।	..	१,४१,०८,६५,०००	... १,४१,०८,६५,०००

योजना विभाग

ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	..	८,७०,०७,१०,०००	...	८,७०,०७,१०,०००
		५४५२,	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।				
ओ-११	पहाडी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५५१,	पहाडी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	३१,६६,६६,०००	. ...	३१,६६,६६,०००
ओ-१२	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	५४६५,	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	..	४,०८,८५,०००	...	४,०८,८५,०००
ओ-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज	..	९६,८३,०००	...	९६,८३,०००
ओ-१५	जिला योजना—मुंबई शहर।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१३,८७,६०,०००	...	१३,८७,६०,०००
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
ओ-१७	जिला योजना—मुंबई उपनगर।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१४,४५,००,०००	...	१४,४५,,००,०००
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०५,	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१९	जिला योजना—ठाणे।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	२७,६६,६५,०००	...	२७,६६,६५,०००
ओ-२१	जिला योजना—रायगड।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१८,६८,४२,०००	...	१८,६८,४२,०००

ओ-२३	जिला योजना—रत्नागिरी।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२१,१७,५०,०००
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
ओ-२५	जिला योजना—सिंधुदुर्ग।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	११,०८,२४,०००
		४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२७	जिला योजना—पुणे।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।	..	३४,९५,४७,०००	...	३४,९५४७,०००
ओ-२९	जिला योजना—सतारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	१७,३२,८९,०००	...	१७,३२,८९,०००

	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१६,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
ओ-३१	जिला योजना—सांगली।	४४०५,	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१३,६९,८४,०००
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४,	सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
		६८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।		
		४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
ओ-३२	जिला योजना—सोलापुर।	४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२२,९३,०४,०००
		४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४,	सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३५	जिला योजना—कोल्हापुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।	..	२०,११,६३,०००	...	२०,११,६३,०००
ओ-३७	जिला योजना—नासिक।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	१९,०५,५८,०००	...	१९,०५,५८,०००

ओ-३९	जिला योजना—धुलिया।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	११,९६,२५,०००	..	११,९६,२५,०००
ओ-४१	जिला योजना—जलगांव।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीकृत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	२१,८८,६७,०००	..	२१,८८,६७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४३	जिला योजना—अहमदनगर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	, ,	३१,५१,०९,०००	. . .	३१,५१,०९,०००
ओ-४५	जिला योजना—नंदुरबार।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।	. .	८,११,९१,०००	. . .	८,११,९१,०००

ओ-४७	जिला योजना—औरंगाबाद।	४२१०, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।	..	२९,८६,००,०००	...	२९,८६,००,०००
ओ-४९	जिला योजना—जालना।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीकृत ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीकृत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१९,६३,४३,०००	...	१९,६३,४३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५१	जिला योजना–परभणी	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	४,७१,४७,०००	...	४,७१,४७,०००
ओ-५३	जिला योजना–नांदेड।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीकृत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीकृत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१७,०६,६७,०००	...	१७,०६,६७,०००

ओ-५५	जिला योजना—बीड।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	१९,२९,१७,०००	...	१९,२९,१७,०००
ओ-५७	जिला योजना—लातुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	२२,२२,४२,०००	...	२२,२२,४२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५९	जिला योजना—उस्मानाबाद।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीकृत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	. . .	२०,९८,८२,०००	. . .	२०,९८,८२,०००
ओ-६१	जिला योजना—हिंगोली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	१३,२७,३४,०००	. . .	१३,२७,३४,०००

ओ-६३	जिला योजना—नागपुर।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय।	
		४७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	
		६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज।	
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	
		६८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	
		...	...	६३,८३,४८,०००
				६३,८३,४८,०००
ओ-६५	जिला योजना—वर्धा।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय।	
		४७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		५०५४,	सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	
		६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज।	
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	
		...	...	१४,१६,०८,०००
				१४,१६,०८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-६७	जिला योजना—भंडारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	१०,५०,०१,०००	...	१०,५०,०१,०००

ओ-६९	जिला योजना–चंद्रपुर	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाईपर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	४५,५३,३१,०००	...	४५,५३,३१,०००
ओ-७१	जिला योजना–गड़चिरोली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१७,९३,८०,०००	...	१७,९३,८०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७३	जिला योजना—गोंदिया।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१०,०५,८८,०००	...	१०,०५,८८,०००
ओ-७५	जिला योजना—अमरावती।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१९,८६,१२,०००	...	१९,८६,१२,०००

ओ-७७	जिला योजना—अकोला।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	२३,१२,६७,०००	...	२३,१२,६७,०००
ओ-७९	जिला योजना—यवतमाल।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	२२,३३,०७,०००	...	२२,३३,०७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-८१	जिला योजना—बुलढाणा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	२८,२६,२५,०००	...	२८,२६,२५,०००
ओ-८३	जिला योजना—वासिम।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	६,३८,०९,०००	...	६,३८,०९,०००

ओ-८५	जिला योजना—पालघर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण।		११,५८,४९,०००	....	११,५८,४९,०००
		कुल—योजना विभाग।	..	१६,३५,९१,७९,०००	....	१६,३५,९१,७९,०००
		संसदीय कार्य विभाग				
पी-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज।	..	७,३३,०००	...	७,३३,०००
		कुल—संसदीय कार्य विभाग ।	..	७,३३,०००	...	७,३३,०००
		आवास विभाग				
क्यू-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	१०,००,०००	...	१०,००,०००
		कुल—आवास विभाग ।	..	१०,००,०००	...	१०,००,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-३	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	..	२४,०८,००,०००	...	२४,०८,००,०००
आर-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	२१,६३,७०,०००	...	२१,६३,७०,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग ।	..	४५,७१,७०,०००	...	४५,७१,७०,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	१,००,२५,६१,०००	...	१,००,२५,६१,०००
एस-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	३,३४,३७,०००	...	३,३४,३७,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग ।	..	१,०३,५९,९८,०००	...	१,०३,५९,९८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		जनजाति विकास विभाग				
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२,३१,३७,६०,०००	...	२,३१,३७,६०,०००
टी-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	४,८२,१६,०००	...	४,८२,१६,०००
टी-१०	जिला योजनाएँ।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,१४,९०,०००	...	१,१४,९०,०००
टी-११	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्याक के कल्याण के लिए ऋण।	६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्याकों के कल्याण के लिए ऋण।	..	७२,४५,०००	...	७२,४५,०००
		कुल—जनजाती विकास विभाग ।	..	३,५१,८३,१३,०००	...	३,५१,८३,१३,०००
		पर्यावरण विभाग				
यु-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	५,६३,०००	...	५,६३,०००
		कुल—पर्यावरण विभाग ।	..	५,६३,०००	...	५,६३,०००

		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग					
वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४२५,	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३०,४९,८५,०००	...	३०,४९,८५,०००
		४८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओंपर पूंजीगत परिव्यय।		...	...	...
वी-४	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	..	...	६,५२,६३,०००	६,५२,६३,०००
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	६४२५,	सहकारिता के लिए ऋण ।	..	६७,६६,६९,०००	...	६७,६६,६९,०००
		६८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
		६८६०,	उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज।				
		७४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
वी-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	५,१८,७०,०००	...	५,१८,७०,०००
			कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग ।	..	१,०३,३५,२४,०००	६,५२,६३,०००	१,०९,८७,८७,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग					
डब्ल्यू-८	शिक्षा, क्रिडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२०२,	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३,४०,००,०००	...	३,४०,००,०००
डब्ल्यू-९	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	११,५१,७०,०००	...	११,५१,७०,०००
			कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग ।	..	१४,९१,७०,०००	...	१४,९१,७०,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग					
एक्स-३	सामाजिक सेवाओंपर पूंजीगत व्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणपर पूंजीगत परिव्यय ।	..	२,०००	...	२,०००
		४२३६,	पोषण पर पूजीगत परिव्यय ।				
एक्स-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	२,६३,७६,०००	...	२,६३,७६,०००
			कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग ।	..	२,६३,७८,०००	...	२,६३,७८,०००
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग					
वाय-६	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१४,६३,१८,०००	२,००,०००	१४,६५,१८,०००
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
वाय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	२,०९,५०,०००	. . .	२,०९,५०,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग ।	. .	१६,७२,६८,०००	२,००,०००	१६,७४,६८,०००
		कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग				
जेड क-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज।	. .	९,४५,०७,०००	. . .	९,४५,०७,०००
		कुल—कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग ।	. .	९,४५,०७,०००	. . .	९,४५,०७,०००
		महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय				
जेड ग-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	६०,००,०००	. . .	६०,००,०००
		कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	. .	६०,००,०००	. . .	६०,००,०००
		पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग				
जेड घ-५	कला तथा संस्कृति ।	४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	२,००,००,०००	. . .	२,००,००,०००
जेड घ-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	३७,६७,०००	. . .	३७,६७,०००
		कुल—पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	२,३७,६७,०००	. . .	२,३७,६७,०००
		अल्पसंख्यक विकास विभाग				
जेड ङ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	८,५०,००,०००	. . .	८,५०,००,०००
जेड ङ-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	२१,००,०००	. . .	२१,००,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग ।	. .	८,७१,००,०००	. . .	८,७१,००,०००

मराठी भाषा विभाग

जेड च-४	लोकनिर्माण कार्य विभाग पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्य विभाग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,६६,००,०००	. . . १,६६,००,०००
जेड च-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	४७,६१,०००	. . . ४७,६१,०००
			कुल—मराठी भाषा विभाग।	. .	२,१३,६१,०००	. . . २,१३,६१,०००

विमुक्त जाति, निरधिसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग

जेड छ-४	अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और अल्पसख्यंक के कल्याण पर पूंजीगत व्यय ।	४२२५,	अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और अल्पसख्यंक के कल्याण पर पूंजीगत व्यय ।	. .	४,३३,३३,०००	. . . ४,३३,३३,०००
जेड छ-५	आवास के लिए कर्ज।	६२१६, ७६१०,	आवास के लिए कर्ज । सरकारी कर्मचारी आदि के लिए कर्ज।	. .	४४,००,०००	. . . ४४,००,०००
			कुल—विमुक्त जाति, निरधिसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों विशेष पिछडे वर्गों का कल्याण विभाग ।	. .	४,७७,३३,०००	. . . ४,७७,३३,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		मृदा और जल संरक्षण विभाग				
जेड ज-५ सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२,	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय ।	. .	९,०७,७८,६८,०००	. . .	९,०७,७८,६८,०००
	४७०२,	लघुसिंचाई पर पूंजीगत व्यय।				
जेड ज-६ राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज।		. . .	२,२२,२२,०००	२,२२,२२,०००
जेड ज-७ सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	८४,६७,०००	. . .	८४,६७,०००
		कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग।	. .	९,०८,६३,३५,०००	२,२२,२२,०००	९,१०,८५,५७,०००
		कुल—ख–पूंजीगत लेखे पर व्यय।	. .	१,५७,५४,५०,७३,०००	८७,२६,११,१९,०००	२,४४,८०,६१,९२,०००
		कुल योग।	. .	१२,५६,२२,९२,८१,०००	२,२०,१२,३९,९२,०००	१४,७६,३५,३२,७३,०००

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. III OF 2019.

THE MAHARASHTRA STATE RESERVATION (OF SEATS FOR ADMISSION IN EDUCATION INSTITUTIONS IN THE STATE AND FOR APPOINTMENTS IN THE PUBLIC SERVICES AND POSTS UNDER THE STATE) FOR SOCIALLY AND EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES (SEBC) (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ जून, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. III OF 2019.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE RESERVATION (OF SEATS FOR ADMISSION IN EDUCATION INSTITUTIONS IN THE STATE AND FOR APPOINTMENTS IN THE PUBLIC SERVICES AND POSTS UNDER THE STATE) FOR SOCIALLY AND EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES (SEBC) ACT, 2018.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २५ जून, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रवर्गों (एसइबीसी) के लिए आरक्षण (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्ति और पदों के लिए) अधिनियम, २०१८ में संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्रमांक १३।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े प्रवर्गों (एसइबीसी) के लिए (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियाँ और पदों के लिए) आरक्षण अधिनियम, २०१८ में संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था और इसलिए, महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक पिछडे प्रवर्गों (एसइबीसी) के लिए (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियाँ और पदों के लिए) आरक्षण (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१९, २० मई २०१९ को प्रख्यापित किया गया था ; सन् २०१८ का महा. ६२।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है, अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े प्रवर्गों (एसइबीसी) के लिए (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियाँ और पदों के लिए आरक्षण (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह ३० नवम्बर २०१८ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् २०१८ का महा. ६२ की धारा १६ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े प्रवर्गों (एसइबीसी) के लिए (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियाँ और पदों के लिए (आरक्षण) अधिनियम, २०१८ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा १६ की, उप-धारा (२) के स्पष्टीकरण में,— सन् २०१८ का महा. ६२।

(क) खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा और हमेशा निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :— सन् २०१८ का महा. ६२।

"(एक-क) सरकारी महाविद्यालयों में राज्य कोटा सीटों और निजी महाविद्यालयों में सभी सीटों में प्रवेश पाने के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सहित-प्रवेश परीक्षा और कोई अन्य पात्रता निकषों के आधार पर प्रवेश दिए जाने के मामले में, खण्ड (एक) या किसी न्यायालय के किसी आदेश, न्यायनिर्णय या निदेशन में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संबंधित राज्य कोटा के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को या राज्य सीईटी आयुक्त को आवेदन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिनांक समाप्त हो चुका है ;

(ख) खण्ड (दो) में, "प्रवेश परीक्षा के आधार पर से अन्यथा" शब्दों के पश्चात्, "खण्ड (एक) में निर्देशित या खण्ड (एक-क) में निर्देशित राष्ट्रीय पात्रता-सहित-प्रवेश परीक्षा या और अन्य पात्रता निकष" शब्द, कोष्टक और अक्षर निविष्ट किए जायेंगे और हमेशा निविष्ट किए गए समझे जायेंगे।

विधिमान्यकरण।

३. किसी विधि, नियम, दस्तावेज या, प्रपत्र के प्रतिकूल में या किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, आदेश या निदेशन में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में और महाराष्ट्र असहायता प्राप्त निजी वृत्तिक शिक्षा संस्था (प्रवेश और फीस का विनियमन) अधिनियम, २०१५ के उपबंधों के अनुसरण में कोई प्रवेश करने या लेने या सीट आबंटित करने (उस पर अपनाई गई किसी प्रक्रिया समेत) समेत कोई की जानेवाली कार्यवाही मूल अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक पर प्रारम्भित अवधि के दौरान और **राजपत्र** में इस अधिनियम के प्रकाशन के दिनांक पर समाप्त होने के दौरान विधिमान्य होगी और मूल अधिनियम के अनुसरण में और उसके लिए लागू तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के लिए विधिमान्य ली गई, की गई या बनाई गई समझी जायेगी। सन् २०१५ का महा. २८।

संदेह के निराकरण और घोषणा।

४. संदेह का निराकरण करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि, धारा ३ के उपबंधों की दृष्टि में,—

(क) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए सभी कृत्य या कार्यवाहियाँ या प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रवेश सभी प्रयोजनों के लिए किए गए समझे जायेंगे, और हमेशा विधि के उपबंधों के अनुसरण में और नियामक प्राधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसरण में किए गए या लिए गए समझे जायेंगे ;

(ख) सरकारी महाविद्यालयों में राज्य कोटा सीटों में और निजी महाविद्यालयों में सभी सीटों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के संबंध में किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण, अधिकारी या प्राधिकरण के समक्ष विधि के अनुसरण में मानों कि **राजपत्र** में, इस अधिनियम के प्रकाशन के दिनांक के पूर्व तत्काल कोई वाद अपील या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित या बनाई रखी या जारी नहीं रखी जायेगी ;

(ग) सरकारी महाविद्यालयों और अन्य निजी महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सहित-प्रवेश परीक्षा और अन्य पात्रता निकषों के आधार पर कोई प्रवेश मानों कि **राजपत्र** में, इस अधिनियम के प्रकाशन के दिनांक से तत्काल पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या अधिकारी या अन्य प्राधिकरण किसी, प्रवेश के लिए कोई डिक्री को प्रवृत्त या कोई आदेश निदेशित नहीं करेगी।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. १३।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. १३ का निरसन और व्यावृत्ति।

५. (१) महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक पिछडे प्रवर्गों (एसईबीसी) के लिए (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन लोक सेवाओं में नियुक्तियाँ और पदों के लिए) आरक्षण (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१९, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेश द्वारा, यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तस्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तस्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),
नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. IV OF 2019.

THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUSTS (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २८ जून, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. IV OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUSTS ACT,

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २९ जून, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :— सन् १९५० का महा. २९।

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक न्यास (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

सन् १९५० का महा. २९ की धारा ४१ क क में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम की धारा ४१ कक की,— सन् १९५० का २९।

(क) उप-धारा (१) के,—

(एक) खण्ड (ख) में " चिकित्सकीय प्ररीक्षण और उपचार " शब्दों के पश्चात् " नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शल्यक्रिया समेत " कोष्ठक और शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ग) में " चिकित्सा परीक्षण और उपचार के लिए प्रवेश पानेवाले आशयित लोग " शब्दों के पश्चात् " नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शल्यक्रिया समेत " कोष्ठक और शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(तीन) परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु यह और भी कि, जहाँ व्यक्ति का नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शल्यक्रिया केंद्र या राज्य सरकार या कोई अन्य संस्था से प्राप्त सहाय या अनुदान से चलनेवाले चिकित्सा केंद्र में हो रहा हैं तो उस व्यक्ति का होनेवाली ऐसी शल्यक्रिया खण्ड (ख) या, यथास्थिति, खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए लाभभोगी के रूप में गिनी नहीं जायेगी," ।

(ख) उप-धारा (५) में, " या कोई नेत्रांतर्गत (इंट्रा ऑक्युलर) शल्यक्रिया " शब्द अपमार्जित किए जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),
नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. V OF 2019.

THE SOMAIYA VIDYAVIHAR UNIVERSITY, MUMBAI ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २८ जून, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. V OF 2019.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE SOMAIYA VIDYAVIHAR UNIVERSITY, MUMBAI FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २९ जून, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य में उच्चतर शिक्षा, के विकास और उन्नति के लिए सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुंबई की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुंबई अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " अनुबद्ध प्राध्यापक, अनुबद्ध सहयुक्त प्राध्यापक या अनुबद्ध सहायक प्राध्यापक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो इस प्रकार पदाभिहित किये जाने के दौरान विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त से है ;

(ख) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(ग) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंधमंडल बोर्ड से है ;

(घ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन यह स्थापित किया गया है ;

(ङ) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिकों की सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, उद्योग से सहयोग में स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र या उद्योग या समाज के लाभ के लिये और संयुक्त परियोजना हाथ लेने के लिये स्थापित से है;

(च) " दूरस्थ शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(छ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ज) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ट) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(ठ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ड़) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(ढ) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ण) " अध्यक्ष या कुलाधिपति " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है ;

(त) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों, विनियमों या, यथास्थिति, नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(थ) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(द) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ध) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(न) " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में,—

(एक) सोमय्या विद्याविहार संस्था, संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत और महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन लोक न्यास होगा। सोमय्या भवन, ४५-४७, महात्मा गांधी पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ में उसका रजिस्ट्रीकृत पता होगा। सन् १८६० का २१ । सन् १९५० का २९ ।

सन् १९५० का २९।

(दो) के.जी.सोमय्या न्यास, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन न्यास के रुप में रजिस्ट्रीकृत होकर सोमय्या भवन, ४५-४७, महात्मा गांधी पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ में उसका रजिस्ट्रीकृत पता होगा ।

सन् १९५० का २९।

(तीन) सोमय्या न्यास महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होगा, सोमय्या भवन, ४५-४७, महात्मा गांधी पथ, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ में उसका रजिस्ट्रीकृत पता होगा ।

(प) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(फ) " परिनियम ", " आर्डिनन्सो " तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(ब) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(भ) " अध्यापक " का तात्पर्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सहयुक्त प्राध्यापक या कोई अन्य व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररुप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(म) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुंबई से है।

निगमन।

३. (१) सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुंबई के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर रहेंगे या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी, एतद्द्वारा " सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय, मुंबई " के नाम द्वारा निगमित निकाय गठित किये जायेंगे और घोषित होंगे।

(३) विश्वविद्यालय का, शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय और उसका मुख्यालय सोमय्या विद्याविहार विश्वविद्यालय, विद्याविहार (पूर्व) मुंबई ४०० ०७७ में स्थित होगा ।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्न नुसार होंगे,–

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास और अनुसंधान और विकास जिसमें लिबरल आर्ट, मानविकी सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो–विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं, जैसे कि इंजीनिअरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य, अनुप्रयुक्त तथा रचानात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन के लिए सर्जनात्मकता, नविनता और उद्योग उपक्रम के नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना ;

(च) शिक्षा, तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए उत्कर्ष केंद्रो की निर्मिति करना तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए ;

(झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वी सदी के लिए व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक–आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करना ;

(ञ) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध करना ;

(ट) नवप्रवर्तक दृष्टिकोण के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा, और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोण को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधिन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद, या, यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना। सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमें ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित तथा धारण करना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछडे स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्तें और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध करना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को सम्पादित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के अध्यापक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार, व्यतिकारी के आधार पर देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए निदेशों के अनुसार केवल राज्य के भीतर महाविद्यालयों, संस्थाओं और परिसर मुक्त केंद्रों को स्थापित करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस और अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय पर फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों और अन्य वास-सुविधाओं को छात्रों के आवास के लिए मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और किसी ऐसी मान्यता वापिस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा वह आवश्यक समझे ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(उनतीस) देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पायी जाए, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विनिर्दिष्ट की जाए, सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्ही विनियमो के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तेंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ;

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक, सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोष जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे नागरिकों के वर्गों (एसइबीसी) और आर्थिक कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय के लिए, " विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम पाँच करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रुप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रीत्या समपहृत करने की शक्ति होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होता है तब तक, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि नगद पाने का अधिकार होगा।

साधारण निधि।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श तथा अन्य कार्य से प्राप्त कोई राशि ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान, तथा ;

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

सामान्य निधि का उपयोग।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

११. विश्वविद्यालय के, निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मापदण्ड जैसा कि, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) इस अधिनियम की धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्यक्ष को हटाना।

१३. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ;

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड देता है या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन पुनर्पाठ्यक्रम लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति।

१४. (१) कुलपति, शासी निकाय द्वारा गठित किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल से परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, ऑर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित

प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किया जाए।

(७) यदि किसी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष।

१५. (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सौपेगा।

रजिस्ट्रार।

१६. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षाओं के संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

(च) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंध मंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ;

(छ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ।

(२) कुलपति, प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, ''परीक्षाओं की अनुसूची'' की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्भण के बारे में दी गई ब्यौरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(ख) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक	. .	सदस्य ;
(ग) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	. .	सदस्य ;
(घ) परीक्षा नियंत्रक	. .	सदस्य सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए।

अन्य प्राधिकरण।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ।

निरर्हता।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(दो) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुडा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुडे होने या बढावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, यथासंभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ति को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति जिस शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रूप में पद धारण करेगा।

समितियाँ।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारी ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें ऐसी समितियाँ गठित करेंगे।

(२) ऐसी समितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रथम परिनियम।

३०. (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत कियें जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाले फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम परिनियमों का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महीने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, और उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा।

पश्चात्वर्ती परिनियम।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगें, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग का उत्सादन या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(च) पदों कें उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामलें है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाया जायेंगे।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधमंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी प्रतिष्ठा, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियमों या परिनियम के किसी संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, विद्या परिषद से परामर्श किये बिना, छात्रों के अनुशासन और शिक्षा का स्तरमान, शिक्षा तथा परीक्षा पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

प्रथम ऑर्डीनेन्स।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम ऑर्डिनेन्स, शासी निकाय द्वारा बनाए जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) कार्यालय की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय के कर्तव्य, परीक्षकों तथा अनुसीमकों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फ़ीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्न्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

पश्चातवर्ती ऑर्डीनेन्स।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से, अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय, अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।

विनियम।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे।

प्रवेश।

३५. (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश, गुणागुण के आधार पर कडाई से किये जायेंगे।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्गों (एसईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) तथा विकलांग छात्रों से संबंध रखनेवाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी ;

(४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए चालीस प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखीं जायेगी।

फ़ीस निर्धारण समिति।

३६. (१) विश्वविद्यालय, की फ़ीस संरचना नियत करने के लिए फ़ीस निर्धारण समिति होगी।

(२) समिति की संरचना, उसका अवधि और उसके सदस्य, उसकी यंत्रणा और फ़ीस निर्धारण समिति द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया ऐसी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया जा सके :

परंतु, प्रत्येक ऐसी अधिसूचना, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।

(३) फ़ीस निर्धारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते और मानदेय, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे होंगे, जिसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध ।

३७. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फ़ीस, विश्वविद्यालय द्वारा या कि और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी, संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, प्रबंधनमंडल रोकड़ या उसी प्रकार में विहित रीत्या विन्यास निधि, परोपकारी व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधनमंडल ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी। जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फ़ीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे।

सन् १९८८ का महा. ६।

परीक्षाएँ।

३८. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलेंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कडाई से पालन होगा :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।

परिणामों की घोषणा ।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा :

परंतु यदि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने, धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होंगे।

दीक्षांत समारोह ।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रित्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।

४१. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद नॅक **(एनएएसी)**, बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को नॅक द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकता है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यो को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी।

वार्षिक रिपोर्ट ।

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधनमंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा ।

४४. (१) प्रबंधनमंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसका अनुपालन सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन बनी सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित होंगी :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पंद्रह वर्ष पहले प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी ।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम, की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओं नोटीस जारी करेगा क्यों न उसके समापन का आदेश दिया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधो का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश दे सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उस पर रिपोर्ट बनायेगी।

सन् १९०८ का ५।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

सन् १९७४ का २ ।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों की आशंकाओं से वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के समापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किया गए प्रशासक को, इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंधमंडल बोर्ड की सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंधन तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

(८) उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

सचिव समिति।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन

के सत्यापन और सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी। समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और योजना विभाग के प्रभारी सचिवों से मिलकर बनेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई सूचना के पश्चात् ही, केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

सचिव स्तर समिति द्वारा निरीक्षण ।

४९. इस अधिनियम की धारा ४८ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति,जब-जब सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो, विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगी और स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, समय समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुपालन की जाँच और सुनिश्चित किया जा सके।

नियम बनाने की शक्ति ।

५०. (१) सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ;

(ख) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाश के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

५१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),
नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2019.

THE D. Y. PATIL UNIVERSITY, PUNE
ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २८ जून, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2019.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE D. Y. PATIL UNIVERSITY, PUNE FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २९ जून, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य में उच्चतर शिक्षा, के विकास और उन्नति के लिए डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, पुणे की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, पुणे अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " सहयोगी प्राध्यापक, सहयोगी, सहयुक्त प्राध्यापक या सहयोगी सहायक प्राध्यापक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो इस प्रकार पदभिहित किये जाने के दौरान विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त से है ;

(ख) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(ग) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंधमंडल बोर्ड से है ;

(घ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन यह स्थापित किया गया है ;

(ङ) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिकों की सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, उद्योग से सहयोग में स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र या उद्योग या समाज के लाभ के लिये और संयुक्त परियोजना हाथ लेने के लिये स्थापित से है;

(च) " दूरस्थ शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(छ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ज) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(त्र) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ट) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(ठ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ड़) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(ढ) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ण) " अध्यक्ष या कुलाधिपति " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है ;

(त) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों, विनियमों या, यथास्थिति, नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(थ) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(द) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ध) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(न) " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय के संबंध में :—

(एक) कंपनी अधिनियम, २०१३ के अधीन असीमित दायित्वों के साथ कंपनी के रूप में, निगमित राजवीर फाऊंडेशन होगा, उसका अनु. क्रमांक १२४ और १२६ डी. वाय. पाटील तकनीकी परिसर, अम्बि. एम. आय. डी. सी. रोड, मावल, तलेगाँव दाभाडे, महाराष्ट्र ४१० ५०६ पर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा। सन् २०१३ का १८ ।

(दो) महाराष्ट्र लोकन्यास अधिनियम के अधीन लोक न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत डा. डी. वाय. पाटील शैक्षणिक अकादमि होगी, उसका पाटील बिल्डींग, आदर्श नगर, एम. आय. जी. कॉलनी के सामने, वरली मुंबई में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा ;

(प) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(फ) " परिनियम ", " आर्डिनन्सो " तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(ब) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(भ) " अध्यापक " का तात्पर्य प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सहयुक्त प्राध्यापक या अन्य व्यक्ति कोई जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररुप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(म) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, पुणे से है ;

निगमन।

३. (१) डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, पुणे के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्तियाँ जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, व सभी एतद् द्वारा " डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, पुणे " के नाम द्वारा निगमित निकाय गठित और घोषित होंगे।

(३) विश्वविद्यालय का, शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय और उसका मुख्यालय डी. वाय. पाटील विश्वविद्यालय, एमआयडीसी रोड, अम्बि तालुका मावल, जिल्हा पुणे, महाराष्ट्र ४१० ५०६ में स्थित होगा ।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य, निम्न नुसार होंगे,–

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास और अनुसंधान और विकास जिसमें लिबरल आर्ट, मानविकी सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो–विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं, जैसे कि इंजिनिअरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य, अनुप्रयुक्त तथा रचानात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, शिक्षण तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा स्थानांतरण के लिए नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना।

(च) शिक्षा, तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ सांस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए उत्कर्ष केंद्रो की निर्मिति करना ;

(झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वी सदी के लिए व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक–आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करना ;

(ञ) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध करना ;

(ट) नवप्रवर्तक दृष्टिकोनों के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा, और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिती के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोनों को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधिन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद, या, यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना। सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमें ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित तथा धारण करना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डो या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछडे स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्ते और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध करना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को सम्पादित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार व्यतिकारी के आधार पर देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार केवल राज्य के भीतर महाविद्यालयों, संस्थाओं और परिसर मुक्त केंद्रों की स्थापित करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस, अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय से फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रामिक, मानदेय अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों को मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और छात्रों के आवास के लिए अन्य ऐसी मान्यता वापिस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा वह आवश्यक समझे ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(उनतीस) देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पायी जाए, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विनिर्दिष्ट की जाए, सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियम, २००३ या अन्य किन्ही विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तेंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ;

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक, सिर्फ लिंग, धर्म पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोष जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे नागरिकों के वर्गों (एसइबीसी) और आर्थिक कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय के लिए, " विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम दस करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रूप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रित्या में समपहृत करने की शक्ति होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन हो, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा।

साधारण निधि।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श तथा अन्य कार्य से प्राप्त कोई राशि ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान, तथा ;

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

सामान्य निधि का उपयोग।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

११. विश्वविद्यालय के, निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या में सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मापदण्ड जैसा कि, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) इस अधिनियम की धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्यक्ष को हटाना।

१३. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ;

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर लोप या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन पुनर्पाठ्यक्रम लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति।

१४. (१) कुलपति, शासी निकाय द्वारा गठित किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल से परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित

प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किया जाए।

(७) यदि किसी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष।

१५. (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सोंपेगा।

रजिस्ट्रार।

१६. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या में और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रमुख अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षाओं के संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

(च) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या में और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंध मंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्तियाँ ;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ;

(छ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यों का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ।

(२) कुलपति, प्रबंध मंडल का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रमुख प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, ''परीक्षाओं की अनुसूची'' की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्भण के बारे में दी गई ब्योरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(ख) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक	. .	सदस्य ;
(ग) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	. .	सदस्य ;
(घ) परीक्षा नियंत्रक	. .	सदस्य सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए।

अन्य प्राधिकरण।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ।

निरर्हता।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ;

(दो) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है ;

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुडा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुडे होने या बढावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, यथासंभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ति को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी संस्था या निकाय का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति जिस शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रूप में पद धारण करेगा।

समितियाँ।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारी ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें ऐसी समितियाँ गठित करेंगे।

(२) ऐसी समितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रथम परिनियम।

३०. (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत कियें जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाले फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम परिनियमों का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महीने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा।

पश्चात्वर्ती परिनियम।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगें, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग का उत्सादन या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(च) पदों कें उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामलें है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाया जायेंगे।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या में बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधमंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी प्रतिष्ठा, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियमों या परिनियम के किसी संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, विद्या परिषद से परामर्श के बिना, विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षा का स्तरमान, शिक्षा तथा परीक्षा पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

प्रथम आर्डीनेन्स।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम आर्डिनेन्स, शासी निकाय द्वारा बनाए जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) कार्यालय की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय के कर्तव्य, परीक्षकों तथा अनुसीमकों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फ़ीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

पश्चात्वर्ती ऑर्डीनेन्स।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंध मंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंध मंडल बोर्ड और शासी निकाय, अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।

विनियम।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंध मंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे।

प्रवेश।

३५. (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश गुणागुण के आधार पर कडाई से किये जायेंगे।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों का वर्ग (एसईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) तथा विकलांग छात्रों से संबंध रखनेवाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएगी :

(४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए चालीस प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखीं जायेगी।

फ़ीस निर्धारण समिति।

३६. (१) विश्वविद्यालय, की फ़ीस संरचना नियत करने के लिए फ़ीस निर्धारण समिति होगी।

(२) समिति की संरचना, उसका अवधि और उसके सदस्य, उसकी यंत्रणा और फ़ीस निर्धारण समिति द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया ऐसी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया जा सके :

परंतु, प्रत्येक ऐसी अधिसूचना, यथासंभव शीघ्र, राज्यविधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।

(३) फ़ीस निर्धारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते और मानदेय, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे होंगे, जिसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध ।

३७. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फ़ीस, विश्वविद्यालय द्वारा या कि और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी, संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, प्रबंधन रोकड़ या उसी प्रकार में विहित रीत्या में विन्यास निधि व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधन ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी। जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फ़ीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे।

सन् १९८८ का महा. ६।

परीक्षाएँ।

३८. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।

परीणामों की घोषणा ।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा :

परंतु यदि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत

कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने, धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होगी।

दीक्षांत समारोह ।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रित्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।

४१. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद नॅक **(एनएएसी)**, बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को नॅक द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन, प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यो को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधन मंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा ।

४४. (१) प्रबंध मंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी ।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ भी सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसका अनुपालन सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन बनी सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित होंगी :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पंद्रह वर्ष पहले प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी ।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम, की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओं नोटीस जारी करेगा क्यों न उसके समापन का आदेश दिया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधो का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश दे सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उस पर रिपोर्ट बनायेगी।

सन् १९०८ का ५।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियो को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

सन् १९७४ का २ ।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के संतर्जक से वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के समापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किया गया प्रशासक इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंध मंडल बोर्ड के सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंध तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

(८) उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

सचिव स्तरीय समिति ।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकताओं के अनुपालन के सत्यापन और सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी। समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और योजना विभाग के प्रभारी सचिवों से मिलकर बनेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** मे, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई सूचना के पश्चात् ही, केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

सचिव स्तर समिति द्वारा निरीक्षण ।

४९. इस अधिनियम की धारा ४८ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति जब-जब सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो, विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगी और स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, समय समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकताओं के अनुपालन और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुपालन की जाँच और सुनिश्चित किया जा सके।

नियम बनाने की शक्ति ।

५०. (१) सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ;

(ख) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाश के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति ।

५१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),
नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VII OF 2019.

THE MAHARASHTRA STATE RESERVATION (OF SEATS FOR ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND FOR APPOINTMENTS IN THE PUBLIC SERVICES AND POSTS UNDER THE STATE) FOR SOCIALLY AND EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES (SEBC) (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VII OF 2019.

AN ACT FUTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE RESERVATION (OF SEATS FOR ADMISSION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE STATE AND FOR APPOINTMENTS IN THE PUBLIC SERVICES AND POSTS UNDER THE STATE) FOR SOCIALLY AND EDUCATIONALLY BACKWARD CLASSES (SEBC) ACT, 2018.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ३ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिये (राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये सीटों का और राज्य की लोकसेवाओं में नियुक्तियाँ और पदों के लिये) आरक्षण अधिनियम, २०१८ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् २०१८ का महा. ६२।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिये (राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये सीटों का और राज्य की लोकसेवाओं में नियुक्तियाँ और पदों के लिये) आरक्षण अधिनियम, २०१८ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अत: भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिये (राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये सीटों का और राज्य के अधीन लोकसेवाओं में नियुक्तियाँ और पदों के लिये) आरक्षण संशोधन अधिनियम, २०१९ कहलाये।

सन् २०१८ का महा. ६२ की धारा ४ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिये (राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिये सीटों का और राज्य के अधीन लोकसेवाओं में नियुक्तियाँ और पदों के लिये) आरक्षण अधिनियम, २०१८ की धारा ४ की, उप-धारा (१) में,— सन् २०१८ का महा. ६२।

(क) खंड (क) में, ''सोलह प्रतिशत'' शब्दों के स्थान में, ''बारह प्रतिशत'' शब्द रखे जायेंगे;

(ख) खंड (ख) में, ''सोलह प्रतिशत'' शब्दों के स्थान में, ''तेरह प्रतिशत'' शब्द रखे जायेंगे।

(यथार्थ अनुवाद),
नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2019.

THE MAHARASHTRA APPROPRIATION ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VIII OF 2019.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2020.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ४ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२० के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२० के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय रकमों के विनियोग के लिये यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये ; **इसलिए,** भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र विनियोग अधिनियम, २०१९ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के लिये, ४१ खरब, ६२ अरब, ०४ करोड़ ८० लाख, ६३ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर महाराष्ट्र विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, २०१९ की अनुसूची के स्तंभ (४) में विनिर्दिष्ट इकतालीस खरब, बासठ अरब, चार करोड़, अस्सी लाख, तिरसठ हजार रुपयों की रकम के बराबर होगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०२० के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१८ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी विनियोजन: विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-१	राज्यपाल और मंत्री परिषद।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक। २०१३, मंत्री परिषद।	..	३०,६९,५१,०००	१८,३६,६२,०००	४९,०६,१३,०००
ए-२	निर्वाचन।	.. २०१५, निर्वाचन।	..	२०,८८,६४,२६,०००	....	२०,८८,६४,२६,०००
ए-३	लोक सेवा आयोग।	.. २०५१, लोक सेवा आयोग ।	..	२६,५७,०००	५४,४२,९४,०००	५४,६९,५१,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	१०,०८,४१,२२,०००	१,०५,०००	१०,०८,४२,२७,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, आवास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २२५१, सचिवालय---सामाजिक सेवाएँ।	..	२,४५,९१,४७,०००	....	२,४५,९१,४७,०००
ए-६	सूचना तथा प्रचार।	.. २२२०, सूचना तथा प्रचार।	..	२,२४,९१,१०,०००	१,२९,०००	२,२४,९२,३९,०००
ए-७	सिविल विमानन।	.. ३०५३, सिविल विमानन ।	..	२,३१,९२,१४,०००	....	२,३१,९२,१४,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग	..	३८,३०,७६,२७,०००	७२,८१,९०,०००	३९,०३,५८,१७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	१,७१,५०,८२,२६,०००	४,००,५०,०००	१,७१,५४,८२,७६,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क। ..	२०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।	..	१,९२,५८,८३,०००	१,५१,०००	१,९२,६०,३४,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन।	..	१८,८३,९०,५३,०००	५०,००,००,०००	१९,३३,९०,५३,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	..	६६,५७,७६,०००	....	६६,५७,७६,०००
बी-५	जेल। ..	२०५६, जेल।	..	३,८६,१५,६९,०००	....	३,८६,१५,६९,०००
बी-६	सामान्य सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	..	५,१८,४१,०००	....	५,१८,४१,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ ।	३००१, भारतीय रेल-नीति-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठन। ३०५१, पत्तन तथा दीप गृह।	..	२,९९,९८,००,०००	....	२,९९,९८,००,०००
बी-८	बाढ नियंत्रण तथा निकास।	२७११, बाढ नियंत्रण तथा निकास।	..	१,००,०००	....	१,००,०००
बी-९	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	७,०००	....	७,०००
		कुल—गृह विभाग।	..	१,९९,८५,२२,५५,०००	५४,०२,०१,०००	२,००,३९,२४,५६,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	२७,६५,८१,३३,०००	८,५४,०००	२७,६५,८९,८७,०००
सी-२	स्टाम्प तथा पंजीयन। . .	२०३०, स्टाम्प तथा पंजीयन।	..	२,७८,२५,१२,०००	६,०००	२,७८,२५,१८,०००
सी-३	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	...	११,०००	११,०००
सी-४	सचिवालय तथा अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोक निर्माण कार्य। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	६६,०२,६४,०००	२०,०४,०००	६६,२२,६८,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	..	४६,०६,६६,०००	११,०००	४६,०६,७७,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	..	८२,१३,५२,०९,०००	४,०००	८२,१३,५२,१३,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५५१, पहाड़ी क्षेत्र।	..	२७,१५,०९,३९,०००	५०,०००	२७,१५,०९,८९,०००
सी-८	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	...	१०,००,००,०००	१०,००,००,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	..	१,४०,८४,७७,२३,०००	१०,२९,४०,०००	१,४०,९५,०६,६३,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग

डी-१	ब्याज अदायगियाँ	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।		....	४२,९८,०४,०००	४२,९८,०४,०००
डी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,०२,६०,०००	. . .	१,०२,६०,०००
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	..	८४,८८,६८,३७,०००	८,००,०००	८४,८८,७६,३७,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	..	१२,६४,०५,०५,०००	३,५०,०००	१२,६४,०८,५५,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास। . .	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	..	४,६३,०२,४६,०००	५०,००,०००	४,६३,५२,४६,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग। . .	२४०५, मत्स्य उद्योग।		१,२९,९९,५५,०००	१,५०,०००	१,३०,०१,०५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
डी-७	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२७०२, लघु सिंचाई। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	..	७३,४७,३३,०००	. . .	७३,४७,३३,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	..	१,०४,२०,२५,३६,०००	४३,६१,०४,०००	१,०४,६३,८६,४०,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग				
इ-१	ब्याज अदायगियाँ ..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	. . . .	१७,३३,८२,०४,०००	१७,३३,८२,०४,०००
इ-२	सामान्य शिक्षा। ..	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	५,८५,४४,०१,४७,०००	१५,०१,०००	५,८५,४४,१६,४८,०००
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	३,०४,२४,१०,०००	२,०००	३,०४,२४,१२,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	..	५,८८,४८,२५,५७,०००	१७,३३,९७,०७,०००	६,०५,८२,२२,६४,०००
		नगरविकास विभाग				
एफ-१	ब्याज अदायगियाँ। ..	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	. . . .	१,०००	१,०००
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल।	..	१,४०,९४,४८,२७,०००	१,०००	१,४०,९४,४८,२८,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	३९,३१,०५,०००	. . . .	३९,३१,०५,०००
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थांओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		२,०५,७९,४५,१८,०००	. . . .	२,०५,७९,४५,१८,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	..	३,४७,१३,२४,५०,०००	२,०००	३,४७,१३,२४,५२,०००

वित्त विभाग

जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण । २०४०, विक्रय, व्यापार आदि, पर कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	९,५०,२९,३८,०००	१,००,०००	९,५०,३०,३८,०००
जी-२	अन्य वित्तीय तथा विविध सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	१७,३२,९२,५६,०००	....	१७,३२,९२,५६,०००
जी-३	ब्याज अदायगी तथा ऋण सेवाएँ	२०४८, ऋण कमी करने या परिहार के लिए विनियोग। २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	....	३,४३,७०,२९,३०,०००	३,४३,७०,२९,३०,०००
जी-४	सचिवालय — सामान्य सेवाएँ। ..	२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	..	४९,३७,३९,०००	....	४९,३७,३९,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन। ..	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	..	३,७२,३२,६८,०००	२,००,०००	३,७२,३४,६८,०००
जी-६	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ती के लाभ।	२०७१, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ती लाभ।	..	२,७७,४९,३९,३८,०००	९०,३१,५४,०००	२,७८,३९,७०,९२,०००
जी-७	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्यजीवन।	..	१,५३,४१,५२,०००	....	१,५३,४१,५२,०००
		कुल—वित्त विभाग।	..	३,१०,०७,७२,९१,०००	३,४४,६०,६३,८४,०००	६,५४,६८,३६,७५,०००

लोकनिर्माण कार्य विभाग

एच-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	..	....	..
एच-२	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१,१५,००,०००	....	१,१५,००,०००
एच-३	आवास। ..	२२१६,आवास।	..	४,०१,७७,९५,०००	....	४,०१,७७,९५,०००
एच-४	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५३, सिविल विमानन। ३४५१, सचिवालय -आर्थिक सेवाएँ।	..	७७,२५,१७,०००	....	७७,२५,१७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	५९,०९,१३,११,०००	१५,००,०००	५९,०९,२८,११,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग ।		२९,२३,०८,२१,०००	४,५४,०५,०००	२९,२७,६२,२६,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।	. .	९३,१२,३९,४४,०००	४,६९,०५,०००	९३,१७,०८,४९,०००
		जलस्रोत विभाग				
आय-१	ब्याज अदायगियाँ।	. . २०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	....	६,७३,३१,३०,०००	६,७३,३१,३०,०००
आय-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. . २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	२,००,००,०००	....	२,००,००,०००
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान	. .	२२,१०,८०,२७,०००	....	२२,१०,८०,२७,०००
आय-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. . ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	५३,००,५०,०००	....	५३,००,५०,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	२२,६५,८०,७७,०००	६,७३,३१,३०,०००	२९,३९,१२,०७,०००

		विधि तथा न्याय विभाग				
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	..	२१,५२,२०,९६,०००	४,००,१८,१५,०००	२५,५२,३९,११,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	१,५४,६०,७२,०००	९,००,०००	१,५४,६९,७२,०००
जे-३	स्थानिक निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समुदेशन	३६०४, स्थानिक निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समुदेशन	..	७,४०,००,०००	....	७,४०,००,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	..	२३,१४,२१,६८,०००	४,००,२७,१५,०००	२७,१४,४८,८३,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-१	पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क।	..	६८,१६,८८,०००	....	६८,१६,८८,०००
के -२	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	..	....	३,६५,०३,००,०००	३,६५,०३,००,०००
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	२,२५,७६,५४,०००	४,००,०००	२,२५,८०,५४,०००
के-४	श्रम तथा नियोजन।	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	..	२,५५,९८,९७,०००	....	२,५५,९८,९७,०००
के-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	..	१९,१०,०००	....	१९,१०,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।	..	७४,७६,७३,०१,०००	....	७४,७६,७३,०१,०००
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	..	२९,९१,८४,३२,०००	....	२९,९१,८४,३२,०००
के-८	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	..	२४,६५,२९,०००	....	२४,६५,२९,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	..	१,१०,४३,३४,११,०००	३,६५,०७,००,०००	१,१४,०८,४१,११,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		ग्रामविकास विभाग				
एल-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . . .	१४,४८,६८,३९,०००	१४,४८,६८,३९,०००
एल-२	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	५३,३४,६९,३६,०००	१,००,०००	५३,३४,७०,३६,०००
एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	८५,३७,६१,५९,०००	. . . .	८५,३७,६१,५९,०००
एल-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	४५,२०,१५,०००	. . . .	४५,२०,१५,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. ..	६,१७,३१,१२,०००	७,६०,०५,४४,०००	१३,७७,३६,५६,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग।	. .	१,४५,३४,८२,२२,०००	२२,०८,७४,८३,०००	१,६७,४३,५७,०५,०००
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
एम-१	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१०,००,०००	. . . .	१०,००,०००
एम-२	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	. .	२५,८९,९९,२९,०००	९४,०२,५२,०००	२६,८४,०१,८१,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	१,१५,४७,४२,०००	. . . .	१,१५,४७,४२,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	२७,०५,५६,७१,०००	९४,०२,५२,०००	२७,९९,५९,२३,०००

	सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग					
एन-१	ब्याज अदायगियाँ। . .	२०४९, ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . . .	६,३१,३९,०००	६,३१,३९,०००
एन-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २२१६, आवास। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	७,४४,३८,१९,०००	१,०००	७,४४,३८,२०,०००
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २८०१, विद्युत।	. .	८४,४३,८७,४३,०००	५,००,०००	८४,४३,९२,४३,०००
एन-६	जिला योजनाएँ।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक का कल्याण।	. .	२६,८६,०६,२८,०००	. . . .	२६,८६,०६,२८,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	१,१८,७४,३१,९०,०००	६,३६,४०,०००	१,१८,८०,६८,३०,०००
	योजना विभाग					
ओ-१	जिला प्रशासन। . .	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	३,५४,००,००,०००	. . . .	३,५४,००,००,०००
ओ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	४,००,०००	. . . .	४,००,०००
ओ-३	ग्राम नियोजन। . .	२५०५, ग्राम नियोजन।	. .	५१,३९,२५,३४,०००	५०,००,००,०००	५१,८९,२५,३४,०००
ओ-४	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम . .	२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	. .	२१,७५,४७,४२,०००	. . . .	२१,७५,४७,४२,०००
ओ-६	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान। . .	३४२५, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।	. .	७०,४०,००,०००	. . . .	७०,४०,००,०००
ओ-७	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। . .	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	२,६५,७६,९७,०००	४,७१,७७,०००	२,७०,४८,७४,०००
ओ-८	पर्यटन। . .	३४५२, पर्यटन।	. .	१,२२,३१,०००	. . . .	१,२२,३१,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी। . .	३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	. .	७०,७६,७३,०००	१,०००	७०,७६,७४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१४	जिला योजना - मुंबई शहर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१६, आवास। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०५, मत्स्य उद्योग। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन ।	..	८३,३७,२१,०००	...	८३,३७,२१,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
	२२१६, आवास ।		
	२२१७, नगर विकास ।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
ओ-१६	जिला योजना - मुंबई उपनगर ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।	. . २,८५,६५,००,०००
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	
		२२३६, पोषण ।	
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।	
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	
		२८०१, विद्युत ।	
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।	
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।	
		३४३५, परिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।	
		३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ ।	
		३४५२, पर्यटन ।	

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१८	जिला योजना - ठाणे	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	२,५०,००,०६,०००	...	२,५०,००,०६,०००

		२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
		२२१७, नगर विकास ।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०३, पशुपालन ।			
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
ओ-२०	जिला योजना - रायगड़ ।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	..	१,५४,९४,७४,०००	... १,५४,९४,७४,०००
		२४२५, सहकारिता ।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८०१, विद्युत ।			
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।			
		३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।			
		३०५४, सड़क तथा पुल ।			
		३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२२	जिला योजना - रत्नागिरी।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	१,३७,४७,५०,०००	...	१,३७,४७,५०,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
	२२११, परिवार कल्याण ।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
	२२१७, नगर विकास ।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
	२२३६, पोषण ।			
	२४०३, पशुपालन ।			
ओ-२४ जिला योजना - सिंधुदुर्ग ।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।	..	१,९१,७५,२९,०००	
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
	२४२५, सहकारिता ।			
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
	२७०२, लघु सिंचाई ।			
	२८०१, विद्युत ।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
	३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।			
	३०५४, सड़क तथा पुल ।			
	३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
	३४५२, पर्यटन ।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			
		. .	१,९१,७५,२९,०००	. . . १,९१,७५,२९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२६	जिला योजना - पुणे।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	४,१६,१३,५९,०००	. . .	४,१६,१३,५९,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
	२२११, परिवार कल्याण ।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
	२२१७, नगर विकास ।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
	२२३६, पोषण ।			
ओ-२८	जिला योजना - सतारा ।	..	२,१३,०१,३४,०००	... २,१३,०१,३४,०००
	२४०३, पशुपालन ।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
	२४२५, सहकारिता ।			
	२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
	२७०२, लघु सिंचाई ।			
	२८०१, विद्युत ।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
	३०५४, सड़क तथा पुल ।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
	३४५२, पर्यटन ।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३०	जिला योजना—सांगली।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,८९,९०,४८,०००	. . .	१,८९,९०,४८,०००

		२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
		२२११, परिवार कल्याण ।		
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।		
		२२१७, नगर विकास ।		
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
		२२३६, पोषण ।		
ओ-३२	जिला योजना—सोलापुर ।	२४०३, पशुपालन ।	..	२,७८,२०,८७,०००
		२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।		
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
		२४२५, सहकारिता ।		
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
		२७०२, लघु सिंचाई ।		
		२८०१, विद्युत ।		
		२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।		
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
		३०५४, सड़क तथा पुल ।		
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		
			...	२,७८,२०,८७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३४	जिला योजना - कोल्हापुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	२,१०,६५,१२,०००	...	२,१०,६५,१२,०००

ओ-३६	जिला योजना - नासिक।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. . २,८८,८३,२६,०००	. . .	२,८८,८३,२६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)		
			रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३८	जिला योजना -धुलिया।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	.. १,११,११,२४,०००	...	१,११,११,२४,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।		
	२२१७, नगर विकास ।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
	२२३६, पोषण ।		
ओ-४०	जिला योजना -जलगाँव ।	. . २,४२,३४,००,०००	२,४२,३४,००,०००
	२४०३, पशुपालन ।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
	२४२५, सहकारिता ।		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
	२७०२, लघु सिंचाई ।		
	२८०१, विद्युत ।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
	३०५४, सड़क तथा पुल ।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४२	जिला योजना -अहमदनगर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	२,७९,४६,७२,०००	. . .	२,७९,४६,७२,०००

ओ-४४ जिला योजना -नंदुरबार।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	८७,६४,२८,०००
	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।		
	२२१७, नगर विकास।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		
	२२३६, पोषण ।		
	२४०३, पशुपालन।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम।		
	२७०२, लघु सिंचाई।		
	२८०१, विद्युत।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।		
	३०५४, सड़क तथा पुल।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५२, पर्यटन ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		
		...	८७,६४,२८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४६	जिला योजना -औरंगाबाद।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०३, पशुपालन। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,९८,४२,००,०००	. . .	१,९८,४२,००,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।				
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।				
	२२१७, नगर विकास ।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।				
	२२३६, पोषण ।				
	२४०१, कृषि कर्म ।				
	२४०३, पशुपालन ।				
ओ-४८ जिला योजना -जालना ।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।	..	१,५३,०९,७१,०००	...	१,५३,०९,७१,०००
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
	२४२५, सहकारिता ।				
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
	२७०२, लघु सिंचाई ।				
	२८०१, विद्युत ।				
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।				
	३०५४, सड़क तथा पुल ।				
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।				
	३४५२, पर्यटन ।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५०	जिला योजना -परभणी।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	१,३९,८५,५८,०००	...	१,३९,८५,५८,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
	२२११, परिवार कल्याण ।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
	२२१७, नगरविकास ।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
	२२३६, पोषण ।			
ओ-५२	जिला योजना -नांदेड़ ।	..	२,१९,७९,९९,०००	... २,१९,७९,९९,०००
	२४०३, पशुपालन ।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
	२४२५, सहकारिता ।			
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
	२७०२, लघु सिंचाई ।			
	२८०१, विद्युत ।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
	३०५४, सड़क तथा पुल ।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
	३४५२, पर्यटन ।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५४	जिला योजना -बीड।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	१,९५,१२,५०,०००	...	१,९५,१२,५०,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
	२२११, परिवार कल्याण ।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।		
	२२१७, नगरविकास ।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
	२२३६, पोषण ।		
	२४०१, कृषि कर्म ।		
ओ-५६ जिला योजना -लातुर ।	२४०३, पशुपालन ।	. .	१,६५,३२,७३,०००
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
	२४२५, सहकारिता ।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
	२७०२, लघु सिंचाई ।		
	२८०१, विद्युत ।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
	३०५४, सड़क तथा पुल ।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
	३४५२, पर्यटन ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	. . .	१,६५,३२,७३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५८	जिला योजना -उस्मानाबाद।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	१,८४,०३,५४,०००	...	१,८४,०३,५४,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।				
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।				
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।				
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।				
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।				
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।				
	२२१७, नगर विकास ।				
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।				
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।				
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
	२२३६, पोषण ।				
	२४०१, कृषि कर्म ।				
	२४०३, पशुपालन ।				
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।				
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
	२४२५, सहकारिता ।				
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
	२७०२, लघु सिंचाई ।				
	२८०१, विद्युत ।				
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।				
	३०५४, सड़क तथा पुल ।				
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।				
	३४५२, पर्यटन ।				
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।				
ओ-६०	जिला योजना -हिंगोली ।	..	६४,१७,९८,०००	...	६४,१७,९८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-६२	जिला योजना -नागपुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	३,३३,४९,५५,०००	. . .	३,३३,४९,५५,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।		
	२२१७, नगर विकास ।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।		
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
	२२३६, पोषण ।		
ओ-६४ जिला योजना -वर्धा ।	२४०३, पशुपालन ।	. .	१,४७,५१,७५,०००
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
	२४२५, सहकारिता ।		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
	२७०२, लघु सिंचाई ।		
	२८०१, विद्युत ।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
	३०५४, सड़क तथा पुल ।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
	३४५२, पर्यटन ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	. . .	१,४७,५१,७५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-६६	जिला योजना -भंडारा।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	१,२८,४९,९८,०००	...	१,२८,४९,९८,०००

ओ-६८	जिला योजना -चंद्रपुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	२,३८,४०,०७,०००	...	२,३८,४०,०७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७०	जिला योजना -गढ़चिरोली।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन ।	..	२,३१,१८,६१,०००	...	२,३१,१८,६१,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
	२२११, परिवार कल्याण ।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
	२२१७, नगरविकास ।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
	२२३६, पोषण ।			
	२४०३, पशुपालन ।	..	१,३९,८२,३६,०००	
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
	२४२५, सहकारिता ।			
	२५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
	२७०२, लघु सिंचाई ।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
	३०५४, सड़क तथा पुल ।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
	३४५२, पर्यटन ।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			
ओ-७२	जिला योजना -गोंदिया ।	..	१,३९,८२,३६,०००	... १,३९,८२,३६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७४	जिला योजना -अमरावती।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	१,८९,४१,६५,०००	...	१,८९,४१,६५,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
	२२१७, नगरविकास ।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
	२२३६, पोषण ।			
	२४०३, पशुपालन ।			
ओ-७६	जिला योजना -अकोला ।	..	८९,६२,००,०००	८९,६२,००,०००
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
	२४२५, सहकारिता ।			
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
	२७०२, लघु सिंचाई ।			
	२८०१, विद्युत ।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
	३०५४, सड़क तथा पुल ।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
	३४५२, पर्यटन ।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७८	जिला योजना -यवतमाल।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,८७,००,८०,०००	. . .	१,८७,००,८०,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
	२२१७, नगरविकास ।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
ओ-८० जिला योजना -बुलढाणा ।	२२३६, पोषण ।	..	१,४८,२१,२६,०००	... १,४८,२१,२६,०००
	२४०३, पशुपालन ।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
	२४२५, सहकारिता ।			
	२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम ।			
	२७०२, लघु सिंचाई ।			
	२८०१, विद्युत ।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-८२	जिला योजना -वाशिम।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता।	..	१,४३,८५,७२,०००	...	१,४३,८५,७२,०००

२५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम।

२७०२, लघु सिंचाई।

२८०१, विद्युत।

२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।

२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग।

३०५४, सड़क तथा पुल।

३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ।

३४५२, पर्यटन ।

३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।

२२०२, सामान्य शिक्षा।

२२०३, तकनीकी शिक्षा।

२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।

२२०५, कला तथा संस्कृति।

२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।

२२१७, नगरविकास।

२२२०, सूचना तथा प्रचार।

२२३०, श्रम तथा नियोजन।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-८४	जिला योजना -पालघर।	२२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	९५,२४,५४,०००	. . .	९५,२४,५४,०००
		कुल—योजना विभाग।	. .	१,४८,८९,५५,७९,०००	५४,७१,७८,०००	१,४९,४४,२७,५७,०००

			संसदीय कार्य विभाग				
पी-१	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२०५२,	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	..	३,२६,८८,०००	....	३,२६,८८,०००
पी-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	६०,०००	....	६०,०००
			कुल—संसदीय कार्य विभाग।	..	३,२७,४८,०००		३,२७,४८,०००
			आवास विभाग				
क्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	..	....	३८,६४,६३,०००	३८,६४,६३,०००
क्यू-२	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	२०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	२,७०,८०,०००		२,७०,८०,०००
क्यू-३	आवास।	२२१६,	आवास।	..	७१,४६,७७,५२,०००	....	७१,४६,७७,५२,०००
		२२१७,	नगरविकास।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।				
क्यू-४	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ।	३४५१,	सचिवालय - आर्थिक सेवाएँ।	..	९,०३,३९,०००		९,०३,३९,०००
			कुल—आवास विभाग।	..	७१,५८,५१,७१,०००	३८,६४,६३,०००	७१,९७,१६,३४,०००
			लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	१,०४,२७,७४,९५,०००	५८,००,०००	१,०४,२८,३२,९५,०००
		२२११,	परिवार कल्याण।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
आर-२	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	१६,३१,४६,०००	....	१६,३१,४६,०००
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।				
			कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	..	१,०४,४४,०६,४१,०००	५८,००,०००	१,०४,४४,६४,४१,०००
			चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	३६,५३,४२,१७,०००	१,००,०००	३६,५३,४३,१७,०००
एस-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	४०,००,०००	....	४०,००,०००
एस-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	..	१६,२४,००,०००	१,०००	१६,२४,०१,०००
			कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	..	३६,७०,०६,१७,०००	१,०१,०००	३६,७०,०७,१८,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)		(३)			(४)		
						रुपये	रुपये	रुपये
	जनजाति विकास विभाग							
टी-१	ब्याज अदायगियाँ।	. .	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	४८,१०,२२,०००	४८,१०,२२,०००
टी-२	सहकारिता।		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	. .	९५,७०,८८,०००	. . .	९५,७०,८८,०००
टी-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	५१,४९,०००	. . .	५१,४९,०००
टी-४	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	. .	२२५१,	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	. .	२३,४१,७०,०००	. . .	२३,४१,७०,०००
टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।		२२०२,	सामान्य शिक्षा।	. .	७६,२६,७९,९८,०००	. . .	७६,२६,७९,९८,०००
			२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ।				
			२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
			२२१५,	जलआपूर्ति तथा स्वच्छता।				
			२२१७,	नगर विकास।				
			२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।				
			२२३०,	श्रम तथा नियोजन ।				
			२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
			२२३६,	पोषण ।				
			२४०१,	कृषि कर्म ।				
			२४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण।				
			२४०३,	पशुपालन ।				
			२४०६,	वन तथा वन्यजीवन ।				
			२४२५,	सहकारिता ।				
			२४३५,	अन्य कृषि कार्यक्रम।				

			२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५२, उद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३०५५, सड़क परिवहन।				
टी-९	जिला योजनाएँ।	. .	२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।	. .	१८,५४,२०,५८,०००	. . . .	१८,५४,२०,५८,०००
				कुल—जनजाति विकास विभाग।	. .	९६,००,६४,६३,०००	४८,१०,२२,०००	९६,४८,७४,८५,०००
			पर्यावरण विभाग					
यू-१	ब्याज अदायगियाँ।		२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।		. . . .	५,६५,६२,०००	५,६५,६२,०००
यू-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		६०,०००	. . .	६०,०००
यू-३	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	५,६४,८०,०००	. . .	५,६४,८०,०००
यू-४	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण।		३४३५,	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण ।	. .	२,४०,३०,००,०००	. . .	२,४०,३०,००,०००
				कुल—पर्यावरण विभाग ।	. .	२,४५,९५,४०,०००	५,६५,६२,०००	२,५१,६१,०२,०००
			सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग					
वी-१	ब्याज अदायगियाँ।	. .	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	२७,०९,७९,०००	२७,०९,७९,०००
वी-२	सहकारिता।	.	२०७०, २२३५, २४०६, २४२५, २४३५, २८५१, २८५२, ३४५१, ३४५६,	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण वन तथा वन्य जीवन। सहकारिता। अन्य कृषि कार्यक्रम। ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। उद्योग। सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। सिविल अपूर्ति।	. .	१६,०३,८८,७३,०००	१,६०,०००	१६,०३,९०,३३,०००
				कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	१६,०३,८८,७३,०००	२७,११,३९,०००	१६,३१,००,१२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
	उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग					
डब्ल्यू-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	...	३,९८,३६,३०,०००	३,९८,३६,३०,०००
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२,	सामान्य शिक्षा।	८०,१६,७०,८७,०००	२,००,०००	८०,१६,७२,८७,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	२२०३,	तकनीकी शिक्षा।	१७,८६,३८,४६,०००	१,५०,०००	१७,८६,३९,९६,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।	२२०५,	कला तथा संस्कृति।	३,३८,१३,५०,०००	...	३,३८,१३,५०,०००
डब्ल्यू-५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२०,९०,०००	...	२०,९०,०००
डब्ल्यू-६	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	२२५१,	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	२१,४३,९६,०००	...	२१,४३,९६,०००
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राजस्व परिव्यय।	२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।	४,१४,००,०००	...	४,१४,००,०००
			कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	१,०१,६७,०१,६९,०००	३,९८,३९,८०,०००	१,०५,६५,४१,४९,०००
	महिला तथा बाल विकास विभाग					
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, २२३६, २४०६,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। पोषण। वन तथा वन्य जीवन।	३०,००,९८,२४,०००	...	३०,००,९८,२४,०००
एक्स-२	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	२२५१,	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	११,७०,६२,०००	...	११,७०,६२,०००
			कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।	३०,१२,६८,८६,०००		३०,१२,६८,८६,०००
	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग					
वाय-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	...	२३,०३,१८,०००	२३,०३,१८,०००
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५,	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	६४,०८,८०,७२,०००	४,००,००,०००	६४,१२,८०,७२,०००
वाय-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, २४०६,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। वन तथा वन्य जीवन।	२,०७,८०,०००	...	२,०७,८०,०००
वाय-४	लघु सिंचाई।	२७०२,	लघु सिंचाई।	४६,७८,२८,०००	...	४६,७८,२८,०००
वाय-५	सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ।	३४५१,	सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ।	१७,०७,७१,०००	...	१७,०७,७१,०००
			कुल— जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	६४,७४,७४,५१,०००	२७,०३,१८,०००	६५,०१,७७,६९,०००

कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग

जेड-क-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ।	. .	. . .	२,००,००,०००	२,००,००,०००
जेड-क-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३,	तकनीकी शिक्षा।				
		२२३०,	श्रम तथा नियोजन।				
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	२३,१९,०३,६०,०००	११,०५,०००	२३,१९,१४,६५,०००
		२२५१,	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।				
			कुल— कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।	. .	२३,१९,०३,६०,०००	२,११,०५,०००	२३,२१,१४,६५,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	२०११,	संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।	. .	२,४७,८५,५८,०००	१,७७,५०,०००	२,४९,६३,०८,०००
जेड ग-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	१३,६३,४०,०००	. . .	१३,६३,४०,०००
			कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	. .	२,६१,४८,९८,०००	१,७७,५०,०००	२,६३,२६,४८,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-१	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०७०,	अन्य प्रशासकीय सेवाएँ ।			
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार ।	. .	९,३१,८१,०००	. . .	९,३१,८१,०००
		२२५१,	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ ।			
जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५,	कला तथा संस्कृति ।	. .	१,४६,९२,५५,०००	. . .	१,४६,९२,५५,०००
जेड घ-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	३,६०,०००	. . .	३,६०,०००
जेड घ-४	पर्यटन।	२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
		३४५२,	पर्यटन।	. .	४,०८,३५,००,०००	. . .	४,०८,३५,००,०००
			कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	५,६४,६२,९६,०००	. . .	५,६४,६२,९६,०००

अल्पसंख्यक विकास विभाग

जेड ङ-१	अल्पसंख्यक विकास।	२०५२,	सचिवालय–सामान्य सेवाएँ।			
		२०५३,	जिला प्रशासन ।			
		२०७५,	विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	४,४८,८८,५९,०००	. . .	४,४८,८८,५९,०००
		२२०५,	कला तथा संस्कृति।			
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२४०६,	वन तथा वन्य जीव।			
			कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग।	. .	४,४८,८८,५९,०००	. . .	४,४८,८८,५९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		मराठी भाषा विभाग				
जेड च-१	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	२०५२,	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। . .	१९,२५,५०,०००	. . .	१९,२५,५०,०००
जेड च-२	कला तथा संस्कृति ।	२२०५,	कला तथा संस्कृति । . .	२२,५९,८०,०००	. . .	२२,५९,८०,०००
जेड च-३	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	२,४०,०००	. . .	२,४०,०००
			कुल— मराठी भाषा विभाग। . .	४१,८७,७०,०००	. . .	४१,८७,७०,०००
		विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और विशेष पिछडा वर्ग कल्याण विभाग।				
जेड छ-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ। . .	. . .	२३,३८,७०,०००	२३,३८,७०,०००
जेड छ-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२५१,	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ। . .	११,५८,०७,०००	१,०००	११,५८,०८,०००
जेड छ-३	विमुक्त जाति, खानाबदोश जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग और विशेष पिछडा वर्ग का कल्याण।	२४०६,	वन तथा वन्य जीव।			
		२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२७,६५,४२,३९,०००	. . .	२७,६५,४२,३९,०००
		२२३५	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
			कुल— विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडा। वर्ग और विशेष पिछडा वर्ग विभाग। . .	२७,७७,००,४६,०००	२३,३८,७१,०००	२८,००,३९,१७,०००
		मृदा तथा जल संरक्षण विभाग				
जेड ज-१	ब्याज अदायगियाँ।	२०४९,	ब्याज अदायगियाँ। . .	. . .	३०,०५,०००	३०,०५,०००
जेडज-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। . .	१,५०,००,०००	. . .	१,५०,००,०००
जेडज-३	सिंचाई, बिजली और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण। . .	४,४०,५९,५१,०००	. . .	४,४०,५९,५१,०००
जेड ज-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	२४०६,	वन तथा वन्य जीव			
		२७०२,	लघु सिंचाई।	७,३२,४६,०००	. . .	७,३२,४६,०००
		३४५१,	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।			
			कुल— मृदा तथा जल संरक्षण विभाग। . .	४,४९,४१,९७,०००	३०,०५,०००	४,४९,७२,०२,०००
			कुल —— क-राजस्व लेखे पर व्यय।	३०,१०,७३,४६,८६,०००	४,०७,५५,६६,४७,०००	३४,१८,२९,१३,३३,०००

ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय

सामान्य प्रशासन विभाग

ए-९	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	९,५०,०३,०००	. . .	९,५०,०३,०००
ए-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	४०७०, ७६१०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	७,०६,४०,०००	. . .	७,०६,४०,०००
			कुल—सामान्य प्रशासन विभाग।	. .	१६,५६,४३,०००	. . .	१६,५६,४३,०००

गृह विभाग

बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, ४०७०, ५००२, ५०५५,	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाईन) पर पूंजीगत परिव्यय। सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।		१५,४९,६७,४३,०००	. . .	१५,४९,६७,४३,०००
बी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		१,१७,२८,०१,०००	. . .	१,१७,२८,०१,०००
बी-१२	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज।	६७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज।	. .	१,००,०००	. . .	१,००,०००
			कुल—गृह विभाग।	. .	१६,६६,९६,४४,०००	. . .	१६,६६,९६,४४,०००

राजस्व तथा वन विभाग

सी-९	अन्य प्रशासनिक सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, ४२५०, ६२४५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।	. .	१,५०,०५,१६,०००	१,००,००,०००	१,५१,०५,१६,०००
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, ४४१५, ४७०१, ५४७५, ६४०१,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय। बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। कृषि कर्म के लिए कर्ज।	. .	१०,६९,२५,०४,०००	. . .	१०,६९,२५,०४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
सी-११	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। . .	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। . .	. . .	१,०००	१,०००
सी-१२	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।. .	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	१,५४,१६,३८,०००	. . .	१,५४,१६,३८,०००
			कुल— राजस्व तथा वन विभाग। . .	१३,७३,४६,५८,०००	१,००,०१,०००	१३,७४,४६,५९,०००
			कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग			
डी-८	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। . .	२,०४,०४,०००	. . .	२,०४,०४,०००
डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५, ६४०५,	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज। . .	१,०३,५२,०९,०००	. . .	१,०३,५२,०९,०००
डी-१०	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। . .	. . .	४०,००,००,०००	४०,००,००,०००
डी-११	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	६२१६, ७६१०,	आवास के लिए कर्ज। सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज। . .	२१,२६,५३,०००	. . .	२१,२६,५३,०००
			कुल— कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग। . .	१,२६,८२,६६,०००	४०,००,००,०००	१,६६,८२,६६,०००
			विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग			
ई-४	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत।	४२०२,	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। . .	१०,५०,७२,०००	. . .	१०,५०,७२,०००
ई-५	सरकारी कर्मचारियों, आदि को कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों, आदि को कर्ज। . .	१३,१९,९८,०००	. . .	१३,१९,९८,०००
			कुल–विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग . .	२३,७०,७०,०००	. . .	२३,७०,७०,०००
			नगरविकास विभाग			
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, ५४७५,	नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । . .	३,७०,०१,००,०००	. . .	३,७०,०१,००,०००

एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज ।	६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज ।	. .	७,०३,७८,००,०००	. . .	७,०३,७८,००,०००
एफ-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	४,८०,१६,०००	. . .	४,८०,१६,०००
			कुल—नगर विकास विभाग	. .	१०,७८,५९,१६,०००	. . .	१०,७८,५९,१६,०००
			वित्त विभाग				
जी-८	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४४,८२,४०,०००	. . .	४४,८२,४०,०००
जी-९	लोक ऋण तथा अन्तर राज्य समझौता।	६००३, ६००४, ७८१०,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम। अंतर राज्य समझौता।	. .	. . .	२,५९,७६,५८,०१,०००	२,५९,७६,५८,०१,०००
जी-१०	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		५१,१२,००,०००	. . .	५१,१२,००,०००
			कुल—वित्त विभाग।	. .	९५,९४,४०,०००	२,५९,७६,५८,०१,०००	२,६०,७२,५२,४१,०००
			लोक निर्माण कार्य विभाग				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, ४७११, ५०५४,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय। बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	६७,७६,२७,८८,०००	. . .	६७,७६,२७,८८,०००
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, ४२०२, ४२१०, ४२१७, ४२२५, ४२३५, ४२५०, ४४०५,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१८,६२,७४,०९,०००	२४,१५,००,०००	१८,८६,८९,०९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)			(४)		
					रुपये	रुपये	रुपये
एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, ४२१०, ४२५०,	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	६८,९६,०४,०००	. . .	६८,९६,०४,०००
एच-१०	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण। . .	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	..	.....	. . .	.....
एच-११	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज ।. .	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	४४,८१,७०,०००	. . .	४४,८१,७०,०००
			कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	..	८७,५२,७९,७१,०००	२४,१५,००,०००	८७,७६,९४,७१,०००
			जलस्रोत विभाग				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४४०२, ४७०१, ४७०२, ४७११, ४८०१,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,००,४९,८६,४४,०००	२०,००,०००	१,००,५०,०६,४४,०००
आय-६	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	..	. . .	१,५१,७०,११,०००	१,५१,७०,११,०००
आय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	६७,७९,२५,०००	. . .	६७,७९,२५,०००
			कुल—जलस्रोत विभाग।	..	१,०१,१७,६५,६९,०००	१,५१,९०,११,०००	१,०२,६९,५५,८०,०००

			विधि तथा न्याय विभाग				
जे-४	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४,००,००,०००	. . .	४,००,००,०००
जे-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	२७,००,०१,०००	. . .	२७,००,०१,०००
			कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	३१,००,०१,०००	. . .	३१,००,०१,०००
			उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-९	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५८,	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४८५१,	ग्राम तथा लघुउद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	७,५०,५०,०००	. . .	७,५०,५०,०००
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
के-१०	उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४८७५,	अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१४,३८,००,०००	. . .	४,३८,००,०००
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	४८०१,	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।				
		६८०१,	विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज ।	. .	४,१४,००,०१,०००	. . .	४,१४,००,०१,०००
के-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।		१२,०६,२१,०००	. . .	१२,०६,२१,०००
			कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग ।	. .	४,४७,९४,७२,०००	. . .	४,४७,९४,७२,०००
			ग्रामविकास विभाग				
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४,	सडक तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२८,०९,८४,४१,०००	. . .	२८,०९,८४,४१,०००
		६२१६,	आवास के लिए कर्ज।				
एल-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	१,३१,६०,०००	. . .	१,३१,६०,०००
			कुल—ग्रामविकास विभाग।	. .	२८,११,१६,०१,०००	. . .	२८,११,१६,०१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्त संरक्षण विभाग				
एम-४	खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	६५,३०,२७,७३,०००	. . .	६५,३०,२७,७३,०००
एम-५	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	६,००,००,०००	. . .	६,००,००,०००
एम-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	५,६३,०१,०००	. . .	५,६३,०१,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।	. .	६५,४१,९०,७४,०००	. . .	६५,४१,९०,७४,०००
		सामाजिक, न्याय तथा विशेष सहायता विभाग				
एन-४	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ६२२५, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये कर्ज।	. .	३,३०,३०,०२,०००	. . .	३,३०,३०,०२,०००
एन-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	६२१६, आवास के लिए कर्ज। ७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	३,०२,३०,०००	. . .	३,०२,३०,०००
एन-७	जिला योजनाएँ।	४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	८४,४७,७७,०००	. . .	८४,४७,७७,०००

एन-८	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कर्ज।	६२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	५,४५,९५,०००	...	५,४५,९५,०००
			कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग ।	..	४,२३,२६,०४,०००	...	४,२३,२६,०४,०००

योजना विभाग

ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	७६,४३,७१,४०,०००	...	७६,४३,७१,४०,०००
		५४५२,	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।				
ओ-११	पहाडी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५५१,	पहाडी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	९५,००,००,०००	...	९५,००,००,०००
ओ-१२	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	५४६५,	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	..	५,४८,७९,०००	...	५,४८,७९,०००
ओ-१३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज	..	२,९०,५०,०००	...	२,९०,५०,०००
ओ-१५	जिला योजना—मुंबई शहर।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	४१,६२,७९,०००	...	४१,६२,७९,०००
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
ओ-१७	जिला योजना—मुंबई उपनगर।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	४३,३५,००,०००	...	४३,३५,००,०००
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०५,	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-१९	जिला योजना—ठाणे।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा फूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	८२,९९,९४,०००	...	८२,९९,९४,०००
ओ-२१	जिला योजना—रायगड।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा फूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	५६,०५,२६,०००	...	५६,०५,२६,०००

ओ-२३	जिला योजना—रत्नागिरी।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृद तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	६३,५२,५०,०००	...	६३,५२,५०,०००
ओ-२५	जिला योजना—सिंधुदुर्ग।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लधु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	३३,२४,७१,०००	...	३३,२४,७१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२७	जिला योजना—पुणे।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४११६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।	..	१,०४,८६,४१,०००	...	१,०४,८६,४१,०००
ओ-२९	जिला योजना—सतारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	५१,९८,६६,०००	...	५१,९८,६६,०००

ओ-३१	जिला योजना—सांगली।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	४१,०९,५२,०००
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२१६,	आवास पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०५,	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४,	सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज।		
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		
		६८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।		
ओ-३२	जिला योजना—सोलापुर।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	६८,७९,१३,०००
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०२,	मृदा व जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		
		४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय।		
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।		
		५०५४,	सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।		
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३५	जिला योजना—कोल्हापुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।	..	६०,३४,८८,०००	...	६०,३४,८८,०००
ओ-३७	जिला योजना—नासिक।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	५७,१६,७४,०००	...	५७,१६,७४,०००

ओ-३९	जिला योजना—धुलिया ।		..	३५,८८,७६,०००
		४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीकृत परिव्यय ।	
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		४२१५,	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		४७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		५०५४,	सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज ।	
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।	
ओ-४१	जिला योजना—जलगाँव ।		..	६५,६६,००,०००
		४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		४५१५,	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		४८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीकृत परिव्यय ।	
		५०५४,	सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय ।	
		६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज ।	
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज ।	

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४३	जिला योजना—अहमदनगर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योंगो पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	, ,	९४,५३,२८,०००	. . .	९४,५३,२८,०००
ओ-४५	जिला योजना—नंदुरबार।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।	. .	२४,३५,७२,०००	. . .	२४,३५,७२,०००

ओ-४७	जिला योजना—औरंगाबाद।	४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।	..	८९,५८,००,०००	...	८९,५८,००,०००
ओ-४९	जिला योजना—जालना।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीकृत ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीकृत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	५८,९०,२९,०००	...	५८,९०,२९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५१	जिला योजना–परभणी	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	१४,१४,४२,०००	...	१४,१४,४२,०००
ओ-५३	जिला योजना–नांदेड।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीकृत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीकृत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	५१,२०,०१,०००	...	५१,२०,०१,०००

ओ-५५	जिला योजना—बीड।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	५७,८७,५०,०००	...	५७,८७,५०,०००
ओ-५७	जिला योजना—लातुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	६६,६७,२७,०००	...	६६,६७,२७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-५९	जिला योजना—उस्मानाबाद।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीकृत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	. . .	६२,९६,४६,०००	. . .	६२,९६,४६,०००
ओ-६१	जिला योजना—हिंगोली।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	३९,८२,०२,०००	. . .	३९,८२,०२,०००

ओ-६३	जिला योजना—नागपुर।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		५०५४,	सड़क तथा पूल पर पुंजीगत परिव्यय।	
		६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज।	
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	
		६८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	
		. . .		१,९१,५०,४५,०००
ओ-६५	जिला योजना—वर्धा।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०३,	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।	
		४२१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय।	
		४७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	
		५०५४,	सड़क तथा पूल पर पुंजीगत परिव्यय।	
		६२१७,	नगर विकास के लिए कर्ज।	
		६२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	
		. . .		४२,४८,२५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-६७	जिला योजना—भंडारा।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	. .	३१,५०,०२,०००	. . .	३१,५०,५२,०००
ओ-६९	जिला योजना–चंद्रपुर	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	. .	१,३६,५९,९३,०००	. . .	१,३६,५९,९३,०००

ओ-७१	जिला योजना–गडचिरोली।	४०५९, ४४०२, ४४०६, ४५१५, ५०५४, ६२५०, ६८५१,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय। सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	५३,८१,३९,०००	...	५३,८१,३९,०००
ओ-७३	जिला योजना–गोंदिया।	४०५९, ४२५०, ४४०२, ४४०३, ४४०६, ४५१५, ५०५४, ६२१७, ६२५०, ६८५१,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। नगर विकास के लिए कर्ज। अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	३०,१७,६४,०००	...	३०,१७,६४,०००
ओ-७५	जिला योजना– अमरावती।	४०५९, ४२०२, ४२१०, ४२५०, ४४०२, ४४०३, ४४०५, ४४०६, ४७११, ५०५४, ६२१७, ६२५०, ६८०१, ६८५१,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। नगर विकास के लिए कर्ज। अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज। ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	५९,५८,३५,०००	...	५९,५८,३५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-७७	जिला योजना—अकोला।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	६९,३८,००,०००	...	६९,३८,००,०००
ओ-७९	जिला योजना—यवतमाल।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	६६,९९,२०,०००	...	६६,९९,२०,०००

ओ-८१	जिला योजना—बुलढाणा।	..	८४,७८,७४,०००	८४,७८,७४,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०५, मत्स्यउद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			
ओ-८३	जिला योजना—वाशिम।	..	१९,१४,२८,०००	१९,१४,२८,०००
	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।			
	४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।			
	५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।			
	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।			
	६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।			
	६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-८५	जिला योजना—पालघर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।		३४,७५,४६,०००	....	३४,७५,४६,०००
			कुल—योजना विभाग। ..	९९,३४,४७,६७,०००	....	९९,३४,४७,६७,०००
		संसदीय कार्य विभाग				
पी-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज।	..	२२,००,०००	....	२२,००,०००
			कुल—संसदीय कार्य विभाग । ..	२२,००,०००	....	२२,००,०००
		आवास विभाग				
क्यू-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	५२,००,०००	....	५२,००,०००
			कुल—आवास विभाग । ..	५२,००,०००	....	५२,००,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-३	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	..	७२,२४,००,०००	....	७२,२४,००,०००
आर-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	..	६४,९१,१०,०००	....	६४,९१,१०,०००
			कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग । ..	१,३७,१५,१०,०००	....	१,३७,१५,१०,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ..	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	३,००,७६,८३,०००	....	३,००,७६,८३,०००
एस-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	१०,०३,११,०००	....	१०,०३,११,०००
			कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग । ..	३,१०,७९,९४,०००	....	३,१०,७९,९४,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, ४२०२, ४२१०, ४२२५, ४२५०, ४४०२, ४४०६, ४४२५, ४७०१, ४७०२, ५०५४,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। शिक्षा क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	६,९४,९२,६०,०००	. . . .	६,९४,९२,६०,०००
टी-८	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	१४,४६,४७,०००	. . .	१४,४६,४७,०००
टी-१०	जिला योजनाएँ।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,४४,७२,७६,०००	. . .	३,४४,७२,७६,०००
टी-११	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण।	६२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए ऋण।	. .	२,१७,३६,०००	. . .	२,१७,३६,०००
			कुल—जनजाति विकास विभाग ।	. .	१०,५६,२९,१९,०००	. . .	१०,५६,२९,१९,०००

पर्यावरण विभाग

यु-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	. .	१६,९१,०००	. . .	१६,९१,०००
			कुल—पर्यावरण विभाग ।	. .	१६,९१,०००	. . .	१६,९१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओंपर पूंजीगत परिव्यय।	..	९१,४९,५६,०००	...	९१,४९,५६,०००
वी-४	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	..	...	१९,५७,८८,०००	१९,५७,८८,०००
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	६४२५, सहकारिता के लिए ऋण । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज। ६८६०, उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज। ७४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	२,०३,००,०६,०००	...	२,०३,००,०६,०००
वी-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	१५,५६,०९,०००	...	१५,५६,०९,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग ।	..	३,१०,०५,७१,०००	१९,५७,८८,०००	३,२९,६३,५९,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-८	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१०,२०,००,०००	...	१०,२०,००,०००
डब्ल्यू-९	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	३४,५५,१०,०००	...	३४,५५,१०,०००
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग ।	..	४४,७५,१०,०००	...	४४,७५,१०,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणपर पूंजीगत परिव्यय । ४२३६, पोषण पर पूजीगत परिव्यय ।	..	७,०००	...	७,०००
एक्स-४	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	..	७,९१,३०,०००	...	७,९१,३०,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग ।	..	७,९१,३७,०००	...	७,९१,३७,०००
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग				
वाय-६	आर्थिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए कर्ज।	..	३२,३२,७१,०००	५,००,०००	३२,३७,७१,०००

वाय-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	५,०८,१०,०००	. . . ५,०८,१०,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग ।	. .	३७,४०,८१,०००	५,००,००० ३७,४५,८१,०००
		कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग			
जेड क-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिये कर्ज।	. .	२८,३५,५०,०००	. . . २८,३५,५०,०००
जेड क-४	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. . . १,०००
		कुल—कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग ।	. .	२८,३५,५१,०००	. . . २८,३५,५१,०००
		महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय			
जेड ग-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	८८,३५,०००	. . . ८८,३५,०००
		कुल—महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	. .	८८,३५,०००	. . . ८८,३५,०००
		पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग			
जेड घ-५	कला तथा संस्कृति ।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा सांस्कृतिपर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	६,००,००,०००	. . . ६,००,००,०००
जेड घ-६	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	१,१३,००,०००	. . . १,१३,००,०००
		कुल—पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	७,१३,००,०००	. . . ७,१३,००,०००
		अल्पसंख्यक विकास विभाग			
जेड ङ-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२५,५०,००,०००	. . . २५,५०,००,०००
जेड ङ-३	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	६३,००,०००	. . . ६३,००,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग ।	. .	२६,१३,००,०००	. . . २६,१३,००,०००
		मराठी भाषा विभाग			
जेड च-४	लोकनिर्माण कार्य विभाग पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्य विभाग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	५,००,००,०००	. . . ५,००,००,०००
जेड च-५	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज।	७६१०, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	. .	४७,६१,०००	. . . ४७,६१,०००
		कुल—मराठी भाषा विभाग।	. .	५,४७,६१,०००	. . . ५,४७,६१,०००

अनुसूची— समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		विमुक्त जाति, निरधिसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गो और विशेष पिछड़े वर्गो का कल्याण विभाग				
जेड छ-४	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गो और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।	४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गो और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय ।	१३,००,००,०००	...	१३,००,००,०००
जेड छ-५	आवास के लिए कर्ज	६२१६,	आवास के लिए कर्ज ।	१,३२,०१,०००	...	१,३२,०१,०००
		७६१०,	सरकारी कर्मचारी आदि के लिए कर्ज।			
			कुल—विमुक्त जाति, निरधिसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गो और विशेष पिछड़े वर्गो का कल्याण विभाग ।	१४,३२,०१,०००	...	१४,३२,०१,०००
		मृदा और जल संरक्षण विभाग				
जेड ज-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	४४०२,	मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय ।	२७,२३,३६,०५,०००	...	२७,२३,३६,०५,०००
		४७०२,	लघुसिंचाई पर पूंजीगत व्यय।			
जेड ज-६	राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज	६००३,	राज्य सरकार का आंतरिक कर्ज।	...	६,६६,६७,०००	६,६६,६७,०००
जेड ज-७	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज	७६१०,	सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए कर्ज ।	२,५४,००,०००	...	२,५४,००,०००
			कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग।	२७,२५,९०,०५,०००	६,६६,६७,०००	२७,३२,५६,७२,०००
			कुल—ख–पूंजीगत लेखे पर व्यय।	४,८१,५५,७४,६२,०००	२,६२,१९,९२,६८,०००	७,४३,७५,६७,३०,०००
			कुल योग।	३४,९२,२९,२१,४८,०००	६,६९,७५,५९,१५,०००	४१,६२,०४,८०,६३,०००

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 2019.

THE MAHARASHTRA (SECOND SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 2019.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY FIRST DAY OF MARCH, 2020.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ८ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२० के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढा जाता है, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२० के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए और प्रयोजनों के लिये अधिकतर रकमों के विनियोग के लिये यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाए ; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१९ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के लिये, २ खरब, ४७ अरब, ७७ करोड़ ४९ लाख, ६४ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर दो खरब, सैंतालीस अरब, सतहत्तर करोड़, उनचास लाख, चौंसठ हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०२० के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में, होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेगी।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२० के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी विनियोजन		
				विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय— सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	..	३,०५,३६,००,०००	....	३,०५,३६,००,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ।	२२१६, आवास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ। २२५१, सचिवालय— सामाजिक सेवाएँ।	..	४९,०२,८१,०००	....	४९,०२,८१,०००
ए-६	सूचना तथा प्रचार।	.. २२२०, सूचना तथा प्रचार।	..	१०,००,००,०००	....	१०,००,००,०००
ए-७	सिविल विमानन।	.. ३०५३, सिविल विमानन ।	..	४,८५,००,००,०००	....	४,८५,००,००,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग ।	..	८,४९,३८,८१,०००	....	८,४९,३८,८१,०००
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	२,३१,८६,४६,०००	....	२,३१,८६,४६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क।	२०३९, राज्य उत्पादन शुल्क।	..	५,७४,००,०००	....	५,७४,००,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन।	..	१,२२,३४,३८,०००	....	१,२२,३४,३८,०००
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	..	२,९९,२६,०००	....	२,९९,२६,०००
बी-६	सामान्य सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	..	९०,००,०००	....	९०,००,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ ।	३००१, भारतीय रेल-नीति-निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संगठन। ३०५१, पत्तन तथा दीप गृह।	..	२,००,००,००,०००	....	२,००,००,००,०००
		कुल—गृह विभाग।	..	५,६३,८४,१०,०००	....	५,६३,८४,१०,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	..	७४,५०,०००	....	७४,५०,०००

सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ।	..	६०,००,०००	....	६०,००,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	..	७,७०,१०,०००	....	७,७०,१०,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५५१, पहाडी क्षेत्र।	..	३,२९,४६,२४,०००	....	३,२९,४६,२४,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	..	३,३८,५०,८४,०००	....	३,३८,५०,८४,०००
	कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग					
डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	..	२३,२३,०६,०००	....	२३,२३,०६,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	..	२,१२,२६,०१,०००	....	२,१२,२६,०१,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास।	.. २४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	..	१,४२,५२,१६,०००	....	१,४२,५२,१६,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग।	.. २४०५, मत्स्य उद्योग।		४८,५८,९७,०००	....	४८,५८,९७,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	..	४,२६,६०,२०,०००	....	४,२६,६०,२०,०००
	विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग					
इ-२	सामान्य शिक्षा।	.. २२०२, सामान्य शिक्षा।	..	१,२३,२५,०००	....	१,२३,२५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	..	२४,१३,४४,०००	....	२४,१३,४४,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग।	..	२५,३६,६९,०००	....	२५,३६,६९,०००
		नगर विकास विभाग				
एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल।	..	१,७०,००,००,०००	....	१,७०,००,००,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	..	१,०००	....	१,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	..	१,७०,००,०१,०००	....	१,७०,००,०१,०००
		वित्त विभाग				
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन। ..	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	..	१४,७१,७९,०००	....	१४,७१,७९,०००
जी-७	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ । ..	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्यजीवन।	..	४९,००,०००	....	४९,००,०००
		कुल—वित्त विभाग।	..	१५,२०,७९,०००	....	१५,२०,७९,०००

	विधि तथा न्याय विभाग				
जे-१	न्याय प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन।	२,९३,२८,०००	४,५४,२७,०००	७,४७,५५,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	२,९३,२८,०००	४,५४,२७,०००	७,४७,५५,०००
	उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण।	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	९१,००,०००	....	९१,००,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।	१५,००,२२,४४,०००	....	१५,००,२२,४४,०००
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	२१,५०,००,००,०००	....	२१,५०,००,००,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	३६,५१,१३,४४,०००	....	३६,५१,१३,४४,०००
	ग्राम विकास विभाग				
एल-२	जिला प्रशासन।	२०५३, जिला प्रशासन।	५०,००,००,०००	....	५०,००,००,०००
एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । ३०५४, सड़क तथा पुल।	२२,९०,४२,०७,०००	....	२२,९०,४२,०७,०००
		कुल—ग्राम विकास विभाग।	२३,४०,४२,०७,०००	....	२३,४०,४२,०७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
	खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
एम-२	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम। . .	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	. .	१,११,५५,५२,०००	६१,९७,८८,०००	१,७३,५३,४०,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	१,११,५५,५२,०००	६१,९७,८८,०००	१,७३,५३,४०,०००
	सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग					
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २८०१, विद्युत।	. .	९,५०,२०,००,०००	. . . .	९,५०,२०,००,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	९,५०,२०,००,०००	. . . .	९,५०,२०,००,०००
	योजना विभाग					
ओ-१	जिला प्रशासन। . .	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	१,००,००,००,०००	. . . .	१,००,००,००,०००
ओ-७	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। . .	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	८०,०२,०००	. . . .	८०,०२,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी। . .	३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	. .	४,८२,८५,०००	. . . .	४,८२,८५,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
	२२११, परिवार कल्याण ।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।		
	२२१७, नगर विकास ।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों का कल्याण ।		
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।		
	२२३६, पोषण ।		
	२४०३, पशुपालन ।		
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।		
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
	२४२५, सहकारिता ।		
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
	२७०२, लघु सिंचाई ।		
	२८०१, विद्युत ।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
	३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ।		
	३०५४, सड़क तथा पुल ।		
	३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन ।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
	३४५२, पर्यटन ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		
ओ-२४	जिला योजना - सिंधुदुर्ग ।	..	२,००० ... २,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२६	जिला योजना - पुणे।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	१,०००	...	१,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
	२२११, परिवार कल्याण ।			
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
	२२१७, नगर विकास ।			
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
	२२३६, पोषण ।			
ओ-३२	जिला योजना—सोलापुर ।	..	६,०००	६,०००
	२४०३, पशुपालन ।			
	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।			
	२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
	२४२५, सहकारिता ।			
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
	२७०२, लघु सिंचाई ।			
	२८०१, विद्युत ।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।			
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
	३०५४, सड़क तथा पुल ।			
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३८	जिला योजना -धुलिया।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	१,०००	...	१,०००

ओ-४४ जिला योजना -नंदुरबार।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,०००	. . .	१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-४६	जिला योजना -औरंगाबाद।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	१८,०००	...	१८,०००

	२२०२, सामान्य शिक्षा ।		
	२२०३, तकनीकी शिक्षा ।		
	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।		
	२२०५, कला तथा संस्कृति ।		
	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।		
	२२११, परिवार कल्याण ।		
	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।		
	२२१७, नगरविकास ।		
	२२२०, सूचना तथा प्रचार ।		
	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों का कल्याण ।	..	३,०००
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।		
	२२३६, पोषण ।		
	२४०१, कृषि कर्म ।		
	२४०३, पशुपालन ।		
ओ-५६ जिला योजना-लातुर ।	२४०५, मत्स्य उद्योग ।	३,०००	३,०००
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।		
	२४२५, सहकारिता ।		
	२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।		
	२७०२, लघु सिंचाई ।		
	२८०१, विद्युत ।		
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।		
	३०५४, सड़क तथा पुल ।		
	३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।		
	३४५२, पर्यटन ।		
	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।		

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-६२	जिला योजना -नागपुर।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	२,०००	...	२,०००

		२२०२, सामान्य शिक्षा ।			
		२२०३, तकनीकी शिक्षा ।			
		२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ ।			
		२२०५, कला तथा संस्कृति ।			
		२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।			
		२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता ।			
		२२१७, नगरविकास ।			
		२२२०, सूचना तथा प्रचार ।			
		२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
		२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
		२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
		२२३६, पोषण ।			
		२४०३, पशुपालन ।			
ओ-६८	जिला योजना -चंद्रपुर ।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास ।	..	१,०००	१,०००
		२४०५, मत्स्य उद्योग ।			
		२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।			
		२४२५, सहकारिता ।			
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।			
		२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।			
		२७०२, लघु सिंचाई ।			
		२८०१, विद्युत ।			
		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।			
		३०५४, सड़क तथा पुल ।			
		३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।			
		३४५२, पर्यटन ।			
		३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-८२	जिला योजना -वाशिम।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	..	७,०००	...	७,०००
		कुल—योजना विभाग।	..	१,०५,६३,२९,०००	....	१,०५,६३,२९,०००

लोकस्वास्थ्य विभाग

आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	६,६०,९९,००,०००	....	६,६०,९९,००,०००
		कुल–लोकस्वास्थ्य विभाग।	..	६,६०,९९,००,०००	....	६,६०,९९,००,०००

चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग

एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	.. २२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	..	१९,७१,०७,०००	...	१९,७१,०७,०००
			कुल–चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	..	१९,७१,०७,०००	....	१९,७१,०७,०००

जनजाति विकास विभाग

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०३, पशुपालन । २४०६, वन तथा वन्यजीवन । २४२५, सहकारिता । २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।	..	१,१५,७६,६५,०००	....	१,१५,७६,६५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५२, उद्योग । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३०५५, सड़क परिवहन।				
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	..	१,१५,७६,६५,०००	....	१,१५,७६,६५,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-२	सहकारिता।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय–आर्थिक सेवाएँ। ३४५६, सिविल अपूर्ति।	..	३५,०८,७१,८८,०००	....	३५,०८,७१,८८,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	..	३५,०८,७१,८८,०००	....	३५,०८,७१,८८,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	.. २२०२, सामान्य शिक्षा।	..	२५,००,०१,०००	...	२५,००,०१,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	.. २२०३, तकनीकी शिक्षा।	..	५०,००,००,०००	२,४६,३४,०००	५२,४६,३४,०००

डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।	२२०५,	कला तथा संस्कृति।	..	६,४०,००,०००	... ६,४०,००,०००
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राजस्व परिव्यय।	२२०३,	तकनीकी शिक्षा।	..	३२,२८,१५,०००	... ३२,२८,१५,०००
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
			कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	..	१,१३,६८,१६,०००	२,४६,३४,००० १,१६,१४,५०,०००

महिला तथा बाल विकास विभाग

एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	१२,०२,२७,०९,०००	... १२,०२,२७,०९,०००
		२२३६,	पोषण।			
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
			कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।	..	१२,०२,२७,०९,०००	... १२,०२,२७,०९,०००

कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग

जेड-क-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०३,	तकनीकी शिक्षा।	..	२,५१,२६,३७,०००	... २,५१,२६,३७,०००
		२२३०,	श्रम तथा नियोजन।			
		२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।			
		२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।			
		२४०६,	वन तथा वन्य जीवन।			
			कुल— कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।	..	२,५१,२६,३७,०००	... २,५१,२६,३७,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	..	३,८६,७०,०००	... ३,८६,७०,०००
			कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।	..	३,८६,७०,०००	... ३,८६,७०,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-१	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०७०,	अन्य प्रशासकीय सेवाएँ ।	..	१२,००,०००	... १२,००,०००
		२२२०,	सूचना तथा प्रचार ।			
		२२५१,	सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ ।			

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति । २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	. .	५१,००,२७,०००	. . .	५१,००,२७,०००
जेड घ-४	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	३४५२, पर्यटन	. .	७६,०५,००,०००	. . .	७६,०५,००,०००
		कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	१,२७,१७,२७,०००	. . .	१,२७,१७,२७,०००
		अल्पसंख्यांक विकास विभाग				
जेडङ-१	अल्पसंख्यांक विकास।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०५३, जिला प्रशासन । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीव।	. .	५०,००,००,०००	. . .	५०,००,००,०००
		कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग।	. .	५०,००,००,०००	. . .	५०,००,००,०००
		मराठी भाषा विभाग				
जेड च-२	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति ।	. .	१,००,००,०००	. . .	१,००,००,०००
		कुल— मराठी भाषा विभाग।	. .	१,००,००,०००	. . .	१,००,००,०००
		विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गोंका कल्याण विभाग।				
जेड छ-३	विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और अल्पसंख्यांकों का कल्याण। २२३५ सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	६,०२,००,००,०००	. . .	६,०२,००,००,०००
		कुल— विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गोंका कल्याण विभाग।	. .	६,०२,००,००,०००	. . .	६,०२,००,००,०००

		मृदा तथा जल संरक्षण विभाग				
जेड ज-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१,	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।		१,६२,००,०००	. . .	१,६२,००,०००
			कुल— मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।	. .	१,६२,००,०००	. . .	१,६२,००,०००
			कुल —— क-राजस्व लेखे पर व्यय।	. .	१,६२,०८,८५,२३,०००	६८,९८,४९,०००	१,६२,७७,८३,७२,०००
		ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय					
		गृह विभाग					
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५,	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय।		३,५७,४२,१६,०००	. . .	३,५७,४२,१६,०००
		४०७०,	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५००२,	भारतीय रेल (वाणिज्यिक लाईन) पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५५,	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।				
			कुल——गृह विभाग।	. .	३,५७,४२,१६,०००	. . .	३,५७,४२,१६,०००
		राजस्व तथा वन विभाग					
सी-९	अन्य प्रशासनिक तथा सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।		१,००,००,००,०००	१०,३९,८०,०००	१,१०,३९,८०,०००
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .			
		६२४५,	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत के लिए कर्ज।				
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६,	वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।		४,६१,३८,११,०००	. . .	४,६१,३८,११,०००
		४४१५,	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०१,	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	. .			
		५४७५,	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		६४०१,	कृषि कर्म के लिए कर्ज।				
			कुल— राजस्व तथा वन विभाग।	. .	५,६१,३८,११,०००	१०,३९,८०,०००	५,७१,७७,९१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग				
डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०५, मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज।	. .	१,१०,०१,००,०००	. . .	१,१०,०१,००,०००
		कुल— कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	१,१०,०१,००,०००	. . .	१,१०,०१,००,०००
		विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा़ विभाग				
ई-४	शिक्षा, क्रीडा़, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीडा़, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,००,००,००,०००	. . .	१,००,००,००,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा़ विभाग	. .	१,००,००,००,०००	. . .	१,००,००,००,०००
		नगरविकास विभाग				
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगरविकास पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	१६,१९,५७,००,०००	. . .	१६,१९,५७,००,०००
एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज ।	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज ।	. .	४,१६,००,००,०००	. . .	४,१६,००,००,०००
		कुल—नगर विकास विभाग ।	. .	२०,३५,५७,००,०००	. . .	२०,३५,५७,००,०००
		लोक निर्माण कार्य विभाग				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२०,००,००,०२,०००	. . .	२०,००,००,०२,०००

एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९,	लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	६७,४२,३३,०००	...	६७,४२,३३,०००
		४२०२,	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२१७,	नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०५,	मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
			कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	..	२०,६७,४२,३५,०००	...	२०,६७,४२,३५,०००
			जलस्रोत विभाग				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	२०,३७,८६,२०,०००	...	२०,३७,८६,२०,०००
		४७०१,	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४८०१,	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
			कुल—जलस्रोत विभाग।	..	२०,३७,८६,२०,०००	...	२०,३७,८६,२०,०००
			योजना विभाग				
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय ।	४५१५,	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	..	४,५२,३७,१३,०००	...	४,५२,३७,१३,०००
		५४५२,	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
ओ-३३	जिला योजना—सोलापुर।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल सरंक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमोंपर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।	..	३,०००	...	३,०००
ओ-४७	जिला योजना—औरंगाबाद।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिये कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग के लिए कर्ज।	..	९,०००	...	९,०००

ओ-८३	जिला योजना—वासिम।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	..	४,०००	...	४,०००
		कुल—योजना विभाग।	..	४,५२,३७,२९,०००	...	४,५२,३७,२९,०००
		संसदीय कार्य विभाग				
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय । ..	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।	..	३,९४,४०,००,०००	...	३,९४,४०,००,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग ।	..	३,९४,४०,००,०००	...	३,९४,४०,००,०००
		जनजाति विकास विभाग				
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बडी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,०००	...	१,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग ।	..	१,०००	...	१,०००

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,००,००,००,०००	. . .	३,००,००,००,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग ।	. .	३,००,००,००,०००	. . .	३,००,००,००,०००
		विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग				
जेड छ-४	अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और अल्पसंख्यांक के कल्याण पर पूंजीगत व्यय ।	४२२५, अनुसुचित जाति, अनुसुचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यांक के कल्याण पर पूंजीगत व्यय ।	. .	४४,३२,००,०००	. . .	४४,३२,००,०००
		कुल—विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों और विशेष पिछडे वर्गो का कल्याण विभाग ।	. .	४४,३२,००,०००	. . .	४४,३२,००,०००
		मृदा और जल संरक्षण विभाग				
जेड ज-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	४४०२, मृदा और जल संरक्षण पर पूंजीगत व्यय । ४७०२, लघुसिंचाई पर पूंजीगत व्यय।	. .	२८,५०,००,०००	. . .	२८,५०,००,०००
		कुल—मृदा और जल संरक्षण विभाग।	. .	२८,५०,००,०००	. . .	२८,५०,००,०००
		कुल—ख–पूंजीगत लेखे पर व्यय।	. .	८४,८९,२६,१२,०००	१०,३९,८०,०००	८४,९९,६५,९२,०००
		कुल योग।	. .	२,४६,९८,११,३५,०००	७९,३८,२९,०००	२,४७,७७,४९,६४,०००

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

MAHARASHTRA ACT No. X OF 2019.

THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. X OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ८ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंड़ल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१९, ५ मार्च २०१९ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् २०१७ का महा. ६।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ४।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

(२) यह ५ मार्च २०१९ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् २०१७ का महा. ६ की अनुसूची में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ की **अनुसूची** के, **भाग एक** की, प्रविष्टी १० के, स्तंभ (१) में, " सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर " शब्दों के स्थान में, " पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर " शब्द रखे जायेंगे। सन् २०१७ का महा. ६।

सन् २०१९ का महा. अध्या क्र. ४ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गयी या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जायेगी। सन् २०१७ का महा. ४।

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XI OF 2019.

THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL UNIVERSITIES (KRISHI VIDYAPEETHS) AND THE MAHARASHTRA ANIMAL AND FISHERY SCIENCES UNIVERSITY (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XI OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL UNIVERSITIES (KRISHI VIDYAPEETHS) ACT, 1983 AND THE MAHARASHTRA ANIMAL AND FISHERY SCIENCES UNIVERSITY ACT, 1998.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ८ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ और महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९८३ का महा. ४१।

सन् १९९८ का महा. १७।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्रमांक १४।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ और महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) और महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश २०१९, १३ जून, २०१९ को प्रख्यापित किया गया था ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) और महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह १३ जून, २०१९ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ में संशोधन।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा ९ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ (जिसे इसमें आगे " कृषि विद्यापीठ अधिनियम " कहा गया है) की धारा ९ के, प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा और १७ नवम्बर, २००० से प्रभावी रूप से जोड़ा गया है ऐसा समझा जायेगा, अर्थात् :- सन् १९८३ का महा. ४१ ।

" परंतु आगे यह कि, महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ की धारा ९ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली मत्स्योद्योग विज्ञान में उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों या अन्य अकादमिक विशिष्टियाँ प्रदान करने के लिए भी सक्षम होगा ।"। सन् १९९८ का महा. १७।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा १२ में संशोधन।

३. कृषि विद्यापीठ अधिनियम की धारा १२, की, उप-धारा (३) के, खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्न खंड, निविष्ट किया जायेगा और १७ नवम्बर, २००० से प्रभावी रूप से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-१) डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ के क्रियाकलापों में प्रभावी समन्वयन प्राप्त करने और यथोचित मार्गदर्शन तथा निदेशन देने की दृष्टि से, मत्स्योद्योग विज्ञान में शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और मत्स्योद्योग विज्ञान में विस्तार शिक्षण कार्यक्रम से संबंधित उस विद्यापीठ द्वारा किए गए कार्य का समय समय पर पुनर्विलोकन करना ;"।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा ४५ में संशोधन।

४. कृषि विद्यापीठ अधिनियम की धारा ४५, की उप-धारा (१) में निम्न परन्तुक, निविष्ट किया जायेगा और १७ नवम्बर, २००० से प्रभावी रूप से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

परंतु, इस अधिनियम में या महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन गठित डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली मत्स्योद्योग विज्ञान में एक या अधिक महाविद्यालयों की स्थापना करने के लिए सक्षम होगा ।"। सन् १९९८ का महा. १७।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा ८ क में संशोधन।

५. कृषि विद्यापीठ अधिनियम की धारा ५० के पश्चात्, निम्न अध्याय, निविष्ट किया जायेगा और १७ नवम्बर, २००० से प्रभावी रूप से निविष्ट किया गया है ऐसा समझा जायेगा, अर्थात् :—

"अध्याय आठ क

कतिपय महाविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं, प्रशिक्षण केंद्रों और पशु प्रजनन फार्म, आदि के संबंध में विशेष उपबंध।

सन् १९९८ का महा. १७ ।

कतिपय महाविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों आदि के संबंध में विशेष उपबंध।

५०क. महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ की धारा ६२ के खण्ड (ख) में और उसकी प्रथम अनुसूची में या किसी अधिसूचना, दस्तावेज या विलेख के प्रतिकूल में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, १७ नवम्बर २००० पर या से नीचे विनिर्दिष्ट महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त संस्थाएँ, अनुसंधान केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र और फार्म **डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ** के, घटक महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त संस्थाएँ, अनुसंधान केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र और फार्म होंगे, अर्थात् :-

(क) महाविद्यालय

(१) मत्स्योद्योग विज्ञान महाविद्यालय, शिरगाँव।

(ख) अनुसंधान केंद्र/संस्थाएँ

(१) तारापोरवाला और समुद्री जैववैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, मुंबई।

(२) समुद्री जैववैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, रत्नागिरी।

(३) खारभूमि अनुसंधान केंद्र, पनवेल।

(४) चारा अनुसंधान केंद्र, पालघर।

(ग) प्रशिक्षण केंद्र

(१) पशुधन पर्यवेक्षण प्रशिक्षण केंद्र, लांजा।

(घ) पशु प्रजनन फार्म

(१) पशु प्रजनन फार्म कुडाल, जिला-सिंधुदुर्ग।"।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में संशोधन।

सन् १९९८ का महा. १७ ।

सन् १९९८ का महा. १७ की धारा ९ में संशोधन।

६. महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ (जिसे इसमें आगे " पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम " कहा गया है) की धारा ९ में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा और १७ नवम्बर, २००० से जोडा गया समझा जायेगा, अर्थात् :-

" परंतु, इस अधिनियम की इस धारा में या किसी अन्य उपबंधों में की कोई बात, **डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ,** दापोली को लागू नहीं होगी; और वह विश्वविद्यालय मत्स्योद्योग विज्ञान में कोई उपाधि, डिप्लोमा प्रमाणपत्र या कोई अन्य अकादमिक पुरस्कार प्रदान करने के लिए सक्षम होगा।"।

सन् १९९८ का महा. १७ की द्वितीय अनुसूची का अपमार्जन और व्यावृत्ति।

७. (१) महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम की द्वितीय अनुसूची अपमार्जित की जायेगी।

सन् १९८३ का महा. ४१ ।

(२) द्वितीय अनुसूची का अपमार्जन, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ की उक्त अनुसूची द्वारा किए गए संशोधन को प्रभावित नहीं करेगा।

अध्याय चार

विविध

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति।

८. महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय **(कृषि विद्यापीठ)** अधिनियम, १९८३ और महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में या किसी विधि, नियम, दस्तावेज या विलेख के प्रतिकूल में, या किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, या आदेश या निदेशन में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,- सन् १९८३ का महा. ४१। सन् १९९८ का महा. १७।

(क) मत्स्योद्योग महाविद्यालय, शिरगांव, रत्नागिरी यह **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ,** दापोली का घटक महाविद्यालय है ऐसा समझा जायेगा ;

(ख) कृषि, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास और मत्स्योद्योग विभाग द्वारा सरकारी अधिसूचना क्रमांक पीएएसएएमपीआरए-३५००/सीआर-१३५/एडीएफ-१, दिनांकित १७ नवम्बर, २००० द्वारा अपमार्जित मत्स्यो महाविद्यालय, शिरगाँव ; तारापोरवाला समुद्री जैविक अनुसंधान केन्द्र, मुंबई ; समुद्री जैविक अनुसंधान केन्द्र, रत्नागिरी ; चारा अनुसंधान केंद्र, पालघर ; खारभूमि अनुसंधान केन्द्र, पनवेल ; पशुधन पर्यवेक्षण प्रशिक्षण केंद्र, लांजा और पशु प्रजनन फार्म, कुड़ाल (जिल्हा सिंधुदुर्ग) (जिसे इसमें आगे, "उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाएँ और प्रशिक्षण केंद्र" कहा गया है), **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापिठ** के, घटक महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाएँ या, यथास्थिति, प्रशिक्षण केंद्र है ऐसा समझा जाएगा ;

(ग) कोई छात्र जो इस अधिनियम के प्रवर्तमान होने के दिनांक के तत्काल पूर्व उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाएँ और प्रशिक्षण केंद्र में, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अकादमिक पुरस्कार आदि, के लिए अध्ययन कर रहे थे वह **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ** के अधीन उनका अध्ययन निरंतर जारी रहेगा ;

(घ) इस अधिनियम के प्रवर्तमान होने के पूर्व, किसी विषय या पाठ्यक्रम, या कार्यक्रम के लिए, उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र के छात्र के रूप में रजिस्ट्रीकृत सभी छात्र **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ** से रजिस्ट्रीकृत किये गये समझे जायेंगे ;

(ङ) जहाँ उक्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कोई परीक्षा आयोजित की गई है, परन्तु उपाधि या अन्य अकादमिक पुरस्कार प्रदान नहीं किये गये हैं या जारी नहीं किये गये हैं या किसी ऐसी परीक्षा का परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया है, तो ऐसी परीक्षा **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ** द्वारा आयोजित की गई है ऐसा समझा जायेगा और वह **कृषि विद्यापीठ** कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अकादमिक पुरस्कार आदि, प्रदान करने या जारी करने और ऐसी परीक्षा का परिणाम घोषित करने के लिए सक्षम होगा ;

(च) इस अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ** या उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किन्ही छात्रों को, मत्स्य विज्ञान में, कोई उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, अकादमिक पुरस्कार आदि प्रदत्त या प्रदान किये गये हैं तो वह **डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ** के अधीन प्रदत्त या प्रदान किये गये समझे जायेंगे ;

(छ) इस अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व, उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा स्वीकृत या प्राप्त सभी उपकृतियाँ, पुरस्कारों, प्रमाणपत्रों को **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ** द्वारा स्वीकृत या प्राप्त की गई है ऐसा समझा जायेगा ;

(ज) इस अधिनियम के प्रवर्तमान के पूर्व, उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र की प्राप्त चल या अचल सभी सम्पत्ति या सभी अधिकारों (रजिस्ट्रीकृत या प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों समेत) चाहे किसी प्रकार का ब्याज, शक्तियाँ और विशेषाधिकार उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रो, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र से प्राप्त या रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं ऐसा समझा जायेगा ;

(झ) इस अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र के पक्ष में बनाए गए सभी वसीयत, विलेख या अन्य दस्तावेज (अनुसंधान रिपोर्ट समेत) जिसमें कोई वसीयत, बक्षिस, निबंधन और न्यास अंतर्विष्ट है, वह उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र से बनाया गया समझा जाएगा ;

(ञ) इस अधिनियम के प्रवर्तमान होने के दिनांक के पूर्व, उक्त अधिनियम महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और, प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत और उपगत कोई अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यता या दायित्व **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ** द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत और उपगत अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व है ऐसा समझा जायेगा ;

(ट) 'मत्स्य विज्ञान' विषय से संबंधित **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठों** के प्राधिकरणों या निकायों द्वारा पारित सभी संकल्प इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (**कृषि विद्यापीठ**) अधिनियम, १९८३ के उपबंधों के अनुसरण में, **कृषि विद्यापीठ** द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है ऐसा समझा जायेगा ; सन् १९८३ का महा. ४१।

(ठ) **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ** द्वारा बनाए गए और उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, संस्थाएँ और प्रशिक्षण केंद्रों को लागू सभी नियम, विनियमन या परिनियम, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (**कृषि विद्यापीठ**) अधिनियम, १९८३ के उपबंधों के अनुसरण में, उस कृषि विद्यापीठ द्वारा बनाए गए हैं ऐसा समझा जायेगा ; सन् १९८३ का महा. ४१।

(ड) उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र के अधीन नियुक्त सभी अकादमिक, गैरअकादमिक कर्मचारीवृंद सदस्य **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ** द्वारा नियुक्त किये गये हैं ऐसा समझा जायेगा और उस **कृषि विद्यापीठों** के अधीन कार्य में बना रहेगा ;

(ढ) इस अधिनियम के प्रवर्तमान के पूर्व, उक्त महाविद्यालय, अनुसंधान केंद्रों, संस्थाओं और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा या के विरुद्ध में कोई विधिक वाद, अपील या चाहे किसी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया हो, किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष विलंबित है तो वह **डा. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ** द्वारा या के विरुद्ध में विलंबित है ऐसा समझा जायेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में, यदि कोइ कठिनाई उद्भूत होती है, तो राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत ऐसी कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतित हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसान पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्रमांक १४ का निरसन और व्यावृत्ति.

१०. (१) महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (**कृषि विद्यापीठ**) और महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१९ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. १४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ और महाराष्ट्र पशु और मत्स्योद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी। सन् १९८३ का महा. ४१। सन १९९८ का महा. १७।

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XII OF 2019.

THE SRI BALAJI UNIVERSITY, PUNE
ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XII OF 2019.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE SRI BALAJI UNIVERSITY, PUNE FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १२ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ८ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य में उच्चतर शिक्षा, के विकास और उन्नति के लिए श्री. बालाजी विश्वविद्यालय, पूणे की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए श्री. बालाजी विश्वविद्यालय, पूणे विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम श्री. बालाजी विश्वविद्यालय, पूणे अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " अनुबद्ध प्राध्यापक, अनुबद्ध सहयुक्त प्राध्यापक या अनुबद्ध सहायक प्राध्यापक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो इस प्रकार पदाभिहित किये जाने के दौरान विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त से है ;

(ख) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(ग) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंधमंडल बोर्ड से है ;

(घ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन यह स्थापित किया गया है ;

(ङ) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिको के सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, उद्योग से सहयोग में स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र या उद्योग या समाज के लाभ के लिये और संयुक्त परियोजनायें हाथ में लेने के लिये स्थापित से है ;

(च) " दूरस्थ शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(छ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ज) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ट) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(ठ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ड़) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(ढ) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ण) " अध्यक्ष या कुलाधिपति " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है ;

(त) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों, विनियमों या, यथास्थिति, नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(थ) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(द) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ध) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(न) " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, श्री. बालाजी संस्था यह संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत और महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन लोक न्यास होगी, जिसका डी. एस. पार्क ४८/२, १६/बी, मोहनवाडी, येरवडा, पुणे ४११ ००६ में रजिस्ट्रीकृत पता होगा। सन् १८६० का २१ । सन् १९५० का २१ ।

(प) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(फ) " परिनियम ", " आर्डिनन्सो " तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(ब) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(भ) " अध्ययन केन्द्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिये या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य किसी सहायता देने के लिये स्थापित और घोषित या मान्यता प्राप्त केन्द्र से है ;

(म) " अध्यापक " का तात्पर्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सहयुक्त प्राध्यापक या अन्य कोई व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(य) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, श्री. बालाजी विश्वविद्यालय, पूणे से है।

निगमन।

३. (१) श्री. बालाजी विश्वविद्यालय, पूणे के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर रहेंगे या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी, एतदद्वारा, " श्री. बालाजी विश्वविद्यालय, पूणे " के नाम द्वारा निगमित निकाय गठित और घोषित होंगे " ।

(३) विश्वविद्यालय का, शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय और उसका मुख्यालय श्री. बालाजी विश्वविद्यालय, सर्वे क्रमांक ५५/२-७, मुंबई-बेंगलोर बायपास, ताथवडे, तालुका मुएसी, पूणे ४११ ०३३, महाराष्ट्र में स्थित होगा ।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्न नुसार होंगे,—

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास और अनुसंधान और विकास जिसमें लिबरल आर्ट, मानविकी सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो–विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं, जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य, अनुप्रयुक्त तथा रचानात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन के लिए सर्जनात्मकता, नविनता और उद्योग उपक्रम के नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना ;

(च) शिक्षा, तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए उत्कर्ष केंद्रो की निर्मिति करना तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए ;

(झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वीं सदी के लिए व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक–आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करना ;

(ञ) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठनों तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध करना ;

(ट) नवप्रवर्तक दृष्टिकोण के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा, और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोण को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधिन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद, या, यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना। सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमें ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित तथा धारण करना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछडे स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्ते और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध करना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के अध्यापक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार, व्यतिकारी के आधार पर देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए निदेशों के अनुसार केवल राज्य के भीतर महाविद्यालयों, संस्थाओं और परिसर मुक्त केंद्रों कों स्थापित करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस और अनुदान प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय पर फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों और अन्य वास-सुविधाओं को छात्रों के आवास के लिए मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और किसी ऐसी मान्यता वापिस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा वह आवश्यक समझे ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(उनतीस) देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पायी जाए, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विनिर्दिष्ट की जाए, सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्ही विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तेंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जिसे विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ;

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक, सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोष जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे नागरिकों के वर्गों (एसइबीसी) और आर्थिक कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय के लिए, " विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम दस करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रुप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रीत्या समपहृत करने की शक्ति होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होता है तब तक, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि भुनाने का अधिकार होगा।

साधारण निधि।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श तथा अन्य कार्य से प्राप्त कोई राशि ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान, तथा ;

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

सामान्य निधि का उपयोग।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

११. विश्वविद्यालय के, निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मापदण्ड जैसा कि, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मांगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) इस अधिनियम की धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्यक्ष को हटाना।

१३. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड देता है या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन पुनर्पाठ्यक्रम लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति।

१४. (१) कुलपति, शासी निकाय द्वारा गठित किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल से परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसे विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होंगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, ऑर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित

प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(७) यदि किसी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करें और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष।

१५. (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सौंपी जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

रजिस्ट्रार।

१६. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रमुख अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षाओं के संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर, पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

(च) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंध मंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ;

(छ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ।

(२) कुलपति, प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, ''परीक्षाओं की अनुसूची'' की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्भण के बारे में दी गई ब्योरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(ख) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक	. .	सदस्य ;
(ग) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	. .	सदस्य ;
(घ) परीक्षा नियंत्रक	. .	सदस्य सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए।

अन्य प्राधिकरण।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ।

निरर्हता।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(दो) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है ; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुडा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुडे होने या बढावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, यथासंभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ति को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति जिस शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रूप में पद धारण करेगा।

समितियाँ।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारी ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें ऐसी समितियाँ गठित करेंगे।

(२) ऐसी समितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रथम परिनियम।

३०. (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत कियें जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाली फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियमों का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महीने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, और उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा।

पश्चात्वर्ती परिनियम।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगें, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग का उत्सादन या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(च) पदों कें उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामलें है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाया जायेंगे।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधमंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी प्रतिष्ठा, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियमों या परिनियम के किसी संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, विद्या परिषद से परामर्श के बिना, विद्यार्थियों के अनुशासन और शिक्षा का स्तरमान, शिक्षा तथा परीक्षा पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

प्रथम ऑर्डीनेन्स।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम ऑर्डिनेन्स, शासी निकाय द्वारा बनाए जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) कार्यालय की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय के कर्तव्य, परीक्षकों तथा अनुसीमकों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फ़ीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

पश्चातवर्ती ऑर्डिनेन्स।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से, अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।

विनियम।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे।

प्रवेश।

३५. (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश, गुणागुण के आधार पर कडाई से किये जायेंगे।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े प्रवर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्गों (एसईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) तथा विकलांग छात्रों से संबंध रखनेवाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी ।

(४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए चालीस प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखीं जायेगी।

फ़ीस निर्धारण समिति।

३६. (१) विश्वविद्यालय, की फ़ीस संरचना नियत करने के लिए फ़ीस निर्धारण समिति होगी।

(२) समिति की संरचना, उसका अवधि और उसके सदस्य, उसकी यंत्रणा और फ़ीस निर्धारण समिति द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया ऐसी होंगी जिसे राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया जा सके :

परंतु, प्रत्येक ऐसी अधिसूचना, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।

(३) फ़ीस निर्धारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते और मानदेय, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे होंगे, जिसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध ।

३७. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फ़ीस, विश्वविद्यालय द्वारा या कि और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी, संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, प्रबंधनमंडल नगद या उसी प्रकार में विहित रीत्या विन्यास निधि, परोपकारी व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधनमंडल ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी। जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फ़ीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे।

सन् १९८८ का महा. ६।

परीक्षाओं की समय-सारणी।

३८. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलेंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र, सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।

परिणामों की घोषणा ।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा परीक्षा के अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा :

परंतु यदि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने, धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होगी।

दीक्षांत समारोह ।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रित्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।

४१. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (नॅक), बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को नॅक द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकती है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी।

वार्षिक रिपोर्ट।

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधनमंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा ।

४४. (१) प्रबंधनमंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसका अनुपालन सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, प्रायोजक निकाय में निहित होंगे :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पंद्रह वर्ष पहले प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी ।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम, की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्‌भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओ नोटीस जारी करेगा कि क्यों न उसके समापन का आदेश दिया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जवाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश दे सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उस पर रिपोर्ट बनायेगी।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५।

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा। सन् १९७४ का २ ।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों के आशंकाओं से वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के समापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किए गए प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंधमंडल बोर्ड की सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंधन तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है।

(८) उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

सचिव समिति।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों की आवश्यकताओं के अनुपालन के सत्यापन और सुनिश्चिति करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी। समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और योजना विभाग के प्रभारी सचिवों से मिलकर बनेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् ही केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

सचिव स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण ।

४९. इस अधिनियम की धारा ४८ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति, जब-जब सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो, विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगी और स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुपालन की जाँच और सुनिश्चित किया जा सके।

शास्ति ।

५०. इस अधिनियम के किन्ही उपबधों का उल्लंघन, यह अपराध होगा और धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी तीन महिने से अनधिक परंतु एक वर्ष से बढाई न जा सकनेवाले अवधि के लिए कारावास और पचास हजार रुपयों से अनधिक परंतु जो पाँच लाख रुपयों तक बढाए जा सकनेवाले जुर्माने से दण्डित होंगे :

परंतु, इस धारा में की कोई बात, इस अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए विश्वविद्यालय के परिसमापन की प्रक्रिया समेत, कोई कार्यवाही चाहे वह सिविल या दाण्डिक हो प्रारंभ करने से सरकार को रोकने के लिए नहीं बनाई गई है ।

नियम बनाने की शक्ति ।

५१. (१) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ;

(ख) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति ।

५२. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

मुंबई,
दिनांकित २०१९।

(यथार्थ अनुवाद)

नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIII OF 2019.

THE RAMDEOBABA UNIVERSITY, NAGPUR ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ५ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIII OF 2019.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE RAMDEOBABA UNIVERSITY, NAGPUR FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ८ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए रामदेवबाबा विश्वविद्यालय, नागपुर की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी विधेयक ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए रामदेवबाबा विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम रामदेवबाबा विश्वविद्यालय, नागपुर अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " अनुबद्ध प्राध्यापक, अनुबद्ध सहयुक्त प्राध्यापक या अनुबद्ध सहायक प्राध्यापक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो इस प्रकार पदाभिहित किये जाने के दौरान विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त से है ;

(ख) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(ग) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंधमंडल बोर्ड से है ;

(घ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन यह स्थापित किया गया है ;

(ङ) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिकों की सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, उद्योग से सहयोग में स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र या उद्योग या समाज के लाभ के लिये और संयुक्त परियोजना हाथ लेने के लिये स्थापित से है;

(च) " दूरस्थ शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(छ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ज) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ट) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(ठ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ड़) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(ढ) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ण) " अध्यक्ष या कुलाधिपति " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है ;

(त) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों, विनियमों या, यथास्थिति, नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(थ) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(द) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ध) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(न) " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन लोक न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत श्री. रामदेवबाबा सार्वजनिक समिति, नागपुर न्यास होगा, उसका श्री. रामदेवबाबा, कमला नेहरू अभियांत्रिकी महाविद्यालय, प्रशासकीय भवन, रामदेव टेकडी, काटोल रोड, नागपुर में रजिस्ट्रीकृत पता होगा, से है । सन् १९५० का २९ ।

(प) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(फ) " परिनियम ", " आर्डिनन्सो " तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(ब) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(भ) " अध्ययन केन्द्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिये या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य किसी सहायता देने के लिये स्थापित और घोषित या मान्यता प्राप्त केन्द्र से है ;

(म) " अध्यापक " का तात्पर्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सहयुक्त प्राध्यापक या अन्य कोई व्यक्ति जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(य) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, रामदेवबाबा विश्वविद्यालय, नागपुर से है।

निगमन।

३. (१) रामदेवबाबा विश्वविद्यालय, नागपुर के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर रहेंगे या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी, एतदद्वारा, " रामदेवबाबा विश्वविद्यालय, नागपुर " के नाम द्वारा निगमित निकाय गठित किया जायेगा और घोषित होंगा " ।

(३) विश्वविद्यालय का, शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय और उसका मुख्यालय रामदेवबाबा विश्वविद्यालय, रामदेव टेकडी, काटोल रोड, नागपुर ४४० ०१३ में स्थित होगा ।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्न नुसार होंगे,—

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास और अनुसंधान और विकास जिसमें लिबरल आर्ट, मानविकी सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो-विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं, जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य, अनुप्रयुक्त तथा रचानात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन के लिए सर्जनात्मकता, नविनता और उद्योग उपक्रम के नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना ;

(च) शिक्षा, तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए उत्कर्ष केंद्रो की निर्मिति करना तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए ;

(झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वी सदी के लिए व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक–आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करना ;

(ञ) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध करना ;

(ट) नवप्रवर्तक दृष्टिकोण के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा, और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोण को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधिन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद, या, यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना। सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९९३ का २५।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमें ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित तथा धारण करना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्तें और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध करना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के अध्यापक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार, व्यतिकारी के आधार पर देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए निदेशों के अनुसार केवल राज्य के भीतर महाविद्यालयों, संस्थाओं और परिसर मुक्त केंद्रों को स्थापित करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस और अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय पर फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों और अन्य वास-सुविधाओं को छात्रों के आवास के लिए मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और किसी ऐसी मान्यता वापिस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा वह आवश्यक समझें ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना ;

(उनतीस) देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी करार पायी जाए, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विनिर्दिष्ट की जाए, सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, उन के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्ही विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तेंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ;

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक, सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोष जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे नागरिकों के वर्गों (एसइबीसी) और आर्थिक कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय के लिए, " विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम पाँच करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रूप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रीत्या समपहृत करने की शक्ति होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होता है तब तक, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि नगद पाने का अधिकार होगा।

साधारण निधि।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श तथा अन्य कार्य से प्राप्त कोई राशि ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान, तथा ;

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

सामान्य निधि का उपयोग।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

११. विश्वविद्यालय के, निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मापदण्ड जैसा कि, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख मंगवाना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) इस अधिनियम की धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्यक्ष को हटाना। **१३.** अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड देता है या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन पुनर्पाठ्यक्रम लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति। **१४.** (१) कुलपति, शासी निकाय द्वारा गठित किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल से परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन, तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, ऑर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित

प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(७) यदि किसी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष।

१५. (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सौंपी गई ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

रजिस्ट्रार।

१६. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षाओं के संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हों अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर, पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

(च) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंध मंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ;

(छ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्तियाँ, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ।

(२) कुलपति, प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षाओं की अनुसूची" की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्मण के बारे में दी गई ब्यौरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(ख) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक	. .	सदस्य ;
(ग) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	. .	सदस्य ;
(घ) परीक्षा नियंत्रक	. .	सदस्य सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए।

अन्य प्राधिकरण।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ।

निरर्हता।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(दो) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुडा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुडे होने या बढावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, यथासंभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ति को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति जिस शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रूप में पद धारण करेगा।

समितियाँ।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारी, ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें, समितियाँ गठित करेंगे।

(२) ऐसी समितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रथम परिनियम।

३०. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत कियें जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाली फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम परिनियमों का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महीने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, और उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा।

पश्चात्वर्ती परिनियम।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगें, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग का उत्सादन या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(च) पदों कें उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामलें है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाया जायेंगे।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधमंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी प्रतिष्ठा, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियमों या परिनियम के किसी संशोधन नहीं बनाएगा जब तक ऐसा

प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, विद्या परिषद से परामर्श के बिना, छात्रों के अनुशासन और शिक्षा का स्तरमान, शिक्षा तथा परीक्षा पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

प्रथम ऑर्डीनेन्स।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम ऑर्डिनेन्स, शासी निकाय द्वारा बनाए जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) कार्यालय की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय के कर्तव्य, परीक्षकों तथा अनुसीमकों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फ़ीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

पश्चातवर्ती ऑर्डिनेन्स।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से, अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय, के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय, अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे। विनियम।

३५. (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश, गुणागुण के आधार पर कडाई से किये जायेंगे। प्रवेश।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े प्रवर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्गों (एसईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) तथा विकलांग छात्रों से संबंध रखनेवाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी ।

(४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए चालीस प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखीं जायेगी।

३६. (१) विश्वविद्यालय, की फ़ीस संरचना नियत करने के लिए फ़ीस निर्धारण समिति होगी। फ़ीस निर्धारण समिति।

(२) समिति की संरचना, उसका अवधि और उसके सदस्य, उसकी यंत्रणा और फ़ीस नियतन समिति द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया ऐसी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया जा सके :

परंतु, प्रत्येक ऐसी अधिसूचना, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।

(३) फ़ीस निर्धारण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते और मानदेय, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे होंगे, जिसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

३७. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फ़ीस, विश्वविद्यालय द्वारा या कि और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी, संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी। प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध ।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुऐ भी, प्रबंधनमंडल नगद या उसी प्रकार में विहित रीत्या विन्यास निधि, परोपकारी व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय

प्रबंधनमंडल ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी। जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फ़ीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे। सन् १९८८ का महा. ६।

परीक्षाओं की समय-सारणी।

३८. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलैंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कडाई से पालन होगा :

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह यथासंभव शीघ्र सरकार को प्रकाशित समय-सारणी से प्रस्थान तैयार करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।

परिणामों की घोषणा ।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा :

परंतु यदि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होंगे।

दीक्षांत समारोह ।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रित्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।

४१. विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (नॅक), बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को नॅक द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकता है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी।

वार्षिक रिपोर्ट ।

४३. (१) विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधनमंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा ।

४४. (१) प्रबंधनमंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्‌भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसका अनुपालन सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन, प्रायोजक निकाय में निहित होंगे :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पंद्रह वर्ष पहले प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी ।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम, की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्‌भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओ नोटीस जारी करेगा कि क्यों न उसके समापन का आदेश दिया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्‌धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों

या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश दे सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उस पर रिपोर्ट बनायेगी।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५।

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा। सन् १९७४ का २ ।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों की आशंकाओं से वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के समापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किये गये प्रशासक को इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंधमंडल बोर्ड के सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के कामकाज का प्रबंधनमंडल तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

(८) उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

सचिव स्तरीय समिति।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन के सत्यापन और सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय

को परिवचन प्रस्तुत करेगी। समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और योजना विभाग के प्रभारी सचिवों से मिलकर बनेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् ही, केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

सचिव स्तर समिति द्वारा निरीक्षण ।

४९. इस अधिनियम की धारा ४८ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति, जब-जब सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो, विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगी और स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुपालन की जाँच और सुनिश्चित किया जा सके।

शास्ति ।

५०. इस अधिनियम के किन्ही उपबधों का उल्लंघन, यह अपराध होगा और धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी तीन महिने से अनधिक परंतु एक वर्ष तक बढाई जा सकनेवाली अवधि के लिए कारावास और पचास हजार रुपयों से अनधिक परंतु जो पाँच लाख रुपयों तक बढाए जा सकनेवाले जुर्माने से दण्डित होंगे :

परंतु, इस धारा में की कोई बात, इस अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए विश्वविद्यालय के परिसमापन की प्रक्रिया समेत, कोई कार्यवाही चाहे वह सिविल या दाण्डिक हो प्रारंभ करने से सरकार को रोकने के लिए नहीं बनाई गई है ।

नियम बनाने की शक्ति ।

५१. (१) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ;

(ख) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रुप में हों प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

५२. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

मुंबई,
दिनांकित २०१९।

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIV OF 2019.

THE MAHARASHTRA TAX LAWS (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ८ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIV OF 2019.

AN ACT TO FURTHER TO AMEND CERTAIN TAX LAWS IN OPERATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ९ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में परिचालित कतिपय कर विधियों में संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में परिचालित कतिपय कर विधियों में संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र कर विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१९, ६ मार्च २०१९ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ६।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कर विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) इस अधिनियम में यथाअन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह ६ मार्च २०१९ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

अध्याय दो

महाराष्ट्र राज्य में वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में संशोधन।

सन् १९७५ का महा. १६ की धारा ६ में संशोधन।

२. " महाराष्ट्र राज्य में वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ की, धारा ६ की, उप-धारा (३) में, " एक हजार रुपए ", शब्दों के स्थान में, " ऐसा विवरण दाखिल करने के लिए विहित समय के अवसान के पश्चात्, तीस दिनों की अवधि के भीतर वह विवरण दाखिल करने के मामले में, दो सौ रुपए और अन्य किसी मामले में, एक हजार रुपए की रकम " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९७५ का महा. १६।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में संशोधन ।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा १० में संशोधन।

३. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (जिसे इसमें आगे, " मूल्यवर्धित कर अधिनियम " कहा गया हैं) की धारा १० की, उप-धारा (२) में, निम्न परन्तुक, निविष्ट किया जायेगा और १ जुलाई २०१७ से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :— सन् २००५ का महा. ९।

सन् २०१७ का महा. ४३।

" परंतु, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी समझे जायेंगे।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २४ में संशोधन।

४. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २४, की उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (२क) जहाँ कोई ब्यौहारी, विवरणी में मुजराई का दावा करता है परंतु, ऐसी मुजराई की, चाहे किसी कारणों के लिए, धारा २३ के अधीन निर्धारण के आदेश पारित होने के पूर्व पुष्टि नहीं होती है, तब वित्तीय वर्ष के समाप्ति से दो वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय पर निर्धारण का उक्त आदेश तामिल किया है, वह,-

(क) यदि, उसने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल नहीं की है, या

(ख) यदि वह उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करता है, और वह संपूर्ण अपील वापस लेता है तो,

आयुक्त को, आदेश के परिशोधन के लिए उस आधार पर कि उक्त मुजराई की पृष्टि की जा सके और उसके समान आवश्यक सबूत प्रस्तुत करने की स्थिति में है तो आयुक्त को आवेदन कर सकेगा और उसपर आयुक्त, जिसे वह ठिक समझे, ऐसी जाँच करेगा और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने पश्चात्, यदि मुजराई के लिए दावे की पुष्टि की है, तो निर्धारण आदेश में सुधार करेगा :

परंतु, उपर्युक्त खण्ड (ख) द्वारा समाविष्ट आवेदक के मामले में इस उप-धारा के अधीन आवेदन दाखिल करता है तब, देय की रकम जो अपील के वापस लेने के पूर्व पहले रोकी गई थी, ऐसे आवेदन के निपटान करने तक वसूल नहीं की जायेगी।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २६ में संशोधन।

५. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २६, की उप-धारा (६ग) के पश्चात्, निम्न **स्पष्टीकरण,** निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :-

" **स्पष्टीकरण.—** संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह स्पष्ट किया जाता है की, उप-धारा (६क), (६ख), और (६ग) के उपबंध, किसी अपील के लिए उन उप-धाराओं में निर्दिष्ट किए गए, सभी ऐसे आदेशों के विरुद्ध, जिस आदेश की अवधि पर ध्यान दिए बिना, अपील के विरुद्ध जिसमें ऐसे आदेश के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भिक होने के दिनांक से संबंधित या ध्यान दिए बिना किए गए है, को लागू होंगे।"।

सन् २००५ का महा. ९ की अनुसूची क में संशोधन ।

६. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 'क' की प्रविष्टि २ के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

" ३.	भारत लिमिटेड गॅस प्राधिकरण द्वारा १ अप्रैल २०१७ से १५ सितम्बर २०१७ की अवधि के दौरान रत्नागिरी गॅस और पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड को घरेलू नैसर्गिक गॅस की बिक्री।	१. क्रय ब्यौहारी ने, घरेलु नैसर्गिक गॅस का उपयोग भारतीय रेलवे की बिजली का उत्पादन करने के लिए किया है। २. दावेदार ब्यौहारी ने, पश्चिम क्षेत्रिय विद्युत समिति से रत्नागिरी गॅस और पॉवर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा ऊर्जा लेखा विवरणी प्रस्तुत की है।	शून्य। "।

अध्याय चार

विधिमान्यता और व्यावृत्ति।

सन् २०१९ का महा. १४ ।

विधिमान्यता और व्यावृत्ति।

७. (१) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ब्यौहारी या व्यक्ति द्वारा प्रभावित विक्रय या क्रय के संबंध में कर का कोई निर्धारण अपील, पुनरीक्षण, उद्ग्रहण या संग्रहण, महाराष्ट्र कर विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१९ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में, " संशोधन अधिनियम " के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा यथा संशोधित, मूल्यवर्धित कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण, उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में की गई कोई कार्यवाही या कृत कोई बात, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जायेगी, मानों कि ऐसा निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण, उद्ग्रहण या संग्रहण या कार्यवाही या बातें किए जाने से तात्पर्यित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन, सुसंगत दिनांक पर प्रचलित थी और तद्नुसार,—

(क) ऐसे किसी कर के निर्धारण, अपील, पुनर्निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गये समस्त कृत्य, कार्यवाहियाँ या बातें, सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार किया गया या की गई और सदैव किया गया और की गई समझी जाएगी ;

(ख) इस प्रकार अदा किये गये किसी कर के प्रतिदाय के लिए, किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष, कोई वाद, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित या बनाये या जारी नहीं रखी जाएगी ; और

(ग) कोई न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी, ऐसे किसी कर के प्रतिदाय के लिए कोई डिक्री या आदेश प्रवर्तित नहीं करेगा।

(२) संदेह निवारणार्थ, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उप-धारा (१) की कोई बात, किसी व्यक्ति को,—

(क) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट कर के किसी निर्धारण अपील, पुनर्निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण के बारे में इस संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रश्न करने से, या

(ख) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन कर के जरिए उसके द्वारा देय रकम से अधिक, उसके द्वारा अदा किये गये किसी कर के प्रतिसंदाय का दावा करने से, रोकती हुई नहीं समझी जाएगी।

अध्याय पाँच

विविध

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ६ का निरसन और व्यावृत्ति।

८. (१) महाराष्ट्र कर विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१९, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ६।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित सुसंगत कर विधियों के अधीन कृत कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, सुसंगत कर विधियों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गयी या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2019.

THE MAHARASHTRA SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX, INTEREST, PENALTY OR LATE FEE ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ८ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XV OF 2019.

AN ACT TO PROVIDE FOR SETTLEMENT OF ARREARS OF TAX, INTEREST, PENALTY OR LATE FEE WHICH WERE LEVIED, PAYABLE OR IMPOSED RESPECTIVELY UNDER VARIOUS ACTS ADMINISTERED BY THE GOODS AND SERVICES TAX DEPARTMENT AND FOR THE MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १५ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ९ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

माल और सेवा कर विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों का निपटान करने के लिए क्रमशः वह उद्ग्रहीत, देय या अधिरोपित थे, का उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६, मुंबई मोटर स्पिरीट विक्रय कराधान अधिनियम, १९५८, मुंबई विक्रय कर अधिनियम, १९५९, महाराष्ट्र गन्ने पर विक्रय कर अधिनियम, १९६२, महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५, महाराष्ट्र किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के उपयोग करने के अधिकार के अंतरण पर विक्रय कर अधिनियम, १९८५, महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रो में मोटार वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र सुख-साधन पर कर अधिनियम, १९८७, महाराष्ट्र संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त मालों मे संपत्ति के अंतरण पर विक्रय कर (पुनः अधिनियमिति) अधिनियम, १९८९, महाराष्ट्र स्थानिय क्षेत्रो में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२, और महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ के अधीन कर, ब्याज शास्ति या, यथास्थिति, विलंबित फीस के बकायों का निपटान करने के लिए क्रमशः वह उद्ग्रहीत, देय या अधिरोपित थे का उपबंध करना और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना इष्टकर था ; और इसलिए, महाराष्ट्र कर ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों का निपटारा अध्यादेश, २०१९, ६ मार्च २०१९ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् १९५६ का ७४। सन् १९५८ का मुंबई ६६। सन् १९५९ का मुंबई ५१। सन् १९६२ का महा. ९। सन् १९७५ का महा. १६। सन् १९८५ का महा. १८। सन् १९८७ का महा. ४२। सन् १९८७ का महा. ४१। सन् १९८९ का महा. ३६। सन् २००३ का महा. ४। सन् २००५ का महा. ९।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा बदलना है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवे वर्ष में एतत्द्वारा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभण.

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों का निपटान अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह ६ मार्च २०१९ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) " उपाबंध " का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न उपाबंध से है ;

(ख) " अपीलीय प्राधिकारी " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा १३ की उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों से है ;

(ग) " कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस " का तात्पर्य कर, ब्याज, शास्ति या, यथास्थिति, विलंबित फीस की रकम,—

(एक) सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी कानूनी आदेश के अनुसार किसी निर्धारिती द्वारा देय ; या

(दो) सुसंगत अधिनियम के अधीन दाखिल विवरणी या, यथास्थिति, पुनरीक्षित विवरणी जिसका संपूर्ण या भाग के रूप में भुगतान नहीं किया गया है ; या

(तीन) मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ६१के अनुसार प्रस्तुत की गयी संपरीक्षा रिपोर्ट में, संपरीक्षक द्वारा निर्धारित की गई और भुगतान किए जाने के लिए सिफारिश की कई और चाहे मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३२ या ३२क के अधीन सूचना जारी की गई है या नहीं ; या

(चार) सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में, जिसके संबंध में, सूचना जारी की गई है ; या

(पाँच) सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में जहाँ सूचना जारी नहीं की है लेकिन निर्धारिती द्वारा भुगतान किए जाने के लिए अवधारण,

और विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस या ऐसा बकाया, से है ;

(घ) " आवेदक " का तात्पर्य, व्यक्ति जो सुसंगत अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत या अधिरोपित कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस का बकाया अदा करने का दायी है और जो इस अधिनियम के अधीन, शर्तों के अनुपालन द्वारा निपटान का लाभ उठाना चाहता है, से है ;

(ङ) " आयुक्त " का तात्पर्य, माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (क) के अधीन राज्य कर आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए किसी अधिकारी से है और इसमें मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा १० की, उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त विक्रय कर आयुक्त सम्मिलित है, से है ;

(च) " पदाभिहित प्राधिकारी " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से है ;

(छ) " विवादित कर " का तात्पर्य, खण्ड (थ) में यथा परिभाषित अविवादित कर से अन्यथा कर से है ;

सन् २०१७ का महा. ४३।

(ज) " माल और सेवा कर अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ से है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " निपटान का आदेश " का तात्पर्य, कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों के निपटान के लिए, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी आदेश से है ;

(ट) " सुसंगत अधिनियम " का तात्पर्य, १ जुलाई २०१७ के पूर्व कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के संबंध में यथा लागू निम्न अधिनियमों से है ; अर्थात् :—

सन् १९५६ का ७४।

(एक) केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ ;

सन् १९५८ का मुंबई ६५।

(दो) बम्बई मोटर स्पिरिट विक्रय कर पर कराधान अधिनियम, १९५८ ;

सन् १९५९ का मुंबई ५१।

(तीन) मुंबई विक्रय कर अधिनियम, १९५९ ;

सन् १९६२ का महा. ९।

(चार) महाराष्ट्र गन्ने पर विक्रय कर अधिनियम, १९६२ ;

सन् १९७५ का महा. १६।

(पाँच) महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ ;

सन् १९८५ का महा. १८।

(छह) महाराष्ट्र किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के उपयोग करने के अधिकार के अंतरण पर विक्रय कर अधिनियम, १९८५ ;

सन् १९८७ का महा. ४२।

(सात) महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मोटर वाहनों के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९८७ ;

(आठ) महाराष्ट्र सुख-साधन पर कर अधिनियम, १९८७ ; सन् १९८७ का महा. ४१।

(नौ) महाराष्ट्र संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त मालो में सम्पत्ति ते अंतरण पर विक्रय कर (पुनः अधिनियमिति) अधिनियम, १९८९ ; सन् १९८९ का महा. ३६।

(दस) महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ ; और सन् २००३ का महा. ४।

(ग्यारह) महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ और तद्धीन बनाए गए अधिनियम या जारी अधिसूचना भी सम्मिलित है ; सन् २००५ का महा. ९।

(ठ) " आवश्यक रकम " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन प्रथम चरण या, यथास्थिति, दूसरे चरण के दौरान भुगतान की जानेवाली आवश्यक रकम से है और इस अधिनियम के अधीन उक्त चरणों के दौरान भुगतान की गई निम्न रकम का कुल होगा,—

(एक) अविवादित कर की रकम, और

(दो) विवादित कर, ब्याज, शास्ति, विलंबित फीस, निर्धारणोत्तर शास्ति या निर्धारणोत्तर ब्याज चाहे वह उद्ग्रहीत हो या न हो ;

इस अधिनियम की धारा १० के अधीन यथा निर्धारित और इस अधिनियम के संलग्न उपाबंध-क या उपाबंध-ख में यथा विनिर्दिष्ट ;

(ड) " विवरणी के अनुसार देयों " का तात्पर्य, विनिर्दिष्ट अवधि के संबंध में सुसंगत अधिनियम के अधीन विवरणी में प्रवेशित या दाखिल पुनरीक्षित विवरणी, परंतु १६ अगस्त २०१९ को या के पूर्व किसी समय पर पूर्णतः या भागतः शेष रहे कर, ब्याज या विलंबित फीस की रकम से है ;

(ढ) " विनिर्दिष्ट अवधि " का तात्पर्य, ३० जून २०१७ को या के पूर्व समाप्त होनेवाला कोई अवधि ;

(ण) " सांविधानिक आदेश " का तात्पर्य, आवेदक द्वारा अदा किया जानेवाला कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस की माँग बढाने का सुसंगत अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश से है ;

(त) " प्रवेश पर कर अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, २००२ से है ; सन् २००३ का महा. ४।

(थ) " अविवादित कर " का तात्पर्य,—

(एक) सुसंगत अधिनियम के अधीन अलग रूप से संग्रहीत करों ; या

(दोन) सुसंगत अधिनियम के अधीन अलग रूप से संग्रहित करों के लिए सांविधानिक आदेश में, प्राधिकारी द्वारा अनुमत कटौती ; या

(तीन) सुसंगत अधिनियम के अधीन विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी में दर्शाया गया देय कर ; या

(चार) मूल्यवर्धित कर नियम के नियम ५७ या अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन बनाए गए उसी प्रकार के नियमों के अनुसार कटौती के रूप में ब्यौहारी द्वारा दावा की गई रकम या पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुमत की गई कटौती की रकम ; या

(पाँच) सुसंगत अधिनियम के अधीन सांविधानिक आदेश के अधीन समपहृत की गई या प्रस्तुत की गई विवरणी, पुनरीक्षित विवरणी या, यथास्थिति, संपरीक्षा में दर्शाये गये अधिक कर संग्रहण की रकम ; या

(छह) मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ६१ के अनुसार प्रस्तुत की गई संपरीक्षा रिपोर्ट में, लेखा संपरीक्षक द्वारा निर्धारित और अदा किए जाने के लिए सिफारिश की गई और निर्धारिती द्वारा या तो संपूर्णतः या भागतः स्वीकृत की गई कर, ब्याज या विलंबित फीस की कोई रकम ; या

(सात) सुसंगत अधिनियम के अधीन नियोक्ता द्वारा प्रारंभ में कटौती किया कर (टीडीएस) ; या

(आठ) मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३१क के अधीन किया गया कर संग्रहण ;

सन् २००५ का महा. ९।

(द) " मूल्यवर्धित कर अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ से है ;

(ध) " मूल्यवर्धित कर नियम " का तात्पर्य, मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन बनाया गया महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ से है ;

(२) इस अधिनियम में उपयोग किए गए परंतु इसमें परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो सुसंगत अधिनियम के अधीन यथा क्रमशः समनुदेशित से है।

पदाभिहित प्राधिकारी।

३. (१) राज्य कर आयुक्त इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्त होगा।

(२) मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा १० की उप-धारा (२) में या, यथास्थिति माल और सेवा कर अधिनियम की धारा ३ के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पदाभिहित प्राधिकारी होगा। उक्त अधिकारियों के अधीनस्थ होना मूल्यवर्धित कर नियमों के नियम ५ के अनुसार होगा।

(३) आयुक्त, **राजपत्र** में प्रकाशित, अधिसूचना द्वारा, उप-धारा (२) में यथा विनिर्दिष्ट, अपनी शक्तियाँ पदाभिहित प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी, समय-समय से, मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा १० के अधीन या, यथास्थिति, माल और सेवाएँ कर अधिनियम की धारा और धारा ५ की उप-धारा २ के अधीन यथा अधिसूचित उनके अधिकारिता क्षेत्र या क्षेत्रों में की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अधिनियम के अधीन चरण का अवधि।

४. इस अधिनियम के अधीन आवश्यक रकम की अदायगी करने की अवधि और आवेदनों को भेजने की अवधि निम्न तालिका में दी गयी है :—

तालिका

अ.न.	विशिष्टता	प्रथम चरण	द्वितीय चरण
(१)	(२)	(३)	(४)
(क)	अदा की जानेवाली आवश्यक रकम का भुगतान ।	१ अप्रैल २०१९ को या के पश्चात् प्रारंभण होनेवाली और ३१ जुलाई २०१९ को या के पूर्व समाप्त होनेवाली।	१ अगस्त २०१९ को या के पश्चात् प्रारम्भण होनेवाली और ३१ अगस्त २०१९ को या के पूर्व समाप्त होनेवाली।
(ख)	आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अवधि ।	१ अप्रैल २०१९ को या के पश्चात् प्रारंभण होनेवाला और ३१ जुलाई २०१९ को या के पूर्व समाप्त होनेवाली।	१ अगस्त २०१९ को या के पश्चात् प्रारम्भण होनेवाली और ३१ अगस्त २०१९ को या के पूर्व समाप्त होनेवाली।

सुसंगत अधिनियम के अधीन किए गए किसी भुगतान का समायोजन और कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस यदि कोई हो, के बकायों का निपटान।

५. (१) सुसंगत अधिनियम में, या इस अधिनियम के अधीन अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) सांविधानिक आदेश के संबंध में या तो अपील में या अन्यथा ३१ मार्च २०१९ को या के पूर्व किया गया कोई भुगतान प्रथम अविवादित कर और विवादित कर अनुपात में कर की रकम के जरिए समायोजित किया जाएगा और उसके पश्चात्, ब्याज के जरिए समायोजित किया जायेगा और शेष असमायोजित शेष रकम क्रमशः शास्ति और विलंबित फीस के जरिए समायोजित की जायेगी ;

(ख) खण्ड (क) मे यथा विनिर्दिष्ट रकम के समायोजन के पश्चात् १ अप्रैल २०१९ पर शेष बकाया रकम, यदि कोई हो, केवल निपटान के लिए विचारार्थ होगी और उपर्युक्त बकाया रकम के निपटान और अधित्यजन के जरिए आवश्यक रकम की अदायगी उपाबंध-क या उपाबंध-ख के अनुसरण में यथा निर्धारित होगी :

परंतु, खण्ड (क) के अधीन समायोजन के लिए अनुपात पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

(२) पूर्ववर्ती खण्डों के उपबंध विवरणी के अनुसार देयों या, यथास्थिति, लेखा संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षा रिपोर्ट में कर व्याज या विलंबित फीस के संबंध में, की गई सिफारिशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन समेत लागू होंगे और वह ब्यौहारी द्वारा स्वीकृत होंगे।

(३) १६ अगस्त २०१९ के पश्चात्, सांविधानिक आदेश बनाए गए है या विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी दाखिल की गई है के मामले में, कर ब्याज, विलंबित फीस या शास्ति का बकाया यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन निपटाया नहीं जायेगा।

निपटान के लिए पात्रता।

६. (१) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, कोई आवेदक चाहे वह सुसंगत अधिनियम के अधीन, रजिस्ट्रीकृत है या नहीं है, विनिर्दिष्ट अवधि के संबंध में कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों के निपटान के लिए चाहे ऐसा बकाया सुसंगत अधिनियम के अधीन अपील में विवादग्रस्त है या नहीं है, निपटान के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

(२) आवेदक, जिसने किसी सरकारी संकल्प के अधीन, सरकार द्वारा यथा घोषित किसी सर्वमाफी योजना या महाराष्ट्र विवादों मे बकायों का निपटान अधिनियम, २०१६ के अधीन लाभ प्राप्त किया है तो वह इस अधिनियम के अधीन आवेदन करने के लिए भी पात्र होगा। सन २०१६ का महा. १६।

(३) इस अधिनियम के अधीन निपटान करने के लिए, इस अधिनियम की धारा ७ और अन्य उपबंधों में विवरणी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

बकायों का निपटान करने के लिए शर्तें।

७. (१) आवेदक उपाबंध-क या उपाबंध-ख में उल्लिखित चरणों के अवधि के लिए उपबंधित अंतिम दिनांक को या के पूर्व सुसंगत अधिनियम के अधीन धारा २, की उप-धारा (१) के खण्ड (ग) में दिए गए प्रत्येक बकायों के वर्ग के लिए अलग से आवेदन कर सकेगा।

(२) आवेदन, आयुक्त द्वारा, आदेश द्वारा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे प्ररूप में, और ऐसी रीत्या में पदाभिहित प्राधिकारी को किया जायेगा।

(३) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, जहाँ आवेदक की विनिर्दिष्ट अवधि के संबंध में, सुसंगत अधिनियम के अधीन विवरणी के अनुसार देयों के संबंध में बकायों का निपटान करना चाहता है तब वह प्रत्येक सुसंगत अधिनियम के अधीन ऐसे प्रत्येक विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी के लिए अलग से आवेदन करेगा :

परंतु, जहाँ आवेदक को वित्तीय वर्ष से संबंधित एक विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी से अधिक विवरणीयों के संबंध में, विवरणी के अनुसार देयो के बकायों का निपटान करने का इच्छुक है तब वह एकल आवेदन कर सकेगा :

परंतु यह और की, जहाँ विवरणी का ऐसा पुनरीक्षण इस अधिनियम के प्रारम्भण के पश्चात् कार्यान्वित हुआ है और जहाँ ऐसे विवरणी के परिणामस्वरूप मुजराई के समायोजन देय समेत उक्त विवरणी में प्रवेशित कर या ब्याज या दोनों मे कम होती है तो पुनरीक्षित विवरणी के संबंध में, कोई आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा :

परंतु यह और भी इस अधिनियम के प्रारम्भण के पश्चात् मूल विवरणी और ऐसे विवरणी का पुनरीक्षण दाखिल करने के मध्यवर्ती अवधि के दौरान कर या व्याज या दोनों का कोई भुगतान नकद में करने के परिणामस्वरुप ऐसे कर या, यथास्थिति, व्याज या दोनों कम होने के मामले में, द्वितीय परंतुक की कोई बात लागू नही होगी।

(४) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ धारा १०के अधीन यथा निर्धारित आवश्यक रकम की अदायगी का सबूत और आवेदन प्ररुप में कथित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे।

(५) जहाँ किसी अपीलिय प्राधिकारी समेत न्यायाधिकरण या न्यायालय ने उसमें दिए निदेशों को प्रभावी बनाने कि लिए सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकरण के पास वापर भेज दिया तो और ऐसा आदेश १६ अगस्त २०१९ या के पूर्व पारित नहीं हुआ है तब ऐसे मामले इस अधिनियम के अधीन निपटान करने के लिए पात्र नहीं होंगे :

परंतु, आवेदक, उक्त प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार कर, व्याज, शास्ति या विलंबित फीस की रकम के निपटान के लिए पात्र होगा और ऐसे विशिष्ट निर्देशन नहीं दिए है तब आवेदक द्वारा ऐसे कर, व्याज, शास्ति या विलंबित फीस के निर्धारित किया जायेगा।

(६) किसी परिस्थिति के अधीन, आवेदक, अविवादित कर के संबंध में, किसी अधित्यजन का हकदार नहीं होगा।

(७) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, आवेदक, धारा १० के अनुसरण में, यथा निर्धारित सीमा तक विवादित कर, व्याज, शास्ति या विलंबित फीस के अधित्यजन का हकदार नहीं होगा।

(८) माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उपबंधित इलेक्ट्रॉनिक साख खाता वही में. सुसंगत अधिनियम के अधीन मुजराई की साख जिस आवेदक ने ले ली है उसने साख समतुल्य रकम जिसके निपटान के लिए आवेदन दाखिल किया है, उसी साख समतुल्य रकम निपटान का आवेदन दाखिल करने के दिनांक को या के पूर्व इलेक्ट्रॉनिक साख खाता वही या नकद खाता वही में साख किए बिना ऐसे आवेदक के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई आवेदन विचार में नही लिया जाएगा।

(९) आवेदक, धार ८ के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

अपील वापस लेना।

८. (१) (क) सुसंगत अधिनियम के किसी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अपील प्राधिकारी या न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष विलंबित अपील जिस दिनांक पर ऐसा अपील वापस लेने का आवेदन उपर्युक्त प्राधिकारी या न्यायालय को प्रस्तुत किया गया है, आवेदक द्वारा ऐसा अपील किसी शर्त के बिना वापस लिया जायेगा ;

(ख) पदाभिहित प्राधिकारी को निपटान के आवेदन के साथ, ऐसे आवेदन भेजने की प्राप्ति प्रस्तुत करना, यह उक्त अपील वापस लेने का पर्याप्त सबूत माना जायेगा।

(२) आवेदक कतिपय मद्दो के संबंध में अपील वापस लेना चाहता है और कतिपय अन्य मद्दों के लिए उसके समान जारी रखना चाहता है तब, आवेदक उक्त प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष दाखिल आवेदन वापस लेने में विशेष रुप से उसका विवरण कथित करेगा और उप-धारा (१) के उपबंध जहाँ तक वह वापस लेने से संबंधित है और उसके समान सबूत प्रस्तुत करने के लिए **यथावश्यक परिवर्तन समेत** लागू होगा।

(३) जहाँ उपर्युक्त उप-धारा (२) में यथा उल्लिखित अपील वापस लेना है के मामले में धारा ५के उपबंध लागू होंगे।

मद्दें गठित हो सकनेवाले संव्यवहार को अधिसूचित करने की आयुक्त की शक्तियाँ।

९. (१) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, आयुक्त समय समय पर **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संव्यवहार को अधिसूचित कर सकेगा कि मद्दों को गठित किया जा सके।

(२) आयुक्त का विनिर्णय जहाँ तक की वह किसी संव्यवहार के वर्गीकरण या से अन्यथा संबंधित है तो वह अंतिम होगा और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी अपीलिय प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष कोई अपील दायर नहीं की जायेगी।

आवश्यक रकम निर्धारण और अधित्यजन की सीमा।

१०. (१) जहाँ सुसंगत अधिनियम के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस का बकाया,—

(क) ३१ मार्च २०१० को या के पूर्व समाप्त होनेवाले अवधि और जहाँ उक्त कर अविवादग्रस्त या विवादग्रस्त है, तब ऐसे अविवादग्रस्त कर या विवादग्रस्त कर, ब्याज या विलंबित फीस की अदायगी की सीमा और धारा ४ में, जैसे दिए प्रथम चरण और द्वितीय चरण के लिए लागू विवादग्रस्त कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के संबंध में लागू अधित्यजन उपबंध ४ में यथाविनिर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ख) १ अप्रैल २०१० को या के पश्चात् प्रारंभ होनेवाले और ३० जून २०१७ को या के पूर्व समाप्त होनेवाली अवधि और उक्त कर अविवादग्रस्त या विवादग्रस्त है तब ऐसे अविवादग्रस्त कर विवादग्रस्त कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस की अदायगी की सीमा और धारा ४ में, जैसे दिए गए प्रथम चरण और द्वितीय चरण के लिए विवादग्रस्त कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के संबंध में लागू अधित्यजन उपाबंध ख में यथाविनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(२) आवेदक, जो प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन प्रवेश कर अदा करने का दायी है तब इस अधिनियम के अधीन निपटान के प्रयोजनों के लिए, इस अधिनियम में या सुसंगत अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) आवश्यक रकम प्रवेश कर की रकम से समतुल्य रकम होगी,—

(एक) संविधानिक आदेश में, निर्धारित या ;

(दो) ऐसा आदेश पारित न होने के मामले में, प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन भुगतान किया जानेवाला प्रवेश कर, या मूल्यवर्धित कर नियमों के अधीन क्रमशः नियम ५३ या ५४ या, यथास्थिति, मुंबई विक्रय कर नियमों, १९५९ के अधीन, जो भी कम है यथा उपबंधित मुजराई की रकम द्वारा कम या प्रत्याहृत होगी ;

(ख) ऐसी दशा में उक्त आवेदक ने, खण्ड (क) के अधीन यथा निर्धारित रकम का धारा ४ में विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक पर या के पूर्व भुगतान किया है उस चरण का जिसके निपटान करने के लिए इच्छुक है, विचार किया जायेगा तब शेष कर की शेष रकम इस अधिनियम के अधीन आदेश पारित करने द्वारा अधित्यजित की जायेगी और उक्त आवेदक, मूल्यवर्धित कर नियमों के अधीन या, यथास्थिति, मुंबई कर नियम, १९५९ के अधीन ३१ मार्च २०१९ को या के पूर्व भुगतान की गई रकम समित किसी रकम की मुजराई के दावे के लिए हकदार नहीं होगा;

(ग) किसी सांविधानिक आदेश के अनुसार ब्याज और ऐसा आदेश पारित न होने के मामले में, प्रवेश पर कर अधिनियम के अधीन देय कर की रकम के आधार पर परिगणित ब्याज जिस चरण के दौरान पर बकायों के निपटान करने के लिए आवेदन किया है। उस चरण पर निर्भर उपाबंध क या, यथास्थिति, उपाबंध ख के अनुसरण में आवश्यक रकम और उस संबंध में अधिनियम के अवधारण के लिये ध्यान में लिया जायेगा और इस प्रकार की गयी आवश्यक रकम की लेखा पर अदायगी की जायेगी ;

(घ) किसी सांविधानिक आदेश के अनुसार अधिरोपित शास्ति के संबंध में आवश्यक रकम और अधित्यजन जिस चरण के दौरान बकायों का निपटान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है उस चरण पर निर्भर होगा और उपाबंध क या, यथास्थिति, ख के अनुसरण में निर्धारित होगा और इस प्रकार की गयी आवश्यक रकम की लेखापर अदायगी की जायेगी।

(३) इस धारा के अधीन यथा निर्धारित आवश्यक रकम की अदायगी सुसंगत अधिनियम के अधीन विहित चलान के प्ररूप में या, यथास्थिति, मूल्यवर्धित कर नियमों के अधीन विहित प्ररूप-एमटीआर-६ में की जायेगी और प्रथम चरण या द्वितीय चरण को यथा लागू धारा ४ में विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक पर या के पूर्व की जायेगी।

(४) जहाँ आवेदक ने अदायगी की है जो इस धारा या धारा ११ के अधीन यथा निर्धारित आवश्यक रकम से कम है तब पदाभिहित प्राधिकारी आवेदक द्वारा अदा आवश्यक रकम के अनुपात में, प्रथम चरण या, यथास्थिति, द्वितीय चरण के अधीन ग्राह्य अधित्यजन की अनुपातिक रकम परिकलित करेगा और तद्नुसार, निपटान का आदेश पारित करेगा :

परंतु, आवेदक ने भुगतान किया है जो इस धारा या धारा ११ के अधीन निर्धारित आवश्यक रकम से कम है, तब इस प्रकार भुगतान की गई रकम प्रथम अविवादित कर के जरिए समायोजित की जायेगी और शेष रकम, यदि कोई हो तब ऐसे समायोजन के पश्चात् विवादित कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के अनुपात में के जरिए समायोजित की जायेगी ।

(५) कोई आवेदन, केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि वह अधिनियम के अधीन प्रथम चरण या द्वितीय चरण के दौरान आवेदक द्वारा की गयी अदायगी आवश्यक रकम से कम है।

आवेदन की यथोचितता ओर सम्पूर्णता की जाँच करना और यदि आवश्यकता हो, त्रुटि सूचना जारी करना।

११. (१) पदाभिहित प्राधिकारी, आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों और आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेंजों के निर्धारण प्राधिकारी या, यथास्थिति, जिसके पास ऐसे अभिलेख उपलब्ध है ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी के पास उपलब्ध अभिलेख के संदर्भ से यथोचितता की जाँच करेगा। पदाभिहित प्राधिकारी, आवेदन प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेज आवेदन से सम्पादित है की जाँच और पुष्टी करेगा।

(२) आवेदन की जाँच पर, यह ध्यान में आने के मामले में कि, उक्त आवेदन गलत या अपूर्ण है या अदा की गयी आवश्यक रकम त्रुटिपूर्ण है तब, पदाभिहित प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर, यथा संभव शीघ्र, त्रुटि सूचना जारी करेगा और अदा की जानेवाली आवश्यक रकम का विवरण के साथ आवेदन में त्रुटि के बारे में आवेदक को संसूचित करेगा :

परन्तु, आवेदन के संबंध में त्रुटि सूचना केवल एक बार ही जारी की जायेगी।

(३) आवेदक, त्रुटिसूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, त्रुटियाँ दुरुस्त करेगा और यदि कोई हो, अदायगी करेगा और पदाभिहित प्राधिकारी को ऐसा आवेदन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु, किसी मामले में, आवेदक को ३१ अगस्त, २०१९ के पश्चात्, त्रुटि सूचना में, यथा विनिर्दिष्ट, ऐसी अदायगी करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(४) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, पदाभिहित प्राधिकारी उस आवेदन की यथार्थता और सम्पूर्णता की जाँच करेगा और जिस चरण में आवश्यक रकम की अदायगी की है, उस चरण को ध्यान में लेकर अधित्यजन की सीमा परिगणित करेगा।

(५) आवेदक अतिरिक्त अदायगी, यदि कोई हो, समेत इस प्रकार संसूचित त्रुटियाँ दुरुस्त करने के लिए असफल होने के मामले में पदाभिहित प्राधिकारी कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के लिये और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, समुचित आदेश पारित करेगा :

परन्तु, पदाभिहित प्राधिकारी, अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन जिस चरण में आवश्यक रकम अदा की है उस चरण को ध्यान में रखकर उक्त आवेदक को उपलब्ध हो सके ऐसे समूचित लाभ का इन्कार नहीं करेगा।

बकायों का निपटान और निपटान का आदेश पारित करना।

१२. (१) यदि पदाभिहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि, आवेदक ने, धारा १० के अनुसरण में, निर्धारित आवश्यक रकम अदा की है तो पदाभिहित प्राधिकारी एक आदेश पारित करेगा और आवेदक को उक्त आदेश की प्रति देगा और उसपर, सुसंगत अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा आवेदक निपटान आदेश में विनिर्दिष्ट अधित्यजन की रकम की सीमा तक उसके दायित्व से निर्वहन करेगा।

(२) जहाँ, कर ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों का निपटान करने के लिए किया गया आवेदन इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसार नहीं है, तब पदाभिहित प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा आवेदन को अस्वीकृत कर सकेगा।

(३) पदाभिहित प्राधिकारी, अपने स्व-प्रस्ताव पर या आवेदक के आवेदन पर उस आवेदक द्वारा निपटान आदेश की प्राप्ति के दिनांक से छह महीने के भीतर अभिलेख से दृश्य की किसी गलती को दुरुस्त करेगा :

परन्तु, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, प्रतिकूल प्रभावित करनेवाला आदेश नहीं दिया जायेगा ।

अपील ।

१३. (१) धारा १२ के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील,—

(क) यदि आदेश उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो विक्रय कर उपायुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा ;

(ख) यदि आदेश संबंधित विक्रय कर उपायुक्त द्वारा पारित किया गया है तो संबंधित संयुक्त विक्रय कर आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा।

(२) धारा १२ में उल्लिखित आदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिनों के भीतर अपील प्रस्तुत की जायेगी और उसके पश्चात्, प्रस्तुत अपील उप-धारा (१) में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा विलंबित माफ किये बगैर ग्रहण नहीं किया जायेगा।

प्राधिकारियों की शक्तियाँ

१४. (१) अधिकरण समेत अपील प्राधिकारी धारा ७ के अधीन जिसके लिये आवेदक द्वारा आवेदन किया है, उस एक या अधिक मुद्दों या सभी मुद्दों के संबंध में और उसकी सीमा तक विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी अपील पर, विनिश्चय करने की कार्यवाही नहीं करेगा।

(२) सुसंगत अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्धारण प्राधिकारी, अधिकरण समेत अपील प्राधिकारी, पुनरीक्षण प्राधिकारी, पुनर्विलोकन प्राधिकारी,

(क) जिसके लिये आवेदक द्वारा निपटान के लिए आवेदन नहीं किया है, ऐसे मुद्दों की सीमा तक; या

(ख) धारा १३ के अधीन किसी मामले में अपील दायर नहीं किया है तब पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा निपटान के लिए आवेदन अस्वीकृत किया है तब धारा १२ की उप-धारा (२) में, निर्दिष्ट निपटान के किसी आदेश के मामले में,

सुसंगत अधिनियम के अनुसरण में ऐसा निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के बारे में विनिश्चिय करने की कार्यवाही करेगा।

निपटान मामलों को फिर से शुरू करने का वर्जन।

१५. धारा १२, की उप-धारा (१) के अधीन जारी किये गये निपटान कों कोई आदेश, बकायों के निपटान के लिये निर्णायक होगा, उस आदेश के अधीन सम्मिलित मामला सुसंगत अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाहियों में फिर से शुरु नहीं किया जायेगा।

निपटान का आदेश प्रतिसंहृत करना।

१६. (१) धारा १५ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ पदाभिहित प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि, आवेदक ने किसी महत्त्वपूर्ण जानकारी छिपाई है या विशिष्ट या किसी गलत या मिथ्या जानकारी के प्रस्तुति द्वारा निपटान के लाभ प्राप्त किये है या सुसंगत अधिनियम के अधीन तलाशी या ज़प्ती और तलाशी से संबंधित कार्यवाहियों में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का छिपाव, किसी विशिष्टियों का छिपाव पाया गया

है तो पदाभिहित प्राधिकारी, आवेदक को कारणों को लिखित में अभिलिखित करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर जिसमें निपटान का आदेश तामिल किया गया है, तो धारा १२ की उप-धारा (१) के अधीन जारी उक्त आदेश प्रतिसंहत करेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन, यदि निपटान आदेश प्रतिसंहत किया गया है, तो, निपाटन के ऐसे आदेश द्वारा सम्मिलित सुसंगत अधिनियम के अधीन निर्धारण, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या, यथास्थिति, अपील धारा ८ और १५ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रतिसंहरण पर तत्काल पुनरुज्जीवित या पुनःस्थापित होगा, और ऐसा निर्धारण, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या, यथास्थिति, अपील पर मानों कि, कर, ब्याज, शास्ति या विलम्बीत फीस के बकायों के निपटान का आदेश नहीं किया गया है तो सुसंगत अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में विनिश्चय किया जायेगा और सुसंगत अधिनियम के अधीन उपबंधित सीमा अवधि के होते हुए भी, ऐसा प्रतिसंहत आदेश पारित करने के दिनांक से दो वर्षों के भीतर संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसा निर्धारण, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, या, यथास्थिति, अपील के बारे में कार्यवाही की जायेगी :

परन्तु, प्रतिसंहरण आदेश के संसूचना के दिनांक से साठ दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी को इस निमित्त किये गये आवेदन पर अपील पुनःस्थापित किया जायेगा।

पुनर्विलोकन।

१७. पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के पश्चात्, आयुक्त, आदेश को तामिल होने के दिनांक से बाहर महीनों के भीतर किसी भी समय पर अपने खुद के प्रस्ताव पर, ऐसे आदेश के अभिलेख माँग सकेगा और ऐसे आदेश में गलति पाने के पश्चात् जहाँ तक हो सके, राजस्व के हित को प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो निर्धारिती पर सूचना तामिल करेगा और जहाँ आवश्यक हो, अपने सर्वोत्तम न्यायनिर्णय से आदेश पारित करेगा।

अधिनियम के अधीन प्रतिदाय न करना।

१८. किसी परिस्थितियों के अधीन आवेदक इस अधिनियम के अधीन अदा की गई रकम प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं होगा :

परन्तु, धारा १६ के उपबंधों के अनुसरण में, निपटान के आदेश के प्रतिसंहरण के मामले में इस अधिनियम के अधीन आवेदक द्वारा अदा की गई रकम सुसंगत अधिनियम के अधीन अदा की गई समझी जायेगी।

अधिनियम के अधीन आयुक्त की शक्तियाँ।

१९ (१) आयुक्त, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, पदाभिहित प्राधिकारियों को, जैसा वह उचित समझे ऐसे अनुदेशों और निदेशों को समय-समय से जारी कर सकेगा।

(२) आयुक्त, आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्ररूपों और जिस रीती में प्रस्तुत किया जाएगा यह रीति, विहित कर सकेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

२०. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में, यदि कठिनाई उद्भूत होती है तो, सरकार जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** मे प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो किसी बात को कर सकेगी, जो उस कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारभ्मण के दिनांक से दो वर्ष की अवधी अवसित होने के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ५ ।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ५ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

२१. (१) महाराष्ट्र कर, ब्याज, शास्ति या विलंबित फीस के बकायों का निपटान अध्यादेश, २०१९ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात, या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या यथास्थिति जारी की गई समझी जायेगी।

उपाबंध–क

(देखिए धारा १०)

३१ मार्च २०१० तक की अवधि के लिए

		प्रथम चरण		द्वितीय चरण	
अ. क्र.	रकम	अदा की जानेवाली रकम	अधित्यजन की रकम	अदा की जानेवाली रकम	अधित्यजन की रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
१	अविवादित कर की रकम।	स्तंभ (ख) में की रकम के १०० प्रतिशत।	शून्य।	स्तंभ (ख) में की रकम के १०० प्रतिशत।	शून्य।
२	विवादित कर की रकम।	स्तंभ (ख) में के रकम के ५० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के ५० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के ६० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के ४० प्रतिशत।
३	किसी सांविधानिक आदेश या विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार भुगतान की जानेवाली ब्याज की रकम।	स्तंभ (ख) में की रकम के १० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के ९० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के २० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के ८० प्रतिशत।
४	किसी संविधानिक आदेश के अनुसार परादेय शास्ति की रकम या सुसंगत अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति।	स्तंभ (ख) में की रकम के ५ प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के ९५ प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के १० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के ९० प्रतिशत।
५	सुसंगत अधिनियम के अधिन ब्यौहारी द्वारा किए गए आवेदन के दिनांक तक उद्ग्रहणीय परंतु उद्ग्रहीत न की गई निर्धारणोत्तर ब्याज या शास्ति या दोनों की रक्कम।	स्तंभ (ख) में की रकम के शून्य प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के १०० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के ० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के १०० प्रतिशत।
६	१ अप्रैल २०१९ से ३१ अगस्त २०१९ तक प्रारम्भित होनेवाली अवधि के दौरान दाखिल विवरणी के संबंध में भुगतान योग्य विलंबित फीस।	स्तंभ (ख) में की रकम के शून्य प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के १०० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के शून्य प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के १०० प्रतिशत।

उपाबंध–ख

(देखिए धारा १०)

३१ मार्च २०१० पर या के पश्चात् प्रारम्भित होनेवाले और ३० जून २०१७ पर या के पूर्व समाप्त होनेवाली अवधि के लिए

		प्रथम चरण		द्वितीय चरण	
अ. क्र.	रकम	अदा की जानेवाली रकम	अधित्यजन की रकम	अदा की जानेवाली रकम	अधित्यजन की रकम
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
१	अविवादित कर की रकम।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के १०० प्रतिशत।	शून्य ।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के १०० प्रतिशत।	शून्य ।
२	विवादित कर की रकम।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के ७० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के ३० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के ८० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के २० प्रतिशत।
३	सुसंगत अधिनियम के अधीन भुगतान योग्य ब्याज या किसी सांविधानिक आदेश या विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार अदा की जानेवाली ब्याज की रकम।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के २० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के ८० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के ३० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में की रकम के ७० प्रतिशत।
४	किसी सांविधानिक आदेश के अनुसार परादेय शास्ति की रकम सुसंगत अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के १० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट की रकम के ९० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के २० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट की रकम के ८० प्रतिशत।
५	सुसंगत अधिनियम के अधीन ब्यौहारी द्वारा किए गए आवेदन के दिनांक तक उद्ग्रहणीय परंतु उद्ग्रहीत न की गई निर्धारणोत्तर ब्याज या शास्ती की रकम।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के शून्य प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के १०० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के शून्य प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट की रकम के १०० प्रतिशत।
६	१ अप्रैल २०१९ से ३१ अगस्त २०१९ तक प्रारम्भित होनेवाले अवधि के दौरान दाखिल की गई विवरणी के संबंध में भुगतान योग्य विलंबित फीस।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के शून्य प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के १०० प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के शून्य प्रतिशत।	स्तंभ (ख) में निर्दिष्ट रकम के १०० प्रतिशत।

(यथार्थ अनुवाद),

नं. मा. राऊत,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2019.

THE MAHARASHTRA TAX LAWS (SECOND AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ८ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVI OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND CERTAIN TAX LAWS IN OPERATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ९ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में परिचालित कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में परिचालित कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कर विधि (द्वितीय संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१९ कहलाए ।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के **राजपत्र** में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगा ।

अध्याय दो

महाराष्ट्र राज्य में वृत्ति, व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में संशोधन ।

सन् १९७५ का महा. १६।

२. महाराष्ट्र राज्य में वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, " वृत्ति कर अधिनियम " कहा गया है), की धारा ५ की, उप-धारा (५) में,— सन् १९७५ का महा. १६ की धारा ५ में संशोधन ।

" ५. जहाँ रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी कोई नियोक्ता, आवश्यक समय के भीतर ऐसे प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने में असफल होता है तो, विहित प्राधिकारी, उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे नियोक्ता के मामले में विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पाँच रुपयों की शास्ति अधिरोपित करेगा । "।

३. वृत्ति कर अधिनियम की धारा ८ की, उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९७५ का महा. १६ की धारा ८ में संशोधन ।

" (२) किसी नामांकित किये गये व्यक्ति से, उसके नामांकन प्रमाणपत्र में यथा विनिर्दिष्ट, देय कर की रकम, प्रत्येक वर्ष के लिए, उक्त वर्ष के ३१ मार्च पर या के पूर्व भुगतान की जायेगी :

परंतु, उस व्यक्ति के संबंध में, जो नामांकित किया गया है और कर का दर, जिस पर वह कर का भुगतान करने का दायी है वह पुनरीक्षित किया गया है, तब, ऐसा पुनरीक्षित कर, उस वर्ष के जिस वर्ष में वह दर पुनरीक्षित किया गया है, के ३१ मार्च पर या के पूर्व भुगतान करेगा । "।

४. वृत्ति कर अधिनियम की धारा ९ की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९७५ का महा. १६ की धारा ९ में संशोधन ।

" (३क) नामांकन प्राप्त करने के लिए दायी यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नामांकन के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने में असफल होता है तो वह ऐसे कर की अदायगी के दिनांक तक उस वर्ष के १ जुलाई से, वर्ष के संबंध में देय कर की रकम के अलावा, जिसके लिए वह नामांकन शेष रहा है, देय कर की रकम के प्रति महीने या उसके भाग के, १.२५ प्रतिशत की दर पर सामान्य ब्याज का भुगतान करने के लिए दायी होगा । " ।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में संशोधन ।

सन् २००५ का महा. ९।

५. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, " मूल्यवर्धित कर अधिनियम " कहा गया है), की धारा २३ की, उप-धारा (५), के खण्ड (क) में, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा और १ अप्रैल, २००५ से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :— सन् २००५ का महा. ९ की धारा २३ में संशोधन ।

" परंतु, जहाँ,—

(एक) रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी ने उसकी अंतिम विवरणी में या उस वर्ष की, पुनरीक्षित विवरणी में प्रतिदाय का दावा किया है, या

(दो) लेखा संपरीक्षक ने, धारा ६१ के अधीन उसके लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में, प्रतिदाय के लिए पात्रता के बारे में उल्लिखित किया है,

तब, विहित प्राधिकरण, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे शर्तों, निर्बंधनों और सुरक्षा के अध्यधीन, इस प्रकार किये गए दावे का या, यथास्थिति, उल्लिखित प्रतिदाय, इस खण्ड के अधीन शुरू की गयी प्रारम्भिक कार्यवाही में अवधारित कर दायित्व, ब्याज और शास्ति, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात्, ऐसे ब्योहारी को वास्तविक प्रतिदाय अनुदत्त होगा, या, यथास्थिति, वास्तविक कर दायित्व अवधारित होगा :

परंतु, यह और भी कि किसी मामले में दायर की गयी विवरणी में दावा या धारा ६१ के अधीन दायर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दाखिल किये गये या उल्लिखित, जो बाद में दायर है, परन्तु ३१ मार्च, २०१९ के बाद में न हो, प्रतिदाय की रकम केवल प्रथम परंतुक के प्रयोजन के लिये विचार में ली जायेगी । "।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ६१ में संशोधन ।

६. मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की, धारा ६१ की, उप-धारा (१) के परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु यह और भी कि, ब्यौहारी जो, १ अप्रैल २०१९ पर या के पश्चात् से, प्रारंभ होनेवाले किसी वर्ष में कर का दायित्व पच्चीस हजार रुपयों से अधिक न हो तो ऐसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दायर करने के लिए दायी नहीं होगा । सन् १९५६ का महा. ७४।

स्पष्टीकरण.—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, " कर दायित्व " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, संबंधित अधिनियमों के अधीन, ब्यौहारी द्वारा दावित मुजराई या प्रतिदाय की रकम के समायोजन के पश्चात्, यदि कोई हो, मूल्यवर्धित कर अधिनियम या, यथास्थिति, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ के अधीन ब्यौहारी द्वारा भुगतान किये जानेवाले कुल सभी करों से है । "। सन् १९५६ का ७४।

अध्याय चार

विधिमान्यता और व्यावृत्ति

विधिमान्यता और व्यावृत्ति ।

७. (१) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ब्यौहारी या व्यक्ति द्वारा प्रभावित विक्रय या क्रय के संबंध में कर का कोई निर्धारण अपील, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण, महाराष्ट्र कर विधि (द्वितीय संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१९ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में, " संशोधन अधिनियम " के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा यथा संशोधित, मूल्यवर्धित कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसे निर्धारण, अपील, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में की गई कोई कार्यवाही या कृत कोई बात, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जायेगी, मानों कि ऐसा निर्धारण, अपील, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण या कार्यवाही या बातें किए जाने से तात्पर्यित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन, सुसंगत दिनांक पर प्रचलित थी और तद्नुसार,— सन् २०१९ का महा. १६।

(क) ऐसे किसी कर के निर्धारण, अपील, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किये गये समस्त कृत्य, कार्यवाहियाँ या बातें, सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार किया गये या की गई और सदैव किये गये और की गई समझी जाएगी ;

(ख) इस प्रकार अदा किये गये किसी कर के प्रतिदाय के लिए, किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष, कोई वाद, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित या बनाये या जारी नहीं रखी जाएगी ; और

(ग) कोई न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी, ऐसे किसी कर के प्रतिदाय के लिए कोई डिक्री या आदेश प्रवर्तित नहीं करेगा ।

(२) संदेह निवारणार्थ, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उप-धारा (१) की कोई बात, किसी व्यक्ति को,—

(क) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट कर के किसी निर्धारण, अपील, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण के बारे में इस संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रश्नगत करने से, या

(ख) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन कर के ज़रिए उसके द्वारा देय रकम से अधिक, उसके द्वारा अदा किये गये किसी कर के प्रतिसंदाय का दावा करने से, रोकती हुई नहीं समझी जाएगी ।

(यथार्थ अनुवाद)

नं. मा. राऊत,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2019.

THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL UNIVERSITIES (KRISHI VIDYAPEETHS) (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक १२ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVII OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL UNIVERSITIES (KRISHI VIDYAPEETHS) ACT, 1983.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १७ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक १७ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

सन् १९८३ का महा. ४१।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ में, अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिए भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्‌द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं :—

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

सन् १९८३ का महा. ४१ की धारा १७ में संशोधन।

सन् १९८३ का महा. ४१।

२. महाराष्ट्र कृषि विश्वविद्यालय (कृषि विद्यापीठ) अधिनियम, १९८३ की धारा १७ की, उप-धारा (१) के, खंड (क) के, उप-खंड (दो) के स्थान में, निम्न उप-खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(दो) महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के ; या निम्न में से उसके नामनिर्देशित :—

(क) व्यक्ति जो महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के रुप में सेवानिवृत्त हुआ हैं ; या

(ख) अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (एएसआरबी), नई दिल्ली ; या

(ग) निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था (आय ए आरआय), नई दिल्ली ;"।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2019.

THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २० जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XVIII OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई महानगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १८८८ का ३। सन् १९४९ का ४१।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है। अत: भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

१. यह अधिनियम मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए। संक्षिप्त नाम।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन

सन् १८८८ का ३ की धारा १३९क में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १३९क की उप-धारा (२) में " या भवन का कोई हिस्सा " शब्दों के पश्चात्, निम्न शब्द, कोष्ठक और अंक जोडे जायेंगे, अर्थात् :— सन् १८८८ का ३।

" और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा २ के खण्ड (२७) में यथा परिभाषित उनकी फ्रेंचाईज या महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रशासकीय या किसी ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोगी भवन या भूमि होती है परंतु, केवल विद्युत वितरण मुलभूत संरचना जैसे कि विद्युत ट्रान्सफॉर्मर के लिए भवन या भूमि का उपयोग सम्मिलित नहीं है, कोई विद्युत उपस्कर, उपरी और भूमिगत केबल या महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और ऐसे फ्रेंचाईज या महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड द्वारा सृजित या सम्पोषित उसी के समान ऐसे उपस्करों के लिए उपयोगी भवन या भूमि का समावेश नही है। "

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन

सन् १९४९ का ४१ की धारा १२८क का संशोधन।

३. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा १२८क की उप-धारा (२) में " या भवन का कोई हिस्सा " शब्दों के पश्चात्, निम्न शब्दों, कोष्टको और अंकों को जोडा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ४१।

" महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा २ के खण्ड (२७) में यथा परिभाषित उनकी फ्रेंजाईजी, या महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रशासकीय या किसी ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोगी भवन या भूमि होती है, परंतू केवल विद्युत वितरण मुलभूत संरचना जैसे की विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, कोई विद्युत उपस्कर, उपरी और भूमिगत केबल या उसी प्रकार के महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और ऐसी फ्रेंचाइजी या महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, द्वारा सृजित या सम्पोषित ऐसे उपस्करों के लिए उपयोगी भवन या भूमि का समावेश नहीं है "। सन् २००३ का ३६।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2019.

THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL LANDS (CEILING ON HOLDINGS) (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XIX OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL LANDS (CEILING ON HOLDINGS) ACT, 1961.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र कृषि भूमि (धृति की अधिकतम सीमा) अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९६१ को महा. २७।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि भूमि (धृति की अधिकतम सीमा) अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि भूमि (धृति की अधिकतम सीमा) (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

सन् १९६१ का महा. २७ की धारा ४७ में संशोधन।

सन् १९६१ को महा. २७।

२. महाराष्ट्र कृषि भूमि (धृति की अधिकतम सीमा) अधिनियम, १९६१ की धारा ४७ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (ग) के स्थान में, निम्न, रखा जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९६६ का महा. ३७।

" (ग) भूमि जो महाराष्ट्र प्रादेशिक और नगर योजना अधिनियम, १९६६ की धारा १८ या, यथास्थिति, ४४ के अधीन घोषित एकात्मिक नगर परियोजना समेत **वास्तविक** औद्योगिक या अन्य अकृषक उपयोग के लिए औद्योगिक उपक्रम या लोकन्यास या फर्म या कंपनी द्वारा किसी रित्या में धारित की गई है या अर्जित की जानी है। चाहे ऐसी भूमि इसप्रकार धारित की गई है या अर्जित की जाने वाली है, के विचारार्थ में, राज्य सरकार, निम्न विचारों पर ध्यान देगी, वह इसप्रकार से है,—

(एक) उपक्रम या लोकन्यास या फर्म या कंपनी (किसी भूमि समेत जो पहलेसे ही औद्योगिक या अकृषक उपयोग के लिए धारित की जा सकेगी) द्वारा पहलेसे ही धारित, यदि कोई हो, भूमि का विस्तार और स्थान ;

(दो) उस व्यक्ति द्वारा धारित भूमि का विस्तार जिससे यह भूमि अर्जित की जानी है। "।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2019.

THE MAHARASHTRA INCREASE OF LAND REVENUE AND SPECIAL ASSESSMENT (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XX OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA INCREASE OF LAND REVENUE AND SPECIAL ASSESSMENT ACT, 1974.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व की वृद्धि और विशेष निर्धारण अधिनियम, १९७४ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९७४ का महा. २०।

क्योंकि इसमे आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र भू-राजस्व की वृद्धि और विशेष निर्धारण अधिनियम, १९७४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व की वृद्धि और विशेष निर्धारण (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

सन् १९७४ का महा. २० की धारा १२क में निवेशन।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व की वृद्धि और विशेष निर्धारण अधिनियम, १९७४ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम," कहा गया है) की धारा १२ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९७४ का महा. २०।

अधिनियम कतिपय भूमि को लागू नहीं होगा।

"**१२क.** इस अधिनियम की कोई भी बात, महाराष्ट्र गृहनिर्माण और क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ के अधीन स्थापित महाराष्ट्र गृहनिर्माण और क्षेत्र विकास प्राधिकरण या महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ के अधीन नवीन नगर विकास प्राधिकरण के रूप में घोषित शहर और औद्योगिक विकास निगम द्वारा पट्टे पर या धारित भूमि को लागू नहीं होगी।"। सन् १९७७ का महा. २८। सन् १९६६ का महा. ३७।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

३. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में, यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों से असंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परन्तु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2019.

THE MAHARASHTRA STAMP (AMENDMENT AND VALIDATION) (CONTINUANCE) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. १ ।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, २०१९ (जिसे इसमें आगे, "उक्त अध्यादेश" कहा गया है) १३ फरवरी, २०१९ को प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि २५ फरवरी २०१९ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, २०१९ (वि.स. विधेयक क्र. १ सन् २०१९), २६ फरवरी, २०१९ को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि, तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र २८ फरवरी २०१९ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२)(क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवधि के अवसान पर, अर्थात् ७ अप्रैल २०१९ के पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान था जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) (जारी रहना) अध्यादेश, २०१९, ८ मार्च २०१९ का प्रख्यापित किया गया था ; सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ७।

और, क्योंकि महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) (जारी रहना) अध्यादेश, २०१९ को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अत: भारत गणराज्य के सत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) (जारी रहना) अधिनियम, २०१९ कहलाए ।

(२) यह १३ फरवरी २०१९ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९५८ का ६० की धारा ९ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ९ के खण्ड (क) में, " शुल्क " शब्द के स्थान में, " शुल्क या शास्ति, यदि कोई हो, या दोनों " शब्द रखे जायेंगे और १ अप्रैल १९९४ से रखे गये समझे जायेंगे । सन् १९५८ का ६० ।

सन् १९५८ का महा. ६० की धारा ३९ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३९ की, उप-धारा (१) के, खण्ड (ख) में,—

(एक) प्रथम परन्तुक के पूर्व, निम्न निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, शुल्क, जिसके लिए किसी प्रचलित नीति के अधीन धारा ९ के खण्ड (क) के अधीन सरकार द्वारा कटौती या परिहार अनुदत्त है, शास्ति की गणना के प्रयोजन के लिए शुल्क के त्रुटिपूर्ण भाग के रूप में मानी नहीं जायेगी, यदि लाभग्राही को सरकार से पूर्वानुमोदन से या निराक्षेप से ऐसे लाभ से छूट या परिहार किया गया या अभ्यर्पण या क्षमापित या अभ्यर्पित किया गया है : " ;

(दो) प्रथम परन्तुक में, " परंतु कि ", शब्दों के स्थान में, " परंतु यह और भी कि ", शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) द्वितीय परन्तुक में, " परंतु यह और भी कि ", शब्दों के स्थान में, " परंतु यह भी कि " शब्द रखे जायेंगे।

विधिमान्यकरण ।

४. (१) किसी न्यायालय के न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल या मूल अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा ऐसी कटौती या परिहार के अनुसरण में, की गयी किसी कार्यवाही समेत, मूल अधिनियम की धारा ९ के खण्ड (क) के अधीन अनुदत्त शुल्क या शास्ति या दोनों में छूट या परिहार, मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत या करने के लिए तात्पर्यित है तो विधि

सन् २०१९ का महा. २१। के अनुसरण में, वैधता अनुदत्त हुई समझी जायेगी मानों कि, महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) (जारी रहना) अधिनियम, २०१९ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में "संशोधन अधिनियम," कहा गया है) द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम की धारा ९ के खण्ड (क) के उपबंध सभी समय में, निरन्तर प्रवृत्त थे और तद्नुसार,—

(क) शुल्क या शास्ति या दोनों की कटौती या परिहार के संबंध में मूल अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा कृत सभी कार्रवाई, या की गई कार्यवाहियाँ या बातें सभी प्रयोजनों के लिए मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में, कृत या की गई समझी जायेगी ;

(ख) वाद या अन्य कार्यवाहियाँ शुल्क या शास्ति या दोनों के अनुदत्त परिहार या कटौती के लिए उक्त प्राधिकरण के विरुद्ध किसी न्यायालय में बनाए रखी या जारी रखी नहीं जायेंगी ।

(२) संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उप-धारा (१) की कोई भी बात,—

(क) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्रश्नगत होने से, इस धारा की उप-धारा (१) में निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क या शास्ति या दोनों के किसी निर्धारण, पुनर्निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण करने के लिये किसी व्यक्ति को रोकने के रूप में नहीं मानी जायेगी ; या

(ख) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन शुल्क या शास्ति या दोनों के ज़रिए उससे देय राशि के अधिक में मूल अधिनियम के अधीन उसके द्वारा अदा किसी स्टाम्प शुल्क के प्रतिदाय से किसी व्यक्ति को रोकने के रूप में मानी नहीं जायेगी ।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ७ । **५.** (१) महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन और विधिमान्यकरण) (जारी रहना) अध्यादेश, २०१९ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ७ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2019.

THE SPICER ADVENTIST UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2019.

AN ACT TO AMEND THE SPICER ADVENTIST UNIVERSITY ACT, 2014.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

स्पाईसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, स्पाईसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ में संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक था ; और, इसलिए, स्पाईसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१९, १० मार्च, २०१९ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् २०१४ का महा. १४।
सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. १२।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम स्पाईसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए ।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह १० मार्च, २०१९ को प्रवृत हुआ समझा जायेगा ।

सन् २०१४ का महा. १४ ।

सन् २०१४ का महा. १४ की धारा ५१ का प्रतिस्थापन।

२. स्पाईसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ५१ के स्थान में निम्न धारा, रखी जायेगी और हमेशा रखी गई समझी जायेगी अर्थात् :—

सचिवालय समिति ।

" **५१.** (१) प्रायोजक निकाय द्वारा उपबंधित उपक्रमों के अनुसार अनुपालन की जाँच और कार्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के क्रम में एक सचिवालय समिति होगी ।

(२) उक्त समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और योजना विभाग के सचिव से मिलकर बनेगी । समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी । रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के पश्चात्, सरकार, आवश्यक आदेश जारी कर सकेगी । "।

सन् २०१४ का महा. १४ में धारा ५२ का जोड़ना।

३. मूल अधिनियम की धारा ५१ के पश्चात्, इस प्रकार रखी गयी निम्न धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

दंड ।

" **५२.** इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करना अपराध होगा और विश्वविद्यालय साथ ही साथ धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को तीन महीने से कम न हो, परंतु जिसे एक वर्ष तक बढाया जा सके ऐसे कारावास से और पचास हजार रुपयों से कम न हो, परन्तु जिसे पाँच लाख रुपयों तक बढाया जा सके ऐसे जुर्माने से दंडित किया जायेगा :

परन्तु, इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि, स्पाइसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ द्वारा उसके संशोधन के पूर्व, विश्वविद्यालय के समापन के लिए कार्यवाहियों समेत इस अधिनियम के उपबंधों के अन-अनुपालन के लिए, चाहे सिविल या दांडिक कोई कार्यवाही शुरू करने से सरकार को रोक रही है । "।

सन् २०१९ का महा. २२।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. १२ ।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. १२ का निरसन और व्यावृत्ति।

४. (१) स्पाईसर एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2019.

THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंड़ल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१९, ९ मार्च २०१९ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९६१ का २४ ।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ९ ।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को लघु उपांतरणों के साथ राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए ।

(२) यह ९ मार्च २०१९ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६१ का महा. २४।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३ गख में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया हैं) की धारा ७३ गख की उप-धारा (११) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और भी कि, २५० सदस्यों से कम या तक की गृहनिर्माण संस्था के मामले में, समिति का निर्वाचन, विहित किया जाये ऐसी रित्या में, उक्त गृहनिर्माण संस्था द्वारा संचालित किया जायेगा।" ।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १०१ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १०१ की, उप-धारा (१) में, "सहकारी गृहनिर्माण संस्था द्वारा, उसके देयों की वसूली के लिये या उसके रखरखाव और सेवा प्रभारों के लिये, या " शब्द और **स्पष्टीकरण दो**, अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १४६ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा १४६ के, खण्ड (त-१) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(त-२) यदि गृहनिर्माण संस्था की समिति का कोई भी अधिकारी या भूतपूर्व अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, धारा १५४ ख-८ की उप-धारा (२) के अधीन, यथा उपबंधित दस्तावेजों के प्रतियों की आपूर्ति करने में विफल होता हैं ; या "।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १४७ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १४७ के, खण्ड (त-१) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(त-२) यदि, यह उस धारा के खण्ड (त-२) के अधीन अपराध हैं, तब, धारा १५४ख ८ की उप-धारा (२) में, यथा उपबंधित अवधि के अवसित होने के पश्चात्, एक सौ रुपये प्रतिदिन जुर्माने से, जिसे पाँच हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा से ;"।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १५२ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा १५२ की, उप-धारा (१) में, "१०५ समेत संस्था को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए किसी आदेश के विरुद्ध " अंकों और शब्दों के पश्चात् " और धारा १५४ख-२, १५४ख-३, १५४ख-९ और १५४ख-२७ " शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किए जायेंगे।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा १५४ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा १५४ की, उप-धारा (२क) में, " धारा १०१ के अधीन " शब्दों और अंकों के पश्चात् " या धारा १५४ख-२९ " शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे।

सन् १९६१ का महा. २४ के अध्याय १३-ख में निविष्टि।

८. मूल अधिनियम की धारा १५४-क के पश्चात्, निम्न **अध्याय,** निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"अध्याय तेरह-ख"
सहकारी गृहनिर्माण संस्थाएँ

गृहनिर्माण संस्थाओं को अधिनियम के उपबंधों का लागू होना या लागू न होना।

१५४ ख. (१) इस अधिनियम के निम्न उपबंध, **यथावश्यक परिवर्तन समेत,** गृहनिर्माण संस्थाओं को लागू होंगे, अर्थात् :—

धारा १ और धारा २ के खंड (५), (६), (७), (८), (१०), (१०क-एक), (१०क-दो),(१०क-तीन), (१३), (१४), (१६), (१७), (१८), (२० क), (२१), (२४), (२६), (२७), (२८), (२९), (२९क), और (३१),

धाराएँ ३, ३क, ४, ५, ७, ९, १०, १२, १३, १४, १५, १७, १८, १९, २०, २० क, २१, २१ क, २२, धारा २३ की उप-धाराएँ (१), (२) और (३), धाराएँ २५, २५ क, ३१, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ४०, ४१, ४२, धारा ४३ की उप-धारा (१) के परंतुक को छोड़कर, धारा ४५ और धारा ४७ की उप-धाराएँ (१), (ख), (२) और (३), धाराएँ ५०, धारा के ६२ के खण्ड (क) (ग) (घ) और (ङ) धाराएँ ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७१क, ७२, ७३, धारा ७३ एक घ की उप-धाराएँ (२) से (७), धारा ७३ग, ७३गख, ७३गग, ७३च, ७३ ज, ७५, ७६, ७७, ७७क, ७८क, धारा ७९ की उप-धाराएँ (१), (१क) (१ख), (२), (३) और (४), धारा ७९क, ७९कक, ८०, ८१ से ८९ क, ९१ से १००, १०२ से ११०, १४५ से १४८ क, १४९ से १५४, १५४ क और १५५ से १६८।

(२) इस अधिनियम के निम्न उपबंध, गृहनिर्माण संस्थाओं को, लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

धारा २ के खंड (१), (क) और (ख), (२), (क), (ख) और (ग), (४), (९), (१०-क दो-१), (१० क), (११), (११क), (१२), (१४क), (१५), (१६-क), (१९) (क) (क-१) (ख) और (ग), (१९-क), (२२), (२३) और (२५), धाराएँ ६ और ८, ११, १६, (१८क), १८ख, १८ग, २३(४), २४, २४क, २६, २७, २८, २९, ३०, ३२, ३२क, ३९, ४४, ४४क, ४६, ४७(१) (क), ४७(४), ४८, ४८क, ४९, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२(ख), ६३, ६९(ख), ७२क, ७३(१क), (ख), ७३क, ७३ककक, ७३ख, ७३गक, ७३घ, धाराएँ ७३(एक) घ की उप-धारा (१), धारा ७४, ७८, ९०, १०१, ११०क और धाराएँ १११ से १४४-१क।

१५४ ख-१ इस अध्याय में, जबतक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएँ।

(१) "आबंटिती" का तात्पर्य, सहकारी गृहनिर्माण संस्था का सदस्य, जिसे, उसके द्वारा धारण की गयी सहकारी संस्था द्वारा, भूमि या क्षेत्र पर प्लॉट या भवन या प्रक्षेत्र में फ्लैट आबंटित किया गया हैं या व्यक्ति, जिसने विकासकर्ता या सक्षम प्राधिकारी से फ्लैट खरीदा हैं और संस्था के सदस्य के रूप में, जुड गया हैं, से हैं ;

(२) "वास्तुविद्" का तात्पर्य, वास्तुविद् अधिनियम, १९७२ के उपबंधों के अधीन, वास्तुविद् के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, से हैं ; सन् १९७२ का २०।

(३) "संस्था का सहयोजन" का तात्पर्य,—

(क) पाँच से अनून रजिस्ट्रीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थाएँ, और

(ख) जिसमें मत देने का अधिकार इस प्रकार विनियमित किया गया हो कि सदस्य जिस गृहनिर्माण संस्था के है ऐसी संस्था की आम बैठक में मतों की कुल संख्या से चार-पंचम से कम न, हो;

(४) "संपरीक्षक" का तात्पर्य, फर्म की संपरीक्षा करनेवाला व्यक्ति, जो धारा ८१ की उप-धारा (१) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल पर सूची में नाम लिखा गया हैं, से हैं ;

(५) "निर्माणकर्ता संप्रवर्तक" का तात्पर्य,—

(एक) व्यक्ति, जो अन्य व्यक्तियों को सभी फ्लैट या कुछ फ्लैट को बेचने के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र भवन का या फ्लैटों को समाविष्ट करके भवन की संरचना करता हैं या करवाता हैं, या विद्यमान भवन या उसके भाग को, भवन या भवनों के पुनर्निर्माण समेत फ्लैटों में संपरिवर्तित करता है ; या

(दो) व्यक्ति, जो उक्त परियोजना में, चाहे उसपर संरचनाओं के साथ या बिना संरचना के, सभी या कुछ प्लॉटों को अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने के प्रयोजन के लिये, परियोजना भूमि विकसित करता हैं, चाहे किसी भी प्लॉट पर व्यक्ति केवल संरचना संरचित करता हो या न हो ; या

(तीन) किसी विकासकर्ता प्राधिकरण या किन्हीं अन्य सार्वजनिक निकाय

(क) उनके द्वारा स्वामित्व की भूमि पर ऐसे प्राधिकरण या निकाय द्वारा संरचित किये गये या सरकार द्वारा उनके निपटान के लिये रखे गये भवनों या, यथास्थिति, फ्लैटों को ; या

(ख) सभी या कुछ फ्लैटों या प्लॉटों के विक्रय के प्रयोजन के लिये, ऐसे प्राधिकरण या निकाय द्वारा स्वामित्व के या सरकार द्वारा उनके निपटान के लिये रखे गये प्लॉटों; के संबंध में, या

(चार) शीर्ष राज्यस्तरिय सहकारी गृहनिर्माण वित्तीय संस्था और प्राथमिक सहकारी गृहनिर्माण संस्था, जो, उनके सदस्यों के लिये फ्लैटों या भवनों का या ऐसे फ्लैटों या भवनों के आबंटिती के संबंध में, संरचना करती हैं ; या

(पाँच) कोई अन्य व्यक्ति जो स्वयं, निर्माणकर्ता, नगर निर्माता, संविदाकर्ता, विकासकर्ता, भू-संपत्ति विकासकर्ता के रूप में या किन्हीं अन्य नाम द्वारा कार्य करता हैं या भूमि, जिस पर, विक्रय के लिये भवन या फ्लैट की संरचना या प्लॉट का विकास किया गया हैं, के स्वामी से मुख्त्रारनामा के रूप में कार्य करने के लिये दावा करता हैं ; या

(छह) ऐसा अन्य व्यक्ति, जो सामान्य लोगों के लिये किसी भवन या अपार्टमेंट की संरचना करता हैं, से हैं ;

(६) "मुख्य संप्रवर्तक" का तात्पर्य, संप्रवर्तक, जो सहकारी गृहनिर्माण या क्षेत्रविकास संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रवर्तकों की बैठक में इस प्रकार निर्वाचित किया गया हैं, से हैं ;

(७) "समग्र निधि" का तात्पर्य, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के मार्ग से विकासकर्ता के विकास अधिकार, सौंपने के बदले में विकासकर्ता से संस्था द्वारा प्राप्त किया गया या प्राय : या सामान्य बैठक में यथा विनिश्चित किसी प्रयोजन के लिये सदस्यों द्वारा अंशदान किया गया भुगतान, से हैं ;

(८) "सहकारी गृहनिर्माण सहयोजन" का तात्पर्य, प्लॉट या अभिन्यास के संबंध में सामान्य सुविधाओं या भूमि के हस्तांतरण और सामान्य सुविधाओं के रखरखाव के प्रयोजन के लिये, सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं या अन्य विधिक निकायों के सहयोजन, से हैं ;

(९) "समिति" का तात्पर्य, संस्था की प्रबंध समिति या अन्य शासी निकाय, जिसे, संस्था के कार्यों को निदेशन और प्रबंधन का नियंत्रण सौंपा गया हैं ;

(१०) "समिति सदस्य" का तात्पर्य, संस्था का सदस्य, जो संस्था के अधिनियमों, नियमों और उप-विधियों के अनुसरण में निर्वाचित, या सहयोजित या नामनिर्देशित किया गया हैं, से हैं ;

(११) "व्यतिक्रमी" का तात्पर्य, सदस्य या फ्लैट का स्वामी या अधिभोक्ता, जो सेवा का देयक या सूचना या भुगतान के देय दिनांक, जो भी बाद का हो, के दिनांक से तीन महीनों की अवधि के भीतर संस्था के देयों का भुगतान करने में विफल होता हैं, से हैं ;

(१२) "देयों" का तात्पर्य, संस्था को, सदस्य या फ्लैट के स्वामी द्वारा भुगतानयोग्य और संस्था द्वारा लिखित में देयक या सूचना जारी करने द्वारा माँगी गई रकम से हैं और ऐसी रकम, अधिनियम के उपबंधों, नियमों और संस्था के उप-विधियों पर आधारित होंगी ;

(१३) "फ्लैट" का तात्पर्य, ब्लॉक, सदन, निवास युनिट, अपार्टमेंट, कार्यालय, प्रदर्शन-कक्ष, दुकान, भण्ड़ार, परिसर, कमरा, मकान, युनिट या किन्हीं अन्य नाम से, का तात्पर्य, आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग, जैसे– आवास, कार्यालय, दुकान, प्रदर्शन कक्ष या भण्ड़ार या किन्हीं कारोबार, व्यवसाय, वृत्ति या व्यापार चलाने जैसे या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये आवश्यक किन्हीं अन्य प्रकार के लिये उपयोग किये जानेवाले या उपयोग करने के लिये आशयित भवन में या भूमि के प्लॉट पर एक या अधिक मंझिलों या उसके भाग पर स्थित एक या अधिक कमरों या संलग्न जगह के समेत, किसी स्थावर संपत्ति के अलग से और स्वअंतर्विष्ट भाग, से हैं ;

(१४) "साधारण निकाय" का तात्पर्य, संस्था के सभी सदस्यों, से हैं ;

(१५) "साधारण बैठक" का तात्पर्य, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों और उप-विधियों की दृष्टि में, बुलायी और संचालित की गई साधारण निकाय की बैठक, से हैं ;

(१६) " गृहनिर्माण परिसंघ " का तात्पर्य, सरकार द्वारा, समय-समय से अधिसूचित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के प्रतिनिधि बनने के लिये, सरकार द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचित की गई राज्य या जिला परिसंघ संस्था, से है ;

(१७) **"**गृहनिर्माण संस्था**"** का तात्पर्य, संस्था, जिसका उद्देश्य, उसके सदस्यों को, आवास, निवास स्थान या फ्लैटों के लिये खुले प्लॉट मुहैय्या करना हैं ; या यदि, खुले प्लॉटस्, निवासस्थान या फ्लैट पहले से ही अर्जित किया गया हैं, तब, उसके सदस्यों को सामान्य सुविधाएँ और सेवाएँ मुहैय्या करना और विद्यमान भवनों को गिराना और पुनर्संरचना करना या भूमि की क्षमता का उपयोग करने द्वारा अतिरिक्त आवासों या परिसरों की संरचना करना हैं, से हैं ;

(क) " किरायेदार स्वामित्व गृहनिर्माण संस्था " का तात्पर्य, संस्था, जिसका उद्देश्य, उसके सदस्यों को प्लॉटों पर निवासी युनिट या फ्लैटों की संरचना करने के लिये, प्लॉट आबंटित करना या आवासी युनिट पहले से ही संरचित है और जहाँ, भूमि चाहे, भूमि, संस्था द्वारा पट्टाधृति या बिना-पट्टे की धारण की गई है और घर, सदस्यों द्वारा स्वामित्व के है या स्वामित्व के होने वाले हैं, आबंटित करना हैं, से हैं ;

(ख) " किरायेदार सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्था " का तात्पर्य, संस्था, जिसका उद्देश्य, उसके सदस्यों को पहले से ही संरचित हैं या संरचित किये जाने वाले हैं, आबंटित करना और जहाँ दोनों, भूमि और भवन या कई भवन, संस्था द्वारा, या तो बिना पट्टे पर या पट्टा-धृति के आधार पर धारण की गई हैं, से ; और

(ग) " अन्य गृहनिर्माण संस्थाओं " का तात्पर्य, आवास भोगबंधक सहकारी संस्थाएँ, आवास संरचना सहकारी संस्थाएँ और परिसर सहकारी संस्थाएँ, जहाँ, सभी एकक, कार्यालय या वाणिज्यिक **गालाओं** हैं, से हैं ;

(१८) " सदस्य " का तात्पर्य, सहकारी आवास संस्था जो तत्पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत हैं के रजिस्ट्रीकरण के लिये के आवेदन में सम्मिलित हैं, या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, उसकी सदस्यता के लिये सम्यक्तया प्रवेशित व्यक्ति से हैं, इनमें सहयोगी या संयुक्त या अनन्तिम सदस्य सम्मिलित हैं ;

(क) " सहयोगी सदस्य " का तात्पर्य, व्यक्ति, उसकी लिखित पूर्व सम्मति से उसके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये, सदस्य की लिखित सिफारिश पर गृहनिर्माण संस्था की सदस्यता के लिये सम्यक्तया प्रवेशित व्यक्ति पति, पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, जमाई, बहू, भतीजा, भतीजी से हैं और उसका नाम शेयर प्रमाणपत्र में नहीं रखा जायेगा ;

(ख) " संयुक्त सदस्य " का तात्पर्य, सहकारी गृहनिर्माण संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिये जो तत्पश्चात् रजिस्ट्रीकृत हैं, संयुक्त रूप से, आवेदन में, जुडी व्यक्ति या व्यक्ति, जो उसके रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, सदस्यता के लिये सम्यक्तया प्रवेशित हैं और जो फ्लैट में, शेयर, अधिकार, विलेख और हित रखना हो किंतु उसका नाम शेअर प्रमाणपत्र में प्रथम नहीं रखा है, से हैं ;

(ग) " अनन्तिम सदस्य " का तात्पर्य, व्यक्ति, जिसे, सदस्य की मृत्यू के पश्चात्, नामनिर्देशन के आधार पर, मृत व्यक्ति के स्थान में, संस्था के सदस्य के रूप में विधिक वारिस या वारिसों के प्रवेश तक, अस्थायी रूप से संस्था के सदस्य के रूप में सम्यक्तया प्रवेशित किया गया हैं, से हैं ;

(१९) " अधिकारी " का तात्पर्य, संस्था द्वारा उसकी उप-विधियों के अनुसार किसी पद के लिये निर्वाचित या नियुक्त किये गये व्यक्ति से हैं ; और इसमें, इस अधिनियम, नियमों या उप-विधियों के अधीन ऐसी संस्था के कारोबार के संबंध में निदेश देने के लिये, निर्वाचित या नियुक्त किसी पदाधिकारी, जैसे कि, अध्यक्ष पदेन, उपाध्यक्ष पदेन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त-सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त कोषाध्यक्ष, समिति का सदस्य, प्रबंधक और कोई अन्य व्यक्ति, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, से हैं ;

(२०) " व्यक्ति " में,–

सन् १८७२ का ९।

(एक) व्यक्ति, जो भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ के अधीन संविदा के लिये, सक्षम हैं,

(दो) राज्य सरकार,

(तीन) केन्द्र सरकार,

(चार) हिंदू अविभक्त परिवार,

(पाँच) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी,

सन् १९३२ का ९।

(छह) भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, २००८ के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म,

सन् २००९ का ६।

(सात) स्थानिय प्राधिकरण,

(आठ) व्यक्तियों का सहयोजन या व्यक्तियों की निकाय, चाहे निगमित हो या न हो,

(नौ) सहकारी संस्थाओं से संबंधित किसी विधि के अधीन, रजिस्ट्रीकृत सहकारी संस्था,

(दस) विधि के सुसंगत उपबंधों के अनुसरण में विरचित एक लोक न्यास या परिवार न्यास,

(ग्यारह) कोई भी विधिक निकाय, जो स्थावर संपत्ति धारण कर सके,

(बारह) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय से अधिसूचित किये गये किसी ईकाई, से हैं ;

(२१) "प्लॉट" का तात्पर्य, क्रमांकित किया गया और मंजूर किये गये या किये जानेवाले अभिन्यास में एक प्लॉट के रूप में दिखाये गये भूमि को एक टुकडे, से हैं ;

(२२) "प्रवर्तक" का तात्पर्य, प्रस्तावित संस्था का सदस्य बनने में आशयित व्यक्ति और जो, उसके रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, सदस्य बनता हैं, से हैं ;

(२३) " प्रस्तावित संस्था " का तात्पर्य, संस्था, जिसका प्रस्ताव, विकासकर्ता प्रवर्तक या मुख्य प्रवर्तक द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं और जिसे, नाम रखने के आरक्षण के लिये और उसके नाम से बैंक में खाता खोलने की मंजूरी दी गई हैं, से हैं ।

सहकारी संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण।

१५४ ख-२. (१) कोई भी आवास सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्था, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं होगी, जबतक इसमें, कम-से-कम पाँच व्यक्ति (ऐसे व्यक्तियों से प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न परिवार का सदस्य हो) या कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत (मंजूर योजना के अनुसार फ्लैटों की कुल संख्या के) फ्लैट क्रयकर्ताओं या आशयित सदस्यों सम्मिलित न हो और (जो, इस अधिनियम के अधीन सदस्य बनने के लिये अर्ह हैं) जो भी उच्चतर हैं, गृहनिर्माण संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रस्ताव, रजिस्ट्रीकृत होने के लिये जुड़ सकेगा।

(२) कोई भी आवास स्वामित्व गृहनिर्माण संस्था, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं होगा, जब तक कि, इसमें, कम-से-कम पाँच व्यक्ति (प्रत्येक ऐसा व्यक्ति विभिन्न परिवार से होगा) या कम-से-कम इक्यावन प्रतिशत प्लॉट क्रयकर्ता (प्रस्तावित या मंजूर अभिन्यास के अनुसार प्लॉट की कुल संख्या के) और (जो इस अधिनियम के अधीन सदस्य बनने के लिये अर्ह हो), जो कोई भी अधिक हो, रजिस्ट्रीकृत होने के लिये गृहनिर्माण संस्था के रजिस्ट्रीकरण प्रस्ताव से जुड़ सकेगा।

(३) कोई सहयोजन संस्था, रजिस्ट्रीकृत नहीं होगी, जब तक कि उसमें कम-से-कम पाँच गृहनिर्माण संस्थाएँ, उसके सदस्य के रूप में न हो।

(४) कोई भी सहकारी गृहनिर्माण सहयोजन, रजिस्ट्रीकृत नहीं होगी, जब तक कि, उसके सदस्य के रूप में कम-से-कम दो गृहनिर्माण संस्थाएँ या अन्य विधिक निकाय न हो ।

(५) इस धारा की कोई भी बात, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रारंभण के पूर्व बनाई गयी किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण पर प्रभाव नहीं डालेगी। सन् २०१९ का महा.२३।

(६) "सीमित" या "असीमित" शब्द प्रत्येक संस्था के नाम के अंत में, सीमित या, यथास्थिति, असीमित दायित्व के साथ होगा, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं या रजिस्ट्रीकृत होने वाली समझी जायेगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये, "परिवार के सदस्य" अभिव्यक्ति का अर्थ, पत्नी, पति, पिता, माता, निर्भर बेटा या अविवाहित निर्भर बेटी से हैं।

नाम से आरक्षण और बैंक खाता खोलने कि अनुमति के लिये आवेदन।

१५४ ख-३. (१) प्रस्तावित आवास सह-भागीदारी गृहनिर्माण संस्था या परिसर संस्था का बैंक में खाता खोलने की अनुमति के मंजूर करने और नाम के आरक्षण के प्रयोजन के लिये, रजिस्ट्रार को विहित प्ररुप में आवेदन किया जायेगा और उसके साथ प्रारंभण प्रमाणपत्र या वास्तुविद् द्वारा दिये गये भवन समापन प्रमाणपत्र की प्रतियाँ और मुख्य प्रवर्तक का निर्वाचन करनेवाले और उसे ऐसा आवेदन करने के लिये प्राधिकृत करनेवाले प्रवर्तकों के संकल्प की प्रति संलग्न होगी और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उसका निपटान करेगा।

(२) प्रस्तावित आवास स्वामित्व गृहनिर्माण संस्था का बैंक में खाता खोलने की अनुमति देने और नाम के आरक्षण के प्रयोजन के लिये, रजिस्ट्रार को विहित प्ररुप में आवेदन किया जायेगा और उसके साथ वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित अनिश्चित अभिन्यास योजना की प्रति या मंजूर अभिन्यास योजना और मुख्य प्रवर्तक का निर्वाचन करने वाले और उसे ऐसा आवेदन करने के लिये प्राधिकृत करनेवाले प्रर्वतकों के संकल्प की प्रति संलग्न होगी और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार, ऐसी प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों कि अवधि के भीतर, उसका निपटान करेगा।

(३) गृहनिर्माण संस्था के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिये, विहित प्ररुप में, रजिस्ट्रार को आवेदन किया जायेगा और उसके साथ, विहित की जाये ऐसी फीस के साथ यथा विहित दस्तावेज संलग्न होंगे :

परंतु, आवेदन, पूर्ववर्ती धारा के अधीन यथा उपबंधित न्यूनतम प्लॉट या फ्लैट क्रयकर्ताओं या स्वामियों या आशयित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा :

परंतु यह और भी कि, सहयोजन संस्था या सहकारी गृहनिर्माण संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिये, ऐसा आवेदन, पूर्ववर्ती धारा के अधीन, विभिन्न संस्थाओं या विधिक निकायों के प्राधिकृत पदाधिकारियों की न्यूनतम संख्या द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

सहयोगी, संयुक्त या अनन्तिम सदस्य।

१५४ ख-४. (१) धारा २२ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, संस्था, किसी व्यक्ति की सहयोगी, संयुक्त या अनन्तिम सदस्य के रूप में प्रवेशित कर सकेगी।

(२) मत देने और निर्वाचन लड़ने का अधिकार धारा १५४ ख-११ की उप-धारा (२), (३) और (४) के उपबंधों के अध्यधीन होगा।

सदस्यता पर सीमा।

१५४ ख-५. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, उस सहकारी गृहनिर्माण संस्था में आबंटन के लिये उपलब्ध फ्लैटों या, यथास्थिति, प्लॉटों की संख्या से अधिक व्यक्तियों को उसकी सदस्यता के लिये प्रवेश नहीं देगी।

परंतु, प्लॉट स्वामी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, प्रचलित नियमों के अनुसार, प्लॉट स्वामी ने फ्लैट संरचित करने और उसके विक्रय करने के मामले में, मूल प्लॉट स्वामी सदस्य के स्थान में, उसकी सदस्यता, संगठन (सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कंपनी, सहयोजन आदि...) को प्रवेशित कर सकेगी।

सदस्यों को सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण आदि देना।

१५४ ख-६. (१) प्रत्येक संस्था, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे ऐसी राज्य परिसंघ संस्थाओं या राज्य सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थाओं के ज़रिए, उसके सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण का आयोजन कर सकेगी।

ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण,—

(एक) संस्था के प्रबंधन में, सदस्यों का प्रभावी और क्रियाशील सहभाग;

(दो) प्रभावी प्रबंधन के लिये प्रतिभावान कर्मचारी तैयार किये जायेंगे;

(तीन) सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के ज़रिए व्यावसायिक कौशलों का विकास किया जायेगा।

(२) समिति का प्रत्येक सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या सह-पर्यवसित हो, को, ऐसे सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

(३) (क) सरकार द्वारा अधिसूचित सहकारी संस्था, सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षण निधि में जैसा कि विहित किया जाए ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे दरों पर वार्षिक अंशदान करेगी और विभिन्न संस्थाओं या संस्थाओं के वर्गों के लिए विभिन्न दर विहित किए जा सकेंगे और ऐसे अंशदान का जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में भुगतान किया जा सकेगा।

(ख) सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि, सहकारी सिद्धांत और प्रबंधन पद्धति पर, सहकारी संस्था के सदस्यों की शिक्षा और अधिकारियों के प्रशिक्षण के जरिए, राज्य में, सहकारी संस्था के गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जायेगा और उप-धारा (१) के अधीन अधिसूचित संस्था द्वारा प्रशिक्षण और अनुषंगिक व्यय उठाया जायेगा।

(ग) सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि, राज्य सरकार द्वारा, इस निमित्त, जैसा कि अधिसूचित किया जाए ऐसे प्राधिकरण या संस्था, द्वारा, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रित्या में प्रशासित, उपयोगित, पोषित और संपरिक्षित होगा।

(४) जहाँ कोई संस्था सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि के हेतु विहित अवधि के भीतर अंशदान अदा करने के लिए असफल हो जाती है तो, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ के प्रारम्भण के दिनांक पर देय अंशदान की रकम भू-राजस्व के बकाए के रुप में वह वसूली-योग्य होगी और उप-धारा (३) के खण्ड (ग) में अधिसूचित प्राधिकरण या संस्था, ऐसे असफलता का रिपोर्ट रजिस्ट्रार को करेगे, रजिस्टार, ऐसी जाँच के पश्चात्, जैसा उचित समझे, भू-राजस्व के किसी बकाया के रूप में देय रकम की वसूली के लिए प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा।

सन् २०१९ का महा. २३।

१५४ ख-७. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, सहकारी गृहनिर्माण संस्था के मामले में उसके वारिस या नामनिर्देशिति के अन्तरण को छोड़कर किसी सदस्य या अधिभोग अधिकार के शेयर या ब्याज का अन्तरण तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक,— सदस्य के शेयर या ब्याज के अन्तरण पर निर्बन्धन।

(क) सहकारी गृहनिर्माण संस्था के देयों को अदा किया गया हैं;

(ख) समय के सम्यक् अनुक्रम में सहकारी गृहनिर्माण संस्था के सदस्यता की प्रयुक्ति और अर्जन अन्तरिति :

परंतु, पट्टे धारित सम्पत्तियों के संबंध में शेयर या ब्याज का अन्तरण पट्टे की अवधि द्वारा शासित किया जायेगा जिसमें सहकारी संस्था को भूमि के पट्टे के साथ या उसके सदस्यों को सहकारी गृहनिर्माण संस्था द्वारा पट्टे के साथ असंगत नहीं है।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अधिभोग अधिकार छूट्टी और लाईसेंस आधार पर किरायेदार या अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार सम्मिलित नहीं है।

१५४ ख-८. (१) संस्था के प्रत्येक सदस्य, अधिनियम की प्रतिलिपि, नियम और उपविधियों अंतिम संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, लाभ और हानि लेखा समिति के सदस्यों की सूची, सदस्यों का रजिस्टर, आम बैठकों का कार्यवृत्त, समिति के बैठकों का कार्यवृत्त और उन्ही किताबों और अभिलेखों का भाग जिसमें उसके संस्था के साथ का संव्यवहार अभिलिखित किया गया है, संस्था द्वारा, प्रयोजन के लिए कार्यालय कार्य-समय या नियत किसी समय के दौरान, संस्था कार्यालय में लागत मुफ़्त निरीक्षण करने के लिए हकदार होगा। दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए सदस्यों के अधिकार।

(२) संस्था, ऐसी फ़ीस कि अदायगी के दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर पूर्वगामी उप-धारा में उल्लिखित किसी दस्तावेजों कि प्रतिलिपि, लिखित में अनुरोध पर और समय-समय से, रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित की जाए, ऐसी दर में, फ़ीस कि अदायगी पर, और जब शेअर पूंजी, कर्ज और भूमि के प्ररूप में सरकार द्वारा संस्था सहायित है तब उक्त संस्था, सदस्य द्वारा इस प्रकार अनुरोध पर तीस दिनों भीतर ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगी।

सदस्यों को हटाना।

१५४ ख-९. व्यक्ति, चाहे वह संस्था की सदस्यता के लिए सम्यक्तया स्वीकृत किया गया हैं या इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों और उप-विधियों के उल्लंघन में स्वीकृत किया गया है, की सदस्यता के संबंध में जब कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो, रजिस्ट्रार **स्व-प्रेरणा से** या आवेदन पर, आवेदन के दिनांक से ३ महीनों के भीतर ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाता हैं कि, व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों और उप-विधियों के उल्लंघन में सदस्यता के रूप में स्वीकृत किया गया है तो सदस्यता से ऐसे व्यक्ति को हटाने के आदेश पारित करेगा, परन्तु, किसी ऐसे सदस्य को उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रतिकूल ऐसा आदेश नहीं देगा।

सदस्य के अधिकार और कर्तव्य।

१५४ ख-१०. (१) सदस्य, इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों के अधीन यथा उपबंधित ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने के लिए हक़दार होगा।

(२) सहकारी संस्था का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रारम्भण के पूर्व या के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत है जो भूमि का भूखण्ड या निवासी युनिट आबंटित है तो, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप में, उसकी मुद्रा और हस्ताक्षर के अधीन सहकारी गृहनिर्माण संस्था द्वारा आबंटन का प्रमाणपत्र जारी करेगा। सन् २०१९ का महा २३।

सम्पत्ति का अन्तरण अधिनियम, १८८२ या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ के उपबंधों के अध्यधीन आबंटन के निबन्धन के अनुसार, उसके सदस्य को सहकारी संस्था के भवन में भूमि के भूखण्ड या निवासी युनिट का किसी आबंटन (पुनः आबंटन समेत) हक़, अधिकार या, यथास्थिति, हित के साथ निवासी युनिट का ऐसा भूखण्ड धारण करने के लिए ऐसा सदस्य हकदार होगा। सन् १८८२ का ४। सन् १९०८ का १६।

(३) जब सहकारी गृहनिर्माण संस्था के सदस्य के प्रतिकूल संविदा की गई है तो सहकारी संस्था के भवन में निवासी युनिट के भूमि के किसी भूखण्ड में कोई हक़ या हित के लिए हकदार नहीं होगा, को छोड़कर वह सहकारी गृहनिर्माण संस्था की भूमि के ऐसे भूखण्ड या, यथास्थिति, ऐसे निवासी युनिट के संनिर्माण की लागत के लिए सहकारी गृहनिर्माण संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसा भुगतान किया है।

(४) कोई सदस्य, यदि वह संस्था का चूककर्ता है तो नियुक्त, नामनिर्देशित, निर्वाचित, सहयोजित या समिति का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा।

(५) (एक) संस्था द्वारा उसकी आम बैठक में यथा विनिश्चित समय के भीतर, संस्था के देयों का भुगतान करना संस्था के सदस्य का कर्तव्य होगा।

(दो) सदस्य, उसकी आम बैठक में यथा विनिश्चित संस्था के भवन या भवनों के पुनर्विकास के लिए आवश्यक फ्लैट रिक्त करेगा।

(तीन) सदस्य, अधिनियम, नियमों और उप-विधियों में यथा उपबंधित उसके कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

(६) सहयोजित सदस्य को, सदस्य की पूर्व लिखित सहमति से समिति का निर्वाचन लडने का अधिकार होगा।

(७) मूल सदस्य के विरुद्ध अवमानना की कोई कार्यवाही ऐसे सहयोजित सदस्य को लागू होगी।

सदस्यों का मताधिकार।

१५४ ख-११. (१) संस्था का कोई भी सदस्य, उसके कामकाज में एक से अधिक मत नहीं देगा :

परन्तु मत के लिए प्रत्येक अधिकार का व्यक्तिगत प्रयोग करेगा :

परन्तु आगे यह कि, मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष संस्था की बैठक में निर्णायक मत देगा।

(२) सहयोजित सदस्य की पूर्व लिखित सहमति से मत देने का अधिकार होगा।

(३) अनन्तिम सदस्य को, मत देने का अधिकार होगा।

(४) संयुक्त सदस्य के मामले में व्यक्ति जिसका शेयर प्रमाणपत्र में प्रथम नाम हो, मत देने का अधिकार होगा। व्यक्ति जिसका नाम द्वितीय हो, की अनुपस्थिति में, और दोनों की अनुपस्थिति में, व्यक्ति जिसका नाम अगला हो, और उसी प्रकार, जो उपस्थित है और जो नाबालिग नहीं है, उसे मत देने का अधिकार होगा।

(५) सहयोजन संस्था के मामले में, सदस्य संस्था के प्राधिकृत सदस्य को मत देने का अधिकार होगा।

(६) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कम्पनी या फर्म या किसी अन्य निगमित निकाय या स्थानिय प्राधिकरण या किसी विधिक निकाय के मामले में फर्म द्वारा यथा नियुक्त प्रादेशिक निदेशक या व्यक्ति या किसी एक भागीदार को मत देने का अधिकार होगा।

शेयर, अधिकार, हक और हित का अंतरण।

१५४ ख-१२. सदस्य नियमों या उप-विधियों में यथा उपबंधित निम्न सम्यक् प्रक्रिया द्वारा रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के ज़रिए संस्था में उसकी सम्पत्ति के उसके शेयर, अधिकार, हक़ और हित का अन्तरण कर सकेगा।

सदस्य की मृत्यु पर हित का अन्तरण।

१५४ ख-१३. संस्था के सदस्य की मृत्यु पर, संस्था व्यक्ति द्वारा निष्पादित परिवार व्यवस्था के वसीयती दस्तावेज या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या विविध वारिस प्रमाणपत्र या दस्तावेज, जो मृत सदस्य की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिए या नियमों के अनुसरण में, सम्यक्तया निर्दिष्ट व्यक्ति हक़दार है, के आधार पर व्यक्ति या व्यक्तियों को संस्था में मृत सदस्य की सम्पत्ति के शेयर, अधिकार, हक़ और हित का अन्तरण कर सकेगी।

परन्तु, सदस्य की मृत्यु के पश्चात्, जब तक विधिक वारिस या वारिसों या व्यक्ति जो उत्तराधिकार विधि अनुसरण में, फ्लैट या शेयर के लिए हक़दार है या इच्छापत्र या वसीयती दस्तावेज के अधीन ऐसे मृत सदस्य के स्थान में सदस्य के रूप में स्वीकृत किया गया है तो अनंतिम सदस्य के रूप में नामनिर्देशिती स्वीकृत करेगा :

परन्तु यह और कि, यदि व्यक्ति को इस प्रकार नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो संस्था जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या मृत सदस्य के वारिस या विधिक प्रतिनिधि होने के लिए समिति को प्रतीत हो सके तो अनंतिम सदस्य के रूप में ऐसे व्यक्ति को स्वीकृत करेगा।

सदस्य के शेयर और हित के संबंध में संस्था का प्रभार।

१५४ख-१४. संस्था को, ऐसे सदस्यों द्वारा देय भुगतान के विस्तार के लिए संस्था सदस्य या मृत सदस्य के शेयर और हित पर प्रभारित करेगी।

निधियों का सृजन।

१५४ख-१५. प्रत्येक संस्था, जैसा की विहित किया जाए ऐसा निधि सृजित करेगी और ऐसा अन्य निधि उसके द्वारा समय-समय से विनिश्चित भी करेगी।

संस्था के प्रभारों का उद्ग्रहण।

१५४ख-१६. प्रत्येक संस्था, धारा १५४ख-१५ के अधीन सृजित उसकी ऐसी निधियाँ यथा विहित प्रभारों का उद्ग्रहण करेगी।

निधियों का निवेश।

१५४ख-१७. संस्था, निम्नलिखित में,–

(क) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, विगत तीन लगातार वर्षों में कम से कम "क" लेखा वर्ग अधिनिर्णय करेगी, यदि ऐसी केन्द्रीय सहकारी बैंक जिले में उपलब्ध नही हैं तब, कोई राष्ट्रीयकृत बैंक ;

१९८२ का २।

(ख) भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ की धारा २० में विनिर्दिष्ट किन्ही प्रतिभूतियाँ ;

(ग) सीमित दायित्व के साथ किसी अन्य संस्था द्वारा जारी शेयर, या सुरक्षा बंधपत्र, या डिबेंचर में ;

(घ) राज्य सरकार द्वारा उसकी ओर से नियमों द्वारा, या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमत किसी अन्य ढंग में, एक या अधिक उसकी निधियों का निवेश या निक्षेप करेगी।

निधि की उपयोगिता।

१५४ख-१८. पूर्वगामी धाराओं में उल्लिखित निधियाँ, संस्था की उप-विधियों में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग की जायेगी :

परन्तु, फसल निधि, संस्था की साधारण बैठक में जैसा की विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा सकेगी।

समिति का गठन।

१५४ख-१९. (१) समिति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय से, अधिसूचना या विशेष आदेश द्वारा, जैसा की विनिश्चित किया जाए सदस्यों की ऐसी संख्या से बनेगी।

(२) संस्था की समिति, निर्वाचन अधिकारी द्वारा समिति के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक पर गठित होगी, जहाँ रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय से, जैसा कि विनिश्चित किया जाए ऐसी संस्था के दो तिहाई से अधिक समिति सदस्यों को निर्वाचित किया गया है :

परन्तु, दो तिहाई के मामले में एक भाग है तो अगली उच्चतर संख्या को पूर्णांकित किया जायेगा।

(३) समिति के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदधारियों का पदावधि नवीन गठित समिति की प्रथम बैठक के दिनांक से पाँच वर्षों का होगा और पदधारियों का पदावधि समिति की पदावधि से सहपर्यवसित होगा।

(४) समिति में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति, सहयोजन द्वारा भरी जायेगी और सहयोजित सदस्य की पदावधि समिति की अवधि से सहपर्यवसित होगी।

संस्थाओं की समिति पर कतिपय सीटों का आरक्षण और उसका निर्वाचन।

१५४ ख-२०. (१) इस अधिनियम में या तद्धीन बनाये गये नियमों या किसी संस्था की किसी उप-विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी संस्था की समिति पर या समाज के वर्ग जिसे राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निदेश देगी कि,–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य;

(ख) अन्य पिछड़े वर्गों का एक सदस्य; और

(ग) निरधिसूचित जनजाति (**विमुक्त जाति**), खानाबदोश जनजाति या विशेष पिछड़े वर्गों में से एक सदस्य, के लिये तीन सीट आरक्षित रखी जायेगी।

(२) संस्था के किसी वैयक्तिक सदस्य या सदस्य संस्था की समिति के किसी निर्वाचित सदस्य या सदस्य संस्था की समिति से किसी सदस्य, इस धारा के अधीन चाहे वह निर्वाचित, सहयोजित या नियुक्त हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़े वर्गों या निरधिसूचित जनजाति (**विमुक्त जातियाँ**) या खानाबदोश जनजाति या पिछड़े वर्गों के है तो आरक्षित सीट के निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र किया जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति जो समिति के निर्वाचन में मत देने के लिए हकदार हैं तो किसी ऐसी आरक्षित सीट के निर्वाचन के लिए मत देने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए,

(क) धारा ७३-ख के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये, यदि कोई हो, सामान्य या विशेष आदेश, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, १९८३ के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व अस्तित्व में है तो इस धारा की उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई समझी जायेगी और जब तक सम्यकतया निरसित या संशोधित नहीं की जाती है तब तक जारी रहेगी ; सन् १९८३ का महा. ४५।

(ख) "अनुसूचित जाति" अभिव्यक्ति में "नव-बौध्द" सम्मिलित है;

(ग) "अन्य पिछडे वर्गों, निरधिसूचित जनजाति, (विमुक्त जातियाँ) और खानाबदोश जनजाति तथा विशेष पिछड़े वर्गों" अभिव्यक्ति का तात्पर्य, अन्य पिछड़े वर्गों, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जातियाँ) और खानाबदोश जनजाति तथा विशेष पिछड़े वर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय से, ऐसे वर्ग या वर्गों के भीतर भाग या समूह घोषित है, से है।

महिलाओं के लिए आरक्षण।

१५४ख-२१. (१) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या किसी संस्था की उप-विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वैयक्तिक सदस्यों और महिला सदस्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग से सदस्यों से मिलकर प्रत्येक संस्था की समिति पर, महिलाओं के लिए दो सीट आरक्षित रखी जायेगी।

(२) संस्था के किसी वैयक्तिक महिला सदस्य, या सदस्य संस्था के समिति की किसी महिला सदस्य चाहे वह निर्वाचित, सहयोजित या नामनिर्दिष्ट है तो उप-धारा (१) के अधीन आरक्षित सीट के लिए निर्वाचन लडने के लिए पात्र होगी।

(३) इस धारा कोई भी बात, केवल महिला सदस्यों की संस्था की समिति को आवेदन, करेगी।

गणपूर्ति के लिए समिति की संख्या के लिए साधारण उपबंध।

१५४ख-२२. धारा १५४-ख-२० और धारा १५४-२१ में यथा उपबंधित आरक्षित प्रवर्गों के सदस्यों के समय तक आरक्षित सीट भरने के लिये उपलब्ध नहीं है या निर्वाचित नहीं है तो ऐसी आरक्षित सीट, उसकी बैठके करने के लिये गणपूर्ति के प्रशमन के लिए प्रबंधन समिति की संख्या के लिए गिनती नहीं की जायेगी।

समिति और उसके सदस्यों की निरर्हता।

१५४ख-२३. (१) इस अधिनियम के अन्य उपबधों या तद्धीन बनाये गए नियमों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति का सदस्य होने कि निरर्हता के संबंध में कोई व्यक्ति समिति का सदस्य होने के लिए नियुक्त, नामनिर्दिष्ट, निर्वाचित, सहयोजित किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह,–

(एक) किसी संस्था का चूककर्ता हैं, या

(दो) यदि वह जिस गृहनिर्माण संस्था का सदस्य है में फ्लैट किराये, उप-किराये पर देने और विक्रय करने का कारोबार करता है, या

(तीन) धारा ७९, ८८ धारा १५४ख-८(२) १५४-ख-२७ के अधीन या धारा ८५ के अधीन जाँच के लागत के भुगतान के लिये जिम्मेवार ठहराया गया है, या

(चार) इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन कोई निरर्हता उपगत की है, या

(पाँच) यदि वह धारा ७३ गक की उप-धारा (१) के खण्ड (च) के खण्ड (सात) (आठ) या (नौ) के उपबंधों में उल्लिखित के समान कोई निरर्हता उपगत करता है।

(२) सदस्य, जो उप-धारा (१) के अधीन किसी निरर्हता उपगत है तो समिति का सदस्य होने के लिए परिविरत होगा और उसकी सीट तदुपरांत, रिक्त समझी जायेगी।

(३) समिति का सदस्य, जो उसका सदस्य होने के लिए परिविरत है तो, पूर्वगामी उप-धारा (१) के खण्ड (दो), (तीन), (चार) और (पाँच) के अधीन निरर्हता उपगत होने के कारण समिति का सदस्य होने के लिए वह या यह इस प्रकार परिविरत है, उस दिनांक से पाँच वर्षों के लिये समिति के सदस्य के रूप में पुनःर्निर्वाचित, पुनर्सहयोगित या पुनःर्निमित होने के लिये पात्र नहीं होगा।

(४) समिति का सदस्य, जो उप-धारा (३) के लिए निर्दिष्ट निरर्हताओं से अन्य उपगत निरर्हता के कारण उसके सदस्य होने के लिए परिविरत है, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्टतः इस अधिनियम में उपबंधित अस्तित्वहीन होनेवाली ऐसी निरर्हता यथाशीघ्र, समिति के सदस्य के रूप में पुनःर्निर्वाचित, पुनर्सहयोगित या पुनः नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

संस्था के अधिकारियों के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव।

१५४ख-२४. (१) कोई अधिकारी, जो उस कार्यालय के उसके निर्वाचन के कारण पद धारण करता है, यदि समिति सदस्यों, जो उपस्थित और जो ऐसी बैठक में मत देने के लिए हकदार है, के दो तिहाई बहुमत से कम न हो, समिति की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तो ऐसा अधिकारी प्रविरत होगा और तदुपरांत, उसका पद रिक्त हुआ समझा जायेगा।

(२) धारा ७३झ घ की, उप-धारा (२) से (७) के उपबंध **यथावश्यक परिवर्तन सहित** लागू होंगे।

गृहनिर्माण संस्था, गृहनिर्माण समूह, गृहनिर्माण संघ या गृहनिर्माण परिसंघ का प्रबंधन।

१५४ख-२५. गृहनिर्माण संस्था, गृहनिर्माण समूह, गृहनिर्माण संघ या गृहनिर्माण परिसंघ का प्रबंधन जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी रीति में कार्यान्वित किया जायेगा।

चिट्ठी निकालकर (ड्रॉ) भूखण्डों, फ्लैटों या मकानों का आबंटन।

१५४ख-२६. (१) भूमि, फ्लैटों, मकानों या अन्य निवासी युनिटों के भूखण्डो का आबंटन के संविदा के प्रतिकूल होता है, को छोडकर जब ऐसे सदस्यों के संबंध में जिसका नामांकन, अधिनियम के उपबधों और तद्धीन विरचित नियमों और सम्यक्तया रजिस्ट्रीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था की उप-विधियों के अनुसरण में, सहकारी गृहनिर्माण संस्था के सदस्य के रूप में उचित पाया है तो चिट्ठी निकालकर (ड्रॉ) के आधार पर, कड़ाई से सदस्यों को सहकारी गृहनिर्माण संस्था की समिति द्वारा किया जायेगा।

(२) सहकारी गृहनिर्माण संस्था का प्रत्येक सदस्य चाहे वह, महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रारम्भण के पूर्व या के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत है जिसका भूखण्ड, फ्लैट, मकान या अन्य निवासी युनिट आबंटित किये गये हैं तो जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, उसकी मुद्रा और ऐसे प्रपत्र में हस्ताक्षर के अधीन सहकारी गृहनिर्माण संस्था द्वारा आबंटन का प्रमाणपत्र जारी करेगी। सन् २०१९ का महा. २३।

कार्यवाही करने के लिए संस्था की बाध्यता और प्रवर्तमान करने के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियाँ।

१५४ख-२७. (१) इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों में यथा उपबंधित उसकी बाध्यता, जिम्मेदारी और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए कार्यवाही करने के लिए यदि कोई संस्था आवश्यक है या राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा, समय-समय से जारी आदेशों को निष्पादित करने और ऐसी कार्यवाही नहीं की गई है या ऐसे आदेश निष्पादित नहीं किये गये हैं तो रजिस्ट्रार, **स्व-प्रेरणा** से या आवेदन पर ऐसी कार्यवाही या कार्यवाहियों को करने या ऐसे आदेशों को निष्पादित करने के निर्देशन जारी कर सकेगा।

(२) जहाँ किसी संस्था को आवश्यक है कि कोई कार्यवाही करें या पूर्वगामी उप-धारा में यथा उपबंधित आदेशों को निष्पादित करें और ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी या आदेशों को निष्पादित नहीं किया जायेगा,–

(एक) इस अधिनियम, नियमों या उप-विधियों या, यथास्थिति, आदेश में उपबंधित समय के भीतर;

(दो) जहाँ कोई समय उपबंधित नहीं है, ऐसे समय के भीतर की जानेवाली कार्यवाही का स्वरूप और विस्तार जैसा रजिस्ट्रार, लिखित में सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

रजिस्ट्रार, स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के मार्फत संस्था के व्यय से ऐसी कार्यवाही करेगा या ऐसा आदेश निष्पादित करेगा और ऐसा व्यय भू-राजस्व के बकायों के रूप में है तो संस्था के जिम्मेदार अधिकारी से वसूली योग्य होगा :

परंतु, कोई आदेश या निदेश जारी करने से और व्यय के भुगतान की जिम्मेदारी नियत करने से पूर्व सुनवाई का अवसर, संस्था के अधिकारी को दिया जायेगा जिसे रजिस्ट्रार, ऐसी कार्यवाही न करने का या ऐसे आदेशों को निष्पादित नहीं करने के लिये जिम्मेदार ठहराने का विचार करेगा।

(३) सदस्य द्वारा संस्था को उसके फ्लैट की बिक्री के लिये प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों के लिये या कर्ज प्राप्त करने के लिये बंधक रखने के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर संस्था द्वारा विचार किया जायेगा और उसमें का विनिश्चय उसे पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर संसूचित किया जायेगा। यदि संस्था ऐसे आवेदन का विचार ऐसे समय के भीतर विचार करने में विफल रहती है या ऐसे आवेदन को खारिज करती है तो सदस्य, संस्था को आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर या संस्था द्वारा खारिज किये जाने के विनिश्चय के दिनांक से दो महीने की अवधि के भीतर समुचित राहत के लिये रजिस्ट्रार को अपील कर सकता हैं जो भी पहले हो :

परंतु, ऐसा प्रत्येक अपील, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उसके प्राप्ति की दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार द्वारा निपटाया जायेगा।

गृहनिर्माण परिसंघ, उसकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य।

१५४ख-२८. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किन्तु, राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिये गृहनिर्माण परिसंघ के रूप में किसी संस्था को अधिसूचित करेगी।

(२) प्रत्येक संस्था, जहाँ पर संस्था स्थित हैं उस क्षेत्र के गृहनिर्माण परिसंघ के साथ सहबद्ध करके अधिसूचित की जायेगी।

(३) प्रत्येक अधिसूचित गृहनिर्माण परिसंघ, शिक्षा और प्रशिक्षण निधि सृजित करेगी।

(४) प्रत्येक सहकारी संस्था, उस क्षेत्र में उप-धारा (१) के अधीन जिस गृहनिर्माण परिसंघ में अधिसूचित की गई है वहाँ, समय-समय पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की गई दर पर शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में अंशदान करेगी।

(५) प्रत्येक अधिसूचित गृहनिर्माण परिसंघ, निम्न हेतु शिक्षा और प्रशिक्षण निधि का उपयोग करेगी,—

(एक) गृहनिर्माण संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों पर सेमिनार आयोजित करने;

(दो) गृहनिर्माण संस्थाओं के प्रबंधक या विशेष वसूली अधिकारियों के रूप में नियुक्त किये गये व्यक्तियों को और सदस्यों और अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(तीन) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाये ऐसे अन्य प्रयोजन।

(६) (एक) प्रत्येक अधिसूचित गृहनिर्माण परिसंघ, समय-समय पर, रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, प्रबंधकों और विशेष अधिकारियों का पैनल तैयार करेगी, घोषित करेगी और बनाये रखेगी।

(दो) रजिस्ट्रार, **स्व-प्रेरणा** से या किसी आवेदन पर, ऐसे व्यक्ति को परिसंघ द्वारा बताये गये पैनल से हटा सकेगा जो,—

(क) उसकी ईमानदारी संदेहजनक है, या

(ख) सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ग) मानसिक अक्षमतावाला घोषित किया गया है, या

(घ) उसने उसके पद का उसकी सेवा करते समय दुरुपयोग किया है ; या

(ड़) उसके कर्तव्यो का निर्वाण करने में विफल होता हैं :

परंतु, ऐसा व्यक्ति, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना हटाया नहीं जायेगा।

(तीन) संपरीक्षकों, प्रबंधकों और विशेष वसूली अधिकारियों के लिये आवश्यक अर्हताएँ, समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(चार) प्रत्येक अधिसूचित गृहनिर्माण परिसंघ, सहबद्ध संस्थाओं की देयताओं की वसूली के लिये विशेष वसूली अधिकारी के रूप में इस प्रकार प्रशिक्षित व्यक्तियों को आवश्यक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिये रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा।

(७) (क) प्रत्येक संस्था,—

(एक) वसूली प्रमाणपत्रों या वसूली आदेशों या डिक्रियों के निष्पादन के लिये ऐसे पैनल से विशेष वसूली अधिकारी नियुक्त करेगी; और

(दो) संस्था के अभिलेख तथा बहियों का लेख बनाये रखने के लिये ऐसे पैनल से प्रबंधक नियुक्त कर सकेगी।

(८) विशेष वसूली अधिकारियों का पारिश्रमिक, समय-समय पर, रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

भू-राजस्व के बकाये के रूप में गृहनिर्माण संस्थाओं को कतिपय रकमों की वसूली और बकायों की देयता।

१५४ ख-२९. (१) धाराएँ ९१, ९३ और ९८ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं पर, आवेदन किये जाने पर, उसकी देयता की वसूली के लिये या उसकी मरम्मत और रखरखाव, संनिर्माण लागत और सेवा प्रभारों की वसूली के लिये और बकायों के संबंध में विहित किये जाये ऐसे लेखाओं के विवरण और अन्य कोई दस्तावेज सहकारी संस्था ने प्रस्तुत किये जाने पर, रजिस्ट्रार, वह उचित समझे ऐसी जाँच करने के पश्चात्, बकायों के रूप में देय, उसमें कथित रकम की वसूली के लिये प्रमाणपत्र प्रदान करेगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये, "मरम्मत और रखरखाव और सेवा प्रभार" की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्था के उप-विधियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रभारों से है।

(२) जहाँ रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि संबंधित संस्था, किसी बकाये के रूप में देय रकम के संबंध में, पूर्वगामी उप-धारा के अधीन कार्यवाही करने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रार, **स्व-प्रेरणा** से, वह उचित समझे ऐसी जाँच करने के पश्चात्, बकायों के रूप में देय, उसमें विवरणित रकम की वसूली के लिये प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र, यदि संबंधित संस्था द्वारा किये गये आवेदन पर जारी किया गया समझा जायेगा।

(३) उप-धारा (१) या (२) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणपत्र, अंतिम होगा और उसमें देय बकायों के विवरणित निश्चायक सबूत और वही, भू-राजस्व के बकाये के रूप में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार वसूलीय होंगे। पुनरीक्षण, धारा १५४ के अधीन अधिकथित रीति में, ऐसे आदेश या प्रमाणपत्र प्रदान करने के विरुद्ध स्वीकार्य होगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत करने हेतु दायी नहीं होगा।

(४) कलक्टर और रजिस्ट्रार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता, १९६६ के उपबंध या तत्समय प्रवृत्त उसमें के किसी विधि या किन्हीं तत्स्थानी उपबंधों के अनुसरण में पूर्वावधानी उपायों को करें, जबतक संबंधित संस्था के देय बकायें, इकठ्ठा ब्याज के साथ और ऐसे किरायों की वसूली में उपगत आनुषंगिक प्रभार, अदा किये जायेंगे या ऐसे बकायों की अदायगी के लिये सुरक्षा रजिस्ट्रार के समाधान के लिये प्रस्तुत करेगा। सन् १९६६ का महा. ४१।

गृहनिर्माण संस्थायें जिन्हे उनके उद्देश्य प्राप्त करने है।

१५४ ख-३०. (१) गृहनिर्माण संस्था के मामले में जहाँ सभी प्लॉट उसके सदस्यों को आबंटित किये गये हैं और मूलभूत नागरिक सेवा स्थानीय नागरिक निकाय को अंतरित की गई है तो, रजिस्ट्रार, प्रारंभिक कार्यावाहियों का परिसमापन करने हेतु, समिति को साठ दिनों की सूचना देने के पश्चात्, ऐसी सहकारी गृहनिर्माण संस्था परिसमापन करेगी :

परंतु, सहकारी गृहनिर्माण संस्था के मामले में, जहाँ भूमि शाश्वत पट्टे पर आबंटित की गई है, परिसमापन आदेशों को पारित करने से पूर्व, पट्टाकर्ता पूर्व सहमति प्राप्त करेगा :

परंतु आगे यह कि, जहाँ गृहनिर्माण सहकारी संस्था को पट्टाकर्ता द्वारा भूमि, क्लब, विद्यालय, समाज केंद्र, दवाखाना या समाज सुविधा आदि को चलाने के लिए प्रदान की गई है तो, उक्त उपबंध, ऐसी सहकारी गृहनिर्माण संस्था को लागू नहीं होगा, यदि साधारण निकाय सदस्यों और निवास के फायदे हेतु इन क्रियाकलापों को चलाने का विनिश्चय करता है ।

विद्यमान नियम, आदेश, उप-विधियाँ आदि की व्यावृत्ति।

१५४ ख-३१. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रारंभण के दिनांक को और तत्समय प्रवृत्त नियम, आदेश, उप-विधियाँ परिपत्रक या लिखतें जो ऐसे प्रारंभण की दिनांक को इस अध्याय द्वारा शासित संस्थाओं को स्पष्ट रूप से निरसित किये जाने तक लागू रहने, उपांतरित या संशोधित या नियमित किये जाने तक लागू रहेंगे। सन् २०१९ का महा. २३।

(२) उक्त दिनांक के प्रारंभण को संस्था द्वारा या के विरुद्ध को और किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लिखित प्रत्येक कार्यवाही, ऐसी संस्थाओं के संबंध में यदि इस अध्याय के उपबंध लागू नहीं किये गये है समझकर जारी रहेंगे और विनिश्चय किया जायेगा।"।

सन १९६१ का महा. २४ की धारा १५६ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा १५६ की, उप-धारा (१) के, खंड (ङ) में, " धारा १३७ की उप-धारा (१) " शब्दों, कोष्टकों और अंकों के पश्चात्, " या धारा १५४ख-२९ " शब्द, अंक तथा अक्षर निविष्ट किये जायेंगे।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

१०. (१) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत नहीं हो ऐसी बात कर सकेगा जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ९।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ९ का निरसन और व्यावृत्ति।

११. (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१९, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, कृत कोई बात या की गयी कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गयी या, यथास्थिति, जारी की गयी समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2019.

THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ;

सन् १८८८ का बम्बई ३।

और, इसलिए, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१९, १० मार्च, २०१९ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ११।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह १० मार्च २०१९ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १८८८ का बम्बई ३।

सन् १८८८ का बम्बई ३ की धारा १४० में संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १४०, की उप-धारा (१) के खण्ड (ग) में, निम्न परंतुक और स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

" परंतु, निगम ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) या उससे कम चटई क्षेत्र होनेवाले आवासीय भवनों या आवासीय मकानों पर, इस खण्ड के अधीन उद्ग्रहणीय संपत्ति कर उद्ग्रहीत नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण.—उपर्युक्त परंतुक के प्रयोजनों के लिए, ' ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) या उससे कम चटई क्षेत्र होनेवाले आवासीय भवनों या आवासीय मकानों ' शब्द प्रयोग, का तात्पर्य, मुंबई नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रवर्तमान होने के दिनांक पर ४६.४५ वर्ग मीटर (५०० वर्ग फीट) या उससे कम चटई क्षेत्र होनेवाले विद्यमान आवासीय भवनों या आवासीय मकानों और १ जनवरी २०१९ पर नगर निगम अभिलेख में ऐसा क्षेत्र अभिलिखित हुआ है या जिसके संबंध में अधिभोग की अनुमति उक्त अधिनियम के प्रवर्तमान होने के दिनांक के पश्चात्, अधिभोग किए जानेवाले ऐसे क्षेत्र की अनुमति निगम द्वारा दी गई है से है ।"।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ११।

सन् १८८८ का बम्बई ३ की धारा १४०क में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १४०क, की उप-धारा (१), में पाँचवे परन्तुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"परंतु यह और भी कि, सन् २०१९-२० के वित्तीय वर्ष के लिए, पूर्ववर्ती परंतुक के उपबंध मानों कि धारा १४० की उप-धारा १ के खण्ड (ग) के अधीन उद्ग्रहणीय साधारण कर उस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पत्ति कर के भाग के प्ररुप में नहीं समझकर लागू होंगे।"।

कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति।

४. (१) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों से अन्असंगत निर्देश दे सकेगा जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए, आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि अवसित होने के पश्चात्, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ११।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. ११ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

५. (१) मुंबई नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१९, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, कृत कोई बात, या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संधोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2019.

THE PANDHARPUR TEMPLES (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE PANDHARPUR TEMPLES ACT, 1973.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७३ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं; इसलिये, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता हैं :— सन् १९७४ का महा. ९।

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम पंढरपुर मंदिर (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाये।

सन १९७४ का महा. ९ की धारा ४९ में संशोधन।

२. पंढरपुर मंदिर अधिनियम, १९७४ की धारा ४९ की, उप-धारा (२) में,— सन् १९७४ का महा. ९।

(एक) " ऐसे रिपोर्ट का सारांश " शब्दों के स्थान में, " ऐसी रिपोर्ट" शब्द रखे जायेंगे;

(दो) " **राजपत्र** में प्रकाशित की जायेगी और बाद में " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ।

(यथार्थ अनुवाद),
विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2019.

THE MGM UNIVERSITY, AURANGABAD, ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2019.

AN ACT TO PROVIDE FOR ESTABLISHMENT, INCORPORATION AND REGULATION OF THE MGM UNIVERSITY, AURANGABAD FOR THE DEVELOPMENT AND ADVANCEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE STATE AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए एमजीएम विश्वविद्यालय, औरंगाबाद की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास और उन्नति के लिए एमजीएम विश्वविद्यालय, औरंगाबाद की स्थापना, निगमन और विनियमन के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. (१) यह अधिनियम एमजीएम विश्वविद्यालय, औरंगाबाद अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " अनुबद्ध प्राध्यापक, अनुबद्ध सहयुक्त प्राध्यापक या अनुबद्ध सहायक प्राध्यापक " का तात्पर्य, कोई व्यक्ति उद्योग, व्यापार, कृषि, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक या किसी अन्य सहबद्ध क्षेत्र से है, जो इस प्रकार पदाभिहित किये जाने के दौरान विश्वविद्यालय के सहयोगी या सहयुक्त से है ;

(ख) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन यथा विनिर्दिष्ट किये गये विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों से है ;

(ग) " प्रबंध मंडल बोर्ड " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २२ के अधीन गठित किये गये प्रबंधमंडल बोर्ड से है ;

(घ) " परिसर " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय का वह क्षेत्र जिसके अधीन यह स्थापित किया गया है ;

(ङ) " उत्कर्षता केंद्र " का तात्पर्य, छात्रों, सेवांतर्गत कर्मचारियों, कार्यरत व्यावसायिकों की सुसंगत कौशल के सभी प्रकार मुहैय्या करने के लिये, उद्योग से सहयोग में स्थापित अद्यावत प्रशिक्षण या अनुसंधान केंद्र या उद्योग या समाज के लाभ के लिये और संयुक्त परियोजना हाथ लेने के लिये स्थापित से है;

(च) " दूरस्थ शिक्षा " का तात्पर्य, संसूचना के किन्ही दो या अधिक साधनों के समुच्चय द्वारा, जैसे, प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम तथा किन्हीं अन्य ऐसी प्रणाली विज्ञान द्वारा प्रदान की गई शिक्षा से है ;

(छ) " कर्मचारी " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति से है और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक, अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी शामिल होंगे ;

(ज) " फीस " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों, संस्थांओं या, यथास्थिति, अध्ययन केंद्रों, द्वारा किया गया धनीय संग्रहण, जिसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, छात्रों से किया गया से है, जो प्रत्यर्पणीय नहीं है ;

(झ) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ञ) " शासी निकाय " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन गठित किये गये शासी निकाय से है ;

(ट) " उच्चतर शिक्षा " का तात्पर्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के स्तर पर अध्ययन से परे ज्ञान का अनुसरण करने से है ;

(ठ) " छात्रावास " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास का स्थान, या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किये गये या मान्यताप्राप्त ऐसी उसकी संस्थाएँ तथा अध्ययन केंद्रों से है ;

(ड) " अधिसूचना " का तात्पर्य, **राजपत्र** में प्रकाशित की गई अधिसूचना से है ;

(ढ) " **राजपत्र** " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार के **राजपत्र** से है ;

(ण) " अध्यक्ष या कुलाधिपति " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है ;

(त) " विहित " का तात्पर्य, इस अधिनियम द्वारा बनाये गए या के अधीन परिनियमों या आर्डिनेन्सों, विनियमों या, यथास्थिति, नियमों द्वारा विहित किये गये से है ;

(थ) " विनियमित निकाय " का तात्पर्य, उच्चतर शिक्षा के अकादमिक मानक सुनिश्चित करने के लिए मानक और शर्ते अधिकथित करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय से है, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, भारतीय कृषक अनुसंधान परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, आदि और इसमें सरकार भी सम्मिलित है ;

(द) " नियम " का तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से है ;

(ध) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(न) " प्रायोजक निकाय " का तात्पर्य, संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० के अधीन संस्था के रूप में रजिस्ट्रीकृत और महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम के अधीन लोक न्यास के रूप रजिस्ट्रीकृत महात्मा गांधी मिशन, १२, भाग्य नगर, नांदेड में रजिस्ट्रीकृत पता होगा, से है । सन् १८६० का २१। सन् १९५० का २९ ।

(प) " राज्य " का तात्पर्य, महाराष्ट्र राज्य से है ;

(फ) " परिनियम ", " आर्डिनन्सो " तथा " विनियमों " का तात्पर्य, क्रमशः इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के परिनियमों, आर्डिनन्सों तथा विनियमों से है ;

(ब) " छात्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय में नामांकन किए गए व्यक्ति से है, जिसने विश्वविद्यालय द्वारा गठित उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशेषताओं के पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, इसमें अनुसंधान उपाधि भी सम्मिलित होगी ;

(भ) " अध्ययन केन्द्र " का तात्पर्य, विश्वविद्यालय द्वारा सलाह, परामर्श के प्रयोजन के लिये या दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य किसी सहायता देने के लिये स्थापित और घोषित या मान्यता प्राप्त केन्द्र से है ;

(म) " अध्यापक " का तात्पर्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सहयुक्त प्राध्यापक या अन्य व्यक्ति कोई जिससे विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रदान करना या अनुसंधान में मार्गदर्शन करना या पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए छात्रों को किसी भी प्ररूप में मार्गदर्शन देना अपेक्षित है ;

(य) " विश्वविद्यालय " का तात्पर्य, एमजीएम विश्वविद्यालय, औरंगाबाद से है।

निगमन।

३. (१) एमजीएम विश्वविद्यालय, औरंगाबाद के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(२) अध्यक्ष, कुलपति, शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद और अन्य समस्त व्यक्ति जो इसके बाद ऐसे अधिकारी बनेंगे या ऐसे पद पर रहेंगे या सदस्यत्व निरंतर धारण करेंगे, वे सभी, एतदद्वारा, " एमजीएम विश्वविद्यालय, औरंगाबाद " के नाम द्वारा निगमित निकाय गठित किये जायेंगे और घोषित होंगे " ।

(३) विश्वविद्यालय का, शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम द्वारा वाद चलाएगी और उस पर वाद चलाया जाएगा।

(४) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये गये असहबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और यह किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को उसमें प्रवेशित छात्रों को उपाधि, डिप्लोमा या उसकी उपाधि का प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सहबद्ध नहीं होगा।

(५) विश्वविद्यालय और उसका मुख्यालय एमजीएम विश्वविद्यालय, एन-६, सिडको, बैजीपूरा, औरंगाबाद ४३१ ००३ में स्थित होगा ।

विश्वविद्यालय का उद्देश्य।

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्न नुसार होंगे,—

(क) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययन, अध्यापन, क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता विकास और अनुसंधान और विकास जिसमें लिबरल आर्ट, मानविकी सामाजिक विज्ञानों, जीव विज्ञानों तथा जैवप्रौद्योगिकी, नॅनो–विज्ञानों और प्रौद्योगिकी, वृत्तिक शाखाओं, जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कारोबार तथा वाणिज्य, अनुप्रयुक्त तथा रचानात्मक कलाएँ, व्यावसायिक शिक्षा, मिडिया, सूचना एवं संसूचना, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा और उनकी आंतर-शाखीय पाठ्यक्रम और विकास का भी समावेश है, के उपबंध करना ;

(ख) उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा में अनुदेश, अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना, कला, क्रीड़ा, संस्कृति, फिल्म, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समुद्री अनुसंधान तथा अनुसंधान के लिए उपबंध करना ;

(ग) ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक (दिमाग, दिल और हाथ) क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(घ) बौद्धिक क्षमताओं का उच्चतर स्तर निर्माण करना ;

(ङ) विकास के नए मार्गों के अविष्कार तथा सामाजिक पुनर्निर्माण तथा परिवर्तन के लिए सर्जनात्मकता, नविनता और उद्योग उपक्रम के नए शैक्षिक कार्यक्रमों की निर्मिति तथा अभिनियोजित करना ;

(च) शिक्षा, तथा विकास के लिए अद्यतन सुविधाएँ संस्थित करना ;

(छ) अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यान्वित करना तथा निरंतर गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तावित करना ;

(ज) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास में अनुसंधान और विकास के लिए उत्कर्ष केंद्रो की निर्मिति करना तथा ज्ञान बाँटने और उसके उपयोजन के लिए ;

(झ) अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, मूल्यांकन, विकास तथा संगठन के शासन और प्रबंधन के लिए आधुनिक और आधुनिकोत्तर प्रक्रियाएँ, यंत्र-क्रिया तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना तथा २१ वी सदी के लिए व्यक्ति तथा समाज के लिए सामाजिक–आर्थिक सम्पत्ति की निर्मिति करना ;

(ञ) उद्योग तथा सार्वजनिक संगठन तथा समाज को वृत्तिक तथा विकासात्मक सेवाओं का उपबंध करना ;

(ट) नवप्रवर्तक दृष्टिकोण के साथ नए तथा प्रकट क्षेत्रो में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम शुरू करना ;

(ठ) भारत और विदेश में के अन्य उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग तथा भागीदारी संस्थित करना ;

(ड) परीक्षाएँ या अन्य किसी मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताएँ गठित करना ;

(ढ) रचनात्मक तथा ठेकेदारी के पालन पोषण और परिष्कार के लिए अकादमिक संरचनाएँ, अध्ययन पद्धतियों का ढाँचा, और कामकाज तथा निरंतन मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सीवनहीनता की निर्मिति के लिए नवप्रवर्तक दृष्टिकोण को संस्थित करना ;

(ण) सरकार द्वारा सुझाए गए कोई अन्य उद्देश्य जारी रखना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए गए उपाधि, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक विशेषताओं का स्तर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, १९९३ के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या आयुर्विज्ञान अधिनियम, १९४८ के अधिन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद या अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित भारतीय बार परिषद, या, यथास्थिति, किसी अन्य कानूनी निकाय द्वारा अधिकथित से कम नहीं है, सुनिश्चित करना। सन् १९९३ का ७३। सन् १९५६ का ३। सन् १९४८ का ८। सन् १९६१ का २५।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य।

५. विश्वविद्यालय की, निम्न शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसंधान संबंधी, परम्परागत के साथ नए नवप्रवर्तक पद्धतियों, जिनमें ऑनलाईन शिक्षा पद्धति सम्मिलित है, के माध्यम से दिए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध करना तथा सभी उपायों (जिसमें पाठ्यक्रम को अपनाना तथा अद्यतन करना सम्मिलित है) को अपनाना ;

(दो) उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रमाणपत्र, बक्षिस, श्रेणियाँ, प्रत्यय तथा अकादमिक विशेषताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(तीन) परीक्षाएँ संचालित करना तथा लेना ;

(चार) अन्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, बोर्डों या परिषदों की उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ, प्रमाणपत्रों के समतुल्य तथा समरूप उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों के लिए उपबंध करना ;

(पाँच) परिसरों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक उपाय करना ;

(छह) केंद्रीय पुस्तकालय, विभागीय पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा सहबद्ध विषयों की स्थापना करना ;

(सात) मानद उपाधियाँ, जैसा कि विहित किया गया है, को संस्थित करना और प्रदान करना ;

(आठ) विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार फेलोशिप, छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति संस्थित तथा अधिनिर्णित करना ;

(नौ) समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े स्तर में, शैक्षणिक सुविधाओं को फैलाने के लिए विशेष उपाय करना ;

(दस) क्रीड़ा तथा अन्य पाठ्येतर क्रियाकलापों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उसमें नियुक्तियाँ करना ;

(बारह) पारस्पारिक प्रतिग्राह्य शर्तें और निबंधनों पर अनुसंधान परियोजनाओं का जिम्मा लेना ;

(तेरह) परामर्शी सेवाओं का उपबंध करना ;

(चौदह) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए परिनियमों, आर्डिनन्सों, नियमों तथा विनियमों को विरचित करना ;

(पंद्रह) विश्वविद्यालय के अध्यापक, छात्र तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा प्रवर्तन करना ;

(सोलह) राज्य सरकार, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदेशों के अनुसार, व्यतिकारी के आधार पर देश के भीतर या बाहर अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में दोहरी उपाधियाँ, डिप्लोमाओं या प्रमाणपत्रों का उपबंध करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में विभिन्न शाखाओं में एकात्मिक पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे उपबंधों की निर्मिति करना ;

(अठारह) राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, समय-समय पर, जारी किए गए निदेशों के अनुसार केवल राज्य के भीतर महाविद्यालयों, संस्थाओं और परिसर मुक्त केंद्रों को स्थापित करना ;

(उन्नीस) दान, बक्षिस और अनुदान, प्राप्त करना तथा किसी सम्पत्ति को जंगम या स्थावर, जिसमें राज्य के भीतर या बाहर के न्यास या विन्यास सम्पत्ति सम्मिलित है, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों के लिए अर्जित, धारण, प्रबंध तथा निपटान करना तथा निधि निवेशित करना ;

(बीस) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, समय-समय पर फीस संरचना विहित करना ;

(इक्कीस) ऐसे फीसों तथा अन्य प्रभार जैसा कि समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया गया हों, के भुगतान की माँग तथा प्राप्त करना ;

(बाईस) पारस्परिक ग्राह्य शर्तों और निबंधनों पर अन्य संस्थाओं से सहयोग लेना ;

(तेईस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियमित निकायों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय अवधारण करना ;

(चौबीस) अतिरिक्त बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उपक्रमित करना ;

(पच्चीस) हॉल तथा छात्रावासों को स्थापित तथा पोषित करना ;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव न किये गये, हॉल और छात्रावासों और अन्य वास-सुविधाओं को छात्रों के आवास के लिए मान्यता देना, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और किसी ऐसी मान्यता वापिस लेना ;

(सत्ताईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जैसा वह आवश्यक समझे ;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा साधारण कल्याण को बढ़ाया देने के लिए व्यवस्था करना ;

(उनतीस) देश के भीतर के या बाहर के अन्य किसी विश्वविद्यालय, प्राधिकरण या संगठन या किसी सार्वजनिक या निजी निकाय से उस विश्वविद्यालय के उसी प्रकार के प्रयोजनों तथा उद्देश्यों को बढावा देने की दृष्टि से, ऐसे प्रयोजनों के लिए, जैसी सहमत पायी जाए, तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो विनिर्दिष्ट की जाए, सहयोग करना ;

(तीस) विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये गये अनुसंधान तथा अन्य कार्य, जिसमें पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित है, के मुद्रण, पुनर्मुद्रण तथा प्रकाशन के लिए उपबंध करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालय में मानकों की स्थापना तथा रखरखाव) विनियमों, २००३ या अन्य किन्ही विनियमों के उपबंधों या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किये गए निर्देशनों का समय-समय से अनुपालन तथा अनुसरण करना ;

(बत्तीस) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किये गए निदेशों का, विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियाँ, कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में, अनुपालन करना तथा कार्यान्वित करना ;

(तेंतिस) ऐसे सभी कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक या सहायक हो ।

विश्वविद्यालय सब के लिए खुला रहेगा।

६. (१) भारत का कोई भी नागरिक, सिर्फ लिंग, धर्म, पन्थ, वर्ग, जाति, जन्मस्थान, धार्मिक मान्यता या व्यवसाय या राजनीतिक या अन्य मत के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद या उसके किसी प्राधिकरणों, निकायों या समितियों के सदस्यत्व या किसी पद पर की नियुक्ति, या किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अन्य अकादमिक विशेष योग्यता या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अपवर्जित नहीं किया जाएगा।

(२) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विभागों, और संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के प्रयोजनार्थ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, निरधिसूचित जनजातियों (विमुक्त जातियों), खानाबदोष जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और विशेष पिछड़े प्रवर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछडे नागरिकों के वर्गों (एसइबीसी) और आर्थिक कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) के आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति तथा समय-समय पर जारी आदेशों को अंगीकृत करेगा।

(३) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित, समाज के गरीब वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विभिन्न संवर्गों के कल्याण के संदर्भ में, राज्य सरकार की साधारण नीति को अंगीकृत करेगा।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा।

७. विश्वविद्यालय, स्ववित्तपोषित होगा तथा सरकार से कोई अनुदान या अन्य वित्तीय सहायता पाने का हकदार नहीं होगा।

विन्यास निधि।

८. (१) प्रायोजित निकाय, विश्वविद्यालय के लिए, " विन्यास निधि " नामक एक स्थायी कानूनी निधि स्थापित करेगी, जिसमें कम से कम दस करोड़ रुपये समाविष्ट होंगे जिसे **स्व-प्रेरणा** से बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु कम नहीं किया जायेगा।

(२) विन्यास निधि, इस अधिनियम, नियमों, विनियमों, परिनियमों या तद्धीन बनाये गये ऑर्डिनेन्स के उपबंधों के कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निक्षेप के रुप में रखी जायेगी।

(३) सरकार को, इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, परिनियमों, ऑर्डिनेन्सों या तद्धीन बनाये गये विनियमों का उल्लंघन विश्वविद्यालय या प्रायोजक निकाय के मामले में, विन्यास निधि का अंशतः या संपूर्ण भाग विहित रीत्या समपहृत करने की शक्ति होगी।

(४) विन्यास निधि से आय, विश्वविद्यालय की मुलभूत सुविधा के विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा किंतु, विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(५) विन्यास निधि की राशि, विनिहित रखी जाएगी, जब तक विश्वविद्यालय का विघटन नहीं होता है तब तक, सरकार द्वारा प्राप्त या प्रत्याभूत दीर्घकालिक सुरक्षा के रूप में शर्त के अध्यधीन यह निधि सरकार की अनुमति के बिना, नहीं निकाली जाएगी।

(६) दीर्घकालिक सुरक्षा के प्रमाणपत्र, सरकार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएँगे ; तथा सरकार को, उप-धारा (३) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, जमा राशि नगद पाने का अधिकार होगा।

साधारण निधि।

९. विश्वविद्यालय, साधारण निधि के नाम से एक निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्न, जमा किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त फीस और अन्य प्रभारों ;

(दो) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा परामर्श तथा अन्य कार्य से प्राप्त कोई राशि ;

(चार) वसीयतों, दान, विन्यासों, तथा कोई अन्य अनुदान, तथा ;

(पाँच) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी अन्य राशियाँ।

सामान्य निधि का उपयोग।

१०. (१) सामान्य निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के कामकाज के संबंध में सभी व्यय जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय पूरा करने के लिए किया जायेगा :

परन्तु, इस वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिये सीमाओं के अधिक में व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा, जिसे प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना, प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नियत किया जा सकेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

११. विश्वविद्यालय के, निम्न अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) अध्यक्ष जो कुलाधिपति भी होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) संकायाध्यक्ष ;

(चार) रजिस्ट्रार ;

(पाँच) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी ;

(छह) परीक्षा नियंत्रक ; और

(सात) विश्वविद्यालय सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाए।

अध्यक्ष।

१२. (१) अध्यक्ष, नियमों द्वारा विहित किया जाए ऐसी रीत्या सरकार के अनुमोदन से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) अध्यक्ष के पद के लिए पात्रता मापदण्ड जैसा कि, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(३) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(४) अध्यक्ष, शासी निकाय की बैठकों और उपाधि, डिप्लोमा या अन्य अकादमिक विशिष्ट उपाधियाँ प्रदान करने के लिए होनेवाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(५) अध्यक्ष को, निम्न शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के कामकाज से संबंधित विश्वविद्यालय किसी अधिकारी या प्राधिकारी से कोई जानकारी या अभिलेख माँगना ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) इस अधिनियम की धारा १४ की उप-धारा (७) के उपबंधों के अनुसरण में, कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्यक्ष को हटाना।

१३. अध्यक्ष को, प्रायोजक निकाय द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पदधारी,—

(क) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, उसे इस प्रकार घोषित ठहराया गया है ; या

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(घ) शारीरिक रूप से अनुपयुक्त है और दीर्घकालिन बीमारी या शारीरिक विकलांगता के कारण कार्य या पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है ; या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में जानबूझकर छोड़ देता है या अस्वीकार करता है और सेवा संविदा के किन्ही निबन्धनों और शर्तों का या परिनियमों द्वारा अधिकथित किन्ही अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या अध्यक्ष को पद पर बनाए रखने से विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है :

परन्तु, अध्यक्ष को, उक्त पद से हटाने के लिए, खंड (घ) और (ङ) के अधीन पुनर्पाठ्यक्रम लेने के पूर्व प्रायोजक निकाय द्वारा कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

कुलपति।

१४. (१) कुलपति, शासी निकाय द्वारा गठित किये गये तीन व्यक्तियों के पैनल से परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उप-धारा (७) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा :

परन्तु, तीन वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, कुलपति, अगली तीन वर्षों की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु आगे यह कि, कुलपति, अपने पद के अवसान के बाद भी, नवीन कुलपति के पदभार ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा, तथापि, किसी मामले में, यह अवधि, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और अकादमिक अधिकारी होगा और उसकी विश्वविद्यालय के कामकाज पर संपूर्ण अधीक्षण की शक्तियाँ होगी और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के विनिश्चयों को निष्पादित करेगा।

(३) कुलपति, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(४) यदि, कुलपति की राय में, ऐसे किसी मामले में जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन किसी अन्य प्राधिकरणों को शक्तियाँ प्रदान की गई है, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक है तो, वह ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात्, शीघ्रतम अवसर पर अपनी कार्यवाही रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकरणों को देगा जो सामान्यतया उस मामले का निपटान करता है :

परन्तु, यदि संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की गई थी तब ऐसे मामले में अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(५) यदि, कुलपति की राय में, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरणों का निर्णय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, ऑर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन करता है या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वह अपने निर्णय का पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित

प्राधिकरण से अनुरोध करेगा और प्राधिकरण, निर्णय का पूर्णतः या अंशतः पुनरीक्षण करने के लिए इनकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में असफल रहता है तब ऐसा मामला, अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

(६) कुलपति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(७) यदि किसी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा आवश्यक समझा जाए, स्थिति इस प्रकार समर्थित करे और यदि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो अध्यक्ष, शासी निकाय के अनुमोदन से, उसके लिए कारण दर्शाते हुए लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे दिनांक से उस पद को त्यागने के लिए कुलपति को कहेगा :

परन्तु, इस उप-धारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व, कुलपति को सुनवाई करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

संकायाध्यक्ष।

१५. (१) संकायाध्यक्ष, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(२) संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के अकादमिक और अन्य कार्यकलापों के प्रबंध में कुलपति को सहायता करेगा और विनियमों द्वारा विहित की जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा या अध्यक्ष और कुलपति द्वारा सौंपेगा।

रजिस्ट्रार।

१६. (१) रजिस्ट्रार, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा।

(२) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णय के अध्यधीन वह करार करने, संविदा करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी, वह परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(३) रजिस्ट्रार, शासी निकाय, प्रबंध मंडल बोर्ड और अकादमिक परिषद का सदस्य सचिव होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा शासी निकाय उसके प्रभार में सुपुर्द करें।

(५) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विहित किया जाए या परिनियमों द्वारा उसे प्रदान किया जाए या कुलपति द्वारा समय-समय से उसे समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का अनुपालन करेगा।

परीक्षा नियंत्रक।

१७. (१) परीक्षा नियंत्रक, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(२) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षा और परीक्षण के संचालन और उनके परिणामों की घोषणा करनेवाला प्रभारी प्रधान अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और मार्गदर्शन के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(३) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वैतनिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कुलपति के निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा। उसकी नियुक्ति, तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी और वह तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नियंत्रक के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव जैसा कि विहित किया जाए ऐसा होगा।

(४) परीक्षा नियंत्रक,—

(क) परीक्षाओं के कलैंडर तैयार करना और अग्रिम में घोषित करना ;

(ख) प्रश्नपत्रों के मुद्रण के लिए व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षाओं और अन्य परीक्षणों के परिणामों की समय पर प्रकाशन की व्यवस्था करना ;

(घ) परीक्षाओं के संबंधित उम्मीदवारों, पेपर-सेटर्स, परीक्षकों, अनुसीमकों या किसी अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध और परीक्षाओं के संबंध में कदाचार का दोषी पाये जाने पर जहाँ आवश्यक हो अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर, पुनर्विलोकन करेगा और अकादमिक परिषद को उसपर रिपोर्ट अग्रेषित करेगा।

(च) परीक्षाओं का नियंत्रक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए या उसे समनुदेशित किया जाए।

मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी।

१८. (१) मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा।

(२) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(३) मुख्य वित्त तथा लेखाधिकारी, परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा।

अन्य अधिकारी।

१९. (१) विश्वविद्यालय, उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक समझे जाये ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(२) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, ऐसे अधिकारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें, उनकी शक्तियाँ और कृत्य परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसे होंगे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

२०. विश्वविद्यालय के निम्न, प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) प्रबंध मंडल बोर्ड ;

(ग) अकादमिक परिषद ;

(घ) परीक्षा बोर्ड ; और

(ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में परिनियमों द्वारा घोषित किया जाए ऐसे अन्य प्राधिकरण।

शासी निकाय।

२१. (१) विश्वविद्यालय का शासी निकाय, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट पाँच व्यक्ति, जिनमें से दो विख्यात शिक्षाविद् होंगे ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से प्रबंधमंडल या सूचना प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ होगा ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(च) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले उद्योगों के दो प्रतिनिधि ;

(छ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, शासी निकाय का स्थायी आमंत्रिति होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) शासी निकाय, विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा।

(३) शासी निकाय को, निम्न शक्तियाँ होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, आर्डिनेन्स, तद्धीन बनाए गए विनियमों या नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसी सभी शक्तियों के उपयोग द्वारा, विश्वविद्यालय के कार्यो का सामान्य अधीक्षण और निदेशन और नियंत्रण का उपबंध करना ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों, आर्डिनेन्स, विनियमों या नियमों की पुष्टि नहीं हैं के मामले में, विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों का पुनर्विलोकन करना ;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ अधिकथित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिनिर्धारण के बारे में सभी प्रयासों के बावजूद जब विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यान्वयन करने की उद्भूत स्थिति शेष संभव नहीं होती हैं तब प्रायोजक निकाय को सिफारिशें करना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) शासी निकाय की, कलैन्डर वर्ष में कम से कम तीन बैठकें होंगी।

(५) शासी निकाय के बैठकों की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

प्रबंधमंडल बोर्ड।

२२. (१) प्रबंधमंडल बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट, शासी निकाय के दो सदस्य ;

(ग) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ;

(घ) तीन व्यक्ति, प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट जो शासी निकाय के सदस्य नहीं है ; और

(ङ) प्रायोजक निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट अध्यापकों में से तीन व्यक्तियाँ।

(२) कुलपति, प्रबंधमंडल बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य, ऐसे होंगे जिसे परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(४) प्रबंधमंडल बोर्ड, प्रत्येक दो महीनें में कम से कम एक बार बैठक लेगा।

(५) प्रबंधमंडल बोर्ड के बैठक की गणपूर्ति, पाँच सदस्यों से होगी।

अकादमिक परिषद।

२३. (१) अकादमिक परिषद, कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(२) कुलपति, अकादमिक परिषद का **पदेन** अध्यक्ष होगा।

(३) अकादमिक परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान अकादमिक निकाय होगी, और इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों, परिनियमों और आर्डिनेन्स के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अकादमिक नीतियों का समन्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(४) अकादमिक परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति, ऐसी होगी जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

परीक्षा बोर्ड।

२४. (१) परीक्षा बोर्ड, परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाओं का आयोजन और परीक्षा लेने के बारे में नीति संबंधी निर्णय लेने, परीक्षा पद्धति में सुधार लाने, पेपर-सेटरों, परीक्षकों, अनुसीमकों की नियुक्ति के लिए और परीक्षाओं और परिणामों की घोषणा करने के दिनांकों की अनुसूची भी तैयार करनेवाला विश्वविद्यालय का प्रधान प्राधिकरण होगा । परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी केंद्र में परीक्षाओं के संचालन का निरीक्षण और विनियमन भी करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा और धारा ३८ के प्रयोजनों के लिए, ''परीक्षाओं की अनुसूची'' की अभिव्यक्ति का तात्पर्य, प्रत्येक पेपर का समय, दिन और दिनांक के प्रारभ्मण के बारे में दी गई ब्यौरेवार तालिका से है, जो परीक्षा प्रणाली का हिस्सा है और जिनमें प्रात्यक्षिक परीक्षा के बारे में भी ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(२) परीक्षा बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) कुलपति	. .	अध्यक्ष ;
(ख) प्रत्येक विषय के प्राध्यापक	. .	सदस्य ;
(ग) परीक्षा बोर्ड द्वारा सहयोजित एक मूल्यांकन विशेषज्ञ	. .	सदस्य ;
(घ) परीक्षा नियंत्रक	. .	सदस्य सचिव।

(३) परीक्षा बोर्ड की शक्तियाँ, और कृत्य ऐसे होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा अधिकथित किया जाए।

अन्य प्राधिकरण।

२५. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएँ।

निरर्हता।

२६. कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किन्ही प्राधिकरणों या निकायों का सदस्य होने से निरर्ह होगा, यदि वह,—

(एक) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा, इस प्रकार घोषित किया गया है ; या

(दो) नैतिक अधमता से अर्न्तग्रस्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है ; या

(तीन) निजी कोचिंग वर्गों को स्वयं चलाता है या जुडा हुआ है ; या

(चार) कहीं भी, किसी भी रूप में किसी परीक्षा के संचालन में अनुचित व्यवहार करने में जुडे होने या बढ़ावा देने के लिए दंडित किया गया है।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की रिक्तियों संबंधी कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होगी।

२७. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के कार्य या कार्यवाहियाँ केवल किसी रिक्ति के या उसके गठन में त्रुटि के कारण द्वारा अविधिमान्य नहीं होगी।

अस्थायी रिक्तियों को भरना।

२८. किसी मामले में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय में सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाये जाने के कारण कोई अस्थायी रिक्ति पायी जाती है तो, यथासंभव शीघ्र, व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे ऐसी रिक्ति के स्थान में नियुक्त या सदस्य को नामनिर्देशित किया गया और अवधि के शेष भाग के लिए अस्थायी रिक्ति को नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होना चाहिए जिसके लिए व्यक्ति अस्थायी नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति जिस शेष पदावधि के लिए वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य होगा, जिस स्थान के लिए रिक्ति भरी जाती है वह सदस्य के रूप में पद धारण करेगा।

समितियाँ।

२९. (१) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारी, ऐसे संदर्भों के निबंधनों के साथ ऐसी समितियों द्वारा किये जानेवाले विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए जैसा आवश्यक समझें ऐसी समितियाँ गठित करेंगे।

(२) ऐसी समितियों का गठन, ऐसा होगा जिसे परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रथम परिनियम।

३०. (१) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा बनाये जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत कियें जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबंध कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ और कृत्य समय-समय पर गठित किये जायेंगे ;

(ख) कुलपति की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा उसकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ग) संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार तथा मुख्य वित्त तथा लेखा अधिकारी की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) कर्मचारियों के नियुक्ति की रीति तथा सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(ङ) कर्मचारियों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच विवादों के मामले में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया ;

(च) सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करना ;

(छ) छात्रों को अध्यापन फीस अदायगी से छूट देने तथा उन्हें छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति प्रदान करने के संबंध में उपबंध ;

(ज) आरक्षित सीटों के विनियमन समेत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशों की नीति, सीटों की संख्या के संबंध में उपबंध ; और

(झ) छात्रों से प्रभारित किए जानेवाली फीस के संबंध में उपबंध।

(३) सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम परिनियमों का विचार करेगी और यदि कोई हो, ऐसे उपांतरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, उसकी प्राप्ति की दिनांक से चार महीने के भीतर, उस पर उसका अनुमोदन देगी।

(४) सरकार, **राजपत्र** में अपने अनुमोदन द्वारा प्रथम परिनियम प्रकाशित करेगी, और उसके बाद, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रथम परिनियम प्रवृत्त होगा।

पश्चात्वर्ती परिनियम।

३१. (१) इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के पश्चात्वर्ती परिनियम, निम्न सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध करेंगें, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय के नए प्राधिकरणों का सृजन करना ;

(ख) लेखा नीति और वित्तीय प्रक्रिया ;

(ग) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करना ;

(घ) नए विभागों का निर्माण और विद्यमान विभाग का उत्सादन या पुनःसंरचना करना ;

(ङ) पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थित करना ;

(च) पदों कें उत्सादन के लिए पदों तथा प्रक्रिया का सृजन करना ;

(छ) फीस का पुनरीक्षण ;

(ज) विभिन्न पाठ्यविवरण में सीटों की संख्या का परिवर्तन ; और

(झ) परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो सभी अन्य मामलें है।

(२) विश्वविद्यालय के परिनियम, प्रथम परिनियम से अन्य शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा बनाये जायेंगे।

(३) प्रबंधमंडल बोर्ड, समय-समय से नये या अतिरिक्त परिनियम बनाएगा या इस धारा में उपबंधित जिसे इसमें आगे ऐसी रीत्या बनाए गए परिनियमों में संशोधन या निरसन करेगा :

परंतु, प्रबंधमंडल बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी विद्यमान प्राधिकरण के किसी प्रतिष्ठा, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालनेवाले कोई परिनियमों या परिनियम में कोई संशोधन नहीं करेगा जब तक ऐसा प्राधिकरण प्रस्ताव पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं देता है और इस प्रकार कोई राय लिखित में अभिव्यक्त नहीं करता है तब तक होगा तथा उसका शासी निकाय द्वारा विचार किया जाएगा।

(४) प्रत्येक ऐसे परिनियम या परिनियम में परिवर्धन या किसी संशोधन या परिनियम के निरसन सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परंतु, विद्या परिषद से परामर्श किये बिना, छात्रों के अनुशासन और शिक्षा का स्तरमान, शिक्षा तथा परीक्षा पर प्रभाव ड़ालने वाले कोई परिनियम प्रबंधमंडल बोर्ड द्वारा नहीं बनाए जाएंगे।

प्रथम ऑर्डीनेन्स।

३२. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम ऑर्डिनेन्स, शासी निकाय द्वारा बनाए जायेंगे और उसके अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(२) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या परिनियमों के अध्यधीन, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रेसर करने के लिए जैसे उसे उचित समझे शासी निकाय के अनुमोदन के साथ प्रबंध मंडल बोर्ड ऐसे प्रथम ऑर्डिनेन्सेस बनाएगा और ऐसे ऑर्डिनेन्सेस निम्न सभी या किन्हीं मामलों के लिए मुहैया कराएगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश तथा उनके ऐसे नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को प्रदान करना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ वही होंगी तथा मंजूर करने और प्राप्त करने से संबंधित वही अर्थ होगा ;

(घ) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका, पदक और पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(ङ) कार्यालय की शर्तें और नियुक्ति की रीति और परीक्षा निकाय के कर्तव्य, परीक्षकों तथा अनुसीमकों समेत परीक्षाओं का संचालन ;

(च) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यचर्याओं, परीक्षाओं, उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए प्रभारित की जानेवाली फ़ीस ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्रों के आवास की शर्तें ;

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने संबंधी उपबंध ;

(झ) विश्वविद्यालय के अकादमिक जीवन में सुधार करने के लिए किसी अन्य निकाय के सृजन, संरचना और कृत्य जो कि आवश्यक माने गए हैं ;

(ञ) उच्च शिक्षा के अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से सहकारिता और सहयोग की रीति ; और

(ट) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए परिनियमों के अधीन जो अन्य सभी मामलें ऑर्डिनेन्सों द्वारा मुहैया करना अपेक्षित है।

(३) सरकार, उप-धारा (१) के अधीन कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रथम ऑर्न्डिनेन्सों का विचार करेगी और ऐसे उपांतरण के साथ यदि कोई आवश्यक समझे तो, उसकी प्राप्ति के दिनांक से, चार महीनों के भीतर अनुमोदन देगी।

पश्चातवर्ती ऑर्डिनेन्स।

३३. (१) अकादमिक परिषद द्वारा बनाए गए प्रथम ऑर्डिनेन्स से, अन्य सभी ऑर्डिनेन्स, प्रबंध मंडल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद उसके अनुमोदन के लिए शासी निकाय को प्रस्तुत किए जाएँगे।

(२) अकादमिक परिषद, या तो प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय के सुझावों को सम्मिलित करके ऑर्डिनेन्सेस उपांतरित करेगी या सुझावों को सम्मिलित न करने के लिए कारण देगी, यदि कोई हो, ऐसे कारणों के साथ ऑर्डिनेन्सेस लौटाएगी। प्रबंधमंडल बोर्ड और शासी निकाय, अकादमिक परिषद के सुझावों का विचार करेंगे और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेन्सेस ऐसे उपांतरणों के साथ या के बिना अनुमोदित किए जायेंगे और तत्पश्चात्, शासी निकाय द्वारा अनुमोदित रूप में ऑर्डिनेन्सेस प्रवृत्त होंगे।

विनियम।

३४. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, प्रबंधमंडल बोर्ड के पूर्वानुमोदन के अध्यधीन, उसके स्वयं के कारोबार और उसके द्वारा नियुक्त समितियों को संचालित करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों, नियमों, तद्धीन बनाए गए ऑर्डिनेन्स और परिनियमों से संगत विनियम बनाएँगे।

प्रवेश।

३५. (१) विश्वविद्यालय में प्रवेश, गुणागुण के आधार पर कडाई से किये जायेंगे।

(२) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए गुणागुण के आधार पर या प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्त किए गए श्रेणी के आधार पर और पाठ्यक्रमेतर तथा पाठ्येतर गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धि या राज्य स्तर पर संचालित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त गुण या श्रेणी के आधार पर या विश्वविद्यालय के सहयोजन द्वारा या राज्य के किसी एजेंसी द्वारा होंगे :

परंतु, वृत्तिक तथा तकनीकी पाठ्यचर्याओं में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के जरिए होंगे।

(३) अनुसूचित-जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े प्रवर्गों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों के वर्गों (एसईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (इडब्लूएस) तथा विकलांग छात्रों से संबंध रखनेवाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें राज्य सरकार की नीति के अनुसार आरक्षित रखी जाएँगी ।

(४) महाराष्ट्र का अधिवास रखनेवाले छात्रों के लिए चालीस प्रतिशत सीटें अनुमोदित कुल ग्रहण क्षमता में से आरक्षित रखीं जायेगी।

फ़ीस नियतन समिति।

३६. (१) विश्वविद्यालय, की फ़ीस संरचना नियत करने के लिए फ़ीस नियतन समिति होगी।

(२) समिति की संरचना, उसका अवधि और उसके सदस्य, उसकी यंत्रणा और फ़ीस नियतन समिति द्वारा अपनाई जानेवाली प्रक्रिया ऐसी होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया जा सके :

परंतु, प्रत्येक ऐसी अधिसूचना, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।

(३) फ़ीस नियतन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते और मानदेय, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे होंगे, जिसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध ।

३७. (१) कोई प्रतिव्यक्ति फ़ीस, विश्वविद्यालय द्वारा या कि और से या कोई व्यक्ति जो ऐसी, संस्था के प्रबंधन के लिए प्रभारी है या जिम्मेवार है, के द्वारा, किसी छात्र से या उसके प्रवेश के प्रतिफलेन और ऐसी संस्था में किसी अध्ययन के पाठ्यक्रम या उच्चतर कक्षा या वर्ग में उसकी प्रोन्नति के लिए, संग्रहीत नहीं की जाएगी।

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबंधनमंडल नगद या उसी प्रकार में विहित रीत्या विन्यास निधि, परोपकारी व्यक्तियों या संगठन या लोकन्यासों या किसी अन्य लोगों के संगठन से छात्रवृत्ति या पुरस्कार या जैसे प्रदान करने के लिए विन्यास निधि सृजन करने के लिए नए शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए सद्भाव में दान संग्रह या प्राप्त करेगी लेकिन, ऐसे दान संग्रहित या स्वीकारते समय प्रबंधनमंडल ऐसे दान के विचार में उसके द्वारा चलित किसी शैक्षणिक संस्था में कोई सीटें आरक्षित नहीं रखेगी। जहाँ ऐसे संदान की स्वीकृति के विचार में ऐसी संस्था में किसी छात्र के प्रवेश के लिए कोई जगह आरक्षित है तो दान के ऐसे प्रतिग्रहण, प्रतिव्यक्ति फ़ीस, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्थान (प्रतिव्यक्ति फ़ीस का प्रतिषेध) अधिनियम, १९८७ की धारा २ के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत समझे जाएँगे।

सन् १९८८ का महा. ६।

परीक्षाओं की समय-सारणी।

३८. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के शुरुआत में और किसी मामले में, प्रत्येक कलेंडर वर्ष के ३० जून से पहले विश्वविद्यालय उसके द्वारा संचालित हर और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रवार या, यथास्थिति, वार्षिक परीक्षाओं की समय-सारणी तैयार तथा प्रकाशित करेगी और ऐसे समय-सारणी का कड़ाई से पालन होगा :

सन् १९८८ का महा. ६।

परंतु, यदि चाहे जिस किसी भी कारण के लिए, विश्वविद्यालय यह समय-सारणी अनुसरण करने में असमर्थ है तो वह प्रकाशित समय-सारणी से यथासंभव शीघ्र सरकार को अनुपालन न करने के लिए विस्तृत कारणों को देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार, उस पर भविष्य में अनुपालन के लिए जैसा कि उचित समझे, ऐसे निदेश जारी करेगी।

परिणामों की घोषणा ।

३९. (१) विश्वविद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए उसके द्वारा संचालित प्रत्येक परीक्षा के परिणामों की घोषणा परीक्षा की अंतिम दिनांक से लेकर तीस दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगी और किसी मामले में नवीनतम परिणाम ऐसे दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर घोषित करेगा :

परंतु यदि, जो कोई भी कारण हो, विश्वविद्यालय किसी भी परीक्षा के परिणाम पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर, अंतिमतः घोषित करने में असमर्थ है, वह सरकार को ऐसे विलंब के विस्तृत

कारणों में समाविष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सरकार, उस पर, भविष्य में बेहतर अनुपालन के लिए, जैसा कि वह उचित समझे, ऐसे निर्देश जारी करेगा।

(२) कोई परीक्षा या परीक्षा के परिणाम, विश्वविद्यालय ने, धारा ३८ में अनुबद्ध परीक्षा की अनुसूची का अनुसरण नहीं किया है या उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करने में असफल हुआ है सिर्फ इसी कारण के लिए अविधिमान्य नहीं होंगे।

दीक्षांत समारोह ।

४०. उपाधियाँ, डिप्लोमाएँ प्रदान करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह परिनियमों द्वारा विहित रित्या में, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष, में किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन ।

४१. विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद (नॅक), बैंगलोर से उसके संस्थित होने से तीन वर्ष के भीतर, प्रत्यायन अभिप्राप्त करेगा तथा विश्वविद्यालय को नॅक द्वारा उपबंधित श्रेणी के बारे में सरकार तथा अन्य ऐसी विनियमित निकायों को जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जानेवाले पाठ्यक्रमों से संबंधित है, को जानकारी देगा । विश्वविद्यालय, तत्पश्चात्, ऐसे प्रत्यायन प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर नवीकृत कर सकता है।

विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि का अनुसरण करेगा ।

४२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय विनियमित निकायों के नियमों, विनियमों, मानकों आदि के पालन के लिये और ऐसे निकायों को उनके द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन तथा उनके कार्यों को कार्यान्विन करने के लिए आवश्यक है, ऐसी सभी सुविधाओं और सहायता मुहैया करने के लिये बाध्यकारी होगी।

वार्षिक रिपोर्ट ।

४३. (१) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधनमंडल बोर्ड तैयार करेगा, जिसमें अन्य मामलों में, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु उठाए गए कदमों का समावेश होगा तथा शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा उसी की प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ, सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मंडल के हर एक सदन के समक्ष रखेगी।

वार्षिक लेखा और संपरीक्षा ।

४४. (१) प्रबंधनमंडल बोर्ड के निर्देशों के अधीन तुलनपत्र समेत विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तैयार किए जाएँगे और इस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी।

(२) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा की प्रति, शासी निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(३) वार्षिक लेखाओं तथा शासी निकाय के संप्रेक्षणों के साथ जोड़ी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रायोजक निकाय को प्रस्तुत की जाएगी।

(४) उप-धारा (१) के अधीन तैयार किए गए वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की प्रतियाँ सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी।

(५) सरकार की सलाह, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के लेखा और लेखापरीक्षा की रिपोर्ट से उद्भूत होती है तो, शासी निकाय के सामने रखी जाएगी और शासी निकाय, जैसा उचित समझे ऐसे निदेश जारी करेगी और उसका अनुपालन सरकार को प्रस्तुत करेगी।

विश्वविद्यालय निरीक्षण करने की सरकार की शक्तियाँ ।

४५. (१) विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यापन, परीक्षा और संशोधन या किसी अन्य मामले की श्रेणियाँ अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, सरकार, कुलपति से परामर्श के बाद, जैसा वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीति में मामला निर्धारण करेगी।

(२) सरकार, सुधारक कार्यवाही के लिए ऐसे निर्धारण के परिणामस्वरूप, संबंध में उसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय सिफारिशों के अनुपालन की सुनिश्चिति के लिए आवश्यकता के रूप में ऐसे सुधारक उपाय करेगी।

(३) यदि विश्वविद्यालय, उचित समय के भीतर, उप-धारा (२) के अधीन की गई सिफारिशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो सरकार, जैसा वह उचित समझे ऐसे निर्देश देगी जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय का विघटन ।

४६. (१) प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों को अग्रिम रूप में कम से कम एक वर्ष की इस प्रभाव की सूचना सरकार को देकर, विश्वविद्यालय विघटित करेगी :

परंतु, विश्वविद्यालय का विघटन, केवल उसके नियमित पाठ्यक्रम पूरे करनेवाले छात्रों की अंतिम बॅच का होगा और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कारों से पुरस्कृत किये जाने पर ही प्रभावी होगा।

(२) विश्वविद्यालय के विघटन पर, विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अध्यधीन, प्रायोजक निकाय में निहित होंगे :

परंतु, विश्वविद्यालय उसकी स्थापना से पंद्रह वर्ष पहले प्रायोजक निकाय द्वारा विघटन किये जाने के मामले में विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ, सभी ऋणभारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी ।

कतिपय परिस्थितियों में राज्य सरकार की विशेष शक्तियाँ ।

४७. (१) यदि, सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम, की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्हीं उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत होता है या विश्वविद्यालय में वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन की स्थिति उद्भूत होती है तो वह अपेक्षित विश्वविद्यालय को पैंतालिस दिनों के भीतर कारण बताओ नोटीस जारी करेगा कि क्यों न उसके समापन का आदेश दिया जाये।

(२) यदि, सरकार का, उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई सूचना पर विश्वविद्यालय के जबाब की प्राप्ति पर, समाधान हो जाता है कि **प्रथमदृष्ट्या** इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या ऑर्डिनेन्स के समस्त या किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन दिये गये किन्ही उपक्रमों के निर्वहन से परिविरत हुआ है या वित्तीय अव्यवस्था या कुप्रशासन हुआ है तो वह आवश्यक समझे ऐसी जाँच के आदेश दे सकेगी।

(३) सरकार, उप-धारा (२) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजन के लिए, किन्हीं भी अभिकथनों में जाँच करने के लिए किसी जाँच अधिकारी या अधिकारियों को नियत करेगी और उस पर रिपोर्ट बनायेगी।

सन् १९०८ का ५।

(४) उप-धारा (३) के अधीन नियत किये गये जाँच अधिकारी या अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में जो शक्तियाँ निहित होती है वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय होगी, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित रहने के लिए, समन जारी करना और प्रवृत्त करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) साक्ष्य में प्रतिपादित किये गये अपेक्षित किसी ऐसे दस्तावेज या किसी अन्य सामग्री की खोज या निर्माण करना ;

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की अपेक्षा करना; और

(घ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाये।

सन् १९७४ का २ ।

(५) जाँच अधिकारी या अधिकारियों की इस अधिनियम के अधीन जाँच, दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

(६) उप-धारा (३) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी या अधिकारियों से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधों या तद्धीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, या ऑर्डिनेन्स का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किन्ही निर्देशों का उल्लंघन किया है इस अधिनियम की धारा ५ के अधीन उसके द्वारा किये गये उपक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये परिविरत है या विश्वविद्यालय के अकादमिक मानकों की आशंकाओं से वित्तीय कु-प्रबंध या कु-प्रशासन की स्थिति विश्वविद्यालय में उद्भूत हुई है तो विश्वविद्यालय के समापन या प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक आदेश जारी किये जायेंगे।

(७) उप-धारा (६) के अधीन नियुक्त किए गए प्रशासक, को इस अधिनियम के अधीन शासी निकाय और प्रबंधमंडल बोर्ड की सभी शक्तियाँ होंगी और सभी कर्तव्यों के अध्यधीन होगा और विश्वविद्यालय के

कामकाज का प्रबंधन तब तक करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच उनके पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करती हैं और उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है।

(८) उपाधि, डिप्लोमा या, यथास्थिति, पुरस्कार प्रदान करने के पश्चात्, नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों की अंतिम बॅच के लिये प्रशासक, सरकार को इस प्रभाव की रिपोर्ट करेगा।

(९) उप-धारा (८) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन के अंतिम आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित होगा और विश्वविद्यालय की सभी आस्तियाँ और दायित्व ऐसे दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित होगी।

सचिव समिति।

४८. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के तुरंत पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विरचित स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन के सत्यापन और सुनिश्चित करने के क्रम में, सचिव स्तरीय समिति स्थापित की जायेगी और प्रायोजक निकाय को परिवचन प्रस्तुत करेगी। समिति, उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग, वित्त विभाग और योजना विभाग के प्रभारी सचिवों से मिलकर बनेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन गठित समिति, उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(३) उप-धारा (२) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परिचालन को अनुमति देते हुये **राजपत्र** में, अधिसूचना प्रकाशित करेगी।

(४) विश्वविद्यालय, उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के पश्चात् ही, केवल छात्रों को प्रवेश देगा।

सचिव स्तर समिति द्वारा निरीक्षण ।

४९. इस अधिनियम की धारा ४८ की उप-धारा (१) के अधीन स्थापित सचिव स्तर समिति, जब-जब सरकार द्वारा निर्देशित किया गया हो, विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगी और स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतो की आवश्यकताओं के अनुपालन और तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के उपबंधों के अनुपालन की जाँच और सुनिश्चित किया जा सके।

शास्ति ।

५०. इस अधिनियम के किन्ही उपबधों का उल्लंघन, यह अपराध होगा और धारा ११ के अधीन विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के साथ-साथ विश्वविद्यालय के अधिकारी तीन महिने से अनधिक परंतु जो एक वर्ष तक बढ़ाई न जा सकनेवाली अवधि के लिए कारावास और पचास हजार रुपयों से अनधिक परंतु जो पाँच लाख रुपयों तक बढाए जा सकनेवाले जुर्माने से दण्डित होंगे :

परंतु, इस धारा में की कोई बात, इस अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए विश्वविद्यालय के परिसमापन की प्रक्रिया समेत, कोई कार्यवाही चाहे वह सिविल या दाण्डिक हो प्रारंभ करने से सरकार को रोकने के लिए नहीं बनाई गई है ।

नियम बनाने की शक्ति ।

५१. (१) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्न समस्त या किन्ही मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा ४७ की, उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन विहित किये जानेवाले मामले ; और

(ख) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा विहित करना आवश्यक है या किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा जो कि चाहे वह एक सत्र में हो या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में हो, और यदि,

उस सत्र में जिसमें उसे रखा गया है, उसके ठीक बाद के सत्र या सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हों या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाए तो नियम, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, केवल ऐसे परिवर्तित रूप में हीं प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात या विलुप्ति की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

५२. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2019.

THE MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ जुलाई, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २३ जुलाई, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९६२ का महा. ३।

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए ।

सन् १९६२ का महा. ३ की धारा २ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है), की धारा २ के,— सन् १९६२ का महा. ३।

(१) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (क-१) " प्राधिकरण " का तात्पर्य, भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा ३ के खण्ड (च) में यथा परिभाषित किये गये प्राधिकरण से है ; " ; सन् २०१३ का ३०।

(२) खण्ड (ठ) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ३।

" (ठ) इस अधिनियम में प्रयोग किए गए " भूमि " और " हितबद्ध व्यक्ति " अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जैसे कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ में उक्त अभिव्यक्ति का अर्थ है । "। सन् २०१३ का ३०।

३. मूल अधिनियम की धारा ३३ की,— सन् १९६२ का महा. ३ की धारा ३३ में संशोधन ।

(१) उप-धारा (३) में, परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात् :-

" परंतु यह और भी कि, राज्य सरकार, पूर्ववर्ती परंतुक के अधीन जब सामान्य आदेश जारी करेगी तब वह भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार, २०१३ के उपबंधों के अनुसार प्रभावित परिवारों को लाभप्रद किए जाने वाली प्रतिकर की रकम का अवधारण संबंधित प्रथम अनुसूची के अनुसार होगा और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन द्वितीय और तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा ; सन् २०१३ का ३०।

(२) उप-धारा (५) के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" (५) प्रतिकर की रकम अवधारित करने में, कलक्टर, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ अन्य सुसंगत उपबधों की धारा २६ से ३० और अन्य सुसंगत उपबंधों में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा मार्गदर्शन कर सकेगा, उपांतरणों के अध्यधीन यह कि " वह दिनांक, जिसकी धारा ११ के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, " वह धारा २६ में का संदर्भ इस अधिनियम के अधीन अधिकथित तत्समय के लिए, विहित में, इस अधिनियम की धारा ३२ की उप-धारा (२) के अधीन सूचना सेवा की या का प्रकाशन की दिनांक " के रूप में संदर्भ होगा ", और धारा २८ में का संदर्भ " धारा १९ के अधीन घोषणा के प्रकाशन का समय ", " वह इस अधिनियम की धारा ३२ की, उप-धारा (१) के अधीन **राजपत्र** में सूचना के प्रकाशन के दिनांक " के रूप में संदर्भ होगा । " । सन् २०१३ का ३०।

४. मूल अधिनियम की धारा ३४ में,— सन् १९६२ का महा. ३ की धारा ३४ में संशोधन ।

(१) उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

(१) " प्रतिकर की रकम का अवधारण करने के कलक्टर के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, जहाँ तक कि वह उससे प्रभावित हुआ है, ऐसे निर्णय के दिनांक से साठ दिनों के भीतर, यह कि उनके द्वारा निर्दिष्ट मामले को प्राधिकरण के अवधारण की आवश्यकता है कलक्टर को लिखित में आवेदन कर सकेगा और जब कोई ऐसा आवेदन तैयार है तब भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ का अध्याय ८ के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन समेत उसके संबंध में आगे की प्रक्रिया के लिए लागू होगें । " ; सन् २०१३ का ३०।

(२) उप-धारा २ में, " न्यायालय " शब्दों के स्थान में, " प्राधिकरण " शब्द रखा जायेगा ।

(३) पार्श्व टिप्पणी में, " न्यायालय " शब्दों के स्थान में, " प्राधिकरण " शब्द रखा जायेगा ।

५. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, " न्यायालय " शब्दों के स्थान में, " प्राधिकरण " शब्द रखा जायेगा । सन् १९६२ का महा. ३ की धारा ३५ में संशोधन ।

६. मूल अधिनियम की धारा ३६ की, उप-धारा (३) में, " न्यायालय में " शब्दों के स्थान में, " प्राधिकरण को " शब्द रखे जायेंगे । सन् १९६२ का महा. ३ की धारा ३६ में संशोधन ।

७. मूल अधिनियम की धारा ३७ में,— सन् १९६२ का महा. ३ की धारा ३७ में संशोधन ।

(१) " न्यायालय में, " शब्दों के स्थान में जहाँ कहीं वे पहली बार आए हो वहाँ " प्राधिकरण को " शब्द रखे जायेंगे ;

(२) " न्यायालय " शब्द के स्थान में, " प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगें ;

(३) पार्श्व टिप्पणी में, " न्यायालय " शब्दों के स्थान में, " प्राधिकरण " शब्द रखे जायेगें ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2019.

THE MAHARASHTRA EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF FEE) (AMENDMENT) ACT, 2018.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ अगस्त, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2019.

AN ACT TO AMED THE MAHARASHTRA EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF FEE) ACT, 2011.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २६ अगस्त, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (फीस का विनियमन) अधिनियम, २०११ में संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (फीस का विनियमन) अधिनियम, २०११ में संशोधन करना इष्टकर हैं; अतः भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :— सन् २०१४ का महा. ७।

संक्षिप्त नाम । **१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (फीस का विनियमन) (संशोधन), अधिनियम, २०१८ कहलाए।

सन् २०१४ का महा. ७। सन् २०१४ का महा. ७ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (फीस का विनियमन) अधिनियम, २०११ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,—

(१) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (क-१) " व्यथित माता-पिता समूह " का तात्पर्य, बाधित कक्षा या, यथास्थिति, विद्यालय के बालकों के कुल माता-पिता के २५ प्रतिशत से अनून, बालकों के माता-पिता का समूह, जो अधिनियम के अधीन किसी विनिर्णय द्वारा व्यथित हैं, से है ; " ;

(२) खण्ड (ट) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ट) " फीस " का तात्पर्य, धारा ५ और ६ के अधीन फीस के रूप में नियत रकम से हैं, जिसमें,—

(एक) पाठ्यक्रम आवश्यक समेत ट्यूशन फीस ;

(दो) सत्र फीस, जो, प्रति सत्र एक महिने की ट्यूशन फीस से अधिक न हो;

(तीन) पुस्तकालय फीस ;

(चार) प्रयोगशाला फीस ;

(पाँच) जिमखाना फीस ;

(छह) अभिरक्षा रकम ;

स्पष्टीकरण.- " अभिरक्षा रकम " का तात्पर्य, प्रयोगशाला उपकरणों पुस्तकालय निक्षेप और क्रीड़ा उपकरणों के प्रयोग करने या नुकसान करने के प्रयोजनों के लिये रकम जमा करने, से हैं ;

(सात) परीक्षा फीस;

(आठ) छात्रालय फीस और भोजनालय प्रभार;

(नौ) प्रवेश फीस ।

स्पष्टीकरण.—एक.—जहाँ, छात्र को, कक्षा पहली से आरंभ कर कक्षा दसवीं या उससे निम्न किन्ही कक्षा तक शिक्षा लेने की सुविधा होनेवाले विद्यालय में प्रवेश किया हैं, वहाँ छात्र को, दुबारा प्रवेश फीस का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.—दो.—प्रवेश फीस, ट्यूशन फीस के एक महीने की फीस से अधिक नहीं होगी ;

(दस) सुरक्षा रकम के रूप में निक्षेप या जैसा कि विहित किया जाए किन्हीं पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमेतर मद के लिये भुगतानयोग्य रकम;

(ग्यारह) किन्ही पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमेतर क्रियाकलापों या विद्यालय द्वारा मुहैय्या की गई सुविधाओं के लिये छात्र द्वारा भुगतानयोग्य कोई अन्य रकम, सम्मिलित हैं ;

(३) खण्ड (द) अपमार्जित किया जायेगा ;

(४) खण्ड (दस) में " या स्थायी रूप से असहायता प्राप्त " शब्दों के स्थान में, " स्थायी रूप से असहायताप्राप्त या स्व-वित्तपोषित " शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१४ का महा. ७ में नयी धारा ३क की निविष्टि।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

विलंबित या भुगतान न करने के लिए फीस और शास्ति का भुगतान।

" **३ क.** (१) विद्यालय प्रबंधमंडल द्वारा यथा विनिश्चित मासिक या द्वि-मासिक या त्रैमासिक रूप से माता-पिता द्वारा फीस का भुगतान किया जायेगा :

परंतु, यदि छात्रों के माता-पिता, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक रूप से फीस का भुगतान करने के लिये आशयित हैं, तब, विद्यालय का प्रबंधमंडल, माता-पिता कों, तद्नुसार, फीस का भुगतान करने के लिये अनुमत करेगा और उनकी विवेकशीलता के अनुसार छूट प्रस्तुत करेगा।

(२) निजी असहायताप्राप्त विद्यालय और स्थायी रुप से असहायताप्राप्त विद्यालय का प्रबंधमंडल को शास्तिक ब्याज के साथ, विलंबित भुगतान फीस या लंबित भुगतान फीस प्रभारित करने की अधिकारिता होगी । शास्तिक ब्याज की दर, सरकार द्वारा, आदेश द्वारा विनिश्चित किया जा सके ऐसी होगी । " ।

सन् २०१४ का महा. ७ की धारा ४ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ४ की, उप-धारा (२) के, खण्ड (क) के,—

(१) उप-खण्ड (चार) में, " माता-पिता में से दोनों" शब्दों के स्थान पर, " एक माता या पिता और एक अध्यापक" शब्द रखे जायेगे ;

(२) उप-खण्ड (पाँच) में, " प्रत्येक कक्षा से एक माता या पिता और एक अध्यापक" शब्दों के स्थान में, " विद्यालय के अधिकतम तेरह माता-पिता के अध्यध्यीन प्रत्येक कक्षा से कम-से-कम एक माता या पिता और, प्रत्येक कक्षा से दो माता या पिता से अनधिक, अधिकतम दस अध्यापकों के अध्यधीन प्रत्येक कक्षा से एक अध्यापक और विद्यालय प्रबंधमंडल के एक प्रतिनिधि " शब्द रखे जायेंगे;

(३) उप-खण्ड (पाँच) के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

" परंतु, माता-पिता सदस्यों की कुल संख्या, कुल अध्यापक सदस्यों और सदस्य, जो विद्यालय प्रबंधमंडल के प्रतिनिधि हैं के कुल संख्या से हमेशा एक से अधिक होगी :

परंतु यह और भी कि, अकादमिक वर्ष में, यदि, उप-खण्ड (पाँच) के अधीन, सदस्य के रूप में, कार्यकारी समिति पर किन्ही कक्षा से दो माता-पिता नियुक्त किये गये हैं, तब, ऐसे मामलों में, अगले एक वर्ष के लिये, एक से अधिक माता-पिता, ऐसे कक्षा से नियुक्त नहीं किया जायेगा।"।

सन् २०१४ का महा. ७ में धारा ६ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ६ की—

" (१) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ, निविष्ट की जायेंगी, अर्थात् :—

(१क) निजी असहायताप्राप्त विद्यालयों और स्थायी रूप से असहायताप्राप्त विद्यालयों के प्रबंधमंडल, माता-पिता को, छात्रों के प्रवेश के समय पर ही, सभी कक्षाओं के लिये, जैसे कि, कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक या भाग में, जैसे कि प्रथम भाग में कक्षा पहली से कक्षा पाँचवी सम्मिलित होंगी और द्वितीय भाग में छठीं से दसवीं कक्षा सम्मिलित होगी, कक्षावार फीस घोषित करके चुन सकेगा। यदि फीस संरचना भाग के लिये घोषित की हैं, तब, शेष भाग के लिये फीस संरचना, उस अकादमिक वर्ष के प्रारंभण के कम-से-कम एक वर्ष के पूर्व घोषित की जायेगी। विद्यालय द्वारा यथा घोषित ऐसी फीस संरचना, संबंधित सभी पर बाध्यकर होगी। विद्यालय का प्रबंधमंडल, विद्यालय के सूचना फलक पर और आधिकारिक वेबसाईट पर फीस संरचना प्रदर्शित करेगा।

(१ख) निजी असहायताप्राप्त विद्यालयों और स्थायी रूप से असहायताप्राप्त विद्यालयों के प्रबंधमंडल, जिन्होंने, उप-धारा (१ क) के अधीन उपबंधों के अनुसार फीस संरचना घोषित करने के लिये नहीं चुना हैं, वह, विद्यालय में फीस, जो पूर्व अकादमिक वर्ष और साथ ही उक्त फीस की पंद्रह प्रतिशत रकम से अनधिक नहीं होंगी :

परंतु, निजी असहायताप्राप्त विद्यालयों और स्थायी रूप से असहायताप्राप्त विद्यालयों, कार्यकारी समिति या, यथास्थिति, प्रभागीय फीस विनियामक समिति द्वारा अनुमोदित फीस के दिनांक से दो वर्षों के पश्चात्, फीस बढ़ा सकेगा। ";

(१ग) विद्यालय का प्रबंधमंडल, उप-धारा (१क) में यथा उल्लिखित फीस संरचना में उपबंधित फीस बढ़ा सकेगी या उप-धारा (१ख) में यथा उपबंधित दर से अधिक फीस का उपबंध या अप्रत्याक्षित घटनाओं में, उसके कारणों और परिस्थितियों को प्रस्तुत करने द्वारा माता-पिता के ७६ प्रतिशत से अनून अनुमोदन द्वारा या कार्यकारी समिति के अनुमोदन द्वारा उप-धारा (१ख) के, परंतुक में यथा उपबंधित दो वर्षों के पूर्व प्रस्तावित कर सकेगी ";

(२) उप-धारा (४) में, "दौरान" शब्दों से आरंभ होनेवाले और "नियामक समिति" शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :—

" निर्देशनों की विचारधिनता के दौरान, प्रबंधमंडल, प्रभागीय फीस नियामक समिति के अंतिम विनिर्णय तक, पूर्व अकादमिक वर्ष के समान फीस के साथ ही ऐसी फीस में पंद्रह प्रतिशत वृद्धि या प्रस्तावित बढ़ायी गयी फीस, जो भी कम हो, संग्रहित कर सकेगी।";

(३) उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :

" परंतु, यदि उप-धारा (४) के अधीन विनिश्चित फीस, माता-पिता से प्रबंधमंडल द्वारा संग्रहीत फीस से अधिक हो, तब, ऐसे मामले में, माता-पिता से कोई दाण्डिक ब्याज वसूल नहीं किया जायेगा। ;

(४) उप-धारा (५) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

(५) यदि,—

(क) कार्यकारी समिति के निर्णय द्वारा प्रबंधमंडल व्यथित हुआ है तो उसे कार्यकारी समिति का निर्णय प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्रभागीय फीस विनियामक समिति को अपील प्रस्तुत कर सकेगा ;

(ख) कार्यकारी समिति के निर्णय द्वारा या प्रबंधमंडल द्वारा वृद्धि की गयी फीस द्वारा माता-पिता व्यथित हुए है तो व्यथित माता-पिता समूह, कार्यकारी समिति या विद्यालय प्रबंधमंडल के निर्णय की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसी अपील दायर करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यथित माता-पिता द्वारा सम्यक् हस्ताक्षर सहित प्रभागीय फीस विनियामक समिति को अपील प्रस्तुत कर सकेंगे :

परंतु, प्रभागीय फीस विनियामक समिति को ऐसी अपील या निर्देशित मामला समय के भीतर प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण है तो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात्, परन्तु साठ दिनों से अधिक न हो, ऐसी अपील या निर्देशित मामला दायर किया जा सकेगा।"।

६. मूल अधिनियम की धारा ८ की, उप-धारा (६) के खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्न परन्तुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् : सन् २०१४ का महा. ७ की धारा ८ में संशोधन।

परंतु, खण्ड (छ) के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक संस्था या प्रबंधमंडल का सर्वसाधारण सदस्य या सलाहकार है तो प्रभागीय फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।"।

सन् २०१४ का महा. ७ की धारा ९ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ९ की, उप-धारा (१) में,–

(१) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:-

" (क-१) यदि विद्यालय का भवन किराये या पट्टे पर लिया है तो रजिस्ट्रीकृत करार या पट्टे के अनुसार किराया, ऐसा किराया या युक्तियुक्त किराया :

परंतु, यदि ऐसा किराया अयुक्तियुक्त पाया गया है तथ्न, परिकलित या बाजार दर के अनुसार किराया विचार में लिया जायेगा;";

(२) खण्ड (ख) में, " मूलभूत सुविधा " शब्द के स्थान में "मूलभूत सुविधा के लिए उस वर्ष का व्यय" शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१४ का महा. ७ की धारा १० में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा १० की, (१) उप-धारा (८) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात्:-

"**(९)** कार्यकारी समिति या व्यथित माता-पिता समूह या प्रबंधमंडल से, लिखित अनुरोध या निवेदन की प्राप्ति पर, आपवादिक मामलो में, और उसके अभिलिखित कारणों के पश्चात्, प्रभागीय फीस विनियामक समिति को इस धारा के अधीन पारित उसके आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी :

परंतु, प्रभागीय फीस विनियामक समिति इस उप-धारा के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व, कार्यकारी समिति, या व्यथित माता-पिता समूह या, यथास्थिति, प्रबंधमंडल को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी।"।

सन् २०१४ का महा. ७ की धारा १६ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा १६ में,—

(१) " दुगनी " शब्द अपमार्जित किया जायेगा;

(२) उप-धारा (३) के पश्चात् निम्न उप-धारा, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

(४) सरकार को इस अधिनियम के अधीन अपराध के अभियोजन या प्रशमन के लिए कार्यवाही शुरु करने के प्रयोजनों के लिये किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी। "।

संदेश का निराकरण।

१०. संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन, मूल अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन अकादमिक वर्ष में, फीस के लिए पहले से ही अनुमोदन लिया है, प्रवेश प्रक्रिया या उससे संबंधित कोई अन्य कार्य शुरु किया है वहाँ प्रबंधमंडल या विद्यालय को लागू नहीं होगी।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2019.

THE MAHARASHTRA MEDIA PERSONS AND MEDIA INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE OR LOSS TO PROPERTY) ACT, 2017.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक २८ अक्तूबर, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIX OF 2019.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST MEDIA PERSONS WHILE CARRYING OUT THEIR DUTIES AS MEDIA PERSONS AND PREVENTION OF DAMAGE OR LOSS OF PROPERTY OF MEDIA PERSONS OR MEDIA INSTITUTIONS IN THE STATE OF MAHARASHTRA AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERTO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९ सन् २०१९।

(जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ८ नवम्बर, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में प्रसार माध्यमों के रूप में उनके कर्तव्यों का कार्यान्वयन करने के दौरान प्रसार माध्यमों के व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा की रोकधाम और प्रसार माध्यमों के व्यक्तियों और प्रसार माध्यम संस्थाओं की संपत्ति की हानि या नुकसान की रोकधाम करने तथा तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य में प्रसार माध्यमों के व्यक्तियों चोट पहुँचाने या जीवन के लिए खतरनाक और प्रसार माध्यमों के व्यक्तियों और प्रसार माध्यम संस्थाओं की संपत्ति की हानि या नुकसान पहुँचानेवाले हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है जिससे राज्य में घबराहट पैदा हो रही है ;

और क्योंकि प्रसार माध्यमों के व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसा की रोकधाम और हिंसा की ऐसी गतिविधियों से प्रसार माध्यमो के व्यक्तियों और प्रसार माध्यम संस्थाओं की संपत्ति की हानि या नुकसान की रोकथाम करने हेतु और तत्संबंधी या इससे आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करना आवश्यक हुआ है ; अतः भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र प्रसार माध्यमों के व्यक्तियों और माध्यम प्रसार संस्था (हिंसा और संपत्ति की हानि या नुकसान की रोकधाम) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में होगा ।

परिभाषाएँ।

२. (१) इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " प्रसार माध्यम संस्था, " में किन्ही रजिस्ट्रीकृत समाचार पत्र आस्थापना, समाचार चैनल आस्थापना, समाचार आधारित इलेक्ट्रानिक प्रसार माध्यम स्थापना या समाचार केंद्र स्थापना का समावेश हे ।

(ख) " प्रसार माध्यम व्यक्ति, " का तात्पर्य व्यक्ति, जिसका मूल व्यवसाय पत्रकार का है और जो, एक या अधिक प्रसार माध्यम संस्थाओं में या के संबंध में, या तो नियमित या ठेका आधार पर, पत्रकार, के रुप में नियुक्त की गई है, से है ; और इसमें, सम्पादक उप-सम्पादक, समाचार दाता, प्रतिवेदक, संवाददाता, व्यंगचित्रकार, दूरदर्शन कैमरामेन, अग्रलेखक, विशेषप्रसंग लेखक, लेख-परीक्षक और प्रुफ शोधक का समावेश होगा, किंतु कोई व्यक्ती जो,—

(एक) मुख्यरूप से प्रबंधकीय या प्रशासकीय क्षमता से नियुक्त हो ; या

(दोन) पर्यवेक्षक क्षमता में नियुक्त होते हुए, मुख्य रूप से, प्रबंधकिय स्वरूप के कायों का, या तो उसके पद से जुडे कर्तव्यों के स्वरूप के कारण या उस पर निहित शक्तियों के कारण, अनुपालन करता हो ;

का समावेश नहीं होगा ;

(ग) " समाचार पत्र " का तात्पर्य, लोक समाचार या लोक समाचारों पर टिप्पणियों का समावेश होने वाले किन्ही मुद्रित या ऑनलाईन कालिक, से है, इसमें पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते) और विविध उपबंध अधिनियम, १९५५ के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा **राजपत्र** में इस निमित्त, समय-समय से, अधिसूचित किये जा सके ऐसे अन्य वर्ग के मुद्रित या कालिक कार्य का समावेश हैं । सन् १९५५ का ४५।

(घ) " समाचार चैनल " का तात्पर्य, दूरदर्शन चैनल, जो भारत सरकार के सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के साथ समाचार चैनल के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, से है ;

(ड़) " समाचार पत्र आस्थापना " का तात्पर्य, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, एक या अधिक समाचार पत्रों के निर्माण के लिये किसी समाचार एजेंसी या व्यवसाय संघ के संचालन के लिये, के नियंत्रण के अधीन स्थापित आस्थापना से है ;

स्पष्टीकरण.-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये,—

(एक) समाचार पत्र आस्थापना के विभिन्न विभाग, शाखाएँ और केंद्र, उसके भाग के रूप में जाने जाएँगे;

(दो) मुद्रण यंत्र को समाचार पत्र आस्थापना के रूप में माना जायेगा, यगि उसका मुख्य कार्य समाचार पत्र मुद्रित करना हो तो ;

(च) " समाचार आधारित इलेक्ट्रॉनक प्रसार माध्यम " का तात्पर्य किसी समाचार आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्रसार माध्यम से है कि समाचार का आशय उपयोगकर्ता तक पहुँचाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से हैं ।

(छ) " समाचार केंद्र " का तात्पर्य, समाचार प्रस्तुत और प्रसारण किये जानेवाले टेलीविजन या रेडियो स्टेशन से है ।

(ज) " अपराधी " का तात्पर्य, ऐसे व्यक्ति से है जो या तो स्वय या व्यक्तियों के समूह या संगठन के किसी सदस्य या नेता के रूप में इस अधिनियम के अधीन हिंसा करता है या करने का प्रयास करता है या हिसा करने के लिये अवप्रेरित या प्रेरित करता है ।

(झ) " सम्पत्ति " का तात्पर्य, किसी प्रसार माध्यम की व्यक्ति या प्रसार माध्यम संस्था की अपनी या के द्वारा कब्जाधिन कोई चल या अचल सम्पत्ति या उपस्कर या मशीनरी, से है ।

(ञ) " हिंसा " का तात्पर्य, ऐसे कार्य से है जो, किसी व्यक्ति का अपन कर्तव्यों के निर्वहन करनेवाले किसी प्रसार माध्यम व्यक्ति को कोई अपहानि, हानि पहुँचाता है या मानव जीवन के लिए खतरनाक है या अभित्रास, बाधा या प्रतिबाधा पहुँचाता है, या पहुँचा सकता है, या किसी प्रसार माध्यम संस्था की संपत्ति को हानि या नुकसान पहुँचा है ।

हिंसा का प्रतिषेध ।

३. किसी प्रसार माध्यम व्यक्ति के विरुद्ध हिसा का कोई कार्य या किसी प्रसार माध्यम व्यक्ति या संस्था की संपत्ति की कोई हानि या नुकसान पहुँचाना प्रतिषिद्ध किया जायेगा ।

शास्ति ।

४. कोई अपराधी, जो धारा ३ के उपबंधों के उल्लंघन में हिंसा का कोई कार्य करता है या करने का प्रयास करता है, या अवप्रेरित या प्रेरित करता है, तीन वर्ष तक के कारावास से और पचास हजार रुपयों तक के जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

अपराध की जाँच ।

सन् १९७४ का २ ।

५. दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९५७ में अन्तर्विष्ट किसी बात के हुए भी, पुलिस उप-अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की जाँच करेगा ।

अपराध का संज्ञान।

६. इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय होगा ।

संपत्ति की हुई हानि या नुकसान के लिए प्रतिकार अदा करने का दायित्व ।

७. (१) धारा ४ में विनिर्दिष्ट दण्ड के अलावा, अपराधी, प्रसार माध्यम व्यक्ती या प्रसार माध्यम संस्था की संपत्ति को पहुँचाई गई हानि या नुकसान के लिये प्रतिकार अदा करने का दायी होगा, जैसा कि धारा ६ में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाये और माध्यम व्यक्ति द्वारा उपगत चिकित्सा व्यय को प्रतिपूर्ती करने के लिये भी दायी होगा ।

(२) यदि, इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि होनेपर कोई व्यक्ति ने उप-धारा (१) के अधीन अधिरोपित प्रतिपूर्ति और चिकित्सा व्यय का भुगतान नहीं किया है तो वह इस प्रकार वसूलनीय होगा मानों कि वह भू-राजस्व का बकाया था ।

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के दुरूपयोग के लिये दंड ।

८. (१) जो कोई, प्रसार माध्यम व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों का जानबुझकर दुरूपयोग करता है या दुर्भावपूर्ण प्रयोजनों के लिये उपयोग करता है, या इस अधिनियम के अधीन झूठी शिकायत करता है, तो तीन वर्षों तक के कारावास से या ऐसे जुर्माने से जिसे पाँच हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

(२) प्रसार माध्यम व्यक्ति, उप-धारा (१) के अधीन दोषसिद्धि के पश्चात्, प्रसार माध्यम व्यक्ति के रूप में किसी सरकारी लाभ के लिए हकदार नहीं होगा और उसका प्रत्यापन पत्रक स्थायी रूप से प्रतिसंहत किया जायेगा ।

अधिनियम किसी अन्य विधि के अल्पीकरण करनेवाला नहीं होगा ।

९. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होगा और उनका अल्पीकरण करनेवाले नहीं होंगे ;

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2019.

THE MAHARASHTRA (THIRD SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ दिसम्बर, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXX OF 2019.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSE OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2020.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २६ दिसम्बर, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२० के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं और प्रयोजनों के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२० के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओ और प्रयोजनों के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ उपबंध किया जाए ; इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम । **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र (तृतीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१९ कहलाये ।

राज्य की समेकित निधि में से वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के लिये १ खरब, ६१ अरब, २० करोड़, ६८ लाख, २८ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होगी और जो कुल मिलाकर एक खरब, इकसाठ अरब, बीस करोड़ अड़सठ लाख, अठ्ठाईस हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बद्ध में सन् २०२० के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जाएगी ।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की समेकित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिए प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२० के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोग किया जायेगा ।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)	रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी: विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
			रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय			
		सामान्य प्रशासन विभाग			
ए-१	राज्यपाल और मंत्री परिषद ।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक । २०१३, मंत्री परिषद।		१.५०,००,०००	१.५०,००,०००
ए-६	सूचना तथा प्रचार।	. . २२२०, सूचना तथा प्रचार। . .	५,००,००,०००	. . . .	५,००,००,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग । . .	५,००,००,०००	१,५०,००,०००	६,५०,००,०००
		गृह विभाग।			
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। . .	३४,६५,६५,०००	. . . .	३४,६५,६५,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सड़क परिवहन। ३०५६, अन्तरदेशीय जल परिवहन। . .	३,२२,७७,०२,०००	. . . .	३,२२,७७,०२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ ।	२०४५, पण्य मालो तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।	. .	९३,३०,०००	. . . .	९३,३०,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	३,५८,३५,९७,०००	. . . .	३,५८,३५,९७,०००
		राजस्व तथा वन विभाग।				
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२१७, नगरविकास । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यको का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	. .	. . . .	१,८०,९६,०००	१,८०,९६,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	. .	५२,५०,३६,४४,०००	२५,३४,८२,०००	५२,७५,७१,२६,०००
सी-७	वन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५५१, पहाडी क्षेत्र।	. .	१,९६,१०,९६,०००	. . . .	१,९६,१०,९६,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	५४,४६,४७,४०,०००	२७,१५,७८,०००	५४,७३,६३,१८,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।

डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा ।	. .	६,८६,५९,७४,०००	. . . .	६,८६,५९,७४,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	. .	१८,२५,००,०००	. . . .	१८,२५,००,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास। . .	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	. .	१,२४,०२,०१,०००	. . . .	१,२४,०२,०१,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग। . .	२४०५, मत्स्य उद्योग।		५३,००,८५,०००	. . . .	५३,००,८५,०००
डी-७	सचिवालय और अन्य आर्थिक सेवाएँ ।	२७०२, लघु सिंचन । ३४५१, सचिवालय आर्थिक सेवाएँ ।		३०,००,०००	. . . .	३०,००,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	८,८२,१७,६०,०००	. . . .	८,८२,१७,६०,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।

इ-२	सामान्य शिक्षा। . .	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	२१,३६,७०,०००	. . . .	२१,३६,७०,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।	. .	२१,३६,७०,०००	. . . .	२१,३६,७०,०००

नगरविकास विभाग।

एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास । ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	१,९६,७३,००,०००	. . . .	१,९६,७३,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
एफ-३	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	१७,६२,०००	. . . .	१७,६२,०००
एफ-४	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थांओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।		१,५०,००,००,०००	. . . .	१,५०,००,००,०००
		कुल—नगर विकास विभाग।	. .	३,४६,९०,६२,०००	. . . .	३,४६,९०,६२,०००
		वित्त विभाग।				
जी-६	पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ती के लाभ ।	२०७१, पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ती के लाभ ।	. .	६४,१५,०००	. . . .	६४,१५,०००
जी-७	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ ।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	. .	१३,००,००,०००	. . . .	१३,००,००,०००
		कुल—वित्त विभाग।	. .	१३,६४,१५,०००	. . . .	१३,६४,१५,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग।				
एच-३	आवास ।	२२१६, आवास ।	. .	७०,००,००,०००	. . . .	७०,००,००,०००
एच-५	सड़क तथा पुल ।	३०५४, सड़क तथा पुल ।	. .	१०,५०,००,००,०००	. . . .	१०,५०,००,००,०००

एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन ।	२०५९, लोकसिंचन कार्ये । २२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२१७, नगर विकास । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग ।	. .	८,००,००,०००	. . . .	८,००,००,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	११,२८,००,००,०००	. . . .	११,२८,००,००,०००
		जलस्त्रोत विभाग।				
आय-१	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	. .	. . . .	७५,००,००,०००	७५,००,००,०००
आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान ।	. .	३९,७०,०००	. . . .	३९,७०,०००
		कुल—जलस्त्रोत विभाग।	. .	३९,७०,०००	७५,००,००,०००	७५,३९,७०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		विधि तथा न्याय विभाग।				
जे-१	न्याय प्रशासन।	. . २०१४, न्याय प्रशासन।	. .	१०,३९,६५,०००	७,०७,३३,०००	१७,४६,९८,०००
		कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	१०,३९,६५,०००	७,०७,३३,०००	१७,४६,९८,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।				
के-३	लेखनसामग्री तथा मुद्रण ।	२०५७, पूर्ति और निपटान । २०५८, लेखनसामग्री तथा मुद्रण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	. .	३,८५,००,०००	. . . .	३,८५,००,०००
के-६	ऊर्जा।	२८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।	. .	१०,००,००,००,०००	. . . .	१०,००,००,००,०००
के-७	उद्योग ।	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । २८५२, उद्योग । २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग ।	. .	२०,००,००,०००	. . . .	२०,००,००,०००
के-८	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ ।	. .	३,००,०००	. . . .	३,००,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	१०,२३,८८,००,०००	. . . .	१०,२३,८८,००,०००

ग्रामविकास विभाग।

एल-३	ग्रामविकास कार्यक्रम।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । ३०५४, सडक तथा पुल।	. .	५,७०,००,०००	. . . .	५,७०,००,०००
		कुल—ग्रामविकास विभाग।	. .	५,७०,००,०००	. . . .	५,७०,००,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।

एम-२	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम। . .	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	. .	१,७१,०२,०००	. . . .	१,७१,०२,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	१,७१,०२,०००	. . . .	१,७१,०२,०००

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।

एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यांकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २८०१, विद्युत ।	. .	५,४०,०७,०१,०००	. . . .	५,४०,०७,०१,०००
एन-६	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	. .	३६,०००	. . . .	३६,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	५,४०,०७,३७,०००	. . . .	५,४०,०७,३७,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
			रुपये	रुपये		रुपये
		योजना विभाग।				
ओ-३	ग्राम नियोजन।	. . २५०५, ग्राम नियोजन। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०३, पशुपालन । २४०४, दुग्ध उद्योग विकास । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्यजीवन । २४२५, सहकारिता । २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन । ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानिय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	. .	३,०००	. . . .	३,०००
ओ-२४	जिला योजना- सिंधुदुर्ग ।		. .	१२,०००	. . . .	१२,०००

ओ-५६	जिला योजना- लातुर ।	२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण । २४०१, कृषि कर्म । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४२५, सहकारिता । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दिपगृह ३०५४, सड़क तथा पुल। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानिय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।	. .	५,०००	. . . .	५,०००
	कुल—योजना विभाग।		. .	२०,०००	. . .	२०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		लोकस्वास्थ्य विभाग।				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	. .	५,०१,५१,७३,०००	. . . .	५,०१,५१,७३,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	५,०१,५१,७३,०००	. . . .	५,०१,५१,७३,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधी विभाग।				
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. .	२,२१,१५,२३,०००	. . . .	२,२१,१५,२३,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधी विभाग।	. .	२,२१,१५,२३,०००	. . . .	२,२१,१५,२३,०००
		जनजाति विकास विभाग।				
		२०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगर विकास।				

	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।			
	२२३०, श्रम तथा नियोजन ।			
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।			
	२२३६, पोषण ।			
	२४०१, कृषि कर्म ।			
	२४०२, मृदा तथा जलसंधारण ।			
	२४०३, पशुपालन ।			
	२४०५, मत्स्योद्योग ।			
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	..	७४,३०,१३,०००	७४,३०,१३,०००
	२४२५, सहकारिता ।			
	२४३५, अन्य कृषिक कार्यक्रम ।			
	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम।			
	२५०५, ग्राम नियोजन ।			
	२७०२, लघु सिंचाई।			
	२८०१, विद्युत।			
	२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।			
	२८५२, उद्योग ।			
	३०५४, सड़क तथा पुल।			
	३०५५, सड़क परिवहन ।			
	कुल—जनजाति विकास विभाग।	..	७४,३०,१३,०००	७४,३०,१३,०००

टी-५ जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।				
वी-१	ब्याज अदायगियाँ ।	२०४९, ब्याज अदायगियाँ ।	..	...	२,०००	२,०००
वी-२	सहकारिता।	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २४०६, वन तथा वन्य जावन । २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४५६, सिविल आपूर्ति।	..	९,८५,८४,७६,०००	...	९,८५,८४,७६,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	..	९,८५,८४,७६,०००	२,०००	९,८५,८४,७६,०००
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग।				
डब्ल्यू-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	..	२०,९५,०१,०००	...	२०,९५,०१,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	..	१,१०,००,००,०००	...	१,१०,००,००,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	..	९०,०३,०००	...	९०,०३,०००
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	..	१,३१,८५,०४,०००	...	१,३१,८५,०४,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग।				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	..	६,४८,५६,१७,०००	...	६,४८,५६,१७,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।	..	६,४८,५६,१७,०००	...	६,४८,५६,१७,०००

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग

वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	. .	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	. .	२,००,००,००,०००	. . . २,००,००,००,०००
			कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	. .	२,००,००,००,०००	. . . २,००,००,००,०००

कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।

जेड क-१	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।		२२०३, तकनीकी शिक्षा। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	. .	१,०००	. . . १,०००
			कुल—कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।	. .	१,०००	. . . १,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।

जेड घ-४	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।		२४०६, वन तथा वन्य जीवन । ३४५२, पर्यटन ।	. .	२५,००,००,०००	. . . २५,००,००,०००
			कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग ।	. .	२५,००,००,०००	. . . २५,००,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		अल्पसंख्यक विकास विभाग।				
जेड ड-१	अल्पसंख्यक विकास ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ । २०५३, जिला प्रशासन । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन ।	. .	३३,२७,१५,०००	. . .	३३,२७,१५,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग।	. .	३३,२७,१५,०००	. . .	३३,२७,१५,०००
		अन्य पिछड़े वर्गों, सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग				
जेड़ छ-३	विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण ।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यको का कल्याण । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।	. .	९०,७५,३९,०००	. . .	९०,७५,३९,०००
		कुल—विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा विशेष पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग ।	. .	९०,७५,३९,०००	. . .	९०,७५,३९,०००
		कुल—क—राजस्व लेखे पर व्यय ।	. .	१,२६,९६,३३,९९,०००	१,१०,७३,१३,०००	१,२८,०७,०७,१२,०००

ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय।

राजस्व तथा वन विभाग

सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय । ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय । ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज ।	४,०००	. . .	४,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग । . .	४,०००	. . .	४,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।

डी-९	मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०५, मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०५, मत्स्य उद्योग के लिए कर्ज।	. .	४७,००,००,०००	. . .	४७,००,००,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग। . .		४७,००,००,०००	. . .	४७,००,००,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।

ई-४	शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।		७६,००,००,०००	. . .	७६,००,००,०००
		कुल—शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग . .		७६,००,००,०००	. . .	७६,००,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		नगर विकास विभाग।				
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय । ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	४,५०,००,००,०००	. . .	४,५०,००,००,०००
		कुल—नगर विकास विभाग	. .	४,५०,००,००,०००	. . .	४,५०,००,००,०००
		लोक निर्माण कार्य विभाग।				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१६,५०,००,०२,०००	. . .	१६,५०,००,०२,०००
एच-८	लोकनिर्माण कार्य प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	६,२५,०६,०००	. . .	६,२५,०६,०००

एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय।	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	१६,५६,२५,०९,०००	. . .	१६,५६,२५,०९,०००

जलस्रोत विभाग।

आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	७,५२,०३,३४,०००	. . .	७,५२,०३,३४,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	७,५२,०३,३४,०००	. . .	७,५२,०३,३४,०००

योजना विभाग।

ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,२८,७१,५६,०००	. . .	१,२८,७१,५६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)			(४)		
					रुपये	रुपये	रुपये
ओ-२५	जिला योजना—सिंधुदुर्ग	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय। ६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	२,०००	. . .	२,०००
		कुल—योजना विभाग।		. .	१,२८,७१,५८,०००	. . .	१,२८,७१,५८,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।					
एस-४	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०३,८१,८८,०००	. . .	१,०३,८१,८८,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।		. .	१,०३,८१,८८,०००	. . .	१,०३,८१,८८,०००

जनजाति विकास विभाग।

टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय ।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय । ४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पूल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,०००	. . .	१,०००
		कुल—जनजाति विभाग।	. .	१,०००	. . .	१,०००

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।

वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	. . ४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय । ४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय । ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	. .	१३,७५,०००	. . .	१३,७५,०००
वी-४	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण ।		. . .	२,०००	२,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ।	६४२५, सहकारिता के लिए ऋण । ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्जे । ६८६०, उपभोक्ता उद्योग के लिए कर्जे । ७४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जे ।	. .	३,०५,०००	. . .	३,०५,०००
		कुल—सहकारिता विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	१६,८०,०००	२,०००	१६,८२,०००
		महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।				
जेड ग-३	अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४२१६, गृहनिर्माण पर पूंजीगत परिव्यय। ७६१०, सरकारी कर्मचारियों अदि के लिए कर्ज।		९९,६२,४०,०००	. . .	९९,६२,४०,०००
		कुल—महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय विभाग।	. .	९९,६२,४०,०००	. . .	९९,६२,४०,०००
		कुल—ख-पूंजी लेखे पर व्यय।	. .	३३,१३,६१,१४,०००	२,०००	३३,१३,६१,१६,०००
		कुलयोग	. .	१,६०,०९,९५,१३,०००	१,१०,७३,१५,०००	१,६१,२०,६८,२८,०००

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2019.

THE MAHARASHTRA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ दिसम्बर, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXI OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA GOODS & SERVICES TAX ACT, 2017.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " **महाराष्ट्र राजपत्र** " में दिनांक २६ दिसम्बर, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् २०१७ का महा. ४३।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियिम महाराष्ट्र माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह १ जनवरी, २०२० को प्रवृत्त होगा ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है)की धारा २ के खण्ड (४) में, " अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी " शब्दों के पश्चात्, " राष्ट्रीय अग्रिमविनिर्णय अपील प्राधिकारी " शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

३. मूल अधिनियम की धारा १० की,–

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १० में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न **स्पष्टीकरण,** निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण.–द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, जहाँ तक विस्तारित निक्षेप, ऋण या अग्रिम के जरिए उपबंधित सेवाओं की छूट आपूर्ति का मूल्य, ब्याज या बट्टे के जरिए विचारार्थ प्रस्तुत है, तो राज्य में आवर्तन के मूल्य को निर्धारित करने के लिए ध्यान में नहीं लिया जायेगा।";

(ख) उप-धारा (२) में,–

(एक) खण्ड (घ) में, अंत में आनेवाला "और" शब्द हटाया जायेगा;

(दो) खण्ड (ङ) में, "परिषद" शब्द के स्थान में, "परिषद; और" शब्द रखे जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

"(च) वह ना ही नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है ना ही अनिवासी कराधेय व्यक्ति हैं : " ;

(ग) उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

"(२क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परंतु, धारा ९ की उप-धारा (३) और (४) के उपबंधों के अध्यधीन, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्तन, पचास लाख रुपयों से अधिक नहीं है, उप-धारा (१) और उप-धारा (२) के अधीन कर भुगतान करने के विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा, वह धारा ९ की उप-धारा (१) के अधीन उसके द्वारा कर भुगतान के बदले में जैसा विहित किया जाए, ऐसे दर पर संगणित कर की रकम परंतु, राज्य में आवर्तन के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, की रकम का भुगतान करने का विकल्प चुन सकेगा यदि वह–

(क) किसी माल या सेवाओं प्रदान करने में व्यस्त नहीं है जिसका इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्रहीत नहीं है;

(ख) माल या सेवाओं की किसी आंतर-राज्य बाह्य आपूर्ति करने में व्यस्त नहीं है;

(ग) किसी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य परिचालक के जरिए माल या सेवाओं की किसी प्रदाय करने में व्यस्त नहीं है जिसका धारा ५२ के अधीन स्त्रोत में कर संग्रहण आवश्यक है;

(घ) परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया जाए ऐसे मालों का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का प्रदायकर्ता नहीं है; और

(ङ) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अ-निवासी कराधेय व्यक्ति नहीं है :

सन् १९६१ का महा. ४३।

परंतु, जहाँ आय-कर अधिनियम, १९६१ के अधीन एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को एक ही स्थायी लेखा नंबर जारी किया गया है, वहाँ रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उप-धारा के अधीन कर के भुगतान के विकल्प को चुनते नहीं है, तब तक स्कीम के लिए विकल्प चुनने के लिये पात्र नहीं होंगे।";

(घ) उप-धारा (३) में, "उप-धारा (१) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहाँ कही वे आए हों " या, यथास्थिति, उप-धारा (२क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे ;

(ङ) उप-धारा (४) में, "उप-धारा (१) के " शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, " या, यथास्थिति, उप-धारा (२क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे;

(च) उप-धारा (५) में, "उप-धारा (१) के अधीन" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, " या, यथास्थिति, उप-धारा (२क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे;

(छ) उप-धारा (५) के पश्चात्, निम्न **स्पष्टीकरण,** निविष्ट किये जायेंगे अर्थात्–

" **स्पष्टीकरण १.**—इस धारा के अधीन कर भुगतान करने की उसकी पात्रता अवधारित करने के लिए किसी व्यक्ति के कुल आवर्तन परिकलित करने के प्रयोजनों के लिए "कुल आवर्तन" अभिव्यक्ति का तात्पर्य, जिसमें जब तक वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए दायी हो तब तक ऐसे व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के १ एप्रिल से ऐसे व्यक्ति द्वारा किये गये प्रदाय मूल्य सम्मिलित होगा परंतु, विस्तारित निक्षेप, ऋण या अग्रिम के ज़रिए उपबंधित सेवाओं की प्रदाय छूट का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा जहाँ तक वह ब्याज या बट्टे के ज़रिए विचारार्थ प्रस्तुत है।

स्पष्टीकरण २.—इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा, भुगतान कर के अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, "राज्य में आवर्तन" अभिव्यक्ति में, निम्न प्रदाय का, मूल्य सम्मिलित नहीं होगा अर्थात् :—

(एक) वित्तीय वर्ष के १ अप्रैल से उस दिनांक तक प्रदाय करता है ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए दायी होगा ; और

(दो) जहाँ तक कि विस्तारीत निक्षेपक, ऋण या अग्रिम के ज़रिए उपबंधित सेवाओं की प्रदाय छूट प्रदाय ब्याज या बट्टे के ज़रिए विचारार्थ प्रस्तुत है।"।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा २२ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा २२ की, उप-धारा (१) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, जैसा कि अधिसूचित किया जाए ऐसी शर्तों तथा सीमाओं के अध्यधीन, प्रदायकर्ता के मामले में, जो केवल माल की प्रदायगी में जुडा हुआ है के बीस लाख रुपयों से जो चालीस लाख रुपयों से अधिक न हो तक ऐसी रकम के कुल आवर्तन को बढ़ा सकेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति, मालों की प्रदाय में केवल जुडा हुआ समझा जायेगा जैसा कि यदि वह विस्तारित निक्षेप, ऋण या अग्रिम के ज़रिए उपबंधित सेवाओं के प्रदाय छूट में ज़ुडा है ज़हाँ तक ब्याज या बट्टे के ज़रिए विचारार्थ प्रस्तुत है ।"।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा २५ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा २५ की, उप-धारा (६) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(६क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररुप और रीत्या में और ऐसे समय के भीतर आधार क्रमांक का अधिप्रमाणन करेगा या आधार क्रमांक के कब्जे का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु, यदि आधार क्रमांक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से समनुदेशित नहीं किया गया है तो, ऐसी व्यक्ति, परिषद की सिफारिशों पर, जैसा कि सरकार विहित कर सकें ऐसी रीत्या में पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्यता को प्रस्तुत करेगी :

परंतु यह और कि, आधार क्रमांक के अधिप्रमाणन करने या आधार क्रमांक के कब्जे का सबूत प्रस्तूत करने में और पहचान की वैकल्पिक और व्यवहार्यता प्रस्तुत करने में असफल होने के मामले में ऐसे व्यक्ति को आबंटित किया गया रजिस्ट्रीकरण अवैध किया गया समझा जायेगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध लागू होंगे मानों कि ऐसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

(६ख) अधिसूचना के दिनांक पर और से, प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से सरकार परिषद की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी रीत्या, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र होने के उद्देश्य में, अधिप्रमाणन करने या आधार क्रमांक के कब्जे का सबूत प्रस्तुत करेगी :

परंतु, किसी व्यक्तिगत रूप से आधार क्रमांक समनुदेशित नहीं किया गया है तो ऐसा व्यक्तिगत रूप से जैसा कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर सके ऐसी रीत्या पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्यता को प्रस्तुत करेगी ।

(६ग) अधिसूचना के दिनांक पर और से प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अन्य रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र होने के उद्देश्य से, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर सके ऐसी रीत्या, अधिप्रमाणन करने या कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्ण समय निदेशक, भागीदारों की ऐसी संख्या, सहयोजन प्रबंध समिति के सदस्य, न्यासीयों का बोर्ड, प्राधिकृत प्रतिनिधि, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग के आधार क्रमांक के कब्जे का सबूत, प्रस्तुत करेंगे :

परंतु, जहाँ ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग का आधार क्रमांक समनुदेशित नहीं किया गया है तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कर सके ऐसी रीत्या पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्यता को प्रस्तुत करेगी ।

(६घ) उप-धारा (६क) या उप-धारा (६ख) या उप-धारा (६ग) के उपबंध ज़ैसा कि सरकार परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सके, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या राज्य के भाग को लागू नहीं होंगे।

सन् २०१६ का १८। **स्पष्टीकरण.—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आधार क्रमांक" अभिव्यक्ति का अर्थ वहीं होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायता, लाभ और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, २०१६ की धारा २ के खण्ड (क) में उसे समनुदेशित से हैं।"।

६. मूल अधिनियम की धारा ३१ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ में नई धारा ३१क का निवेशन।

" **३१क.** सरकार, परिषद की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग विहित करने के लिये जो उसके द्वारा की गई माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति प्राप्तिकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रणाली विहित करने के लिये उपबंध करेगी और तद्नुसार, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, ऐसे प्राप्तिकर्ता को भुगतान करने का विकल्प देगी।"। प्राप्तिकर्ता को डिजिटल भुगतान की सुविधा।

७. मूल अधिनियम की धारा ३९ की,— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ३९ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) और (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(१) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा १० या धारा ५१ या धारा ५२ के उपबंधों के अधीन कर भुगतान करने वाला किसी व्यक्ति से अन्य, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कॅलेंडर महीने या उसके भाग के लिए जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप और रीत्या में और ऐसे समय के भीतर कोई विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, माल या सेवा या दोनों की

आवक और जावक आपूर्तियाँ, प्राप्त इनपुट कर साख देय कर, भुगतान कर और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ प्रस्तुत करेगा :

परंतु, सरकार, परिषद की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के अधिसूचित कतिपय वर्ग जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगें।

(२) धारा १० के उपबंधों के अधीन कर भुगतान करनेवाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए जैसा की विहित किया जाए ऐसे प्ररूप और रीत्या में और ऐसे समय के भीतर विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में, राज्य में, आवर्तन माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों देय कर, भुगतान कर और अन्य विशिष्टियाँ प्रस्तुत करेगा।";

(ख) उप-धारा (७), के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(७) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप-धारा (१) या उसके परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से अन्य, उप-धारा (३) या उप-धारा (५) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिस पर वह ऐसा विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है उस अंतिम दिनांक के बाद न हो ऐसे विवरण के अनुसार देय कर सरकार को अदा करेगा :

परंतु, उप-धारा (१) के परन्तुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करनेवाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप में और रीत्या और ऐसे समय के भीतर, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदाय प्राप्त इनपूट कर साख, देय कर और महीने के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए देय कर सरकार को भुगतान करेगा :

परंतु यह और कि, उप-धारा (२) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करनेवाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप में और रीत्या और ऐसे समय के भीतर राज्य में आवर्तन माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय देय कर तिमाही के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए देय कर सरकार को भुगतान करेगा।" ।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ४४ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ४४ की, उप-धारा (१) में, निम्न परन्तुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, आयुक्त, परिषद की सिफारिश पर और लिखित में लेखबद्ध किये जानेवाले कारणों के लिये अधिसूचना द्वारा, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, समय सीमा बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और भी कि, केंद्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित की गई समय सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा । "।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ४९ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा ४९ की, उप-धारा (९) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१०) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर कर, ब्याज, शास्ति या फीस की कोई रकम या इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रोकड बही में उपलब्ध कोई अन्य रकम, एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, या उपकर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रोकड बही को, जैसा कि विहित किया जाए ऐसे प्ररूप और रीत्या में और ऐसे शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन, अंतरित कर सकेगा और ऐसा अंतरण, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रोकड बही से प्रतिदाय की जानेवाली रकम समझा जायेगा ।

(११) जहाँ कोई रकम इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक रोकड बही में अंतरित की गई है, तो उसे उप-धारा (१) में यथा उपबंधित उक्त बही में निक्षेपित की गई समझी जायेगी । "।

१०. मूल अधिनियम की धारा ५० की, उप-धारा (१) में, निम्न परन्तुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५० में संशोधन।

" परंतु, कर अवधि के दौरान की गई आपूर्तियों के संबंध में कर भुगतान पर ब्याज और धारा ३९ के उपबंधों के अनुसरण में देय दिनांक के पश्चात्, प्रस्तुत उक्त अवधि के लिये विवरणी में घोषित की गयी, विवरणी जहाँ ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में, धारा ७३ या धारा ७४ के अधीन किसी कार्यवाहियों के प्रारम्भण के पश्चात्, प्रस्तुत की गई है को छोडकर कर उस भाग पर उद्ग्रहीत होगा वह इलेक्ट्रॉनिक रोकड बही विकलन द्वारा भुगतान किया गया है । "।

११. मूल अधिनियम की धारा ५२ की,— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५२ में संशोधन।

(क) उप-धारा (४) में, निम्न परन्तुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु, आयुक्त, लेखबद्ध किये जानेवाले कारणों के लिये, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किया गये रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा विस्तारित करेगा :

परन्तु यह और कि, केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का किसी विस्तार, आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा । "।

(ख) उप-धारा (५) में, निम्न परन्तुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परन्तु, आयुक्त, परिषद की सिफारिश पर और लेखबद्ध किये जानेवाले कारणों के लिये, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किया गये रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिये वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिये समय-सीमा बढ़ा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि, केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जायेगा । "।

१२. मूल अधिनियम की धारा ५३ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की नवीन धारा ५३क का निवेशन। कतिपय रकम अन्तरित करना।

" **५३क.** जहाँ केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन या माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही से इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही से कोई रकम अन्तरित की गयी है तो, सरकार, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे रीत्या और ऐसे समय के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही से अन्तरित रकम के समान रकम, केन्द्रीय कर लेखा या एकीकृत कर लेखा या उपकर लेखा को अन्तरित करेगी । "।

१३. मूल अधिनियम की धारा ५४ की, उप-धारा (८) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ५४ में संशोधन।

" (८क) जहाँ केन्द्र सरकार ने, राज्य कर के प्रतिदाय के लिये संवितरित किया है तो सरकार केन्द्र सरकार को इस प्रकार प्रतिदाय की गयी रकम के समान रकम अन्तरित करेगी । "।

१४. मूल अधिनियम की धारा ९५ के,— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा ९५ में संशोधन।

(एक) खण्ड (क) में,—

(क) " अपील प्राधीकरण " शब्दों के पश्चात्, " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) " धारा १०० के " शब्द और अंकों के पश्चात्, " या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की, धारा १०१ग के " शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे ;

(दो) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:—

"(च) " राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण " का तात्पर्य धारा १०१क में अग्रिम विनिर्णय के लिये निर्दिष्ट किये गये राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण से है। "।

सन् २०१७ का महा. ४३ में धारा १०१क का निवेशन।

१५. मूल अधिनियम की धारा १०१ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

अग्रिम विनिर्णय के लिये राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण।

" **१०१क.** इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १०१क के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिये राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिये राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण समझा जायेगा। "।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १०२ में संशोधन।

१६. मूल अधिनियम की धारा १०२ में,—

(क) " अपील प्राधिकरण " शब्द जहाँ कहीं वह दोनों स्थानों पर आये हों, के पश्चात्, " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) " या धारा १०१ " शब्द और अंकों के पश्चात्, " या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १०१ग क्रमशः " शब्द अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे ;

(ग) " या अपीलार्थी " शब्द के स्थान में " अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण " शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १०३ में संशोधन।

१७. मूल अधिनियम की धारा १०३ की,—

(एक) उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) इस अध्याय के अधीन राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय,—

(क) आवेदक, विशिष्ट व्यक्ति होने के नाते,जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १०१ख की, उप-धारा (१) के अधीन विनिर्णय चाहा गया था और सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को आय-कर अधिनियम, १९६१ के अधीन जारी किये गये समान स्थायी लेखा क्रमांक होंगे ; सन् १९६१ का ४३ ।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदक के संबंध में, संबंधित अधिकारियों और अधिकारितावाले अधिकारियों और रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को आय-कर अधिनियम, १९६१ के अधीन जारी किये गये समान स्थायी लेखा क्रमांक होंगे। "; सन् १९६१ का ४३ ।

(दो) उप-धारा (२) में, " उप धारा (१) में " शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, " और उप-धारा (१क) " शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १०४ में संशोधन।

१८. मूल अधिनियम की धारा १०४ की, उप-धारा (१) में,—

(क) " प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण " शब्दों के पश्चात्, " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ख) " धारा १०१ के " शब्दों और अंकों के पश्चात्, " या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा १०१ग के अधीन " शब्द, अंक और अक्षर निविष्ट किये जायेंगे।

सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १०५ में संशोधन।

१९. मूल अधिनियम की धारा १०५ में,—

(क) पार्श्व टिप्पणी के स्थान में, निम्न पार्श्व टिप्पणी, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियाँ। " ;

(ख) उप-धारा (१) में, " अपील प्राधिकरण " शब्दों के पश्चात् " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण " शब्द निविष्ट किये जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (२) में, " अपील प्राधिकरण " शब्द जहाँ कहीं वह दोनों स्थानों पर आये हों, के पश्चात्, " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण " शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

२०. मूल अधिनियम की धारा १०६ में,— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १०६ में संशोधन।

(क) पार्श्व टिप्पणी के स्थान में, निम्न पार्श्व टिप्पणी, रखी जायेगी, अर्थात् :—

" प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया।";

(ख) " अपील प्राधिकरण " शब्दों के पश्चात्, " या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण " शब्द निविष्ट किये जायेंगे।

२१. मूल अधिनियम की धारा १७१ की, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट कि जायेगी, अर्थात् :— सन् २०१७ का महा. ४३ की धारा १७१ में संशोधन।

" (३क) जहाँ उप-धारा (२) में निर्दिष्ट प्राधिकरण, उक्त उप-धारा के अधीन यथा आवश्यक परीक्षण करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर आता है कि, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उप-धारा (१) के अधीन मुनाफ़ाखोरी करता है ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार मुनाफ़ाखोरी की रकम के दस प्रतिशत के समान शास्ति का भुगतान करने के लिये दायी किया जायेगा :

परन्तु, यदि मुनाफ़ाखोरी की रकम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर मुनाफ़ाखोरी की गयी रकम निक्षेपित करता है तो शास्ति उद्ग्रहित नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " मुनाफ़ाखोरी " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर के दर में कटौती के लाभ प्रासंगिक न होने कारण या इनपुट कर क्रेडिट का लाभ माल या सेवा या दोनों की किमत में अनुरूप कटौती के मार्ग से प्राप्तिकर्ता को प्रासंगिक न होने के कारण निर्धारित रकम से है। "।

२२. (१) मूल अधिनियम, की धारा ११ की, उप-धारा (१) के अधीन, परिषद की सिफारिशों पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई, सरकार की अधिसूचना वित्त विभाग, क्रमांक / महाराष्ट्र माल और सेवा कर/ सी.आर.१०३(१)/कराधान-१, दिनांकित २९ जून २०१७, की संलग्न अनुसूची में अनुक्रमांक १०३क और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान में निम्न प्रविष्टि रखी जायेगी और १ जुलाई, २०१७ से प्रभावी रूप से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात् :— सरकारी अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांक एमजीएसटी/ सी.आर. १०३(१)/ कराधान-१, दिनांकित २९ जून, २०१७ में संशोधन।

"१०३क	२६	युरेनियम ओरे कॉन्सन्ट्रेट " ।

(२) उप-धारा (१) के प्रयोजनों के लिए, सरकार को, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट अधिसूचना का संशोधन करने की शक्ति होगी और ऐसा समझा जायेगा मानों कि सरकार को उक्त अधिनियम की धारा ११ की उप-धारा (१) के अधीन उक्त अधिसूचना का संशोधन करने की शक्ति, सभी तात्विक समय पर भूतलक्षी रूप से दी गई थी।

(३) ऐसे सभी ऐसे कर का, जो संग्रहित किए गए है, किंतु, इस प्रकार संग्रहित नहीं किए गये हैं, यदि उप-धारा (१) में निर्दिष्ट की गई अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में आ गई थी, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2019.

THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ दिसम्बर, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXII OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३२ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २६ दिसम्बर, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम १९६१ में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०१९, २३ अगस्त, २०१९ को प्रख्यापित किया गया था ; सन् १९६२ का महा. ५। सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. २१।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर हैं ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह २३ अगस्त, २०१९ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६२ का महा. ५।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ७५ख में संशोधन।

२. महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ७५ख में, निम्न परंतुक, जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

" परंतु, इस धारा के अधीन प्राधिकार देने की अवधि चार महिने से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और भी कि, आदेश में अभिलिखित की गई आपवादिक परिस्थितियों में, उक्त अवधि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये ऐसी अधिकतर अवधि के लिये समय-समय पर विस्तारित की जायेगी किन्तु, प्राधिकार देने की ऐसी अवधि, कुल मिलाकर छह महिने से अधिक नहीं होगी। " ।

सन् १९६२ का महा. ५ की धारा ९१ख में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ९१ख में, निम्न परंतुक, जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

" परंतु, इस धारा के अधीन प्राधिकार देने की अवधि, चार महीने से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और भी कि, आदेश में अभिलिखित की गई आपवादिक परिस्थितियों में, उक्त अवधि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये ऐसी अधिकतर अवधि के लिये समय-समय पर विस्तारित की जायेगी किन्तु, प्राधिकार देने की ऐसी अवधि, कुल मिलाकर छह महीने से अधिक नहीं होगी। "।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. २१।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. २१ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

४. (१) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (संशोधन) अध्यादेश, २०१९, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2019.

THE MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS TEMPORARY POSTPONEMENT OF ELECTIONS (OF THE PRESIDENT, VICE-PRESIDENT AND CHAIRMEN OF THE SUBJECT COMMITTEES OF CERTAIN ZILLA PARISHAD AND THE CHAIRMEN AND DEPUTY CHAIRMEN OF CERTAIN PANCHAYAT SAMITIS DUE TO ENSUING GENERAL ELECTIONS TO THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ दिसम्बर, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIII OF 2019.

AN ACT TO PROVIDE FOR TEMPORARY POSTPONEMENT OF ELECTION OF THE PRESIDENT, VICE-PRESIDENT AND CHAIRMEN OF THE SUBJECT COMMITTEES OF CERTAIN ZILLA PARISHADS AND THE CHAIRMEN AND DEPUTY CHAIRMEN OF CERTAIN PANCHAYAT SAMITIS ON ACCOUNT OF ENSUING GENERAL ELECTIONS TO THE STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २६ दिसम्बर, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य विधान सभा के आगामी आम निर्वाचनों के कारण कतिपय जिला परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और कतिपय पंचायत समितियों के सभापति और उप-सभापति के निर्वाचनों के अस्थायी स्थगन का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानसभा के आम चुनाव सन् २०१९ के अक्तूबर महीने में किसी भी समय पर लिये जाने की संभावना थी ;

और क्योंकि कतिपय जिला परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और कतिपय पंचायत समितियों के सभापति और उप-सभापति की पदावधि अगस्त-सितम्बर, २०१९ में समाप्त होने वाली थी ;

और क्योंकि महाराष्ट्र विधान सभा के आगामी आम निर्वाचनों के कारण सभी कलक्टरों और जिलों के कलक्टर कार्यालयों के कर्मचारीवृन्द साथ ही साथ जिलों के पुलिस कर्मचारीवृन्द भी महाराष्ट्र विधान सभा के आगामी आम् निर्वाचनों के कारण तैयारी में व्यस्त रहेंगे और निर्वाचन पूर्व और पश्च कर्तव्यों से पूर्णतः व्यस्त रहे थे ;

और क्योंकि उक्त निर्वाचनों के किसी संभाव्य अतिव्याप्ति और सिविल तथा पुलिस प्रशासन पर पड़नेवाले किसी अनुचित तनाव की किसी संभावना और नागरिकों **साथ ही साथ** उम्मीदवारों और संबंधित मतदाताओं को किसी कानून और व्यवस्था संबंधी समस्या से होनेवाली असुविधा को रोकने के लिए कतिपय **जिला परिषदों** के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और कतिपय पंचायत समितियों के सभापति और उप-सभापति के निर्वाचनों का चार महीने की अवधि के लिए अस्थायी स्थगन करना इष्टकर समझा गया था ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त कारणों के लिए, कतिपय जिला परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पंचायत समिति के सभापति और कतिपय पंचायत समिति के सभापति और उप-सभापति के निर्वाचनों को अस्थायी रूप से स्थगित करने के लिए उपबंध करने हेतु सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (राज्य विधान सभा के आगामी आम निर्वाचनों के कारण कतिपय जिला परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और कतिपय पंचायत समितियों के सभापति और उप-सभापति) के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन अध्यादेश, २०१९, २३ अगस्त, २०१९ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. २२।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (राज्य विधान सभा के आगामी आम निर्वाचनों के कारण कतिपय **जिला परिषदों** के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और कतिपय **पंचायत समितियों** के सभापति और उप-सभापति) के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन अधिनियम, २०१९ कहलाए ।

(२) यह २३ अगस्त, २०१९ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

परिभाषाएँ ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " पंचायत समिति " का तात्पर्य, जिला परिषद अधिनियम के अधीन गठित पंचायत समिति से है ;

(ख) " जिला परिषद " का तात्पर्य, जिला परिषद अधिनियम के अधीन गठित जिला परिषद से है ;

(ग) " जिला परिषद अधिनियम " का तात्पर्य, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ से है ;

सन् १९६२ का महा. ५ ।

(घ) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो **जिला परिषद** या **पंचायत समिति** के संबंध में जिला परिषद अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित किया जाए ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और पंचायत समितियों के सभापति और उप-सभापति के निर्वाचनों का स्थगन और उनकी पदावधि का विस्तार ।

३. (१) जिला परिषद अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी न्यायालय के किसी न्याय निर्णय, डिक्री या आदेश में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

(क) **जिला परिषद** के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति, और **पंचायत समितियों** के सभापति और उप-सभापति के पदों का कोई निर्वाचन, ऐसे **जिला परिषद** या, यथास्थिति, **पंचायत समिति** के विद्यमान अवधि के दौरान, ढ़ाई वर्ष के अवसित हो जाने के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से एक सौ बीस दिनों की अवधि में या ऐसे पूर्वतर दिनांक तक जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा (जिसे इसमें आगे, इस अधिनियम में, "उक्त अवधि" कहा गया है) विनिर्दिष्ट कर सके, ऐसी अवधि में नहीं लिये जायेंगे ;

(ख) उक्त अवधि के पश्चात् निर्वाचित किए गए **जिला परिषद** के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और **पंचायत समिति** के सभापति और उप-सभापति के पदों की अवधि, निर्वाचित पार्षदों या, यथास्थिति, सदस्यों की अवधि के साथ सहपर्यवसित होगी ;

(२) उप-धारा (१) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा यथा बढाई गई **जिला परिषद** के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और **पंचायत समितियों** के सभापति और उप-सभापति की पदावधि अवसित होने के पश्चात्, वह जिला परिषद अधिनियम के अधीन **जिला परिषद** के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और **पंचायत समितियों** के सभापति और उप-सभापति निर्वाचित होने तक पद पर बने रहेंगे ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और पंचायत समितियों के सभापति और उप-सभापति जिनकी पदावधि बढ़ायी गई है की शक्तियाँ और कतिपय कृत्यों का विधिमान्यता ।

४. **जिला परिषद** के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और **पंचायत समितियों** के सभापति और उप-सभापति जिनकी पदावधि धारा ३ के अधीन बढ़ाई गई समझी गई है या, यथास्थिति, बढायी गई है, ऐसी संपूर्ण बढ़ाई गई अवधि के दौरान, **जिला परिषदों** के ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और **पंचायत समिति** के सभापति और उप-सभापति के रूप में, सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी कर्तव्यों का अनुपालन और सभी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम समझे जायेंगे और सक्षम होंगे ; और उक्त अवधि के दौरान उनमें से किसी के भी द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अविधिमान्य नहीं होगा या किसी न्यायालय में, केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि **जिला परिषद** के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और **पंचायत समितियों** के सभापति और उप-सभापति की ऐसी बढ़ाई गई अवधि के दौरान, **जिला परिषद** के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और **पंचायत समिति** के सभापति और उप-सभापति की समस्त या किन्ही शक्तियों का प्रयोग या सभी या किन्ही कर्तव्यों का पालन या सभी या किन्ही कृत्यों का निर्वहन नहीं कर सकते थे ।

जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और पंचायत समिति के सभापति और उप-सभापति के निर्वाचन लेने की व्यवस्था करना ।

५. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, **जिला परिषदों** के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और **पंचायत समिति** के सभापति और उप-सभापति की बढ़ायी गई पदावधि समाप्त होने से पूर्व, या यथा संभव बाद में, जिला परिषद अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार, **जिला परिषद** के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और **पंचायत समिति** के सभापति और उप-सभापति के निर्वाचन करने के लिए कलक्टर और संबंधित अन्य अधिकारी द्वारा प्रबंध किया जायेगा ।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति ।

६. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में या उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात के कारणों द्वारा या इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किन्ही मामलों के संबंध में जिला परिषद अधिनियम प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार आदेश द्वारा, जैसा अवसर उद्भूत हो, ऐसा कोई कार्य कर सकेगी जो उसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से छह महीने की अवधी समाप्त होने के पश्चात्, ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया ऐसा प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

संदेह का निराकरण ।

७. संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात, **जिला परिषद,** या, यथास्थिति, **पंचायत समिति** के आम निर्वाचन के सद्य पश्चात् लिये जानेवाले **जिला परिषदों** के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और **पंचायत समिति** के सभापति और उप-सभापति के पदों के निर्वाचन के संबंध में लागू नहीं होगी ।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. २२ ।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. २२ का निरसन और व्यावृत्ति ।

८. (१) महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति (राज्य विधान सभा के आगामी आम निर्वाचनों के कारण कतिपय जिला परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विषय समितियों के सभापति और कतिपय पंचायत समितियों के सभापति और उप-सभापति) के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन अध्यादेश, २०१९ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है ।

(२) ऐसे निरसन होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2019.

THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE (AMENDMENT) ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ दिसम्बर, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXIV OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE, 1966.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २६ दिसम्बर, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था और, इसलिए, महाराष्ट्र भू राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१९, १६ सितम्बर २०१९ को प्रख्यापित किया गया था ; सन् १९६६ का महा. ४१। सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. २४।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह १६ सितम्बर, २०१९ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा ४८ में संशोधन।

सन् १९६६ का महा. ४१।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (जिसे इसमें आगे "उक्त संहिता" कहा गया है) की धारा ४८ की, उप-धारा (८) के खण्ड (१) में, "तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के" शब्द अपमार्जित किये जायेंगे।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्रमांक २४ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

सन् २०१९ का महा. अध्यादेश क्रमांक २४।

३. (१) महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, २०१९ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, उक्त संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2019.

THE MAHARASHTRA LOCAL AUTHORITY MEMBER'S DISQUALIFICATION (AMENDMENT) ACT, 2020.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ दिसम्बर, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXV OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LOCAL AUTHORITY MEMBER'S DISQUALIFICATION ACT, 1986.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक २६ दिसम्बर, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्य निरर्हता अधिनियम, १९८६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९८७ का महा. २०।

और क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक था ; और इसलिए, महाराष्ट्र स्थानीय सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अध्यादेश, २०१९, ६ अगस्त २०१९ को प्रख्यापित किया गया था ;

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. १७।

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

(२) यह ६ अगस्त, २०१९ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९८७ का महा. २० की धारा २ में संशोधन।

सन् १९८७ का महा. २०।

२. महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की, धारा २ के,—

(एक) खण्ड (ज) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९६५ का महा. ४०।

"(ज) "नगर परिषद" का तात्पर्य, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के अधीन गठित नगर परिषद से है और इसमें उक्त अधिनियम के अधीन गठित नगर पंचायत भी सम्मिलित हैं;";

(दो) खण्ड (ड) के, उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड, जोडा जायेगा अर्थात् :—

सन् १९६५ का महा. ४०।

"(चार) नगर परिषद के संबंध में, का तात्पर्य महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ से हैं;"।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. १७का निरसन तथा व्यावृत्ति।

सन् २०१९ का महा. अध्या. क्र. १७।

३. (१) महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अध्यादेश, २०१९, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात, या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2019.

THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT), ACT, 2019.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २८ दिसम्बर, २०१९ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेन्द्र ग. भागवत,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXXVI OF 2019.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATIONS ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६ सन् २०१९।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् **" महाराष्ट्र राजपत्र "** में दिनांक ३१ दिसम्बर, २०१९ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र नगर निगम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है, इसलिए, भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :— सन् १९४९ का ५९।

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१९ कहलाए।

सन् १९४९ का ५९ की धारा ५ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (३) के, प्रथम परन्तुक में "महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् " किंतु **राजपत्र** में महाराष्ट्र नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के प्रकाशन के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक के दिन तक " शब्द, कोष्ठक और अंक निविष्ट जायेंगे । सन् १९४९ का ५९। सन् २०१९ का महा. ३६। सन् २०१७ का महा. ९।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.